Page No 1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] सप्तम् विधान सभा के षष्टम सत्र का बारहवां दिवस [संख्या 8

सोमवार

दिनांक 28 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई,

अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपके स्वास्थ्य की कामना है, साहब।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : स्वास्थ्य तो ठीक है, पैर की कामना है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री भैरूंलाल मीणा।

हिन्दुस्तान जिंक लि. से प्राप्त रायल्टी व बिक्री कर

172. श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हिन्दुस्तान जिंक लि. से सालाना रायल्टी राज्य सरकार को मिलती है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्थान से राज्य सरकार को बिक्री कर से भी वार्षिक आय होती है ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या सरकार इस आय में से कुछ प्रतिशत स्थानीय बस्तियों एवं पास के गांवों के विकास यथा पेयजल, स्कूल भवन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर खर्च करती है ? यदि हां, तो कृपया अब तक राज्य सरकार द्वारा इस राशि में से जावर माइन्स, जिंक स्मेल्टर, राजपुरा दरीबा, मटून आदि के पास की बस्तियों के विकास पर किये गये खर्च का विवरण सदन की मेज पर रखें।

वित्त मंत्री (श्री बृज सुन्दर शर्मा): (1) जी हां। वर्ष 1981-82 में रायल्टी के रूप में 170.97 लाख की राशि प्राप्त हुई।

(2) जी हां, बिक्री कर के रूप में वर्ष 1981-82 में रु. 118.18 लाख की आय हुई।

श्री भैरों सिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : बिल्कुल सुनाई नहीं आ रहा है।

(२)

श्री **अध्यक्ष** : दुबारा पढ़ दीजिए ।

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : (1) जी हां, वर्ष 1981-82 में रायल्टी के रूप में 170.97 लाख की राशि प्राप्त हुई ।

(2) जी हां, बिक्री कर के रूप में वर्ष 1981-82 में रु. 118.18 लाख की आय हुई ।

(3) प्रश्न नहीं उठता । स्थानीय बस्तियों आदि के विकास के लिये अलग-अलग विभाग अपने बजट अनुसार व्यय करते हैं।

श्री **भेरूंलाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का भाग नम्बर '3 ही मेरा मूल प्रश्न है । मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय यह बतायें कि जब इतनी राशि राज्य सरकार को मिलती है और जिस धातु को मजदूर मेहनत करके निकालते हैं, वे लोग किस तरह से आते हैं, यह आपको पता है ? मैं चाहूंगा कि उनके आने-जाने के लिये सड़क और स्कूल आदि के लिये इस राशि में से कुछ प्रतिशत मिले । इतनी राशि मिलने के बाद भी आप कुछ प्रतिशत नहीं दें, यह अच्छी बात नहीं है। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिये । जो मजदूर इतनी धनराशि पैदा करते हैं उनके लिये सड़क, पेयजल जैसी साधारण सुविधा, जो आम जनता के काम में आती है, उपलब्ध कराने के बारे में क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : इसका अलग से हिसाब नहीं रखा जाता है । जो सारी इनकम होती है उसमें से कुछ हिस्सा मजदूर फण्ड में जाता है। विकास कार्यों पर अलग-अलग विभाग अपनी तरफ से खर्च करते हैं।

श्री **अध्यक्ष** : इसमें उनको सुविधा देने का प्रश्न है ।

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : वैसे भी वह क्षेत्र अनुसूचित जाति क्षेत्र है, वहां पर अनुसूचित जाति कम्पोनेंट प्लान में से पैसा खर्च होता है फिर भी पानी के लिए आपका स्पेसिफिक प्रपोजल होगा तो देख लिया जाएगा ।

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न ।

श्री **भेरूंलाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैं बताऊंगा कि पिछले दो साल से अकाल राहत कार्य चले नहीं हैं और चले हैं तो नहीं के बराबर चले हैं। पहले कभी एक अकाल राहत कार्य चला था उस वक्त भी सरकार ने मना कर दिया था कि यहां पर अच्छा कारखाना है और यहां के मजदूर सम्पन्न हैं इसलिए अकाल राहत कार्य नहीं खोले जायेंगे । इतने दिनों के बाद अकाल राहत कार्य नाम मात्र को ही हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर कुछ प्रतिशत पैसा वहां की सड़कों के सुधार के लिए रखा जावे ।

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न । श्री देवीसिंह भाटी ।

राजस्थान राज्य भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन की उपलब्धियां

173. श्री **देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन में स्थापना से लेकर आज तक क्या लक्ष्य एवं उपलब्धियां रही हैं ? कृपया वर्षवार विवरण मय मदवार आय-व्यय व लाभ-हानि के सदन की मेज पर रखें।

Page No 3

(श्री देवीसिंह भाटी)

(2) क्या राज्य सरकार फैडरेशन की कार्यविधियों से संतुष्ट है ? यदि नहीं, तो इसमें सुधार हेतु क्या योजना विचाराधीन है ?

(3) वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में जिला बीकानेर में कितनी ऊन भेड़ पालकों से खरीदी गई ? वर्ष 1983-84 में राजस्थान में ऊन खरीद हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया जाने का अनुमान है ? ?

(4) राज्य फैडरेशन खुले बाजार में ऊन की घटी कीमत से प्रभावित भेड़ पालकों को उचित मूल्य दिलाने हेतु क्या प्रयास कर रहा है ?

(5) कृपया वर्ष 1978 से 1982 तक के ऊन भाव का फसलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन (श्री रामकिशन वर्मा) :

(1) राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन लि. की स्थापना मार्च, 1977 में हुई। राज्य के भेड़ पालकों को सहकारिता के आधार पर संगठित कर ऊन के उत्पादन का क्रय-विक्रय कर उन्हें उचित मूल्य दिलाना। वर्षवार विवरण मय आय व्यय व लाभ-हानि की सूची पटल पर रख दी गई हैं।

(2) फैडरेशन ने भेड़ बकरियों को विदेशों में निर्यात करने का कार्य हाथ में लिया है। राज्य सरकार ने भारत सरकार को विदेशों से आयात की जा रही ऊन पर प्रतिबन्ध लगाने का भी अनुरोध किया है।

(3) बीकानेर जिले में भेड़ पालकों से 1980-81 में 1,73,892 किलोग्राम व वर्ष 1981-82 में 1,21,221 किलो ग्राम और 1982-83 में 5,295 किलो ग्राम ऊन क्रय की गई। वर्ष 1983-84 के लिए फैडरेशन के ऊन-क्रय का लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि फैडरेशन का वित्तीय सहकारी वर्ष 1 जुलाई से प्रारम्भ होता है। अतः जून, 83 तक उपलब्ध राशि के अनुसार ऊन खरीद के लिए प्रावधान रखा जावेगा।

(4) भेड़ ऊन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए फैडरेशन भेड़पालकों की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन जैसे उनके माध्यम से भेड़-बकरी ऊन क्रय कर कमीशन देने की व्यवस्था, विदेशों से ऊन के आयात पर प्रतिबन्ध करने आदि से उनके स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहा है। वर्ष 1978 से 1982 तक कतरनवार ऊन के भाव की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कृपया यह बतायें कि जो ऊन के व्यापारी हैं वह तो हर वर्ष ऊन के व्यापार में फायदा उठाते हैं परन्तु फैडरेशन को सन् 77 से 82 तक बीस लाख का घाटा हुआ है, इसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशन वर्मा : पहले ऊन के व्यापारी सस्ते दामों पर ऊन खरीद लिया करते थे और बाद में महंगे भावों में बेचते थे लेकिन जब फैडरेशन बन गया तो फैडरेशन ने ऊन खरीद करके इकट्ठी की लेकिन बाद में आयात लाइसेंस खोल देने से भाव नीचे आ गए। इससे घाटा हुआ।

श्री देवीसिंह भाटी : यह कोई कारण नहीं

(श्री देवीसिंह भाटी)

है। जिस भाव पर आपका फैडरेशन खरीद करता है उसी भाव पर व्यापारी ऊन खरीदते हैं फिर उनको फायदा और फैडरेशन को घाटा क्यों होता है ?

श्री रामकिशन वर्मा : घाटे का कारण यह नहीं है। हमारी ऊन के भाव गिर गए हैं क्योंकि विदेशों से सस्ती ऊन आने लगी है।

श्री देवीसिंह भाटी : इससे मैं संतुष्ट नहीं हू। जैसा कि आपने बताया है पूर्व में, आपने सन् 79-80 में एक लाख से अधिक किलोग्राम ऊन खरीदी और पिछले साल पांच हजार किलोग्राम ही खरीदी, इसका क्या कारण है ? क्या अब भेड़पालकों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा जा रहा है ?

श्री रामकिशन वर्मा : फैडरेशन के माध्यम से सोसायटीज बनाई हैं उन सोसायटियों से हम ऊन इकट्ठी करवाते हैं और पैसा वितरित करते हैं। पहले व्यापारी पूल बना कर ऊन को सस्ते दामों पर खरीद कर हमारे भेड़पालकों का शोषण करते थे। उनके पास जो ऊन इकट्ठी होती थी भेड़पालकों से सस्ती लेकर महंगी बेचा करते थे। अभी हमारे पास ऊन नहीं है। आयात लाइसेंस की वजह से हमको घाटा हो रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो भेड़पालकों को प्रोत्साहित

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। कृपया माननीय सदस्य बैठ जावें, पहले मेरी बात सुन लें।

यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आय और व्यय और उसके घाटा होने का कारण, सभी है। यह महत्वपूण प्रश्न है। इस प्रश्न को अन्य किसी तरीके से आधा घण्टे की चर्चा में अथवा भेड़ और ऊन की मांगों के अवसर पर [illegible] सकते हैं। मैं आपको इसके लिए [illegible] मेरी सहानुभूति आपके साथ है।

श्री देवीसिंह भाटी : यह प्रगति जो [illegible] बताई है कि पिछले साल केवल पांच हजार करीब.....

श्री अध्यक्ष : आप देख लेवें [illegible] उसके बाद चर्चा करें। मैंने व्यावस्था [illegible] अब कृपया बैठ जावें।

अगला प्रश्न, सुश्री पुष्पा जैन।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चम्बल [illegible] एरिया में बांधों का निर्माण

174. सुश्री पुष्पा जैन ([illegible]) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार चम्बल कैचमेंट एरिया में मध्य [illegible] सरकार द्वारा किस किस वर्ष में कितनी [illegible] लागत अथवा क्षमता के कितने बांधों का निर्माण करवाया है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की इस [illegible] कार्यवाही के सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो कब और क्या ?

(3) क्या यह सही है कि राज[illegible] सरकार ने राज्य के अभियन्ताओं को भेज[illegible] इस विषय में कोई जांच करवाई है ? यदि [illegible] तो उसका क्या परिणाम निकला ? [illegible] जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज [illegible] रखें।

श्री भंवरलाल शर्मा ([illegible]) कोई जवाब देने वाला नहीं है।

Page No 5

(5)

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : राज्य सरकार गायब कहां है ?

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार मौजूद है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : इसको स्थगित किया गया माननीय सदस्यों को इसका अगले टर्न पर या उससे अगले टर्न पर उत्तर दिलवा दिया जायगा ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन का अपमान है, यह आपका अपमान है, हमारा अपमान है, सदन के सत्ता पक्ष का अपमान है, क्या कोई मंत्री नहीं कह सकता है या हाउस में रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है ?

श्री **खेतसिंह राठौड़** (मुख्य सचेतक) : मंत्री जी ने लिख कर भेजा है, उसके आधार पर अध्यक्ष महोदय……

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : टेबल पर इसकी सूचना दी जाय, इसको स्थगित कराना चाहते हैं। हम स्पीकर को इत्तला दे देंगे, स्पीकर साहब हमारा पक्ष लेकर जो चाहे व्यवस्था दे देंगे, आप इस तरह से सूचना दे रहे हैं । हमने सारी रात प्रश्न के लिये तैयारी की है और आप कहते हैं कि इसको पोस्टपोन कर रहे हैं

(व्यवधान)

आप हमें इसकी पहले सूचना दीजिए ।

श्री **अध्यक्ष** : मैं विपक्ष के माननीय नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्न का उत्तर अवश्य दिलाया जायेगा । महत्वपूर्ण प्रश्न है आज तो जो बात हो गई वह हो गई ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत**: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, स्थगित करने के लिय तो कोई बात नहीं है, डांगी जी जवाब देते आज लेकिन अब परसरामजी जवाब देंगे, आपकी कृपा है । मैं निवेदन कर रहा हूं, परम्परा इस प्रकार की रही है, सदन में बात की जानकारी दी जाये कि पोस्टपोनमेंट चाहते हैं । कल जानकारी मिल जाती तो आपको भी समय नहीं लगता । स्थगित कर दीजिये, गवर्नमेंट की सुविधानुसार, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं जानकारी करना चाहूंगा कारण तो बतायें, क्यों पोस्टपोन किया है ?

श्री **अध्यक्ष** : उन्होंने लिखा है, निदेशानुसार निवेदन है कि उपरोक्त प्रश्न 28-2-83 को उत्तर हेतु लग चुका है परन्तु प्रश्न की सूचना विस्तृत होने से व प्रश्न 21.2 को प्राप्त होने के कारण कम समय मिलने से पूर्ण सूचना एकत्रित करना संभव नहीं हो सका ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : मेरा निवेदन यह है कि आप इस प्रश्न को पढ़ लें और सरकार का जवाब पढ़ लें, इसमें कौनसी तैयारी की आवश्यकता है या कोई सूचना एकत्रित करनी है जो 15 दिन में नहीं कर पा रहे हैं

श्री **अध्यक्ष** : इसके पहले भाग को पढ़ें "राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार चम्बल कैचमेंट एरिया में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस-किस वर्ष में किस-किस लागत अथवा क्षमता के कितने बांधों का निर्माण करवाया है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें " ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, यह सब रिकार्ड पर है, इंजीनियर्स की रिपोर्ट है, रिकार्ड पर लिखा हुआ है कहां-कहां कैचमेंट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
एरिया में एक्रोचमेंट हुआ है उसके आधार पर जवाब दे देते, एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाना था सदन को। अध्यक्ष महोदय,हम आपसे अपेक्षा करते हैं, गवर्नमेंट इस तरह से कहे, आपकी मर्जी की बात है, जो कुछ लैटर लिखा जाय उसके आधार पर आप यह कहें, इसमें बहुत सूचना एकत्रित करनी थी × × ×

राज्य मंत्री उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह) : अध्यक्ष महोदय निष्पक्षभाव हैं

श्री अध्यक्ष : परिस्थितियां देखकर ही...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई परिस्थिति नहीं है। आप अवोइड करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने विपक्ष के माननीय नेता महोदय से निवेदन किया इसका जवाब दिलवायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं आयगा जवाब।

श्री अध्यक्ष : जवाब आयेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगित करने के लिये निवेदन यह है कि जवाब आ चुका है, जवाब में जानकारी भेजी है। सरकार के पास भी आ गयी और मेरे पास भी है। उसकी जानकारी दी जा सकती है। फिर कौन से कारण हैं जिसके कारण सरकार भागना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : अगले टर्न पर इसका उत्तर निश्चित रूप से दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : यह प्रश्न जो सदन के सामने आया, अपने आप में पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस में एक अभूतपूर्व घटना है। सरकार जवाब दे या नहीं दे, बहुत सम्भव है जवाब आ गया हो और कोई और कारण हों जिनके कारण सरकार कभी-कभी जवाब नहीं देती है और प्रश्न स्थगित भी होते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

तरीका यह होना चाहिये, पोस्टपोनमेंट लेने के लिये अवश्य कोई माननीय मंत्री महोदय कहें, वह प्रश्न बोलने के बाद सदन में खड़े हों। सदन में खड़े होकर यह दरख्वास्त करें, इसको स्थगित कर दिया जाय। यह सदन का अपमान है। पार्लियामेंट और दूसरी विधान सभाओं में इसका क्या प्रभाव होगा, आप इसको देखें। यह ठीक है आप स्थगित कर दें।यदि जवाब नहीं दें कोई बात नहीं है। सरकार जवाब नहीं देगी, सदन के माननीय सदस्य अपना कर्त्तव्य निभायेंगे। इस तरह की घटना पहली बार हुई है, कभी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके सुझाव से सहमत हूं। सरकार को खड़े होकर, मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य को खड़े होकर··

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं खड़ा हुआ था इतने में ही विपक्ष के नेता महोदय खड़े हो गये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : आप बगलें झांक रहे थे।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वह बांध

बना रहे हैं, बनाते चले जायेंगे मध्य प्रदेश इसका उपयोग करेगा . . .

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : . के कारनामे यह हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह :

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : माननीय सदस्य ने कहा, यह कोई जवाब नहीं है या अच्छी बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जवाब नहीं आया, यह बात आज नहीं पिछले दो, तीन, चार साल से यह मामला चला रहा है। मध्य प्रदेश सरकार कैचमेंट एरिया में बांध बना रही है, पंजाब की सरकार राजस्थान कैनाल के लिय पानी नहीं दे रही है। आखिर किस तरह से जिंदा रहेंगे, किस तरह से जनता की रक्षा करेंगे, यह महत्वपूण मामला है। 12 महीने बात और चली जायेगी। माननीय सदस्य ने भावना व्यक्त की . . .

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में इसका उत्तर दिलवाया जायेगा, मैं निवेदन कर चुका हूं।

अगला प्रश्न।

भरतपुर के घना पक्षी विहार गोलीकाण्ड की जांच

175. श्री यदुनाथसिंह (नदवई), श्री नाथूसिंह (बांदीकुई), श्री हरसहाय मीणा (किशनगंज) एवं श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 7 नवम्बर, 1982 को भरतपुर के घना पक्षी विहार में हुए गोलीकाण्ड के लिये कौन जिम्मेदार हैं ?

(2) इस गोलीकाण्ड में कितने लोगों की मृत्यु तत्काल घटना-स्थल पर हुई तथा कितनों की बाद में ? कुल घायलों की संख्या क्या थी ? इस सम्बन्ध में सरकार ने कितना-कितना मुआवजा दिया ?

(3) क्या सरकार उक्त काण्ड की न्यायिक जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त घटना के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों पर कब कब, किन-किन धाराओं के अन्तर्गत मुकदमे बनाये गये व उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है ?

(5) क्या उक्त काण्ड की जांच किसी व्यक्ति को सौंपी गई व इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ? कृपया जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या इस गोलीकाण्ड से सम्बन्धित किन्हीं अधिकारियों की पदोन्नति की गई है ? यदि हां, तो कब, क्यों व किस पद पर ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गोविन्दसिंह गुजर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जो माननीय चार सदस्यों ने . . .

एक माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है।

श्री यदुनाथसिंह : आत्मा से नहीं बोल रहे हैं इसलिये आवाज नहीं आ रही है। आत्मा से बोलिये।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय की लम्बाई तो ज्यादा

Page No 8

(8)

(श्री सम्पतराम)
है और माइक नीचे रह जाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहें, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जवाब पूछा है, जवाब भी लाया हूं। जो प्रश्न पूछा है उसके सप्लीमेंट्रीज का जवाब देने में भी समर्थ हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस सम्बन्ध में और भी सवाल आये हैं। इन माननीय सदस्यों के अलावा इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी हैं, स्थगन प्रस्ताव भी माननीय सदस्यों के आये हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : इतने में तो आप बता देते।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : पहले मेरी बात सुन लीजिये।

आपने आदेश दिया है इस सम्बन्ध में वक्तव्य दूं। वक्तव्य की तारीख हेतु मैंने निवेदन किया था, आप तारीख निश्चित कर देते तो दोनों बातें एक साथ हो जातीं।

श्री यदुनाथसिंह : ठीक है।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर सरकार की ओर से दे दिया जाये। वक्तव्य के लिये मैंने दो तारीख निश्चित की है, उस समय इस पर विस्तृत चर्चा हो जायगी।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न, प्रश्न की जगह है, वक्तव्य, वक्तव्य की जगह है। प्रश्न से कुछ खुलासा हो जायेगा, इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : घटना एक ही है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, जिस समय विस्तृत चर्चा होगी, उस समय माननीय सदस्य अपनी बात रख दें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : (1) दिनांक 7 नवम्बर, 1982 को भरतपुर के घना पक्षी विहार पर हुए गोलीकाण्ड के सिलसिले में जांच करने हेतु श्री के. वी. शंकरन, सेवा निवृत्त सदस्य, राजस्व मण्डल को नियुक्त किया गया है। जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने पर ही बताया जा सकेगा कि कौन जिम्मेवार है।

(2) घटनास्थल पर एक व्यक्ति की एवं बाद में पांच व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इस घटना में कुल 48 व्यक्ति घायल हुए जिनमें से 24 उपस्थित जन समूह में से एवं 24 वहां कार्यरत राज्य कर्मचारियों में से थे।

श्री यदुनाथ सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : यह शब्द कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री यदुनाथसिंह : यह असत्य है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया बैठ जावें। उत्तर आने दीजिय।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मुख्य मंत्री अकाल बाढ़ सहायता कोष से प्रति मृतक के परिवार को 5,000) रुपये तथा प्रति घायल को 500) रुपये के हिसाब से 21 घायलों को वित्तीय सहायता के रूप में स्वीकृत किये गये हैं। साथ में दो हजार

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)
रुपये की राशि घायल व्यक्तियों को दवाइयों हेतु दी गई। यह वित्तीय सहायता केवल उक्त उपस्थित जन-समूह के 6 मृतकों के परिवारों एवं घायलों को दी गई।

श्री राजबहादुर : बड़ा सस्ता है मनुष्य का जीवन।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर: (3) जी नहीं। सरकार के विचार में प्रशासनिक जांच फिलहाल पर्याप्त है।

(4) अब तक 66 व्यक्तियों के विरुद्ध दो मुकदमे पंजीवद्ध किये गये हैं। ये मुकदमे दिनांक 7-11-82 को पंजीवद्ध हुए है। मुकदमे संख्या 289/82 एवं 290/82 क्रमशः भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 353, 332, 395, 323, 307....

श्री यदुनाथसिंह : 302 तो नहीं है इसमें ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं पूरा उत्तर पढ़ दूं उसके बाद सवाल पूछें तो अच्छा रहेगा।

यह तो पहला अपराध था एवं दूसरा 147, 148, 149, 332, 323, 353 और 395 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। 30 मुलजिमान गिरफ्तार किये जा चुके हैं। अनुसंधान जारी है।

(5) जांच हेतु राजस्व मंडल के सेवा-निवृत्त सदस्य, श्री के. वी. शंकरन को नियुक्त किया गया है। जांच कार्यवाही चालू है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही यह सम्भव होगा।

(6) उक्त गोलीकाण्ड के समय भरतपुर में कार्यरत श्री ओ. पी. सक्सेना, पुलिस अधीक्षक एवं श्री ए. के. जैन, सहायक पुलिस अधीक्षक को क्रमशः भारतीय पुलिस सेवा की चयन वेतन श्रृंखला व वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में दिनांक 1-1-83 से कार्यभार संभालने की तिथि से नियुक्त किया गया है।

श्री यदुनाथसिंह : हत्यारों को प्रमोशन दे रहे हैं आप। शेम, शेम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : गोली मारने वालों को प्रमोशन दिये जा रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : श्री ओ. पी. सक्सेना को भारतीय पुलिस सेवा की चयन वेतन श्रृंखला देय होने से नियमों के अन्तर्गत उक्त श्रृंखला में नियुक्त किया गया है तथा श्री ए. के. जैन को वरिष्ठता के आधार पर नियमों के अन्तर्गत पदोन्नत किया गया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस रोज वक्तव्य दिया जायेगा, जो भी माननीय सदस्य पूछेंगे उनके सवालों का जवाब दिया जायेगा।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को सिर्फ यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब वह जवाब दे तो एक पहलू पर गौर करके जवाब दे कि इस हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में जिन कर्मचारियों या अधि-

(श्री सम्पतराम)
कारियों का हाथ पाया जाता है, उनके खिलाफ राज्य सरकार ने नियमानुसार एक इन्क्वायरी नियुक्त की है। जब तक उसके फलस्वरूप दोषी या निर्दोष का नतीजा न आ जाय तब तक क्या प्रमोशन को रोक कर रखना ठीक नहीं होगा ?

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : उस दिन आप सभी प्रश्न पूछ सकेंगे और उनका जवाब दिया जायेगा।

श्री अमीन खां (176)
बाड़मेर जिले के चिकित्सा उप-केन्द्र

176. श्री अमीन खां (शिव) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) बाड़मेर जिले में कुल कितने चिकित्सा उपकेन्द्र हैं और उनमें से किन-किन में कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं ?

(2) क्या सरकार बाड़मेर जिले के रेगिस्तानी व सीमावर्ती होने की वजह से इस क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से रिक्त पदों की पूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

चिकित्सा मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : (1) बाड़मेर जिले में कुल 73 उपकेन्द्र स्वीकृत हैं, उनमें से 45 उप केन्द्रों में प्रशिक्षित प्रसाविकाओं के पद 1979-80 से रिक्त है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां, रिक्त पदों की पूर्ति प्रशिक्षित प्रसाविकाओं के उपलब्ध होने पर कर दी जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बता सकते हैं कि कौन से महीने या साल में इन 45 रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जावेगी ? नहीं तो फिर इन्हें स्वीकृत करने की जरूरत ही क्या है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जितने माननीय सदस्य चिंतित हैं, निश्चित रूप से मैं भी उतना ही चिंतित हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो 45 रिक्त पद हैं, 15 अप्रेल तक ट्रेनिंग समाप्त होने पर 30 उप केन्द्रों पर निश्चित रूप से स्टाफ लगा दिया जायेगा।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो बाड़मेर और अन्य स्थानों पर पोस्टिंग के लिये आपके पास स्टाफ नहीं है और दूसरी तरफ जयपुर में बड़े अफसरों के घर पर 8-8 घंटे नर्सों की ड्यूटी लगाई जाती है जैसा कि विरोधी दल के माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है...

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसका इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं है।

श्री दीपेन्द्रसिंह : आपको इसकी जानकारी है क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरी जानकारी में है। राजस्थान के एक आई. ए. एस. आफिसर के यहां उनकी माताजी बीमार होने के फलस्वरूप....

श्री दीपेंद्रसिंह :- उनका नाम बता दीजिये।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): उनके अलावा भी बहुत से आफिसरों के घर पर ड्यूटी लगी हुई है ?

श्री अध्यक्ष : श्री देवदत्त। आर्डर प्लीज।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहूंगा कि ऐसी अवस्था में, जब सभी स्थान रिक्त हैं बाड़मेर से जो मेल नर्स निकलते हैं उनमें से बहुत सों को दूसरे जिले में लगाया जा रहा है...

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अब मैंने यह निर्णय लिया है और यह आदेश दे दिया है कि बाड़मेर से जो प्रशिक्षित मेल नर्स निकल रहे हैं उनको बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर जिले में ही लगाया जाय।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : जो स्थान रिक्त हैं उनको देखते हुए वहां मेल नर्सेज के ट्रेनीज की संख्या बढ़ाने का क्या आप विचार रखते हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस पर विचार चल रहा है और मैं बीस-बीस सीट्स बढ़ाने के प्रयत्न में हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने बताया है, वे बीस केन्द्रों पर स्टाफ की नियुक्ति कर देंगे। स्टाफ की नियुक्ति आपके द्वारा कर दिये जाने के बाद यदि स्टाफ वहां पर नहीं गया तो आप उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, रेगिस्तानी क्षेत्रों में आम तौर से डाक्टर्स, मेल नर्स बहुत कम जाते हैं क्योंकि आवागमन के साधन कम हैं और शहरों जैसी सुविधा उन क्षेत्रों में नहीं है। लेकिन हम स्ट्रिक्टली इसको देखेंगे कि जिनकी नियुक्ति की जाती है वह वहां पर जोइन करें। अगर जोइन नहीं करेंगे तो उनको नोटिस देंगे, और नोटिस के बावजूद जोइन नहीं करेंगे तो उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 177

बालोतरा चिलिंग केन्द्र

177. श्री अमराराम चोधरी (पचपदरा) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बालोतरा चिलिंग सैन्टर में डेयरी सहकारी समितियों से ही दूध खरीदा जाता है ?

राज्य मन्त्री, डेयरी विकास (श्री श्रीराम गोटेवाला) : जी हां, पंजीकृत एवं प्रस्तावित ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से ही दूध खरीदा जाता है।

श्री अमराराम चोधरी : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि किन-किन सहकारी समितियों से कितना कितना दूध खरीदा गया ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अमराराम चोधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय गलत जवाब दे रहे हैं। जो सहकारी समितियां हैं उन से दूध नहीं खरीदा जा रहा है, बालोतरा के आस पास जो सहकारी समितियां हैं उनसे दूध नहीं खरीदा जा रहा है और वहां का मैनेजर मनमाने ढंग से दूसरी जगहों से दूध ले रहा

(12)

(श्री अमराराम चोधरी)
है। इससे सहकारी समितियों को जो इनकम होनी चाहिये वह नहीं हो रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस संबंध में लिख करके दे दें। अभी सदन को जो जानकारी दी है उसके आधार पर वहां के मैनेजर के खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

झालावाड़ जिले के औषधालय

178. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में किन-किन स्थानों पर आयुर्वेद औषधालय हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिले के नन्दपुर गुराड़िया, जोगा दुधालिया व भवानी मंडी, कई औषधालयों में जनता को उपचार हेतु पूर्ण औषधियां उपलब्ध नहीं हैं ?

(3) सन् 1980 से 1982 तक झालावाड़ जिले में औषधि हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री दिनेश डांगी): (1) झालावाड़ जिले में संचालित आयुर्वेदिक औषधालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। रोगियों के उपचार हेतु आवश्यक औषधियां उपलब्ध हैं।

(3) वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक औषधियों हेतु झालावाड़ जिले के औषधालयों का 7,87,570 रुपये का औषध बजट स्वीकृत किया गया। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची व विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न संख्या (2) के उत्तर में जो कहा है वह सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के औषधालयों में किसी भी प्रकार की दवाइयां नहीं हैं। वैद्य, स्टाफ बेकार बैठे रहते हैं। जनता आती है तो उनको कहा जाता है कि दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। आप बताइये, कितना बजट स्वीकृत किया गया ? जो उत्तर दिया है वह सही है तो यह बजट कहां जाता है ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय सूची सदन की मेज पर रख दीं गयी है। उसमें वर्ष वार आंकडे दिये गये हैं। 1980-81 में 2,70,000 रुपये, 1981-82 में 2,59,190 रुपये और वर्ष 1983-84 में 2,51,000 रुपये की औषध स्वीकृत थी। अलग से किसी औषधालय का नहीं है। यह राजस्थान के आंकड़े हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि 82-83 में 30 लाख 57 हजार रुपये का बजट था जिसमें से 14 लाख रुपयों की दवाइयां खरीदी गयीं। इस साल 83-84 के लिये 52 लाख रुपयों में से केवल 9 लाख रुपयों की ही दवाइयां खरीदी गयी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप केवल

(श्री दाऊदयाल जोशी)
एक जिले के औषधालयों को 2 लाख की दवाइयां कैसे दे सकते हैं जबकि सारे राजस्थान के लिये 14 लाख की दवाइयां ही खरीदी गयीं ? 30 लाख का बजट लैप्स हो गया। क्या 9 लाख में से 2 लाख की दवाइयां झालावाड़ जिले के औषधालयों को देना संभव है ?

श्री दिनेश डांगी : यह सारे राजस्थान के औषधालयों का प्रश्न पूछा गया है केवल झालावाड़ जिले का प्रश्न नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : इस साल का बजट भी लेप्स हो गया। फिर झालावाड़ जिले के औषधालयों को 9 लाख में से 2 लाख की दवाइयां कैसे पहुंची ?

श्री दिनेश डांगी : मैं इस प्रश्न को स्पष्ट कर देता हूं। राजस्थान में चार रसायन-शालाएं हैं। झालावाड़ जिले के औषधालयों ने जिस रसायनशाला से दवाइयां खरीदी हैं उस रसायनशाला में कम दवाइयां रही हों..

श्री दाऊदयाल जोशी : दवाइयां खरीदी ही नहीं गयीं। 52 लाख में से 9 लाख और 47 लाख में से 14 लाख की दवाइयां खरीदी गयीं तो कैसे संभव हो सकता है ? प्रश्न के जवाब में कहा गया है कि झालावाड़ जिले में 7 औषधालय हैं जिनमें 300 रुपये साल की दवाइयां खरीदी गयी हैं। क्या ये दवाइयां एक औषधालय के लिये आप पर्याप्त समझते हैं जबकि एक व्यक्ति की तनख्वाह 750 रुपये है।

प्रश्न संख्या 179

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री सुरजा राम।
(अनुपस्थित : कृपयाआगे देखें)

प्रश्न संख्या 180

श्री जगन्सिंह।
(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री दाऊदयाल जोशी एवं श्री हीरालाल आर्य।

जिला कोटा की ग्राम पंचायतों को अनुदान

181. श्री दाऊदयाल जोशी (दिगोद) व श्री हीरालाल आर्य (पिपल्दा): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार द्वारा कोटा जिले की किस किस ग्राम पंचायत को गत दो वर्षों में कितना कितना अनुदान दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1981-82 के अनुदान की आंशिक राशि राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण नहीं दी जाकर लेप्स घोषित कर दी गई ? यदि हां तो कितनी राशि लेप्स हुई ? क्या सरकार लेप्स राशि को वर्ष 1982-83 में पंचायतों को देने का विचार रखती है ?

(3) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या अनुदान की शेष राशि न देने से अनेक पंचायतों को वेतन भुगतान करने में भी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उक्त राशि को क्षतिपूर्ति के रूप में पंचायतों को देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, पंचायत राज (श्री शीशराम ओला) : (1) राज्य सरकार द्वारा कोटा

(श्री शीशराम ओला)

जिले की पंचायतों की सहायतार्थ अनुदान की राशि वर्ष 81-82 एवं 82-83 में निम्न प्रकार से आवंटित की गयी है :-

वर्ष 1981-1982

प्रथम किश्त	..	489375.00
द्वितीय किश्त	..	489375.00
तृतीय एवं चतुर्थ किश्त		978750.00
योग	..	1957500.00

वर्ष 1982-1983 —

प्रथम किश्त	..	489375.00
द्वितीय किश्त	..	489375.00
तृतीय किश्त	..	489375.00
योग	..	1468125.00

चतुर्थ किश्त के आवंटन की कार्यवाही जारी है। उक्त आवंटित राशि सभी पंचायतों को 1971 की जनसंख्या के आधार पर 2 रुपये 25 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से पंचायत समितियों को दी जाती है। पंचायत समितिवार आवंटित राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। 9,78,750/-रु. की धन राशि लैप्स हुई है। मार्च, 1983 में अनुपूरक अनुदान से राशि प्राप्त होने पर अनुदान राशि का आवंटन कर दिया जावेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनेक माननीय सदस्य : शेम शेम।

श्री शीशराम ओला : क्या शेम की बात है····

श्री दाऊदयाल जोशी : पंचायतें तो मर रही हैं और यहां पर पैसा लैप्स हो रहा है।

श्री शीशराम ओला : पर आपने जो सूचना चाही थी वही तो दे रहा हूं।

श्री भगवानदास शास्त्री : राज चलाना तो जानते नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : हां वह तो आपने ढाई साल में ही चलाया था।

श्री दाऊदयाल जोशी : अयोग्य हैं।

श्री शीशराम ओला : (3) मार्च, 83 में अनुपूरक अनुदान से राशि प्राप्त होने पर अनुदान राशि का आवंटन किया जावेगा।

(4) जी नहीं। यह राशि वेतन भुगतान के लिये नहीं दी जाती है बल्कि विकास कार्यों के लिये दी जाती है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह जो 9 लाख 78 हजार की राशि लैप्स हुयी है, इसके क्या कारण रहे हैं?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, विभाग ने वित्त विभाग की मार्फत पंचायतों के अकाउंट में यह राशि जमा कराने के लिये स्वीकृति प्राप्त कर ली थी परन्तु कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यह राशि उनके खातों में ट्रान्सफर नहीं की जा सकी। यह पी. डी. अकाउन्ट में जमा नहीं हो सकी इसलिये···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्यों नहीं किया जा सका पी. डी. एकाउन्ट में ?

श्री शीशराम ओला : इसलिये नहीं करवा सके क्योंकि इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी थी; अभी स्वीकृति प्राप्त हुयी है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किससे स्वीकृति ले रहे थे और किसने आपको नहीं दी ?

श्री शीशराम ओला : वित्त विभाग से स्वीकृति ले रहे थे उसने नहीं दी। अनुपूरक मांगों के पास होने पर अब दे दी जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो बजट का भाग है। यह बतायें कि वह राशि पंचायतों के खातों में क्यों नहीं जमा करवाई जा सकी ?

श्री अध्यक्ष : यह तो टैक्निकल सवाल है, यह नहीं पूछें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको इतनी समझ कहां है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री महोदय ने कहा कि 2 रुपया 25 पैसे....

एक माननीय सदस्य : ये फाइनेंस वाले ऐसे ही मरवाते हैं सबको।

श्री अध्यक्ष : आप तो प्रश्न पूछ लें। प्रश्न तो आसन के माध्यम से पूछे जाते हैं, वह पूछ लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके माध्यम से ही पंचायत राज मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहता हूं, 2 रुपये 25 पैसे प्रति व्यक्ति की दर से अनुदान प्रदान करने की बात कही गयी है, इसके हिसाब से आपने यह हिसाब लगाया है। क्या यह सही है कि राज्य सरकार का यह फैसला था कि 2 रु. 75 पैसे के हिसाब से अनुदान दिया जायेगा ?

श्री शीशराम ओला : मेरे पास अभी तक इस प्रकार का कोई फैसला नहीं आया है। यह जो राशि लैप्स हुयी है, यह पिछले साल के बजट की थी। इस साल की जो अनुपूरक मांगें हैं उनके पारित होने पर यह पैसा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं टैक्निकल प्रश्न नहीं पूछूंगा वरना उन्हें फिर महिला अधिकारी से पूछना पड़ेगा। वे वहां फिर चले गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि आज से कुछ माह पूर्व भूतपूर्व वित्त मंत्री, चन्दनमल बैद ने केबिनेट के निर्णयों के आधार पर घोषणा की थी कि पंचायतों को 2 रुपये 75 पैसे के हिसाब से अनुदान दिया जायेगा ?

श्री शीशराम ओला : केबिनेट के विचाराधीन है। अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो क्या यह मान कर चला जाय कि चन्दनमलजी ने केबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में जो सूचना दी थी, वह गलत थी ? अगर इसको मान भी लिया जाय तो क्या यह सही है कि जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि पंचायतों को अब 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से अनुदान दिया जायेगा और यह सारा मामला उसी के आधार पर चल रहा है ?

श्री शीशराम ओला : मैं आपको यह जानकारी करके निवेदन कर दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : मूल प्रश्नकर्त्ता हूं, अध्यक्ष महोदय।

Page No 16

(१८)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। श्री चतुर्वेदीजी ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने 81-82 का जो केस बताया है, पहला इन्सटालमेंट लैप्स हुआ दूसरा इन्स्टालमेंट लैप्स हुआ पहले दूसरे की बात तो जंचती है कि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण लैप्स हुए लेकिन तीसरी व चौथी किस कारण से लैप्स हुआ है ? मेरा आरोप है कि कोटा जिले की पंचायतों को इस अनुदान से महरूम रखना चाहते हैं, इसलिये यह बात हुई है ।

श्री शीशराम ओला : कृपया, माननीय सदस्य, मुझे ठीक से समझाने की चेष्टा करें अन्यथा मैं जवाब नहीं दे सकूंगा ।

राज्य मन्त्री, पशुपालन (श्री श्रीराम गोटेवाला) : अब तो आपके पूरे जिले की सारी पंचायतें हमारी ही हो गयी हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कौनसी आ गयी है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपसे संरक्षण चाहता हूं, मंत्री महोदय को जानकारी हम देंगे या उनके साथी और सरकार देंगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक प्रश्न यह है कि 2 लाख 78 हजार 749 रुपये की राशि कोटा की लैप्स हुयी है, तो क्या मंत्री महोदय यह उत्तर देने की स्थिति में हैं कि राजस्थान के अन्दर कुल कितनी राशि लैप्स हुयी है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न ।

श्री शीशराम ओला : कोटा के बारे में ही···

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या मंत्री महोदय अब 1981 की जनसंख्या के आधार पर अनुदान देने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर । अगला प्रश्न । यह अलग प्रश्न है ।

श्री दाऊदयाल जोशी: आपने नगरपालिकाओं को तो दे दिया है ।

(व्यवधान)

81 की जनसंख्या को आधार माना जाय ।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन, श्री भगवान दास शास्त्री ।····

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इस सूची में जो सवाल लिखा है, मेरा सवाल उससे अलग है । मेरे सवाल को अन्य के साथ जोड़ दिया गया है उससे मेरे सवाल की मंशा ही समाप्त हो गयी है । 400 करोड़ रुपये के ओवर ड्राफ्ट की बात है । मेरे प्रश्न को अलग किया जाय !

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न रह गया है । 182 श्रीमती विद्या पाठक ।

राज्य के ग्रामों में शुद्ध पेयजल

182. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1982-83 में राज्य में कितने गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया व किस-किस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से ?

Page No 17

(17)

(श्रीमती विद्या पाठक)

(2) पेयजल की शुद्धता का क्या निर्धारित मापदण्ड सर्वमान्य है ? राज्य में पेयजल के पेरामीटर्स क्या हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ये पेरामीटर्स देश के अन्य प्रदेशों के पेरामीटर्स से कम शुद्धि मापदण्ड के व भिन्न हैं ? अनुरूपता में यह भिन्नता क्यों है ?

(4) राज्य में जिन स्थानों में जमीन के अन्दर कड़ी चट्टानें हैं अथवा फ्लोराइड युक्त एवं दोषयुक्त दूषित जल ही जमीन में उपलब्ध है उन गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करना कब तक प्रस्तावित है व किस योजना से ?

(5) आदर्शनगर, जयपुर में पेयजल सप्लाई क्या पूर्णतः शुद्ध नहीं है ? उसकी जांच कर जांच रिपोर्ट की प्रति कृपया सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी : (श्री देवेन्द्र सिंह) (1) वर्ष 1982-83 में जनवरी, 83 तक 2773 गांवों को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है । विवरण संलग्न है ।

(2) जी हां । विवरण संलग्न है ।

(3) जी नहीं ।

(4) धन उपलब्धि व तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार पेयजल योजनाएं स्वीकृत कर क्रियान्वित की जा सकेंगी ।

(5) जी हां, केवल नाइट्रेट्स की मात्रा अधिक है, जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(विवरण व जांच की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, यह अन्य प्रदेशों में जो मापदण्ड है उसके अनुरूप नहीं है मंत्री महोदय ने मुझे कहा कि आदर्शनगर, जयपुर में पुनः जांच की गयी है। जांच की कापी उपलब्ध करवायी है उसमें पानी में नाइट्रेट्स की मात्रा अधिक बतायी गई है । वह 440 बतायी गयी है जो कि 200 होनी चाहिए । केल्सियम हार्डनेस भी 264 है जो ज्यादा है । इसी तरह क्लोराइड ज्यादा है इसी तरह से नाइट्रेट, एन. ओ. तीन. की मात्रा 45 होनी चाहिए, वह 220 है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि यह तो स्थिति शहरों की है । मैं स्वयं आदर्श नगर में रहती हूं, मुझे स्वयं यह जानकारी है कि वहां पर जो गंदे पानी के नाले हैं वहीं पर पाइप लाइन है। पाइप लाइन और गटर लाइन साथ-साथ हैं पाइप लाइन के टूट जाने से साफ पानी में गटर का पानी मिक्स हो जाता है और वही दूषित पानी शहर को उपलब्ध कराया जा रहा है ।

श्री देवेन्द्र सिंह : जिस क्षेत्र की जानकारी चाही है, आदर्श नगर की, उसकी जांच की कापी आपके सामने प्रस्तुत है । उसमें केवल नाइट्रेट्स की मात्रा ज्यादा है बाकी जो भी केमिकल उसमें हैं, वह पीने के पानी के लिए अधिक नहीं है । स्टेटमेंट आपकी सेवा में संलग्न करके प्रस्तुत है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्रीमती विद्या पाठक : यही तर्क कि उस पानी में बिना माइक्रोस्कोप के गंदगी के कण बड़े-बड़े कीटाणु साफ दिखते हैं ।

Page No 18

(18)

(श्रीमती विद्या पाठक)

तरह का पानी निरन्तर उपलब्ध कराया जाता है। मैंने आप से पूछा कि क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है ? ......

श्री देवेन्द्र सिंह : नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। आपकी शिकायत होगी तो देख लेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक : बार-बार ऐसी शिकायतें की जा रही हैं। विभाग भी इस बात को मंजूर करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब चट्टानें हैं, जमीन सख्त है, ऐसे क्षेत्र में जो जल योजनायें, जिनमें हैण्ड पम्प प्रमुख है, स्वीकार करते हैं, ऐसी जगह ठेकेदार काम करते ही नहीं है और वह क्षेत्र आज भी पीने के पानी को तरस रहे हैं...

श्री देवेन्द्र सिंह : जहां हैण्ड पम्प नहीं लग सकते हैं, वहां सर्वे करा कर आल्टरनेटिव जल स्रोत निकालने का सरकार के विचाराधीन है। जहां-जहां ऐसे जल स्रोत मिल जाते हैं स्कीम बना कर ....

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल राजनीतिक आधार पर किया जाता है ....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भगवान दास शास्त्री।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली विधान सभा के अन्दर गंगानगर, ब्यावर वाटर वर्क्स के लिए .....

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न। माननीय सदस्य, कृपया। आर्डर प्लीज।

अगला प्रश्न, श्री भगवान दास शास्त्री, 183।

राज्य सरकार पर ओवर ड्राफ्ट का ऋण में रूपान्तरण

183. **श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम), कुश्री पुष्पा जैन (अजमेर) व श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1982-83 तक राजस्थान के ऊपर 400 करोड़ रु. ओवर ड्राफ्ट के भुगतान की केन्द्र द्वारा कई बार राज्य सरकार से मांग की गयी है ? यदि हां, तो 1977 से 1983 जनवरी तक कितनी-कितनी धनराशि ओवर ड्राफ्ट की मांग केन्द्र द्वारा की गयी ? कृपया वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1981-82 में अन्तिम दिन के ओवर ड्राफ्ट को केन्द्र सरकार ने कर्जे के रूप में बदल दिया है ? यदि हां, तो किस प्रकार व किन-किन शर्तों में ? कृपया पूर्ण ब्यौरे सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें ?

(3) उक्त शर्तों में से अब तक किस शर्त का कितना-कितना पालन किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी नहीं।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्य सरकार के खाते में वित्तीय वर्ष 1981-82 के अन्त में रहे 283.46 करोड़ के समायोजित ओवर ड्राफ्ट को भारत सरकार द्वारा मध्यावधि ऋण में परिवर्तित किया गया है। भारत सरकार के संबंधित पत्र क्रमांक 40 (28) पी.एफ. 1182-34, दिनांक 3 जुलाई, 1982 की प्रति संलग्न है।

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

(3) भारत सरकार द्वारा ऋण हेतु निर्धारित सभी शर्तों का पालन किया जा रहा है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि ओवर ड्राफ्ट की राशि सीमित होती है, सीमा के ऊपर बढ़ने पर रेड लैटर आता है, उसकी कॉपी केन्द्र को भेजी जाती है। ऐसा लैटर राज्य सरकार के पास आया ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री भगवान दास शास्त्री : इसी से संबंधित है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो ओवर ड्राफ्ट की राशि मिड टर्म लोन में कन्वर्ट हुई, उसका और उसके ब्याज का भुगतान कब से शुरू होगा और किस-किस वर्ष कितना भुगतान करना पड़ेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 2 साल के मोरेटोरियम पीरियड के बाद उसका ब्याज शुरू होगा और 5 किश्तों में चुकाया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं, मोरेटोरियम पीरियड एक साल का है, 2 साल का नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 साल का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो जानकारी सदन में दी है, उसमें लिखा है–

"The money will carry interest with 1/2 percent moratorium on one year for the payment."

उस बात को सही माने या ....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरा अनुरोध करना यह है कि यह शुरुआत की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाउस को गलत सूचना कैसे दी ? यह क्या तमाशा है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जो कर्जा लिया गया उसका ब्याज एक साल के मोरेटोरियम पीरियड के बाद देय शुरू होगा, शायद हमने रिक्वेस्ट की हुई है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिक्वेस्ट का सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप इसको सीरियसली लीजिए। एक वर्ष के मोरेटोरियम पीरियड की बात लिखी है। पहले तो कह दिया, 2 साल। अब मंत्रीमहोदय कह रहे हैं कि भारत सरकार को लिखा हुआ है। वास्तविक स्थिति तो बताइये किस प्रकार से जानकारी दी जाती है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जो भी शर्तें भारत सरकार से ऋण के वक्त, तय हुई, वह लैटर मैंने सदन की मेज पर रख दिया। उसकी कॉपी आपके पास है, उसमें एक साल का मोरेटोरियम पीरियड था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 2 साल कैसे हो गया ?

श्री अध्यक्ष : आपने करेक्ट कर लिया, एक साल है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2 साल कर दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने रिक्वेस्ट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
की ओर जो आपकी जुबान से कहा, वह गलत है।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : 2 साल की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक साल का मोरेटोरियम पीरियड है और एक वर्ष के बाद अदायगी शुरू होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लोन का पेमेन्ट एडवान्स प्लान असिस्टेंस से करेंगे या रेवेन्यू बजट से करेंगे ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : बजट से करेंगे।

प्रश्न संख्या 184

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री नन्दलाल मीणा, 184।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रघुवीर सिंह कौशल।

संकर ज्वार के बीज की जांच

185. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत खरीफ में संकर ज्वार के कितने नमूने प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे गये ? ये नमूने किस-किस संस्थान के थे ? इनमें से किस-किस संस्थान के कौन से लॉट नम्बर के नमूने अमानक सिद्ध हुए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अमानक पाये जाने वाले लॉट्स का संकर ज्वार का बीज किन-किन किसानों को दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बीज निगम के पास संकर ज्वार का बीज कितने क्विंटल था, इनमें से कितने नमूने प्रयोगशाला में भेजे गये, कितने क्विंटल बीज अमानक सिद्ध हुआ ?

(4) क्या यह सही है कि संकर ज्वार के बीज अमानक सिद्ध होने पर किसानों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो अब तक कितने किसानों को व किस मापदण्ड से मुआवजा दिया गया ?

(5) राज्य बीज निगम के पास कितने क्विंटल अमानक संकर ज्वार का बीज शेष रहा है ? क्या यह बीज पुनः किसानों को दिया जावेगा ?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह) : (1) गत खरीफ में संकर ज्वार की विभिन्न किस्मों के 157 नमूने राज्य सरकार द्वारा अधिकृत बीज निरीक्षकों द्वारा बीज अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत प्राप्त कर बीज परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा को परीक्षण हेतु भेजे गये। जहां तक संस्थान का संबंध है ये नमूने किस संस्था के थे, यह इंगित करना अभी सम्भव नहीं है क्योंकि नमूनों की गोपनीयता बनाये रखने के लिये केवल कोड नम्बर से ही प्राप्त कर परीक्षण हेतु भेजे जाते हैं। कुल 157 नमूनों में से परीक्षण के पश्चात् प्रयोगशाला द्वारा 69 नमूने अमानक घोषित किये गये हैं जिनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है

(2) जिस बीज का वितरण विभिन्न संस्थाओं को दिया गया था और वितरण के दौरान जिन लॉट्स के नमूने अमानक घोषित किये गये उनकी बिक्री तत्काल प्रभाव से रोक दी गई। ये नमूने [illegible] एस. सी. बीज निगम और प्राइवेट पार्टीज के भी थे। किन-किन किसानों को अमानक पाये गये नमूनों का बीज पहले बंट चुका था, इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है।

Page No 21

(21)

(श्री देवेन्द्र सिंह)

(3) बीज निगम के पास 4878-54 क्विंटल संकर ज्वार का बीज उपलब्ध था। इसमें से 3412.04 क्विंटल के नमूने प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे गये थे जिसमें से 2216.06 क्विंटल बीज के नमूने अप्रमानक सिद्ध हुए।

(4) जिन किसानों के यहां निगम का बीज अप्रमानक पाया गया उन्हें उसी समय ज्वार का दूसरा बीज बदल कर दिया गया। अब तक 158 किसानों को 2358.00 रुपये का बीज मुआवजे के रूप में दिया गया।

(5) निगम के पास इस समय कुल 3484.82 क्विंटल संकर ज्वार का बीज शेष है, जिसमें से 2085.09 क्विंटल पहले ही अप्रमानक सिद्ध हो चुका है। शेष रहे बीज के नमूने पुनः प्रमाणीकरण हेतु बीज परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा को भेजे जा चुके हैं। अप्रमानक बीज का किसानों में वितरण नहीं किया जावेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

श्री रघुवीरसिंह कौशल: अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि संकर ज्वार के कितने नमूने अप्रमानक सिद्ध हुए। मुझे जो सूची दी गई उसमें एन. एस. पी. भी है, लोकल पार्टीज भी है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, इसमें जान बूझकर बातें छिपाई गयी है। आपने जवाब दिया के नेशनल सीड्स कार्पोरेशन और प्राइवेट संस्थान के नमूने थे। यह हम नहीं बता सकते कि किस संस्थान का बीज अप्रमानक सिद्ध हुआ। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सीड्स कॉर्पोरेशन की जितनी पैदावार खरीदी गयी, अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, जर्मीनेशन पर्सेन्टेज कितना होना चाहिए 75 प्रतिशत, उसमें घटा कर 60 प्रतिशत कर दिया, 60 प्रतिशत से स्टेट सीड्स कार्पोरेशन की जितनी पैदावार खरीदी उसका 80 प्रतिशत फेल हो गया, लोगों के खेत खाली रह गये। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, नेशनल सीड्स कार्पोरेशन का जर्मीनेशन पर्सेन्टेज क्या था, स्टेट सीड्स कार्पोरेशन का जर्मीनेशन पर्सेन्टेज क्या था, माइको का क्या था, सब छिपा गये। मेरे पास लाट्स की सारी लिस्ट मौजूद है। यदि 75 प्रतिशत मान लिया जाये, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी ज्वार आयी है वह सारी की सारी अप्रमानक है। वह बीज किसानों को दिया गया है, उनके खेत बरबाद हो गये। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और रीजनल मैनेजर ने मौके पर जाकर रिपोर्ट भेजी है। इस बीज की खरीद में कृषि मंत्री और एग्रीकल्चर सैक्रेटरी पैसा खा गये इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने असेम्बली में यह आरोप लगाया था। यह आपकी जानकारी में है कि यह पैसा खा गये और संकर ज्वार का प्रमाणित बीज न खरीद कर मण्डी से बीज खरीद कर किसानों को दे दिया गया। उसके कारण यह हुआ कि कोटा, बून्दी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़ का किसान आज संकर ज्वार के नाम से भी चिढ़ता है यह आप बतायें कि अप्रमाणित बीज क्यों खरीदा गया? इसका जवाब दें।

श्री देवेन्द्र सिंह: माननीय महोदय, इस सारे प्रश्न के पीछे जो बात मैं समझा हूं कि ये पैसे खा गये . . .

एक माननीय सदस्य: तीन लाख...

श्री देवेन्द्र सिंह : तीन लाख नहीं 50 लाख ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप यह बतायें कि अप्रमाणित बीज क्यों खरीदा गया ?

श्री देवेन्द्र सिंह : आप मुझे सुन तो लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जब विभाग संभाला तो मुझे स्वयं को ऐसा महसूस हुआ कि इतनी मात्रा में ज्वार खरीदी गई और सीड प्रमाणित नहीं है तो कहीं न कहीं त्रुटि होनी चाहिये । तो मैंने इस सम्बन्ध में जांच करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन किया कि इसकी जांच होनी चाहिये । जिस सीड्स के बारे में आप कह रहे हैं उसके सम्बन्ध में खास तौर से माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा राजस्व विभाग के उच्चाधिकारी से जांच कराने के आदेश दिये जा चुके हैं और जांच रिपोर्ट आयेगी तो· · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अन्य किसी तरीके से· ·

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी यह आश्वासन दिया गया था· · ·

श्री तेजपाल यादव (चौमू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे किसानों में काफी रोष है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक आई. ए. एस. ऑफिसर की एक आई.ए.एस. ऑफिसर क्या जांच करेगा ?

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य बिलकुल सत्य कह रहे हैं कि एक आई. ए. एस. ऑफिसर की आई. ए. एस. आफिसर क्या जांच करेगा· · ·

श्री तेजपाल यादव : यह किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया है· · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त हुआ। इस प्रश्नको अन्य किसी तरीके से उठायें । बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

प्रश्नकाल समाप्त हुआ, माननीय सदस्य । बैठ जायं। ऑर्डर, ऑर्डर, कृपया बैठ जायं।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं. कई बार ऐसा देखा जाता है कि क्वेश्चन सदन में आ जाता है लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलता है। बाद में जानकारी करते हैं तो पता लगता है कि यह क्वेश्चन पोस्टपोन हो गया है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज कौन-कौन से क्वेश्चन पोस्टपोन किये गये हैं, यदि कोई सूचना नहीं मिली है, तो क्या यह समझा जाय कि कोई क्वेश्चन पोस्टपोन नहीं किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : एक ही प्रश्न 174 के बारे में राज्य सरकार की ओर से यह बात कही गई थी कि इस को पोस्टपोन किया जाय । अन्य किसी प्रश्न के बारे में इस तरह की सूचना राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी नहीं होगी। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार प्रश्न 193 का उत्तर आपको भी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : थोड़ी सी गलती रह गई। दो प्रश्न हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें तो प्रश्न का जवाब ही नहीं हुआ। अतः आप इसको पोस्टपोन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैं व्यवस्था यही देता हूं, यथा संभव अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। कुल मिलाकर भावना यही रहती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह प्रश्न दुबारा आयगा।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न दुबारा आयगा।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में आपने 4 प्रश्नों को स्थगित किया था और यह कहा था कि वरीयता के हिसाब से यह प्रश्न लिये जायेंगे, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, शुक्रवार को एक भी स्थगित प्रश्न नहीं लिया गया। यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, सवाल तो कोई पूछना नहीं चाहता हूं लेकिन प्रश्नकाल के दौरान में जो बहुत महत्व और राष्ट्रीय इम्पोर्टेन्स के क्वेश्चन होते हैं और यहां पर लाये जाते हैं उन प्रश्नों का जवाब माननीय स्टेट मिनिस्टर, जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, मुमकिन है अपनी कैपेसिटी के अन्दर न दे सकें लेकिन केबिनेट के बहुत से माननीय सदस्य हैं, यह पक्ष व विपक्ष का प्रश्न नहीं है, यह राष्ट्रीय प्रश्न है जिसे बड़ा इम्पोर्टेन्ट मान कर जिस पर सदन को विचार करना चाहिये। जहां कहीं भी बड़ी-बड़ी संस्थायें होती हैं उनमें लिनियेन्टली क्वेश्चन लेकर छोड़ नहीं दिया जाता है। यह तो स्टेट का प्रश्न है माननीय श्री परसराम जी, इरिगेशन मिनिस्टर इस पर बोलते, जवाब देते...

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धित राज्य मंत्री हैं उनको ज्यादा जानकारी है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी का प्रश्न नहीं है। आप भी मंत्री रह चुके हैं और मैं भी मंत्री रह चुका हूं। इस प्रश्न के बारे में छोटी-मोटी जांच का प्रश्न लेकर विचार नहीं करना चाहिये। माननीय मंत्री जी राज्य मंत्री हैं यह बात नहीं कर सके, मुख्य मंत्री या केबिनेट मंत्री...

श्री देवेन्द्रसिंह : कौन सी बात नहीं नहीं कर सके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बीकानेर जिले में वनपालों एवं वन रक्षकों के पद

179. श्री रजा राम (नोखा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में पिछले पांच वर्षों में वन विभाग में वनपालों एवं वन रक्षकों के कितने-कितने पदों को भरा गया एवं कितने पद रिक्त हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) वन विभाग के तहत गार्ड एवं केटल गार्ड के पदों पर भर्ती हेतु क्या योग्यता रखी गयी है ?

(3) क्या उपरोक्त अंकित पदों की भर्ती में रोस्टर प्रणाली द्वारा आरक्षित अनुसूचित जाति/ जन-जाति का कोटा पूरा कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में पिछले पांच वर्षों में वनपालों के 80 पद एवं वन रक्षकों के 166 पदों को भरा गया है । वनपाल के 13 पद और वन रक्षक के 19 पद रिक्त रहे । भरे गये पदों एवं रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) वन विभाग के तहत गार्ड की भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता 10 वीं पास रखी गई है । केटल गार्ड के कोई नियमित पद विभाग में सृजित नहीं है । कार्य की आवश्यकता के अनुसार आकस्मिक श्रमिक के रूप में उन्हें अस्थायी अवधि के लिये कार्य पर लगाया जाता है जिसके लिये कोई योग्यता निर्धारित नहीं है ।

(3) उक्त पदों की भर्ती में रोस्टर प्रणाली द्वारा आरक्षित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा कर लिया गया है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

भरतपुर नगरपालिका को प्रदत्त अनुदान राशि

180. श्री जगनसिंह (बयाना) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बयाना नगरपालिका जिला भरतपुर को वर्ष 1980-81 व 1981-82 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क, नाली वगैरह की मरम्मत हेतु कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई ?

(2) उपरोक्त राशि में से कितनी राशि नगरपालिका द्वारा किये गये निर्माण कार्य आदि में खर्च की गई ? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त राशि को गलत तरीके से खर्च किये जाने के बारे में नगरपालिका के सदस्यों से हस्ताक्षरयुक्त शिकायत-पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुआ था ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिका बयाना को वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में सड़क, नालियों आदि के निर्माण हेतु विशेष अनुदान क्रमशः 1,00,000|- एवं 3,70,000|- रु. की राशि प्रदान की गई थी ।

(2) नगरपालिका द्वारा उपरोक्त राशि में निर्माण आदि कार्यों पर कुल

(स्वायत्त शासन मंत्री)।

3,61,156.40 पैसे व्यय की गई है। ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां, विभाग द्वारा उप-खण्ड अधिकारी से जांच करवाई गई है। जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

राज्य में नेत्र चिकित्सा सुविधा

184. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) राज्य में कौन-कौन से जिले ऐसे है जहां नेत्र चिकित्सा के लियें सुविधा सुलभ नहीं करवायी गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जहां-जहां नेत्र चिकित्सालय है वहां-वहां नेत्र चिकित्सकों के कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं ?

(3) वर्ष 1982-83 में राज्य सरकार ने नेत्र चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सभी जिलों में नेत्र चिकित्सा के लिये सुविधा उपलब्ध है।

(2) जहां-जहां नेत्र चिकित्सालय है वहां नेत्र चिकित्सक का पद रिक्त नहीं है

(3) 223 नेत्र शिविर लगाये गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम कोलिया (डीडवाना) के सरपंच के विरुद्ध शिकायत

164. श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 1980 में पंचायत समिति, डीडवाना की ग्राम पंचायत कोलिया के तत्कालीन सरपंच ने काम के बदले अनाज योजना का दो बोरी गेहूं ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लेकर "राइट आफ" कर दिया ? प्रस्ताव की नकल पेश करें।

(2) अगर हां, तो वह कौनसा कार्य का गेहूं था तथा "राइट आफ" करने की क्यों आवश्यकता हुई ? क्या ग्राम पंचायत, सरपंच इस प्रकार सरकारी अमानत को "राइट आफ" कर सकता है ? अगर हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? अगर नहीं, तो राज्य सरकार ने सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की अथवा करने का आश्वासन देती है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ग्राम कोलिया के सरपंच ने काम के बदले अनाज योजना का दो बोरी गेहूं प्रस्ताव लेकर "राइट ऑफ" कर दिया। इस सम्बन्ध में पंचायत की बैठक दिनांक 20-1-80 के प्रस्ताव सं. 17 एवं बैठक दिनांक 20-2-80 के प्रस्ताव सं. 15 की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'क' व 'ख' पर प्रस्तुत है।

(2) यह गेहूं नाडी के कार्य के लिए ले जाया गया था। इन दो बोरी गेहूं को

Page No 26

(26)

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)
"राइट आॅफ' करने की इसलिये आवश्यकता पड़ी" कि ट्रेक्टर से गेहूं ढोते वक्त दो बोरी गेहूं की गिर गई थीं। को गेहूं को "राइट आफ" करना सरपंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके लिए उप विकास अधिकारी, डीडवाना द्वारा अब जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

(प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

साल्टवाशरीज की स्थापना

165. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) साल्टवाशरीज की स्थापना राज्य में कहां—कहां, कब-कब, किस-किस के द्वारा किन-किन व शर्तों पर की गई ?

(2) राज्य सरकार द्वारा उनको क्या—क्या सुविधा/सहायता उपलब्ध कराई गई ?

(3) क्या डी. सी. एम. की साल्ट-वाशरी आरंभ हो गई है ?

उत्तर

(1) राज्य में कोई साल्ट-वाशरी विद्यमान नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

वार्षिक योजना पर व्यय

166. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सन् 1982-83 की वार्षिक योजना में कुल कितनी धनराशि व्यय करनी थी और 31 जनवरी, 1983 तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ?

(2) राज्य सरकार ने कितने संसाधन जुटाये तथा किस संसाधन से कितनी-कितनी राशि उपलब्ध हुई ? सम्पूर्णतालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) योजना आयोग ने वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना मूल रूप से 340·00 करोड़ रु. की स्वीकृत की थी। इस वर्ष 346·79 करोड़ रुपये का योजना व्यय संभावित है। 31 जनवरी, 83 तक मदवार व्यय निम्न प्रकार रहा :—

		(करोड़ रुपये)
1.	कृषि एवं संबंध कार्यक्रम	39.80
2.	सहकारिता	0.48
3.	जल एवं विद्युत् विकास	38.26
4.	उद्योग एवं खनिज	9.23
5.	यातायात एवं संचार	14.97
6.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	41.91
7.	आर्थिक सेवाए	0.20
8.	सामान्य सेवाएं	0.84
	योग...	245.69

(2) वर्ष 1982-83 में राज्य सरकार

(योजना मंत्री)
ने 117.19 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास किये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

(करोड़ रुपये में)

1.	बिक्री कर की दरों में संशोधन	7.50
2.	स्टाम्प ड्यूटी में संशोधन	0.50
3.	बिजली की टेरिफ दरों में वृद्धि	13.35
4.	सिंचाई की दरों में वृद्धि	2.50
5.	विद्युत कर में संशोधन तथा दी गई छूटों की वापसी	10.00
6.	वाहनों पर कर एवं यात्रीकर का एकीकरण	4.00
7.	आबकारी लाइसेन्स की पद्धति में संशोधन	11.64
8.	कृषि मंत्रालय एवं सुरक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को विक्रय की गई भूमि का मूल्य	33.00
9.	महंगाई भत्ते की 4 किश्त एवं वेतन आयोग की गत वर्ष के एरियर की जमा राशि	19.00
10.	मार्च, 82 में देय महंगाई भत्ते की 4 किश्तों की राशि तथा एक किश्त को आगे तक जमा की राशि	9.00
11.	वर्ष 1982-83 में अप्रेल, 82 एवं जून, 82 से दी गई महंगाई भत्ते की सितम्बर 82 तक राशि की जमा	6.70
	योग—	117.19

उक्त सभी प्रयासों की क्रियान्विति हो रही है। इनसे इस वर्ष में कितनी राशि उपलब्ध हुई, यह जानकारी वर्षान्त पर ही उपलब्ध हो सकेगी क्योंकि अभी चालू वित्तीय वर्ष में समय शेष है।

छठी योजना में औद्योगिक इकाइयों की स्वीकृति

167. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने राज्य में कितनी नयी औद्योगिक इकाइयों और कितनी पुरानी इकाइयों के विस्तार की स्वीकृति प्रदान की है?

(2) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में अपना मांग-पत्र केन्द्र सरकार को दिया है? यदि हां, तो किस उद्योग में कितनी-कितनी पूंजी कहां-कहां लगाई जायेगी? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के प्रारम्भ से (यानि दिनांक 1-4-1980 से) अब तक केन्द्र सरकार ने 125 आशय-पत्र, 41 औद्योगिक अनुज्ञप्ति एवं 54 परमिट्स नयी औद्योगिक इकाइयों के लिये, और 17 आशय-पत्र, 14 औद्योगिक अनुज्ञप्ति एवं 1 परमिट पुरानी औद्योगिक

(उद्योग मंत्री)
ईकाइयों के विस्तार के लिये स्वीकृति प्रदान की है ।

(2) जी नहीं। राज्य में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्रों पर भारत सरकार को आशय-पत्र/औद्योगिक अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा भिजवाई जाती है । इस विषय में किसी प्रकार का सामान्य ज्ञापन राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को नहीं दिया जाता ।

अनुसूचित जाति/जन-जाति के युवकों को रोजगार

168 श्री नरोत्तराम बरवड़ (सूरसागर) : क्या कार्मिक, विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जून, 1982 में मुख्य मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत राजस्थान के विभिन्न जिलों में 3500 अनुसूचित जाति व जन-जाति के बेरोजगार युवकों को सरकारी सेवा में लिया जायेगा, और इस बाबत सभी जिलाधीशों के नाम एक आदेश भी जारी किया गया था? अगर हां, तो क्या सभी 3500 पदों की भर्ती का लक्ष्य पूरा कर लिया गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां ।

जी हां। सही स्थिति 31 मार्च, 1983 को वर्ष पूरा होने पर ही मालूम हो सकेगी ।

वित्त विभाग द्वारा नई भर्ती पर लगा हुआ प्रतिबन्ध इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये उठा लिया गया है ।

जयपुर विकास प्राधिकरण की विचाराधीन योजनायें

169 श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर में जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आवास की समस्या तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण के लिये कौन-कौन सी योजनायें विचाराधीन हैं ?

(2) उक्त योजनाओं को कब-कब प्रारंभ किया जायेगा और उन पर क्या-क्या लागत आयेगी ? कृपया विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जयपुर नगर में जयपुर विकास प्राधिकरण में संलग्न सूची अनुसार 5 आवासीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों की योजनाएं निर्माणाधीन हैं विचाराधीन है ।

(2) उपरोक्त योजनाओं की अनुमानित लागत और प्रारम्भ तिथियां संलग्न सूची में वर्णित है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

जनरल अस्पताल, अलवर में एम्बूलेंस वाहन

170. श्री शीतमल जैन (अलवर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) अलवर जनरल अस्पताल में

Page No 29

(29)

(श्री जीतमल जैन)

कितनी एम्बुलेन्स गाड़ियां हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त गाड़ियों में से कितनी गाड़िय कितने समय से खराब पड़ी हैं ?

उत्तर

(1) सामान्य चिकित्सालय, अलवर में केवल एक एम्बुलेन्स गाड़ी नं. ग्रोर. जे ए. 6935 है।

(2) उपरोक्त गाड़ी फरवरी, 1980 से खराब है जिसके इस माह के अन्त तक ठीक होने की सम्भावना है।

अमृतकौर अस्पताल, ब्यावर के कर्मचारियों को पेंशन

171. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अमृतकौर हॉस्पिटल, ब्यावर में माह मई, 1982 में कुछ कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए ? यदि हां, तो कौन-कौन ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियोंकी पेंशन का भुगतान अभी तक जारी नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों और अब स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी ? कृपया विवरण सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, केवल एक कर्मचारी श्रीमती एफ. नाथानियल, नर्स दाई सेवा निवृत हुई।

(2) जी हां श्रीमती नाथानियल, नर्स दाई का मामला म्यूनिसिपल कौन्सिल, अजमेर के विचाराधीन है, जहां ये पूर्व में 4-1-51 से 28-1-66 तक कार्यरत थी। पेंशन का प्रकरण शीघ्र निबटाया जायेगा।

जिला अलवर में आंखों के ऑपरेशन

172. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में सन् 1981 में किन-किन गांवों में आंखों के कितने ऑपरेशन अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किये गये ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) धौलपुर एवं राजाखेड़ा के आंख फोड़-काण्ड के पश्चात् इस प्रकार के काण्डों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये ?

(3) अलवर जिले में आंख फोड़ काण्ड की पुनरावृत्ति को रोकने की असफलता के लिये कौन प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेवार है एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जिला अलवर में 1981 में केवल एक ग्राम खेड़ली में 39 ऑपरेशन किये गये।

(2) इस प्रकार के काण्डों की पुनरावृत्ति रोकने की कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(3) आठ कर्मचारियों को निलम्बित किया गया जिनमें एक कम्पाउण्डर, एक परिवार स्वास्थ्य कल्याण कार्यकर्ता, तीन पटवारी तथा तीन ग्राम सेवक हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

Page No 30

(30)

जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर कार्यालय में अनियमित कार्यभार दिया जाना

173. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर-पूर्व) : -क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर के ऑफिस में स्टेट इन्शोरेन्स, हाउस रेन्ट, बिल्डिंग एडवान्स, फूड ग्रेन एडवान्स एवं फेस्टिवल एडवान्स का कार्य भार वित्तीय एवं सेवा नियमों के विपरीत एक कनिष्ठ कर्मचारी श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग को दे रखा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कनिष्ठ कर्मचारी ने खुद के नाम से नियम विरुद्ध दो-दो, तीन-तीन बार फूड ग्रेन एडवान्स की राशि ले ली, और उसकी किश्तों की कटौती हेतु पे-बिल क्लर्क को सूचित नहीं किया ?

(3) क्या यह भी सही है कि कई सहायक कर्मचारियों के नाम से भी दो-दो, तीन-तीन वार विभिन्न एडवान्स की राशियां ले ली और उनकी किश्तों की कटौती हेतु पे-बिल क्लर्क को सूचित नहीं किया ?

(4) यदि हां, तो इस तरह की गड़बड़ी के कितने प्रकरण सामने आये हैं, तथा उनमें क्या-क्या कार्यवाही की गई है और लापरवाही तथा अपराध में सहयोग देने हेतु कौन-कौन उत्तरदायी पाये गये हैं ?

उत्तर

(1) श्री लक्ष्मी नारायण गर्ग को यह कार्य दिया हुआ है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) दो-तीन बार फूड ग्रेन एडवान्स की राशि व अन्य एडवान्स राशियां लेने के प्रकरण सामने आये। कर्मचारी से 1048 50 पैसे ब्याज सहित वसूल कर राजकीय कोषालय में चालान नं. 79 दिनांक 6-9-82 से जमा करा दिये हैं एवं भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दे दी गई है। इस मामले में अन्य कोई व्यक्ति दोषी नहीं है।

जवाहरलाल नेहरु अस्पताल, अजमेर में अतिरिक्त शुल्क वसूली

174. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर-पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर, के एलर्जी क्लिनिक में उपचार हेतु आने वाले रोगियों से इन्जेक्शन लगाने हेतु शुल्क या इन्जेक्शन का मूल्य वसूल किया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो क्या एलर्जी क्लिनिक में रोगियों के उपचार हेतु औषधियां अथवा इन्जेक्शन सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं किये जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) एलर्जी क्लिनिक में उपचार हेतु औषधियां उपलब्ध नहीं कराई जाती और न अस्पताल में उपलब्ध हैं। इस बीमारी के मरीज इन्हें बाजार से खरीद कर लाते हैं जिसे क्लिनिक की ओर से नि:शुल्क लगाने की सुविधा उपलब्ध है।

Page No 31

(31)

जिला बांसवाड़ा में नसबंदी शिविर

175. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1982 में बांसवाड़ा जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत कुल कितने नसबंदी शिविर लगाये गये ? इन शिविरों में कुल कितनी महिला तथा पुरुषों ने ऑपरेशन करवाये ? कृपया पंचायत समितिवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बांसवाड़ा की ग्राम पंचायत बोरिया के ग्राम वीरपुर में उक्त अवधि में आयोजित केम्प में आपरेशन के दौरान एक महिला की मृत्यु हुई ? यदि हां, तो उस महिला की मृत्यु किन कारणों से हुई, तथा आपरेशन करने वाले चिकित्सक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1982 में बांसवाड़ा जिले में कुल 76 नसबंदी शिविर लगाए गए । पुरुष व महिला नसबंदी आपरेशनों की पंचायत समिति वार सूचना संलग्न है ।

(2) पंचायत समिति बांसवाड़ा, ग्राम पंचायत केसरपुरा के ग्राम वीरपुर में आयोजित केम्प दिनांक 20-12-82 में एक महिला की आपरेशन के दौरान मृत्यु हुई जिसका कारण रेसिपरेटरी फेल्योर एवं कार्डिक अरेस्ट था । कार्डिक-अरेस्ट से मृत्यु अचानक ही होती है जिसका पुर्वानुमान नहीं किया जा सकता । शल्य चिकित्सक की लापरवाही से नहीं हुई और न ही इस संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें।)

अजमेर में आवासीय योजना

176. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए नगर नियोजन विभाग ने एक लाख पन्द्रह हजार व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक विस्तृत योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है ?

(2) यदि हां, तो कृपया उस प्रारूप को सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) प्रारूप की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(प्रारूप की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगर परिषद् जोधपुर में विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च धनराशि

177. श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद्, जोधपुर का वर्ष 1980-81, 1981-82 में कुल कितना बजट था ? विभिन्न मदों में रखे गये बजट का विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(2) उक्त वर्षों में बजट में विकास कार्य के लिये निर्धारित धनराशि में किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितनी-कितनी

(श्री नरपतराम बरबड़)
राशि किस-किस कार्य के लिये खर्च की गई ? कृपया विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्य कम हुए ? अगर हां, तो इसके क्या-क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, जोधपुर का वर्ष 1980-81 व 1981-82 का कुल बजट क्रमशः 2, 74,50,000/- रु. व 3,08,-34,400/- रु. का था । विभिन्न मदों में रखे गये बजट का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) उक्त वर्षों में बजट में विकास कार्य के लिये व्यय की गयी राशि का विवरण सूची सहित सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) जी नहीं । नगर परिषद् में सूरसागर क्षेत्र का आंशिक भाग ही आया हुआ है तथा अधिकांश भाग नगर विकास न्यास का है । इसलिये नगर परिषद् तथा नगर विकास न्यास द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य कराये जाते हैं ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

जयपुर शहर में निजी जानवरों को आम रास्तों में बांधने से असुविधा

178. श्री पृथ्वीसिंह (खानपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में व्यक्तियों द्वारा निजी जानवरों को आम रास्तों व गलियों में बांधा जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जानवरों को बांधने से सड़कों व गलियों में कीचड़ व गंदगी पैदा होती है और आवागमन में काफी असुविधा रहती है ?

(3) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त अव्यवस्था को दूर करने हेतु कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । जयपुर शहर में कुछ स्थानों पर नागरिकों द्वारा अपने जानवरों को आम रास्ते व गलियों में बांध दिया जाता है । यह उनके स्वयं के मकान में आवश्यकतानुसार स्थान कम होने के कारण एवं कभी-कभी सर्दियों में धूप हेतु अथवा दूध निकालने के लिये ऐसा किया जाता है ।

(2) जी हां ।

(3) राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शहर के भीतर आबादी क्षेत्रों में स्थित सभी डेयरियों को शहर के बाहर सुव्यवस्थित ढंग से स्थापित करने की कार्यवाही की जावे । इसके अनुसार नगर परिषद् ने सभी डेयरियों की सूची बनाई है तथा बाहर स्थानान्तरण के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण को लिख दिया गया है कि वे इसके लिये शीघ्र स्थान चयनित करावें ।

नगर परिषद् बीकानेर, गंगाशहर व भीनासर कस्बों के सर्वे में अनियमितता

179. **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर परिषद्, बीकानेर तथा गंगाशहर व भीनासर कस्बों के सन् 1981 तक के नाजायज कब्जों का सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो सूची नाम, पता मय सर्वे नम्बर सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश, बीकानेर के समक्ष सर्वे में गड़बड़ियां होने की शिकायतें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कुल कितनी, तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश, बीकानेर ने शिकायतों के आधार पर पुनः सर्वेक्षण करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या पुनः सर्वेक्षण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? पुनः सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची नाम, पता मय सर्वे नम्बर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसके लिये पुनः सर्वे की जांच करवाई गई।

(3) जी हां। पुनः सर्वे की जांच करवाई। रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है।

(जांच रिपोर्ट की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा प्रस्तावित घोला भाटा गृह निर्माण योजना में अनियमितता

180. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा घोला भाटा गृह निर्माण योजना प्रस्तावित है और इस हेतु कृषि भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना की प्रस्तावना के बाद इसके लिये अवाप्त की जाने वाली कृषि जमीन में से कई लोगों की जमीनें अवाप्ति से मुक्त रखी जाकर उनके मालिकों एवं न्यास कर्मचारियों की मिली भगत से सहकारी समिति के माध्यम से लाखों रुपया कमाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया पुरानी योजना के द्वारा प्रस्तावित भूमि अवाप्ति का नक्शा, ट्रेस एवं वर्तमान में प्रभावी की जा रही योजना का नक्शा, ट्रेस सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी नहीं। प्रस्तावित योजना की नोटिफाइड सीमायें खसरा मानचित्र पर दर्शायी गई हैं जो सदन के पटल पर रख दिया गया है। वर्तमान में प्रभावी योजना की सीमायें भी यही हैं।

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर नगर विकास न्यास द्वारा लगाये गये पेड़

181. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में अलवर, नगर विकास न्यास द्वारा कितने पेड़ कहां-कहां लगाये गये एवं इस कार्य पर कितनी राशि खर्च की गई ? वर्ष-वार विवरण सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में अलवर नगर विकास न्यास द्वारा लगाये गये पेड़ों व उन पर खर्च की गई राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें।)

अजमेर नगर परिषद सीमा में वृद्धि कर सम्मिलित गांव कल्याणीपुरा को सुविधाएं

182. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर-पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् सीमा में वृद्धि करने पर गांव कल्याणीपुरा को उसमें सम्मिलित कर दिये जाने के बावजूद भी वहां पर अभी तक कोई नागरिक सुविधायें परिषद् की ओर से उपलब्ध नहीं की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त गांव नगर परिषद् सीमा में कब सम्मिलित किया गया और उसके बाद गांव तक सड़क बनाने, वहां की नालियां बनाने, सड़क के किनारे एवं गांव में बिजली की व्यवस्था करने हेतु क्या-क्या सुविधायें पहुंचाई गई हैं और उन पर कितना-कितना खर्चा किया गया ?

(3) अब उक्त क्षेत्र में ये नागरिक सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

उत्तर

जी नहीं । ग्राम कल्याणीपुरा सन् 1951 से ही नगर परिषद् अजमेर की सीमा में है एवं सभी नागरिक सुविधायें भी उपलब्ध कराई जाती रही हैं ।

(2) यह ग्राम 1951 से ही नगर परिषद् की सीमा में है तथा यहां पर सड़कें, नालियां, विद्युत एवं हैण्ड पम्प की व्यवस्था है । गत वर्ष श्मशान घाट के जीर्णोद्धार पर लगभग 85,900/- तथा विद्युत व्यवस्था पर लगभग 30,000 /- रु. की राशि व्यय की गई है ।

(3) प्रश्न के भाग (1) व (2) के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण योजनान्तर्गत पाली जिले में नये व पुराने कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि

183. श्री भैरोंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पाली जिले में वर्ष 1980, 1981 व 1982 में (एन. आर. ई. पी.) के तहत नये व पुराने कार्यों पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? कृपया पंचायत समिति-वार कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

Page No 35

(35)

(ग्रामीण योजना मंत्री)

उत्तर

पाली जिले में वर्ष 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। वर्ष 1981 व 1982 में नये व पुराने कार्यों पर जो राशि स्वीकृत की गई है उसकी सूची परिशिष्ट "क" व "ख" पर पंचायत समितिवार सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

राज्य में नये अभयारण्यों की स्थापना

184. श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य सरकार राज्य में नये अभयारण्य बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो अभयारण्य किस-किस स्थान पर बनाये जायेंगे तथा उनका क्षेत्रफल क्या होगा ?

उत्तर

वर्तमान में उपलब्ध अभयारण्यों के अतिरिक्त राज्य में निम्न पांच अभयारण्य और बनाये जाने के प्रस्ताव इस समय विचाराधीन हैं :—

1. फूलवाड़ी की नाल (उदयपुर)
2. बारेठा (भरतपुर)
3. पीपलखूंट (बांसवाड़ा)
4. टाडगढ़ रावली (अजमेर)
5. जवाई बांध (उदयपुर)

इनका सर्वे कार्य चल रहा है। पूर्ण होने पर क्षेत्रफल की सूचना दी जा सकेगी।

सिंचाई अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची

186. श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग में सेवारत अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची रखी जाती है ?

(2) यदि हां, तो कृपया अंतिम तौर से तैयार की गई अधीक्षण अभियन्ताओं अधिशाषी अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) उक्त सूचियों में अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के कौन–कौन अभियन्ता हैं ? कृपया उनके नाम की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अधीक्षण अभियन्ताओं तथा अधिशाषी अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) सहायक अभियन्ताओं की जारी वरिष्ठता सूची में क्र. सं. 172 पर केवल श्री एल. सी. मेघवाल, सहायक अभियन्ता अनुसूचित जाति से संबंधित हैं एवं सहायक अभियन्ता (यांत्रिकी) की वरिष्ठता सूची में क्र. सं. 14 पर केवल श्री एस. एल. वर्मा अनुसूचित जाति से संबंधित हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

अजमेर में 'रा वाटर' कनेक्शन

187. श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर

(श्री कैलाश मेघवाल)
जल वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत फायसागर ग्रेविटी की मुख्य पाइप लाइन से उच्च अधिकारियों की निषेधाज्ञा के होते हुए भी "रा वाटर" के कनेक्शन दिये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो कब-कब, किस किस को किस-किस अधिकारी द्वारा कनेक्शन दिये गये हैं और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, अजमेर द्वारा योजना के हस्तान्तरण से पूर्व 10 जल संबंध दिये गये थे। जल योजना के जून, 1974 में स्थानान्तरण के पश्चात् विभाग द्वारा चार जल संबंध दिये गये हैं। यद्यपि ग्रेविटी लाईन से जल संबंध देने के लिये कोई निषेधाज्ञा नहीं है, पर फिर भी विभाग की नीति है कि सामान्य परिस्थितियों में ग्रेविटी लाइन से कोई जल संबंध नहीं दिये जावें।

(2) सूची संलग्न है। स्पष्ट निषेधाज्ञा नहीं होने के कारण किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

जिला अजमेर में हैण्ड पम्पस सम्बन्धी शिकायतें

188. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर नगर एवं जिले में वित्तीय वर्ष 1981-82 में एवं दिनांक 31-1-1983 तक लगाये गये हैण्ड पम्पों हेतु प्रयोग में लिये जाने वाले जी. आई. पाइप्स व अन्य सामग्री किस स्तर, स्पेसिफिकेशन अथवा मेक का होना निर्धारित था ?

(2) क्या यह भी सही है कि लगाये गये हैण्ड पम्पों में उसी स्तर की सामग्री के प्रयोग नहीं करने की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर एवं जिले में वित्तीय वर्ष 1981-82 एवं दिनांक 31-1-83 तक जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं उनकी सामग्री निम्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार है :—

(अ) हैण्ड पम्प इन्डिया मार्क II यूनीसेफ या आई. एस. एस. द्वारा स्वीकृत डिजायन।

(ब) 32 एम. एम. व्यास जी. आई. पाइप आई. एस. एस. 1239 पार्ट-I (1979) के अनुरूप।

(स) एम. एस. केसिंग पाइप क्लॉस "बी" ई. आर. डब्ल्यू.

(2) जी नहीं।

चौमू नगर की विभिन्न ढाणियों को पेयजल

189. श्री तेजपाल यादव (चौमू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चौमू नगर के खादी बाग, अहीरों की ढाणी, सीगलों की ढाणी, बुनकर एव सांसियों की ढाणियों में आज तक पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं की गयी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त

(श्री तेजपाल यादव)
बस्तियों के निवासी पेय जल की समस्या से भयंकर रूप से ग्रसित हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके लिये क्या व्यवस्था कर रही है और कब तक पेय जल उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) धन उपलब्धि के अनुसार योजना स्वीकृत कर पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकेगा ।

प्रेमनगर (अजमेर) में पाइप लाइन्स की कमी

190. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या अजमेर "प्रेम नगर" फाई सागर रोड की बस्ती में पाइप लाइन न होने के कारण नागरिक परेशानी अनुभव करते हैं ? यदि हां, तो क्या नई पाइप लाइन बिछाने का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो किस वर्ष में और इस योजना पर कितनी राशि व्यय होगी ?

उत्तर

अजमेर में फाई सागर रोड की बस्ती प्रेम नगर में पाइप लाइन नहीं डाली गई है किन्तु एक हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल से लाभान्वित किया गया है । वर्ष 1981 में सर्वे किया गया था अनुमानित लागत 20,200 रुपये हैं । धन उपलब्धि के अनुसार कार्य किया जा सकेगा ।

राज्य में नलकूप निगम की स्थापना

191. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार राज्य में नलकूप निगम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसका गठन कब तक कर दिया जायेगा, और इसके क्या - क्या काम होंगे ?

उत्तर

नलकूप निगम बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है । यह निगम काश्तकारों की प्रार्थना पर उनके लिये आवश्यक साख की व्यवस्था करेगा तथा नलकूप का निर्माण कर उसके साज-संभाल तथा उपयोग के लिये काश्तकारों की समिति को सौंप देगा ।

जन-जाति विकास क्षेत्र में लघु सिंचाई परियोजनाएं

192. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1982-83 में कितनी लघु सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, और इनमें से कितनी परियोजनायें जनजाति विकास क्षेत्र में हैं ?

(2) इन परियोजनाओं में कितनों पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कितनी परियोजनाओं में मुख्य कार्य पूर्ण होकर आंशिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है ?

(3) वर्ष 1982-83 में 31 दिसम्बर, 1982 तक लघु सिंचाई परियोजनाओं पर कितना धन व्यय कर दिया गया तथा कितनी

. (श्री घनश्याम तिवाड़ी)
अतिरिक्त हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कर दी गई है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 में 145 लघु सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इनमें से 19 परियोजनाएं जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही है।

(2) वर्ष 1982-83 में अब तक 5 परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन पूर्ण कार्यों से तथा अन्य आंशिक रूप से पूर्ण कार्यों से माह दिसम्बर तक 5155 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(3) वर्ष 1982-83 में 31 दिसम्बर, 1982 तक लघु सिंचाई परियोजनाओं पर 359.03 लाख रु. व्यय किये जा चुके है जिससे 5165 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गयी।

पाली जिले की भिन्न पंचायत समितियों में बांधों का निर्माण

193. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में वर्ष 1980, 1981 व 1982 में विभागीय व राहत कार्यों के तहत कितने बांध व एनीकट स्वीकृत हुए ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्व हो चुके हैं, एवं बाकी की क्या प्रगति है ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला पाली की पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन रानी व देसूरी में वर्ष 1980-81 व 1981-82 में विभागीय व राहत कार्यों के तहत निम्नलिखित बांध व एनीकट स्वीकृत हुए :—

वर्ष	पंचायत समिति	स्वीकृत बांध व एनीकट की संख्या	
		विभागीय	अकाल राहत कार्यों के तहत
1980-81	मारवाड़ जंक्शन	–	3
	रानी	–	–
	देसूरी	3	5
		3	8
1981-82	मारवाड़ जंक्शन	–	8
	रानो	–	4
	देसूरी	–	17
			29

सूची संलग्न है।

(सिंचाई मन्त्री)

(2) उक्त कार्यों में से जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं प्रगति पर है उनकी वर्षवार संख्या निम्नानुसार है।

वर्ष	पंचायत समिति	कार्य जो पूर्ण हो चुके		कार्य जो प्रगति पर है	
		विभागीय	अकाल राहत कार्य	विभागीय	अकाल राहत कार्य
1980-81	मारवाड़ जंक्शन	–	3	–	–
	रानी	–	–	–	–
	देसूरी	2	4	1	1
		2	7	1	1
1981-82	मारवाड़ जंक्शन	–	5	–	3
	रानी	–	3	–	1
	देसूरी	–	14	–	3
		–	22	–	7

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

बाड़मेर खण्ड में कनिष्ठ अभियन्ताओं की कमी

194. श्री अमीन खां (शिव) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के बाड़मेर डिवीजन में चार कनिष्ठ अभियंताओं की कमी है ? यदि हां, तो इनकी पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

जी हां। बाड़मेर जिले के बाड़मेर डिवीजन में कनिष्ठ अभियन्ताओं के 5 पद रिक्त हैं। जन शक्ति विभाग से बेरोजगार अभियन्ताओं की सूची मांगी गई है, प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

चौमू तहसील के वीर हनुमानजी की पेयजल योजना

195. श्री तेजपाल यादव (चौमू): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की तहसील चौमू के ग्राम सामोद, नांगल,

(श्री तेजपाल यादव)
भरड़ा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान वीर हनुमानजी में भयंकर पेयजल का संकट है ?

(2) क्या उक्त स्थान पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिये पी. एण्ड टी. की स्कीम सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक पूरी हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। धन उपलब्धि के अनुसार योजना स्वीकृत की जा सकेगी।

राजस्थान सरकार पर ओवर ड्राफ्ट

196. श्री **जीतमल जैन** (अलवर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 31 जनवरी, 1983 तक राजस्थान सरकार पर कितना ओवर ड्राफ्ट है ?

(2) ओवर ड्राफ्ट कम करने के क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार के खाते में रनिंग बैलेन्स के आधार पर दिनांक 31-1-1983 को राज्य सरकार के खाते में कोई ओवर-ड्राफ्ट नहीं था। केवल 23.54 करोड़ का मार्गोपाय अग्रिम था।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम पंचायत डोलीका के भू.पू. सरपंच के विरुद्ध गबन का मामला

197. श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पंचायत समिति सिकराय की ग्राम पंचायत डोलीका के भूतपूर्व सरपंच श्री मोतीलाल गुप्ता के विरुद्ध गबन व रिकार्ड में हेरा-फेरी करने का मामला विभाग के प्रकाश में है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। ग्राम पंचायत डोलीका पंचायत समिति सिकराय के विरुद्ध स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अंकेक्षण किये जाने पर श्री मोतीलाल भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध गबन, पंचायत कोष का दुरुपयोग एवं रिकार्ड में हेरा-फेरी करने के आरोप सिद्ध पाये जाने के कारण पुलिस में एफ. आई. आर दर्ज कराई गई एवं न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21-2-83 को दी गई अतः चालान पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालय में पेश किया जाना है एवं सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17 (4) की कार्यवाही भी आक्षेप-पत्र के अभाव में जिला स्तर पर विचाराधीन है।

ग्राम पंचायत मिर्जापुर के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

198. श्री **रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति अन्ता जिला कोटा की ग्राम पंचायत मिर्जापुर के सरपंच के विरुद्ध उप-जिला विकास अधिकारी, कोटा को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच कर ली गई है ?

Page No 41

(51)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

(2) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत ने भवन निर्माण के नाम पर टैक्स लिया है? यदि हां, तो क्या यह नियमानुकूल है?

(3) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत मिर्जापुर ने सांड खरीदने हेतु भी दो रुपये वसूल किये हैं? क्या यह नियमानुकूल है?

(4) क्या यह सच है कि कामन हाउस से मवेशी को छोड़ते समय कामन हाउस का मुंशी तीन रुपये की रसीद "पाठशाला हेतु" देता है? यदि हां, तो क्या यह धनराशि पंचायत या पाठशाला की रोकड़ में जमा है? यह रसीद बुक किस संस्था के द्वारा छपाई गई है? यह धनराशि किस व्यक्ति के पास है तथा किसके आदेश से एकत्रित की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत पर जांच कारवाई जा रही है? जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है।

(2) जी हां। यह नियमानुकूल है।

(3) जी हां। यह नियमानुकूल नहीं है।

(4) जी हां। यह राशि पंचायत की रोकड़ में जमा नहीं कर इसका रिकार्ड अलग रजिस्टर में रखा गया है। यह रसीद बुक संस्था मिर्जापुर द्वारा छपवाई गई है एवं धनराशि श्री जुगल किशोर पंच द्वारा रखी जाती है जिन्हें पंचायत कोरम द्वारा अधिकृत किया हुआ है। यह राशि पंचायत की बैठक दिनांक 29-7-82 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार एकत्रित की जा रही है।

पंचायत समिति इटावा के गांव किशनवास में शाला भवन का अभाव

199. श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा के किशनवास गांव में प्राथमिक स्कूल हेतु भवन उपलब्ध नहीं है?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में माडा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूल भवन बनाने की व्यवस्था करने का कष्ट करेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्राथमिक शाला भवन बनवाने का प्रयास किया जावेगा।

सिकराय विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

200. श्री **राम किशोर मीणा** (सिकराय): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर जिला प्रशासन को वर्तमान विकास अधिकारी, सिकराय के विरुद्ध शिकायत-पत्र प्राप्त हुए थे? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी तथा तहसीलदार, सिकराय शराब के नशे में सरपंच, ब्राह्मण बैराड़ा के कार्यवाही रिकार्ड को छीनकर ले गये? यदि हां, तो इस मामले में उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है?

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त हुई शिकायत

(पंचायत राज मन्त्री)

जांच करने के लिये उप-जिलाधीश दौसा को भिजवाई गई हैं।

(2) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि विकास अधिकारी तथा तहसीलदार, सिकराय शराब के नशे में सरपंच ब्राह्मण बैराड़ा के कार्यवाही रिकार्ड को छीन कर ले गये। चूंकि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है इसलिये उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोईकार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

चौमू तहसील के वीर हनुमानजी को पेयजल

202. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) : क्या एकीकृत ग्रामीण रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) "एकीकृत ग्रामीण योजना रोजगार" कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है? क्या सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उच्च प्राथमिक विद्यालय के व कमरों का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया जा सकता है?

उत्तर

कीकृत ग्रामीण योजना रोजगार कार्यक्रम नाम की कोई योजना नहीं है किन्तु हां, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। जिन कार्यों को इसके अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, उसकी सूची परिशिष्ट "क" पर सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां, उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन व कमरों का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया जा सकता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

अलवर में नई मण्डी के निर्माण की लागत

203. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर में निर्माणाधीन नई मण्डी कब तक पूर्ण होने की आशा है?

(2) मण्डी के निर्माण की लागत योजना बनाते समय कितने रुपये की आंकी गई थी एवं मण्डी का कार्य कब तक पूर्ण होना था?

(3) क्या योजना की लागत में बढ़ोत्तरी हो गई है? यदि हां, तो अब कितनी लागत आने का अनुमान है?

उत्तर

(1) निर्माणाधीन नई मण्डी मार्च, 1985 तक पूर्ण होने की आशा है?

(2) मण्डी की लागत 218.53 लाख रूपये की आंकी गई थी व जून, 1982 में पूरा किया जाना था।

(3) भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में बढ़ोतरी होने के कारण लागत में वृद्धि हो गई है। योजना की लागत 440 लाख रूपये आंकी गई है।

सोम कामलाअम्बा बांध परियोजना (डूंगरपुर) पर अनुमानित व्यय

204. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डूंगरपुर जिले में सोम कामलाअम्बा

(श्री रंगजी मीणा)

सिचाई बांध परियोजना का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हो चुका है ?

(2) निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से इस परियोजना पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एसटेब्लिशमेन्ट पर कुल कितना व्यय हुआ एवं निर्माण कार्यों पर कुल कितना व्यय हुआ ? कृपया तालिका सदन के पटल पर रखें

(3) इस सिचाई बांध योजना का मूल डिजाइन क्या था, उसको कितनी बार किस-किस कारण से बदला गया और क्या अब भी और बदला जाना विचाराधीन है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(4) इस योजना की मूल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के एस्टीमेट्स के अनुसार कितना व्यय होना था, उसमें कब-कब क्या-क्या वृद्धि किस-किस कारण से की गई और अब कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

(5) मूल योजना के अनुसार इसे कब पूर्ण होना था और अब कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? इस विलम्ब के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) इस परियोजना पर निर्माण कार्य सितम्बर, 1977 में प्रारम्भ हुआ था ।

(2) कुल हुए व्यय की प्रत्यक वित्तीय वर्ष की सूचना निम्नानुसार है :—

वित्तीय वर्ष	निर्माण कार्य	बांध व नगर खंड पर स्थापन खर्च लाखों में
1977–78	102.48	2.60
1978–79	161.55	7.13
1979–80	109.95	10.58
1980–81	99.92	13.20
1981–82	159.65	13.88
1982–83	69.44	12.37

(3) मूल आंकल्प के अनुसार बांध का भराव 83.1 एम. सी. यू. एम. बाढ़ निस्तारण क्षमता 3.725 लाख करोड़ व सिचाई क्षमता 19900 एकड़ थी । जब परियोजना पर 1977-78 में कार्य प्रारम्भ हुआ तब विस्तृत सर्वे एवं अन्वेषण करने पर मूल आंकल्प में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई । बाढ़ निस्तारण क्षमता को 3.72 लाख क्यूसेक्स से बढ़ाकर 4.80 लाख क्यूसेक्स प्रस्तावित की गई । कुछ अपूर्ण प्रावधान पाने पर वांछित परिवर्तन किये गये । इस संशोधित आंकल्प पर एक संशोधित तकमीना बनाकर 18-11-78 को मुख्य अभियन्ता को राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया गया । जब इस तकमीने को केन्द्रीय जल आयोग को जांच हेतु भेजा गया तब 1981 में वहां से यह सिफारिश प्राप्त हुई की बाढ़ निस्तारण क्षमता को 8 लाख क्यूसेक रखा जावे । साथ ही विस्तृत अध्ययन में यह पाया गया कि अधिक जल उपलब्ध होने से बांध के भराव को बढ़ाकर 118.85 एम. सी. यू. एम. रखा जावे व वार्षिक सिचाई क्षमता बढ़ाकर 32061 एकड़ की जावे । साथ ही पहले वहां लम्बी नहरें बनाना प्रस्तावित था उसकी जगह नहरों को पक्का करने का प्रस्ताव तैयार किया गया । इस प्रकार 1981 में आंकल्प में दूसरी बार संशोधन किया गया । उपरोक्त के बाद आंकल्प में परिवर्तन का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(सिंचाई मन्त्री)

(4) परियोजना के मूल तकमीने की प्रशासनिक स्वीकृति 448.43 लाख रुपये की राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21-1-77 को जारी की गई। पहली बार संशोधित तकमीना वर्ष 78-79 में 1563 लाख रुपये का बनाया गया था जिसे दिनांक 18-11-78 को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त कराने हेतु मुख्य अभियन्ता सिंचाई को प्रेषित किया गया इस तकमीने को बनाने की आवश्यकता मुख्यतया दो कारणों से हुई। परियोजना पर कार्य शुरू करने पर विस्तृत सर्वे एवं अन्वेषण के फलस्वरूप आंकल्प में परिवर्तन आवश्यक रखा गया, जिससे कार्य की मात्रा बढ़ गई व मूल तकमीना जो कि 1972 की बी. एम. आर. पर 30 प्रतिशत की प्रीमियम लगाकर बनाया गया था उसमें सन् 1972 से 1977 के बीच में मजदूरी व सामान की बढ़ी हुई कीमतों का प्रावधान करना आवश्यक था। इस तकमीने को राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को जांच हेतु भेजा। उनके सुझावों के अनुसार व बांध की भराव व सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी आवश्यक पाई जाने पर आंकल्प में परिवर्तन सन् 1981 में प्रस्तावित किया गया। संशोधित आंकल्प के अनुसार सन् 1982 में पुनः तकमीना बनाया गया जिसके अनुसार अनुमानित लागत 2820 लाख रुपये आंकी गई है। इसमें कार्य की बढ़ी हुई मात्रा मजदूरी सामग्री आदि के मूल्यों में से 1977 से 1981 के बीच हुई वृद्धि शामिल है।

(5) मूल स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट में कार्य प्रारम्भ होने से पांच वित्तीय वर्षों में परियोजना को पूरा करना प्रस्तावित था। अब यह कार्य वांछित धनराशि उपलब्ध होने पर वर्ष 1986-87 में पूर्ण करना प्रस्तावित है। विलम्ब के मुख्य कारण बांध के ठेकेदारों द्वारा कार्य की प्रगति में शिथिलता व आंकल्प में परिवर्तन से कार्य की मात्रा में वृद्धि है।

सोम कामला अम्बा बांध (डूंगरपुर) के ठेके की शर्तें

205. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सोम कामला अम्बा डेम डिविजन डूंगरपुर द्वारा इस बांध के स्पील वे पोरशन के भाग प्रथम एवं द्वितीय का ठेका वर्ष 1978-79 में दिया गया था? यदि हां, तो कितने रुपयों में किस रेट पर दिया गया?

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदार द्वारा कार्य करने में शिथिलता एवं ढिलाई के कारण एग्रीमेन्ट के क्लाज 2 एवं 3 (सी) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, उदयपुर द्वारा पारित किये गये?

(3) क्या यह भी सही है कि इस ठेके में सन्निहित डिवाइड वाल्स के निर्माण कार्य को ठेकेदार से औपचारिक रूप से वापिस लेने के पहले ही जान-बूझ कर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने हेतु उसके नये टेण्डर आमन्त्रित कर लिये गये हैं, जिससे एग्रीमेन्ट की शर्तों का उल्लंघन होने से सरकार ठेकेदार से नया ठेका देने पर होने वाले अतिरिक्त खर्च को वसूल नहीं कर सकेगी?

(4) नये ठेके की क्या रेट व व शर्तें हैं तथा इससे विभाग को पुराने ठेके की तुलना में कितना अधिक खर्च करना पड़ेगा?

उत्तर

(1) सोम कामला अम्बा बांध के स्पील वे पार्ट द्वितीय का ठेका वर्ष 1978-79 में शिड्यूल दर पर 20 प्रतिशत ऊपर कुल 44,63,592।- रुपया का दिया गया था। स्पील वे पार्ट प्रथम का ठेका 1979-80 में शिड्यूल दर पर 20.75 प्रतिशत ऊपर कुल 29,34,861।- रुपये का दिया गया था।

(2) जी हां।

(3) वास्तविक स्थिति यह है कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जब यह सुझाव आया कि बाढ़ निस्तारण क्षमता 4,80,000 क्यूसेक्स से बढ़ाकर 8 लाख क्यूसेक्स की तब यह आवश्यक हो गया कि स्पील व की लम्बाई 22 मीटर बढ़ाई जावे व बांध की ऊँचाई 3 मीटर बढ़ाई जावे। इसके फलस्वरूप स्पील वे का कार्य काफी बढ़ गया। डिवाइड वाल दायीं व बायीं जो ठेकेदार के अनुसार 3663 व 3885 वेन पर बननी थी अब 3650 व 3894 वेन पर बनाना आवश्यक हो गया। इन सब हालात को देखते हुए कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु डिवाइड वाल के कार्य की निविदायें आमन्त्रित की गयीं। ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की कोई मंशा नहीं थी। प्राप्त निविदायें सशर्त थीं एवं क्योंकि मूल ठेकेदार पर संविदा की क्लाज 2 व 3 सी के अन्तर्गत कार्यवाही 13.10.1981 को कर दी गयी अतः इन निविदाओं के आधार पर कोई नया ठेका नहीं दिया गया है। दिसम्बर, 1981 में मूल ठेकेदार के हर्जे खर्चे पर पूरे बाकी कार्य की डिवाइड वाल को शामिल कर निविदायें प्राप्त की गयी जो राज्य सरकार के विचाराधीन है। एग्रीमेन्ट की शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है।

(4) डिवाइड वाल की जो निविदायें प्राप्त हुयी उनमें न्यूनतम ठेकेदार की दरें क्रमशः 88.91 प्रतिशत व 86.75 प्रतिशत "बी" शिड्यूल से ऊपर व कई शर्तों के साथ थी। इन निविदाओं के तहत कोई ठेका मन्जूर नहीं किया गया अतः पुराने ठेके की तुलना में अधिक खर्चा क्या होगा आंका नहीं जा सकता।

वागन मध्यम सिंचाई परियोजना (चित्तौडगढ़) के निर्माण हेतु ठेकेदार को अग्रिम भुगतान

206. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में वागन मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य चालू है? यदि हां, तो उसके एस्टीमेट्स क्या है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस निर्माण कार्य में एक ठेकेदार मैसर्स प्रेमचन्द को करीब एक लाख रुपये का बिना किसी औचित्य के अग्रिम भुगतान कर दिया गया?

(3) क्या इस अग्रिम भुगतान के बारे में जांच हुई और उस जांच का यह नतीजा निकला कि यह अग्रिम भुगतान विभागीय नियमों के प्रतिकूल एवं ठेकेदार एवं अधिकारियों की स्वार्थपूर्ति हेतु किया गया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(4) क्या महालेखाकार, राजस्थान

(श्री रंगजी मीणा)

ने भी इस बारे में ऑडिट आब्जेक्शन किया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी हां। वागन सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य चालू है। इस परियोजना की एस्टीमेट्स लागत 350 लाख रुपये है।

(2) जी नहीं। दोषी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा नाम की गलत प्रणाली अपनाने से एवं अन्य कारणों से मैसर्स प्रेमचन्द ठेकेदार को माह जून, 1978 तक किये गये भुगतान में 1,14,531.00 रुपये का अतिरिक्त भुगतान होना पाया गया था। इसके पश्चात् इसी ठेकेदार द्वारा कुछ काम और किया गया जिसका इसको भुगतान नहीं किया गया, और इस तरह जो अतिरिक्त भुगतान माह जून, 1978 तक आंका गया था वह घटकर राशि रुपये 65932।- ही रह गया है।

(3) जी हां। अतिरिक्त भुगतान के बारे में जांच कर ली गई है। जांच कमेटी के प्रतिवेदन के अनुसार अतिरिक्त भुगतान होना पाया गया। अतिरिक्त भुगतान के कारण प्रश्न सं. 2 के अनुसार है। जांच रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त भुगतान अधिकारियों, कर्मचारियों की लापरवाही, असावधानी एवं स्थापित प्रणाली को न अपनाने से हुआ है न कि अधिकारियों की स्वार्थ पूर्ती हेतु। दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां। महालेखाकार, राजस्थान ने इसके बारे में अधिशासी अभियन्ता के निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 8/78 से 9/79 में ऑडिट आब्जेक्शन किया था, जिसका जवाब दे दिया गया था। महालेखाकार ने पुनः इसी सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता के निरीक्षण अवधि 1/81 से 12/81 में ऑडिट आब्जेक्शन एवं प्रथम पैरा का जवाब महालेखाकार को देने की कार्यवाही चल रही है।

जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समितियों के सरपंचों के अनियमितताओं के मामले

207. श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 से जिला चित्तौड़गढ़ के किस पंचायत समिति के किस-किस सरपंच के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के मामले राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं। कृपया पचायत समितिवार विस्तृत ब्यौरा सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1981-82 से पूर्व के तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ के सरपंचों के विरुद्ध गबन एवं अनियमितता के मामले विचाराधीन है। यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध और किस आरोप में? कृपया विस्तृत ब्यौरा सदन की पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 एवं 82-83 से जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति राश्मी का पंचायत पहुना के सरपंच के विरुद्ध एक मामला विचाराधीन है।

(2) जी हां। जिलाधीश से प्राप्त सूचना के आधार पर तहसील प्रतापगढ़

Page No 47

(५७)

(पंचायत राज मन्त्री)
जिला चित्तौड़गढ़ के जिन-जिन सरपंचों के विरुद्ध गबन एवं अनियमितताओं संबंधी मामले विचाराधीन हैं उनकी सूची सलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

सिंचाई विभाग के अभियंताओं के स्थायी पदों की संख्या

208. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सर्विस आफ इन्जिनियर्स (इर्रिगेशन ब्रांच) रूल्स, 1954 के रूल 6 (2) के अन्तर्गत अन्तिम तौर से निर्धारित परमानेंट केडर स्ट्रेन्थ कितनी है ?

(2) इस स्ट्रेन्थ में कितने अभियन्ता अब तक कन्फर्म किये जा चुके हैं ?

(3) परमानेन्ट केडर स्ट्रेन्थ पद रिक्त होने के बावजूद इस सेवा में कार्यरत अभियन्ताओं को कनफर्म क्यों नहीं किया जा रहा है ? कृपया कारणों का विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(4) अब ये कनफरमेशन कब तक कर दिये जायेंगे ।

उत्तर

(1) राजस्थान सर्विस आफ इन्जिनियर्स (इर्रिगेशन ब्रान्च नियम, 1954 के नियम 6- 2-के अन्तर्गत परमानेंट केडर स्ट्रेन्थ मार्च, 1977 में प्रकाशित की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. मुख्य अभियन्ता	3
2. अति. मुख्य अभियन्ता	1
3. अधीक्षण अभियन्ता (सि)	14
4. अधीक्षण अभियन्ता (यां)	1
5. अधिशाषी अभियन्ता (सि)	60
6. अधिशाषी अभियन्ता (यां)	4
7. सहायक अभियन्ता (सि)	246
8. सहायक अभियन्ता (यां)	7

इसके पश्चात राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31-12-80 द्वारा विभाग के स्थाई पदों में शुद्धि की जाकर, स्थाई पदों की संख्या निम्नानुसार निर्धारित की गई है

1. मुख्य अभियन्ता	3
2. अति मुख्य अभियन्ता	2
3. अधीक्षण अभियन्ता (सि)	23
4. अधिशाषी अभियन्ता (यां)	1
5. अधिशाषी अभियन्ता (सि)	86
6. अधिशाषी अभियन्ता (यां)	9
7. सहायक अभियन्ता (सि.)	341
8. सहायक अभियन्ता (यां.)	30

(2) उपरोक्त स्टेन्थ में से वर्तमान में कार्यरत कनफर्म अभियन्ता निम्नानुसार थे:—

1. मुख्य अभियन्ता	2
2. अति. मुख्य अभियन्ता	1
3. अधीक्षण अभियन्ता (सि)	20
4. अधीक्षण अभियन्ता (यां)	1
5. अधिशाषी अभियन्ता (सि)	47
6. अधिशाषी अभियन्ता (यां)	—
7. सहायक अभियन्ता (सि)	172
8. सहायक अभियन्ता (यां.)	7

(3) कुछ प्रशासनिक बाधाओं और न्यायालयों में विचाराधीन मामलों के कारण और स्थाईकरण किये जाने में बाधा रही है।

(4) इस सम्बन्ध में प्रयास जारी है

Page No 48

(48)

घोषणा दलीय स्थिति

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री बहादुरसिंह विभाजन संख्या 92 एवं श्री फतेह सिंह विभाजन संख्या 88, सदस्य, विधान सभा ने सूचित किया है कि लोकदल (क) विधान सभा पार्टी का विलय जनता जे.पी. पार्टी में हो जाने के कारण अब वे जनता जे. पी. पार्टी के सदस्यों के साथ बैठेंगे ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री **रामकंवार बैरवा** : बासड़ा तहसील फागी जिला जयपुर में जिलाधीश, जयपुर द्वारा एक भूतपूर्व जागीरदार को आवंटित की गई 80 बीघा जमीन के विरोध में कुछ गरीब हरिजन भूमिहीनों की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के विषय में ।

(2) श्री **मेघराज तावड़**—भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा 89 अमीनों की पदोन्नतियों में रोस्टर प्रणाली का ध्यान न रखने के विषय में ।

(3) श्री **हरीश शर्मा** : राजस्थान आवासन मण्डल में सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता श्री आर. के. केडिया की अधिशासी अभियन्ता के पद पर अनियमित पदोन्नति के संबंध में ।

(4) श्री **बालचन्द्र आर्यवीर** : श्री अनंग कुमार जैन व श्री हीरालाल आर्य—गत 25 नवम्बर को महिला सदन, जयपुर में स्थानीय अधीक्षिका की मिलीभगत से आवासनियों के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा रंगरेलियां मनाये जाने के विषय में ।

(5) श्री **हंसराज शर्मा** व श्री **चुन्नीलाल जेलिया** : ग्राम पंचायत शेरपुरा जिला सवाई माधोपुर में भूमिहीनों को आवंटित किये गये खसरा नम्बर 58 को खारिज करने के बाद उसे एक सरकारी कर्मचारी के नाम आवंटित किये जाने के विषय में ।

(6) श्री **बंशीलाल पटवा** : भीलवाड़ा नगर में भूमि रूपान्तरण के अन्तर्गत अवधि के पूर्व जमा की गई रकमों को अवधिपार घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के विषय में ।

(7) श्री **छीतरमल आर्य** : निर्वाचन क्षेत्र अटरू के कई गांवों में गत 18 फरवरी को नहर बन्द कर देने से गेहूं की फसल नष्ट होने के विषय में ।

(8) श्री **देवीसिंह भाटी** : जिला बीकानेर की तहसील कोलायत व अन्य तहसीलों में गत डेढ़ वर्ष से ग्रामीणों को एन. आर. ई. पी. कार्यों का करीब 80 लाख रुपये का भुगतान न करने के विषय में ।

(9) श्री **यदुनाथ सिंह** व श्री **उम्मेद सिंह** : गत 26 से 28 जनवरी को जैसलमेर मरु मेले में पर्यटन निदेशक व अन्य व्यक्तियों द्वारा एक काली बक व 50 अन्य पक्षियों का शिकार करने और बीकानेर में एक विदेशी महिला के साथ दुर्व्यवहार की घटना के विषय में ।

(10) श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : पुलिस विभाग में ए. एस. आई. के पद की परीक्षा के अन्तर्गत शारीरिक परीक्षण व लोक सेवा आयोग में ए. एस. आई. की परीक्षा एक ही तारीख में होने के विषय में ।

Page No 49

(५९)

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोटा ताप परियोजना में गत 23 फरवरी को हुई अग्नि दुर्घटना के विषय में।

(12) श्री कैलाश मेघवाल : गत 15 फरवरी को चोरी के आरोप में पकड़े गये नट जाति के कुछ लोगों की पुलिस द्वारा पिटाई और एक व्यक्ति की मृत्यु के विषय में।

(13) श्रीमती विद्या पाठक : थाना बस्सी जिला जयपुर में ओंकार पुत्र श्री रामदेव मीणा के दोषी पाये जाने के बावजूद पुलिस द्वारा एफ. आर. देने के विषय में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(14) श्री दाऊदयाल जोशी : कैथून जिला कोटा में डा. विनोद शर्मा पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमला।

(15) श्री गुलाब चन्द कटारिया : सहकारी क्रय विक्रय समिति फतेहनगर जिला उदयपुर में गबन एवं अनियमितताएं

ये अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय नहीं हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री नाथूसिंह : जयपुर में फ्लाइंग क्लब की ग्लाइडिंग विंग को बन्द करने के कथित निर्णय के विषय में।

(2) सर्व श्री हीरालाल आर्य, रघुवीर सिंह कौशल, दाऊदयाल जोशी, ललित किशोर चतुर्वेदी व छीतरमल आर्य—पीपल्दा क्षेत्र में इटावा तथा अयाना ब्रांच कैनाल की नहर बन्द होने से उत्पन्न कठिनाइयों के विषय में।

इन दोनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य दिये जायेंगे, जिनकी तिथि बाद में निर्धारित की जायेगी।

(3) श्री महाराम चौधरी : ग्राम निम्वेडिया, चाकसू जिला जयपुर में बाढ़-ग्रस्त किसानों से राजस्व ऋण तथा बिजली के बिलों की वसूली। सरकार ने सूचित किया है कि 164 परिवारों को भूमि सुधार के लिये 40 हजार रुपये की अनुदान राशि तथा 56 परिवारों को जिनके 252 पशु नष्ट हुए थे, 57 हजार रुपये की राशि अनुदान स्वरूप दी जा चुकी है। वसूलियों के बारे में किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है। बिजली के बिलों के विषय में प्रभावित व्यक्ति विद्युत मण्डल नियमों के अनुसार प्रार्थना-पत्र देता है तो नियमानुसार उन्हें राहत दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(4) श्री देवीसिंह भाटी : जिला बीकानेर तहसील कोलायत में भेड़ों की बीमारियों से मृत्यु। सरकार ने सूचित किया है कि गत दिसम्बर व जनवरी में भेड़ों के टीके लगाने, कृमिनाशक दवाइयों का छिड़काव तथा दवा पिलाने की आवश्यक कार्यवाही की गई है और बीमारी की रोकथाम हेतु समुचित उपाय किये गये हैं।

(5) श्री दाऊदयाल जोशी व श्री मेघराज तावड़ : जयपुर में राजपूताना आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी महाविद्यालय के छात्रों का आन्दोलन। सरकार ने सूचित किया है कि इन विद्यार्थियों की मांगों के बारे में राज्य सरकार पूर्णतया सजग है और

(श्री अध्यक्ष)

निदेशक, आयुर्वेद विभाग को मांगों पर रिपोर्ट देने के लिये कहा गया है जिसके प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायगी ।

(6) **श्री समरथलाल:** अलवर जिले के कुछ गांवों में अकाल राहत कार्य न खोलने के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि 8 सड़क कार्यों की स्वीकृति दे दी गई है जिनकी अनुमानित लागत 29 लाख रुपये है, किन्तु खेती में लगे होने के कारण राहत कार्यों के लिये मजदूर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कुछ स्थानों को छोड़कर जिले में सिंचाई हेतु जल की समस्या भी नहीं है।

(7) **श्री रामकंवार बैरवा व श्री गोपाल पचेरवाल:** चाकसू तहसील में अकाल राहत कार्य खोलने के बारे में भेदभाव सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस बार गत वर्ष के अधूरे 7 सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है और 5 कार्यों पर कार्य भी चालू कर दिया गया है। अन्य स्थानों पर जिलाधीश से प्राप्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

अत: मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

मुझे कुछ अन्य स्थगन प्रस्तावों के विषय में राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन करने के पश्चात् निर्णय लिया जायेगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री दाऊदयाल जोशी : कैथून जिला कोटा में डाक्टर विनोद पर किये गये असामाजिक तत्वों द्वारा हमला ।

जिन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकृत कर दिया है बिना राज्य सरकार से जानकारी लिये अथवा राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने के पश्चात, उन माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट का समय मैं दे रहा हूं, कृपया उसी समय में अपनी बात कहने का कष्ट करें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): अध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन है ।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर): पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही लोक महत्व का स्थगन प्रस्ताव मैंने घग्घर के बारे में रखा था उस इलाके के लाखों किसान तबाह हो गये सरकार की लापरवाही से, सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि आपने,

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायं। आप अन्य कार्य में व्यस्त थे इसलिए आज की कार्य-सूची आपने देखी नहीं। अभी इसके बाद स्टेटमेन्ट है घग्घर के बारे में ।

(व्यवधान)

आर्डर, इस पर प्रश्नकाल नहीं होगा । मैंने व्यवस्था दे दी इस पर ।

कृपया आप दो-दो मिनट बोल लें, अब इस पर समय न लें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं वह निवेदन नहीं करता। एक मिनट आप विराजें। ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी वह सिर माथे पर लेकिन चार तारीख को जयपुर में ए. एस. आई. की परीक्षायें: वे पास हो गये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उस विषय को मैं समझ गया, ताकीद करेंगे। माननीय सदस्य श्री रामकंवार बैरवा

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लेकिन गृह मंत्री जी बैठे हैं।

इसमें कोई....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्री रामकंवार बैरवा।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके बारे में जो जवाब गवर्नमेन्ट की तरफ से आया है मेरा एतराज यही है कि उसके लिए तहसील जो है आठ प्रतिशत क्षेत्र को....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इस पर मैं आपको अवसर दूंगा। मैंने जिन माननीय सदस्यों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है उनको दो-दो मिनट बोलने का अवसर दूंगा।

श्री रामकंवार बैरवा : जो जवाब गवर्नमेन्ट की तरफ से आया है उस पर मुझे एतराज है। मैं निवेदन कर रहा था कि....

श्री अध्यक्ष : उसमें मैं आपको अवसर दूंगा उस वक्त आप बोल लें।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : मैं बोल नहीं रहा, मेरे वाला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था उसमें आप बाद में तय करेंगे क्या समय ? ग्लाईडिंग का।

श्री अध्यक्ष : आपको सुनाया जब मैंने....

श्री नाथूसिंह : नहीं मैंने सुना है, उसमें मुझे समझ में नहीं आया।

(व्यवधान)

ठीक है। Thank you.

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र चिकित्सकों के अभाव के कारण सिसकियां भर रहे हैं। मेरे क्षेत्र कोटा जिले में सात प्राथमिक केन्द्रों में डॉक्टर नहीं हैं। जहां से मंत्री महोदय रामकिशन वर्मा चुन कर आते हैं, कैथून गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर रात्रि को एक बजे मरीज विनोद को देखने के नाम पर गये, दो-तीन व्यक्ति नकाबपोश थे। एक व्यक्ति से जब पूछा, कहां है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह रामकिशन जी का मामला है, दूसरे सदस्य बीच में न बोलें, आप बैठ जायं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि विनोद डाक्टर पर कुख्यात व्यक्तियों, जो कि नकाबपोश थे, के द्वारा गुप्ती से हमला किया गया। उसकी रिपोर्ट की गई। आज की तारीख तक विनोद का एक हाथ कटा

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हुआ है। लगातार 32 दिन तक विनोद शर्मा एम.बी.एस. हास्पिटल में भर्ती रहे वहां पर यह घोषित किया गया कि यह हाथ ठीक नहीं हो सकता। उसको जयपुर हास्पिटल में रेफर किया। वह अपने इलाज के लिए जयपुर आये हुए हैं। इस घटना में 360 का केस बनता है। मेडिकल एसोसियेशन कोटा और इण्डियन मेडिकल बोर्ड राजस्थान, इन संस्थानों ने राज्य सरकार, मुख्य मंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का और माननीय विधायक महोदय, जो मंत्री महोदय हैं, इन सब का ध्यान आकर्षित किया है। दुर्भाग्य यह है कि 25 जनवरी से लेकर आज 28 फरवरी तक पुलिस ने मुलजिमों को नहीं पकड़ा। एक जिम्मेदार अधिकारी जो कि प्राणदाता है, के प्राण हर लेने की योजना बनाई गई थी। ऐसे जिम्मेदार अधिकारी के मामले में सरकार ने आज तक मुलजिमों को नहीं पकड़ा। और तो और गुमराह करने के लिए पुलिस ने डाक्टर को बार-बार कहा कि आप सोचें, जिन व्यक्तियों का आप नाम ले रहे हैं आप सोचें कि वह गलत हो सकते हैं। उसी हास्पिटल में पिछले साल एक नर्स के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया था उस काण्ड के मुलजिमों को आज तक नहीं पकड़ा जा सका। माननीय अध्यक्ष महोदय, डाक्टर ने दो व्यक्तियों के नाम विशेष रूप से लिये, [illegible] तो हुकमचन्द····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कौन मुलजिम है कौन नहीं, यह अनुसंधान से साबित होगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : गृह मंत्रीजी बैठे हैं, 360 का मामला है। मुलजिम कितने दिन तक बच सकता है। अध्यक्ष महोदय, डाक्टर जैसे जिम्मेदार आदमी····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, इसकी पैरवी यहां नहीं होगी, माननीय सदस्य। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ऐसी घटनायें हो जाती है।

श्री दाऊदयाल जोशी : डाक्टर ने मुलजिमों के नाम बता दिये हैं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : महत्वपूर्ण यह है कि सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री रामकिशन वर्मा : एक तो पकड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठ जायें माननीय सदस्य। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज जो स्थगन प्रस्ताव रखा है यद्यपि आपने उस पर जानकारी नहीं मंगवाई लेकिन मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप स्वयं इसके तथ्य मंगवायें कम से कम इसमें 6-7 लाख रुपयों का घोटाला है। एक-एक पाइंट मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में दिया है। कपड़ों की खरीद में घोटाला, चने की दाल बनाने में घोटाला। लोगों की एडवान्स मनी का एक लाख रुपया अपनी जेब में रख रखा है, चार साल से उसको वह यूज कर रहे हैं। यह सब मैंने एक के बाद एक बिन्दुवार दिया है।

श्री अध्यक्ष : सरकार से जानकारी मंगवा लेते हैं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हां इसमें आप मंगवाइये और देखने के बाद अगर यह लगे कि गलत हो तो इसको आप रिजेक्ट कर दें, मुझे नहीं बोलना है ।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी, ग्राम निम्बेड़िया, चाकसू, जिला जयपुर के बारे में ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, वह तो नहीं हैं इसलिए मैं बोल सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बोल लीजिए ।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव जो दिया है उसके बारे में रिपोर्ट जो सहायता सरकार ने बताई है, वह एक सही रिपोर्ट नहीं है । कुछ वहां के किसान हैं जिनकी एक हिस्सा जमीन नहीं बची, उन लोगों को बड़े किसानों की गिनती में लेकर के उनको एक नये पैसे की भी सहायता नहीं दी गई है । अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आपको दिया है । आपने मन्जूर किया है या नहीं किया यह मुझे पता नहीं । मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इस मामले को हल्के-फुल्के ढंग से नहीं ले । मैं यह मांग करता हूं कि उच्च अधिकारियों, जिलाधीश और अन्य लोगों को यह हिदायत दी जाये कि वहां के सरपंच और एम. एल. ए. को साथ लेकर मौके पर जाकर सर्वे करें । तभी यह जांच हो सकेगी । यही मेरा निवेदन है । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी, भेड़ों के बारे में ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करूं कि आपको जो विभाग की ओर से जानकारी दी गई है वह कतई सरासर गलत है । अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र के जो जन-प्रतिनिधि हैं उनसे यह बात छिपी हुई नहीं है, आपसे भी यह बात छिपी हुई नहीं है कि अभी जो बीमारी जुओं की भेड़ों के अन्दर लगी है वह सिर्फ बीकानेर जिले में नहीं, जैसलमेर और बाड़मेर में भी फैली हुई है । वह आज से नहीं दो माह से है । पिछले दिनों समाज कल्याण मंत्री महोदय उस क्षेत्र में दौरा करने गये थे तब मैं भी साथ गया था । हजारों लोगों ने वहां पर शिकायत की कि हमारी भेड़ें मर गयी हैं, जुओं की बीमारी की दवा की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं । हमें सलाह नहीं दे रहे हैं, कि कौन-सी दवा दें । एक भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है । क्या यह सम्भव है कि ऐसा संक्रामक रोग, बीमारी फैलती उसमें एक अधिकारी या चार-पांच कर्मचारी वहां पहुंच जायेंगे तो उसका उपचार कर देंगे या दवाओं का वितरण हो जायेगा । कतई नहीं होगा । जो जिला भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी है उसको हैडक्वार्टर, जयपुर में सूचित करना चाहिये था ताकि वह अलग से अपनी पूरी टीम भेजते और इस महामारी को रोकने की कोशिश करते । अध्यक्ष महोदय, आज दिन तक भी कोई उपचार की व्यवस्था हो गई हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं । अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से वह बेचारे भेड़ पालक एक-एक पैसे के लिये भेड़ें इकट्ठी करते हैं । भेड़े इकट्ठी करते हुए वह अकाल से जूझते हैं उसके उपरान्त पानी की व्यवस्था नहीं होती है । फिर वह घर-बार छोड़ते हैं । यह भेड़

(श्री देवीसिंह भाटी)

महकमा होते हुए, डॉक्टरों की व्यवस्था होते हुए भी एक अधिकारी आज तक नहीं पहुंचा, अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है। मैंने लिखित में शिकायत की है। जिलाधीश भेड़ और ऊन विभाग को लिखा है, डी. पी. ए. पी. के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने आफिशियल लैटर लिखा है। इसके उपरान्त भी अगर कोई ध्यान नहीं देता और इस प्रकार से गलत सूचना आपको दी जाती है, अध्यक्ष महोदय, मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता, मैं क्या करूं, मेरे भेड़ पालक मर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां राजस्थान के अन्दर एक करोड़ की जनसंख्या भेड़ों की है वहां जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर क्षेत्र के अन्दर सात-आठ लाख भेड़ें मर चुकी हैं इन दो महीने में। यह भेड़ें बढ़ाने के लिये खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे, अध्यक्ष महोदय, मात्र एक दवा के लिये इनसे सलाह लेनी पड़ती है। मत दो आप मुफ्त में। हमको कम से कम दवा तो बताओ कि आपको कौनसी दवा देनी है। वह चाहे बीकानेर से लाये, चाहे फलौदी से लाये, चाहे जोधपुर से लायेगा। अपनी भेड़ें उसे बचानी है, वह बचायेगा, परन्तु, अध्यक्ष महोदय, गलत सूचना दी है कि उपचार की व्यवस्था कर दी है।

आज भी इतनी भेड़ें वहां मर रही हैं, अकाल से पहले ही वे थकी हुई हैं, और दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। इस दुःख के साथ मैं कहता हूं अगर मेरी भावना को आप समझें, मंत्री महोदय, तो आज ही स्पेशल टीम भेजें। आज भी भेड़ें वहां मर रही है। मेरी शिकायत को भी छोड़े, आप कृपा करके उनके उपचार की व्यवस्था कर दें तो भी मैं संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी श्री मेघराज तावड़। आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी महाविद्यालय के बारे में।

श्री दाऊदयाल जोशी : राज्य में तीन संस्थाएं, राजस्थानी यूनानी तिब्बी कालेज, जयपुर, राजस्थान यूनानी तिब्बी कालेज, जयपुर, यूवेरिया यूनानी तिब्बी कालेज, जोधपुर इन नामों से यूनानी चिकित्सा के लिये राजस्थान में कार्यरत हैं। दुर्भाग्य है कि आपने अब तक जितनी भी डिग्रियां देखी होंगी किसी बोर्ड के माध्यम से देखी होंगी किसी यूनिवर्सिटी की देखी होंगी, लेकिन कोई प्राइवेट संस्था डिग्रियां बांटें, यह कहीं भी नहीं देखा होगा। यह तीनों कालेज बी. यू. एम. एस. के नाम से डिग्री देती हैं। बेचलर यूनानी मेडिकल साइंस के नाम से डिग्री देते हैं। इसी प्रश्न को लेकर के राजस्थान...

श्री अध्यक्ष : सरकार जांच करवा रही है उनका प्रतिवेदन आने पर कार्यवाही की जायेगी, ऐसा आश्वासन दिया गया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि इस प्रकार की बात को लेकर लगातार सन् 1977 से आन्दोलन चल रहा है। 1977 में इसी आधार पर राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी को लिखा। आज इनकी जो परीक्षा लेता है इण्डियन मेडिकल बोर्ड लेता है, जो रजिस्ट्रेशन करता है, जो किसी भी मूल्य पर अधिकृत नहीं है। 20 मई, 1977 को अपराह्न 12 बजे राजस्थान विश्वविद्यालय कार्यालय में एक बैठक हुई जिसमें सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राजस्थान में चल रहे दो आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के छात्रों को प्रवेश देकर यूनानी पाठ्यक्रम चालू किया जाये किन्तु यूनानी

Page No 55

55

(श्री बाऊदयाल जोशी)

पद्धति के समुचित विकास और अभिवृद्धि के लिये यह आवश्यक होगा कि राज्य सरकार एक यूनानी महाविद्यालय अलग से चलाये।

मेरा निवेदन यह है कि हिन्दुस्तान भर में हर प्रदेश में यूनानी पद्धति के महाविद्यालय अलग संपरेट रूप में चलते है। यह एक अलग से पद्धति है, विद्वानों की पद्धति है। इस पद्धति का अलग से कालेज हो यह बात तो समझ में आती है। और अलग से कालेज नहीं हो तो आप कम से कम जो दो बड़े आयुर्वेदिक कालेज चलते है राजस्थान में, उनके माध्यम से इसकी परीक्षायें दिलवायें वहां पर यह भी निर्णय हुआ था,

(12- 37 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक सभापति पदासीन)

सभापति महोदया, कि यूनानी पद्धति के समुचित विकास और अभिवृद्धि हेतु यह आवश्यक होगा कि राज्य सरकार एक यूनानी महाविद्यालय पृथक से चलायें और यदि सरकार चाहे तो पूर्व में ही प्रचलित राजपूताना आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी कालेज में ही यूनानी महाविद्यालय चलाने हेतु इस संबंध में विचार करें। मेरा निवेदन यह है, सभापति महोदया, कि सन 77 से ही यह मामला चल रहा है सारा मामला अटकाया जा रहा है। मेरा राज्य सरकार को यह निवेदन है, सरकार ने तो यह कहा है कि इसका जो प्रतिवेदन है उस पर राज्य सरकार विचार करेगी'। सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आखिर कोई सीमा तो होनी चाहिये। आज लगातार 15 दिन से हड़ताल चल रही है, दो कालेज के लड़के हड़ताल पर है। माननीय आयुर्वेद मन्त्री जी ने दोनों कालेजों के विद्यार्थियों को नहीं छुड़वाया। मैं तो आपको यह कह रहा हूं कि आज से तीसरे कालेज, यूनानी तिब्बी कालेज जोधपुर के छात्र और हड़ताल पर जा रहे है। आपने उन छात्राओंको आज तक नहीं बुलाया है आयुर्वेद मन्त्री जी।

श्री दिनेश डांगी : सभापति महोदया, मुझसे वह लोग मिल कर गये है मैंने उनसे बात की है।

श्री बाऊदयाल जोशी : अगर आप आश्वासन देते है तो मैं अभी बैठ जाता हूं आप यह आश्वासन दें और अहमद बख्श जी आप फुल फ्लैड्ड मन्त्री है आप भी कहें, यूनानी चिकित्सा का अलग से कालेज खोलने के आदेश आप अभी दें तो मैं बैठ जाता हूं पर आप यह आश्वासन तो दें कि यूनानी पद्धति को सेपरेट कालेज आप खोलने जा रहे है।

श्री दिनेश डांगी : सभापति महोदया, अलग से कालेज की बात तो मैं नहीं कह सकता हूं अभी पर यह मैं कह सकता हूं कि उनकी परीक्षायें और पाठ्यक्रम विश्व विद्यालय के माध्यम से हो इस बारे में मैं कार्यवाही कर रहा हूं।

श्री बाऊदयाल जोशी : सभापति महोदया, मैं आप माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुलपतियों का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें यह सन् 77 में ही तय हो गया था। 22 मई को इस संबंध में यह निश्चय किया गया था कि आयुर्वेदिक संकाय के अन्तर्गत हो। यूनानी सदस्यों के समावेश की अपेक्षा एक स्वतन्त्र यूनानी संकाय का गठन अन्य संकाय

(श्री बाऊ दयाल जोशी)

की तरह ही पृथक रखा जावे। यह भी निश्चय किया गया कि एक पृथक यूनानी पाठयक्रम समिति का गठन किया जावे और यह भी निश्चय किया गया कि इस पाठयक्रम को जुलाई सत्र से ही चालू किया जावे पर आपकी सरकार ने तो आश्वासन दिया कि हम इस प्रतिवेदन पर विचार कर रहे है यह कौनसा प्रतिवेदन है जो सन् 77 से लगातार चल रहा है ? यूनानी पद्धति के छात्र मांग कर रहें हैं कि हमारी पृथक कालेज हो और उसके एफिलियेशन विश्वविद्यालय के कर दिया जाये। आयुर्वेद मन्त्री जी उनकी केवल दो मांगे है जिन को मानने में हल्दी लगेगी ना फिटकड़ी, एक पैसा भी आपका उसके अन्दर नहीं लगा है। आपको किसी को भी एक पैसा देना नहीं है उनकी पहली मांग तो यह है कि उनको कालेज को यूनिवर्सिटी से एफिलियेटड कर दिया जाय यह निर्णय हो चुका है पर राजस्थान में अब तक इस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया है जिसके कारण यूनानी के विद्यार्थियों में बहुत भारी रोष व्याप्त है इसमें कोई विशेष बात नहीं है यह मांग आप को मान लेनी चाहिये क्यों कि आज यूनानी पद्यति का कालेज प्राईवेट संस्था वाले चला रहे है वहां पर भारी लूट मची हुई है, भाई भतीजावाद फैला हुआ है वहां जाली डिग्रीया दी जा रही है इसके बावजूद सरकार उस कालेज को अपने हाथ में नहीं ले रही है। यह तो उनकी नाजायज मांग नहीं है उनकी मांग मानने से एक कौड़ी का भी अतिरिक्त भार राज्य सरकार के कोष पर नहीं पड़ रहा है। उनकी मांग नहीं मानने का, सभापति महोदया, कोई कारण नहीं है केवल टालने वाली नीति है। आयुर्वेद मन्त्री जी कह रहे है कि विद्यार्थी मेरे पास आये थे। अगर आये और आप उनसे मिले तो आपने निर्णय क्यों नहीं लिया ? इससे आपके बजट पर कोई भार नही पड़ रहा था। आयुर्वेद मन्त्रीजी, आपने जो आयुर्वेद का 52 लाख रुपया था उसमें से सिर्फ 9 लाख रुपये खर्च करके बाकी का रुपये डूबत खाते में डाल दिया इतने अयोग्य मन्त्री साबित हुए हैं। आयूर्वेद मन्त्री जी, इसके अलावा उनकी मांग यह है कि कालेज का निजी भवन, छात्रावास व चिकित्सालय शीघ्र तैयार कराया जाय। सुचरित्र प्रधानाचार्य नियुक्त किया जाय। यह भी उनकी मांग सही कि कालेज का जो प्रिन्सीपल हो वह सुचरित्र हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें।

श्री बाऊदयाल जोशी : अध्यापकों को विषयानुसार उचित नियुक्त किया जाय और प्रवेश शुल्क व ट्यूशन फी यथा-सम्भव कम की जाय। डोनेशन फीस बन्द की जाय। अब तक जो डोनेशन लिया गया उसकी रसीद दी जाय। सभापति महोदया, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यूनानी पद्धति में प्रवेश पाने के लिये एक-एक छात्र से दो-दो हजार रुपये डोनेशन फीस ली जाती है। सभापति महोदया, जिसके पास पैसा होता है वह तो मेडिकल कालेज में प्रवेश लेता है और जो गरीब होता है, जो गरीब हिन्दु या गरीब मुसलमान होता है वह यूनानी चिकित्सा की तरफ तवज्जो देता है। एक गरीब आदमी केवल मजदूरी में यूनानी चिकित्सा में प्रवेश लेता है वहां पर दो-दो हजार रुपये डोनेशन फीस ली जाती है उसको बन्द किया जाय और फीस ली गयी है उसकी रसीद तक नहीं दे

(श्री दाऊदयाल जोशी)

है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको तुरन्त बन्द किया जाय। किसी से डोनेशन लेना और फिर उनको रसीद नहीं देना यह कितना हेय है, यह कितना निन्दनीय काम है, इससे बड़ा कोई घृणात्मक काम नहीं हो सकता है।

इसके अलावा उनकी यह भी मांग है कि उन छात्रों को मेन कोर्स के बाद होने वाला हाउस जाब 6 माह के स्थान पर एक वर्ष का किया जाय। सभापति महोदया, यह भी उनकी जायज मांग है। जब उनकी जायज मांगों के लिये मैंने विधान सभा में मेरा काम रोको प्रस्ताव दिया तो आयुर्वेद मन्त्रीजी ने यह जवाब दिया कि हम उनके प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं। मैं कहता हूं, सभापति महोदया, कि कोई प्रतिवेदन नहीं हैं। उनकी छोटी सी बातें है, आयुर्वेद मन्त्रीजी को चाहिए कि वह उन विद्यार्थियों को बुलवा कर बात करें; वैसे ही राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। उस कानून और व्यवस्था की स्थिति को और अधिक नहीं बिगड़ने देने के लिये आप उनसे अपना सहयोग मांगें। आप उन्हें आज ही बुला कर यह आश्वासन दें कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिये जो-जो तुम्हारी जायज मांगें सन् 77 से चली आ रही हैं हम उनको मान-कर जल्दी ही क्रियान्वित कर रहे हैं। आप यह निर्णय जल्दी ले सकते हैं, इसलिए आज ही आप उनको आश्वासन दें और आज ही निर्णय लें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री समरथलाल।

(अनुपस्थित)

श्री मेघराज तावड़

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सभापति महोदया, मुझे बड़ा खेद है इस विषय में बहुत सारी मूल बातें तो माननीय सदस्य श्री दाऊदयाल जी जोशी ने कह दी हैं पर चूंकि मेरा भी इस विषय में स्थगन प्रस्ताव है इसलिए मैं भी कुछ इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह सरकार अन्धी होकर चलती है, कुछ भी नहीं देख सकती है। इस तरह राजस्थान में प्राइवेट संस्थायें जो अपने कालेज चलाती हैं वे कालेज किसी भी यूनिवर्सिटी या मेडिसन बोर्ड से एफिलियेटेड नहीं है। उन कालेजों को चलाने वाले इनके माध्यम से पांच-पांच हजार विद्यार्थियों को अपने सिलेबस के अनुसार प्रवेश देते हैं। प्रवेश देने के लिये यहां पर माननीय सदस्य श्री दाऊदयाल जी ने तो सिर्फ दो हजार रुपये ही डोनेशन देने की बात की है पर मेरे को तो पता है कि वहां पर प्रत्येक छात्र से पांच-पांच हजार रुपया गुप्त चन्दा लिया जाता है और उस चन्दे की कोई भी रसीद नहीं दी जाती है। इसके अलावा वहां पर छात्रों के रहने के लिये कोई सुविधा नहीं है। इनके सिलेबस में लिखा है कि यह संस्था सेन्ट्रल मेडिसन बोर्ड न्यू देहली से एफिलियेटेड है पर, सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कोई संस्था सेन्ट्रल बोर्ड आफ मेडिसन से एफिलियेटेड नहीं है। सभापति महोदया, इस सम्बन्ध में एक लैटर मेरे पास है उसमें जो लिखा है वह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इस विषय में यह लिखा है कि बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसन राजस्थान द्वारा प्रदत्त अहर्ता की मान्यता। महोदय, उपर्युक्त विषय में आपके दिनांक 12-1-83 के पत्र

(श्री मेघराज तावड़)

के संबंध में सूचित किया जाता है कि बोर्ड ऑफ इन्डियन मेडिसन राजस्थान जयपुर द्वारा प्रदत्त कोई अर्हता भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा मान्य नहीं है। सभापति महोदया, यह कितनी बड़ी फौर्जरी है। इसके लिये मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले जब यह लोग विधान सभा के सामने आने वाले थे तब मेरे से मिले थे। मुझे कहा कि एम. एल. ए. साहब हम अगर इस बात को विधान सभा के सामने लायेंगे तो हमारी जान का खतरा है क्योंकि जो इस कॉलेज को चलाता है उस प्रिन्सिपल का लड़का जयपुर में कांग्रेस का अध्यक्ष है, शहर के बड़े गणमान्य व्यक्तियों में से है। उसने हमको धमकी दी है कि अगर यह बात विधान सभा में रखी तो आपको मरवा दिया जायेगा। यह बात उन छात्रों ने मुझे बड़े ही गिड़गिड़ाते हुए शब्दों में कही थी। उन्होंने यह भी कहा कि आप हमारी सुरक्षा नहीं कर सकेंगे, तो मैंने उनसे कहा कि तुम इस बात की चिन्ता मत करो हम इस बात को विधान सभा में रखेंगे। मन्त्री महोदय, आप इस तरह से नींद नहीं निकाले मेरी बात सुनें, यह आपकी आंखों को खोल देने वाली है। यह आपकी बहुत ही भ्रष्ट संस्था है। यही नहीं बल्कि जयपुर में जो धन्वन्तरी का औषधालय चल रहा है उसमें बहुत भारी घोटाला है। मैंने उसके लिये आपको पत्र भी लिखा है।

. . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं। आर्डर, आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय और राजस्थान की सरकार को यह कहना चाहूंगा कि आपके यहां पर प्रवेश के समय जो छात्रों से पांच-पांच हजार रुपये डोनेशन फीस ली जाती है उसकी रसीदें दिलवायी जायं और जो हजारों की तादाद में छात्रों को अन्धकार में धकेला जा रहा है उनके कॉलेज को आप अपने हाथ में लें।

ऐसे कॉलेज को अपने हाथ में लेकर प्राइवेट संस्था की दुकानों को बन्द करें, यही मैं कहता हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात का निर्णय ले और जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों की दुकानें बन्द करके कॉलेज को अपने हाथ में लें। यही कहना चाहता हूं।

धन्यवाद

श्री सभापति : श्री समर्थलाल।

(अनुपस्थित)

श्री **राम कंवर बैरवा**, अकाल राहत कार्य खोलने के बारे में।

श्री **रामकंवार बैरवा** (फागी) : सभापति महोदया, जो गवर्नमेन्ट का जवाब आया है वह बिलकुल गलत है। सभापति महोदया, चाकसू तहसील में 33 ग्राम पंचायतें और एक नगर पालिका क्षेत्र है। चाकसू बहुत बड़ी तहसील है। तीन एम. एल. एज. में वह विभाजित हो रही है। उसमें आपका भी क्षेत्र पड़ता है। 11 पंचायतें कांग्रेसी विधायक के क्षेत्र में हैं। 14 ग्राम पंचायतें मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती हैं और 8 आपके क्षेत्र में पड़ती हैं लेकिन उसमें कोई काम नहीं खोले। राजनैतिक कारणों से केवल उन्हीं 11 पंचायतों की सात सड़कों पर काम हो रहा है जैसा कि मंत्री महोदय, ने जवाब दिया था 11 पंचायतों में काम हो रहा

(श्री रामकंवार बैरवा)

है। तो सभापति महोदया, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि आज सरकार और प्रशासन के अधिकारियों का रुख इतना बदला हुआ है कि जहां से भी विरोधी विधायक आये हैं उन क्षेत्रों में नागरिकों के कोई काम नहीं होते हैं। तहसील चाकसू में पिछले वर्ष 102 व्यक्तियों की मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ में बहने के कारण मौतें हो चुकी हैं। सारा का सारा इलाका बाढ़ग्रस्त था। चाकसू तहसील के 288 गांव बाढ़ग्रस्त थे और इस वर्ष अकालग्रस्त भी घोषित किये गये थे लेकिन एक भी पैसे का काम नहीं खोला। मेरा निवेदन है कि मैंने जो स्थगन प्रस्ताव पूरे 14 पंचायत क्षेत्र और एक नगरपालिका क्षेत्र का व्यक्तिगत रूप से दिया है उसका जवाब सरकार ने यह दिया है कि वहां 7 सड़कें चालू कर दी गई हैं लेकिन आपके और मेरे क्षेत्र में कोई नये पैसा का काम भी चालू नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि इस बारे में जल्दी से जल्दी दुबारा एक्शन लिया जाये। वह क्षेत्र अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित है और पिछले वर्ष भी बाढ़ग्रस्त घोषित था इसलिए जल्दी से जल्दी वहां पर राहत कार्य खोले जायें वरना लोगों की सीमा पार हो चुकी है और वह कई दफा मुझे कह चुके हैं कि आप तो हमें इजाजत दो कि मंत्रियों का, कलेक्टर का घेराव करो और भूख हड़ताल करो तो हम यह भी करने को तैयार हैं। मेरा यही निवेदन है कि गवर्नमेंट का जो जवाब आया है वह बिलकुल ही असत्य है और उसकी दुबारा जांच होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र में जो 14 ग्राम पंचायतें और एक नगरपालिका क्षेत्र है उसमें काम का नाम आना चाहिए कि कौनसी पंचायत में कौन सा काम खोला है।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित)

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष को कोटा में सी. ए. डी. का कार्य बन्द करने के बारे में मैंने दिया था। कोटा से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी स्थगन प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष को दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस पर हमको कहा था कि वक्तव्य मैं दिलाऊंगा ठीक है राज्य सरकार से जानकारी आ जायेगी, वक्तव्य आ जायेगा किन्तु मेरा एक निवेदन है कि यह प्रश्न हमने खड़ा किया है। राज्य सरकार से जानकारी आ रही है, वक्तव्य यहां आयेगा लेकिन बीच में इतना बड़ा एक्शन आज हो जायेगा कि जिसके कारण से बहुत बड़ी कठिनाई वहां के कर्मचारियों के सामने पैदा हो जायेगी। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि कोई भी मंत्री महोदय…

(12.44 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था, मैंने निवेदन किया कि वह सी. ए. डी. का कार्य बन्द करने के विषय में जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मेरा और दूसरे माननीय सदस्यों का प्राप्त हुआ है उसके ऊपर आपने कहा था कि वक्तव्य दिलायेंगे। यह ठीक है लेकिन आज कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो गयी हैं कि एक तरफ तो सी. ए. डी. का कार्य बन्द करने के

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
बारे में चर्चा है और हमने स्थगन प्रस्ताव दे दिया। मुख्य मंत्री महोदय का वक्तव्य आ चुका कि सी. ए. डी. का कार्य बन्द नहीं किया जा रहा है लेकिन सवाल यह खड़ा है कि यहां वक्तव्य पता नहीं कब आयेगा, जवाब कब आयेगा। आज स्थिति यह बन रही है 28 फरवरी को कि कल प्रातः काल से 8 ओ. एस. टी. में से 3 डिवीजन तोड़े जा रहे हैं ......

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य को निवेदन कर दिया...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक मिनट...

श्री अध्यक्ष : इस पर वक्तव्य दिलाऊंगा और आज ही दिलाऊंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वक्तव्य दिलायेंगे ठीक है लेकिन सरकार एक बार आश्वासन तो दे दे। 8 में से 3 डिविजन तोड़े जा रहे हैं ओ. एस. टी. के इरिगेशन के 7 में से 2 आज तोड़े जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों की आज यह स्थिति है कि वहां 501 रेगुलर कर्मचारी, जिनकी नौकरियां बहुत सालों से हैं, आज निकाल दिये जायेंगे। 200 वर्कचार्ज कर्मचारी भी निकाल दिये जायेंगे और 2250 लोग हैं जो कि नित्य प्रति की पगार पर काम की दृष्टि से लगे हुए हैं उनकी छंटनी हो जायेगी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब तो आयेगा, वक्तव्य आयेगा आपने ऐसी व्यवस्था दे दी लेकिन राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि यह बात तो कह दे कि एक, दो या तीन दिन बाद जवाब आ रहा है तब तक यह डिवीजन नहीं तोड़े जायें और कर्मचारियों की इस प्रकार की स्थिति नहीं बनाई जाये कि वह घर-घर दाने-दाने के लिए मोहताज हो जायें और आज उनकी नौकरियां चली जायें। दो वक्तव्य माननीय मुख्य मंत्रीजी और श्री बृजसुन्दरजी के आ चुके, उससे बड़ा घपला पैदा हो गया इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से कोई भी मंत्री महोदय यह तो एश्योर कर दें, भूतपूर्व मंत्री महोदया बैठी हैं, आज उनके पास विभाग नहीं है सी. ए. डी का मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो छन्टनी हो रही है उसके बारे में कोई आज एश्योरेन्स दे दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया कि शीघ्र ही वक्तव्य दिलाऊंगा एक दो दिन की तो देर इधर-उधर हो जाती है। मंत्री महोदय सुन रहे ह। मैं राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। मंत्री महोदय सुन रहे हैं उनकी जानकारी हो तो कह सकते हैं।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर, वक्तव्य दिला दूंगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज बैठ जायें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज....

(व्यवधान)

अंकित न हो

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया कि सरकार से वक्तव्य दिलाऊंगा। जरूर दिलाऊंगा। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता।

(व्यवधान)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 61

(61)

(श्री अध्यक्ष)

ऑर्डर प्लीज । मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कोई आश्वासन दे सकूं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : तीन हजार लोगों की छंटनी होगी । सरकार किस प्रकार का व्यवहार कर रही है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ।

(व्यवधान)

अंकित न हो ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर बैठ जायं । अंकित नहीं हो रहा है ।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज । वक्तव्य आने दीजिये उसके बाद प्रश्न पूछ सकते हैं । अंकित न हो ।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । अंकित न हो ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । अंकित न हो ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य व्यर्थ में समय ले रहे हैं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री अध्यक्ष : अगला विषय ले लिया है । कोई आश्वासन नहीं दे सकता ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरा निवेदन यह है कि आपने वक्तव्य की बात कह दी लेकिन आज एक्शन हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : हो जायेगा सो हो जायेगा ।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

आपका वक्तव्य होने से तीन हजार रहेंगे नहीं...

ऑर्डर प्लीज । अंकित न हो ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : सरकार के पास...

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ×××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री हरिश शर्मा : ×××

श्री छीतरलाल आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, । अंकित नहो ।

● ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

कृपया बैठ जायें । माननीय सदस्य, समय मांगे । आप बाध्य नहीं कर सकते इस तरह से । ऑर्डर प्लीज । सब महत्वपूर्ण प्रश्न ही आते हैं । अगला विषय ले रहा हूं ।

अंकित न हो । कृपया बैठ जायें । माननीय सदस्य । ऑर्डर; ऑर्डर ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ×××

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो । अंकित नहीं हो रहा है । व्यर्थ में समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य । ऑर्डर ऑर्डर ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो अंकित नहीं हो रहा है । व्यर्थ में समय ले रहे है । माननीय सदस्य । ऑर्डर., ऑर्डर ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप राजनैतिक मसलों को यूं ही घसीट रहे है । सीधी-सीधी बात यह है, मैंने निवेदन कर दिया है माननीय सदस्यों को, इस संबंध में शीघ्र ही वक्तव्य दिलाऊंगा । जिस दिन यह प्रश्न आया था उस वक्त मैंने कह दिया था । आज से वक्तव्य देना सदन में प्रारम्भ हुए हैं, पूर्व में हो नहीं सकते थे । आज वक्तव्य दिला दूंगा इससे ज्यादा क्या चाहते हैं ।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर ।

कोई टाने-टाने से मोहताज नहीं है । ऑर्डर, ऑर्डर । आप नहीं चाहते हैं । वक्तव्य से लाभ नहीं होना है तो आप कह दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है । समय ले रहे हैं व्यर्थ में, माननीय सदस्य । ऑर्डर ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज । अंकित नहीं हो रहा है । ऑर्डर प्लीज । कृपया बैठ जायें ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो । बैठ जाय ।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज अंकित न हो । **ऑर्डर, ऑर्डर ।**

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ×××

श्री हीरालाल आर्य : इसलिये मैं वाक आउट करता हूं ।

(बहिर्गमन)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : इसलिये मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(बहिर्गमन)

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

घग्घर डाइवर्शन चैनल टूट जाने से गंगानगर व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पानी भर जाने से काश्तकारों की फसल को क्षति

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व अन्य कई माध्यमों से घग्घर बांध के संबंध में प्रस्ताव आये हैं। उसमें प्रणाली यह अपनायी जायेगी कि पहले मंत्री जी अपना वक्तव्य दे दें उसके बाद में नियम 131 के अन्तर्गत व अन्य माध्यमों से जिन माननीय सदस्यों के नाम आये हैं उनको मैं अवसर दूंगा वे माननीय सदस्य हैं:—श्री सुनील विश्नोई, श्री पीरू राम, श्री नाथू सिंह, श्री जीवराज सिंह राठौड़, श्री राधेश्याम, श्री आत्माराम, श्री ज्ञान सिंह चौधरी, श्री शिवराम शर्मा, श्री भैरुसिंह गूजर, श्री देवीसिंह भाटी, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, इसके लिये कुल एक घंटे का समय निश्चित किया जाता है, इसलिये माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वे बोलते वक्त या अपनी बात कहते वक्त समय का ध्यान रखें।

सिंचाई मंत्री जी।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : एक घंटे का समय रखा है। इसमें पौन घंटा मंत्रीजी ले लेंगे तो 15 मिनट में इतने सदस्य···

श्री अध्यक्ष : देख लेंगे। वे यदि पौन घंटा लेंगे तो समय मैं बढ़ा दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के 15 माननीय सदस्यों के घग्घर के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा से आई बाढ़ से घग्घर डाईवर्शन चैनल के बैंक टूट जाने के फलस्वरूप घग्घर नाली में खड़ी रबी की फसल को हुई क्षति की ओर प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार का वक्तव्य निम्न प्रकार है:—

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है घग्घर नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ियों से होता है तथा पंजाब और हरियाणा में बहती हुई इसका पानी हरियाणा में स्थित ओटू वियर के जलाशय में एकत्रित होता है। यहां से छोड़े जाने पर पानी घग्घर नदी में बहता हुआ राजस्थान में ओटू से लगभग 35 किलोमीटर नीचे राजस्थान नहर फीडर के नीचे बने साइफनों में से होकर घग्घर डाइवर्शन चैनल में आता है। घग्घर नदी में बाढ़ का पानी मानसून ऋतु के अलावा कभी-कभी सर्दियों में होने वाली वर्षा से भी राजस्थान में आता है। माह जनवरी, 1983 के अन्तिम सप्ताह में पंजाब और हरियाणा में हुई वर्षा के कारण घग्घर नदी में फ्लड का पानी आया फलस्वरूप ओटू वियर से दिनांक 30 जनवरी, 1983 को दोपहर में 1666 क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया। ऊपर से आने वाले पानी में लगातार वृद्धि होने से ओटू में छोड़े जाने वाले पानी में वृद्धि होती रही। 31 जनवरी, 1983 को प्रातः यह मात्रा 5474 क्यूसेक्स एवं मध्यान्ह पश्चात् 5952 क्यूसेक्स, 1-2-83 को प्रातः 7680 क्यूसेक्स व मध्यान्ह पश्चात् 7820 क्यूसेक्स अधिकतम थी। 2-2-83 के मध्यान्ह पश्चात् फ्लड डिस्चार्ज में कमी होने लगी जो कि 9-2-83 को प्रातः 107 क्यूसेक्स ही रह गई। दिनांक 31-1-83 को जिस समय घग्घर जडाईवर्शन चैनल में फ्लड का पानी

(श्री परसराम मदेरणा)
आ रहा था। राजस्थान फीडर नहर के आर. डी. 629 के एस्केप द्वारा लगभग 1000 क्यूसेक्स पानी छोड़ा जा रहा था जो फ्लड़ के पानी के साथ मिलकर घग्घर डाइवर्शन में बह रहा था।

घग्घर डाइवर्शन चैनल का दाहिना बैंक शेरेका के पास बुर्जी 33 व 34 के बीच दिनांक 1-2-83 को सुबह 1 व 3 बजे के बीच व उसी रात को कुछ समय बाद ही इसी नहर का बायां बैंक ग्राम मसानी के पास बुर्जी 33 व 34 के बीच टूट गये ग्राम मसानी के पास टूटे बैंक को मसानी के ग्रामवासियों के सहयोग से दिनांक 1-2-83 को ही प्रातः 11 बजे बांध लिया गया। परन्तु शेरे का गांव के पास का दाहिना बैंक के बीच की लम्बाई ज्यादा होने से बुल्डोजर की मदद से दिनांक 2-2-83 को सुबह 5 बजे तक बांधा जा सका। 11 बजे तक उसको मजबूत कर लिया गया व आर. डी. 24 के एस्केप द्वारा और नाली बेड में जाने वाले पानी को भी बन्द कर दिया गया।

घग्घर डाइवर्शन चैनल की क्षमता बुर्जी जीरो से 24 तक 17,800 क्यूसेक्स है और बुर्जी 24 के बाद टेल तक इस चैनल की क्षमता 12,000 क्यूसेक्स है। प्राप्त जानकारी के अनुसार माह जनवरी, 83 में हुई वर्षा के फलस्वरूप इस चैनल में अधिकतम पानी 7156 क्यूसेक्स चला था जो इसकी डिजाइन क्षमता से काफी कम था घग्घर चैनल में बाढ़ से पानी आने की पूर्व सूचना के अनुसार खालोरी साइफन से दिनांक 22-1-83 को सुबह 6,800 क्यूसेक पानी बह रहा था। सामान्यतः राजस्थान फीडर के नीचे बने साइफनों तक पहुंचने में इस पानी की मात्रा काफी कम हो जाती है जबकि घग्घर डाइवर्शन चैनल की क्षमता 29-1-83 को खालोरी से बहने वाले पानी से कहीं अधिक है। अतः ऐसी दशा में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के आतंकित होने जैसी कोई बात नहीं थी। राज्य सरकार ने घग्घर चैनल के टूटने और उससे हुई क्षति की स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इस घटना की प्रायमिक जांच शासन सचिव, सिंचाई, अतिरिक्त आयुक्त व उप-सचिव सहायता व मुख्य अभियन्ता, सिंचाई के मौके पर भेजकर करवाई है। घग्घर डाइवर्शन चैनल में बुर्जी 24 पर दो एस्केप बने हुए हैं। इन एस्केपों के चैनल में आये पानी घग्घर नाली बेड में पानी देने के लिये काम में लाया जाता है। चैनल टूटने के बाद एकत्रित जन-समूह का आग्रह था कि अगर यह फाटक खोल कर पानी का दबाव कम नहीं किया गया तो ग्राम मसानी के पास टूटी चैनल के बान्धने में कठिनाई आवेगी और ग्राम मसानी डूब जायेगा तथा शेरेका ग्राम के पास बीच की लम्बाई कटाव के कारण बढ़ जायेगी। अतः दिनांक 1-2-83 को एस्केप के फाटक खोल दिये गये। बाढ़ का पानी नाली बेड में बहता हुआ सूरतगढ़, गंगानगर सड़क के क्रासिंग तक पहुंच गया। इस प्रकार फैल कर बहने वाले पानी से नाली बेड में रबी की खडी फसल को कुछ क्षति हुई है। वास्तविक क्षति का अनुमान जिन्सवार गिरदावरी होने के पश्चात् ही लगाया जा सकेगा।

प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

श्री सुनील बिश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है हमारे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सन्दर्भ में। उनका स्टेटमेंट सुनने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह कोई दबाव के कारण या कोई वजन के कारण बिलकुल दवे दवे रिगन आउट करने के तरीके से बोल रहे हैं जो वस्तुस्थिति थी उससे कहीं दूर गये हैं जिन आफिसर्स को बचाने की चेष्टा में ये गये हैं उससे वस्तुस्थिति बिलकुल अलग हो गई है। जो स्थिति असल में थी वह यह थी कि घग्घर डाइवर्शन चैनल में पहले से पानी आया डिपार्टमेंट के पास काफी इनफार्मेशन थी। इनके पास कैनाल वायर्स है, इनके पास और भी साधन हैं, इनको पता था कि पानी आ रहा है फिर भी इनकी नेग्लीजेंसी के कारण जी. डी. सी. के डैम के गेट्स बन्द रहे। गेट बन्द होने के कारण वह पानी माउन्ट होता रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मैं। राजस्थान कैनाल के ट्रांसफर आगे से आगे रहते हैं पानी के लिये। यहां से वे एस्केप से पानी उसमें छोड़ रहे हैं, राजस्थान कैनाल का पानी भी उन्होंने जी. डी. सी. में छोड़ा है जिससे वह पानी माउन्ट होता रहा। यह तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर कोई भी खाला या नहर या चैनल दो साइड से एक साथ टूटती है तो वह जरूर ही गेट बन्द होने के कारण टूटी है। अगर गेट खुले होते तो दोनों तरफ से एक साथ टूटने का प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री महोदय से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, काश्तकारों के हम प्रतिनिधि हैं और जिस तरह से काश्तकार का नुकसान हुआ है उसमें आपने सरकार को बचाने की कोशिश की है, उससे मुझे बहुत बड़ा दुःख है। इसमें अगर यह कहते हैं उनको सस्पेंड करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, मैं कहता हूं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। उन हजारों काश्तकारों की जो 24000 एकड़ से अधिक भूमि नष्ट की है इन्होंने, उसका कौन जिम्मेदार होगा। अगर नेचुरल केलेमिटी जो होती, बाढ़ आती, बरसात आती उससे कुछ नष्ट होता तो समझ में आती है बात, पर जो जान बूझकर गेट बन्द करके नाली तोड़ करके, जो काश्तकारों की इन्होंने फसलें खराब की हैं, मेरे ख्याल से उससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। एक काश्तकार जो 6–6 महीने मेहनत करके अपने खून पसीने से फसल पकाता है उस फसल को इन्होंने एक रात में नष्ट कर दिया। इससे बड़ी और दुख की क्या बात होगी कि अध्यक्ष महोदय, आज तक सरकार का कोई प्रतिनिधि उस फसल को संभालने नहीं गया आज तक उस काश्तकार के वहां पर कोई आंसू पोंछने नहीं गया। उस काश्तकार का क्या हाल होगा। जो आंख उठाकर अपनी नष्ट हुई फसल को देख कर सिर पर धूल फेंक रहा है और इस हसरत से कौन आये, कौन हमें बचाये। मैं इस सरकार से मांग करूंगा कि उनको उनकी फसलों का मुआवजा दिया जाय। उनके सारे ऋण माफ किये जाय, स्थगित किये जायें, उनके पानी के और दूसरे मामले माफ किये जांय। माननीय मुख्य मंत्रीजी का जवाब होगा ही, क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय दब गये, काश्तकार के हित को उन्होंने छोड़ दिया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, कोई दुकान खोलें, एक खोलो, दो खोलो 10 खोलो, कैलाश जी के साथ में खोलो–

(श्री सुनील विश्नोई)
दुगड़ साहब के साथ में खोलो, कश्यप साहब के साथ में खोलो, किसी के साथ खोलो उससे हमें कोई मतलब नहीं, पर कुछ आदमियों को बचाने के लिये इन्होंने काश्तकारों को बिल्कुल नष्ट कर दिया, यह बहुत शर्म की बात है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिनके कारण फसलें नष्ट हुई हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाय। आज इरिगेशन डिपार्टमेंट का क्या हाल है? यहां पर ये दरिन्दे की तरह बैठे हैं काश्तकारों की कोई परवाह करता नहीं, कोई ध्यान देता नहीं, उनकी तरफ वहां खेत नष्ट हो गये किसी ने उनकी परवाह नहीं की। आज हजारों की संख्या में काश्तकार जयपुर आये बैठे हैं, घूमते फिर रहे हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है उनकी।

श्री अध्यक्ष : श्री पीरूराम।

श्री पीरूराम (टीबी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो यह बाढ़ आई उसके संबंध में जो जवाब दिया है वह बिलकुल दुतरफा जवाब है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, आने जाने की वजह से तीन जगह नुक्सान हुआ है। पहले इन्होंने शेरेका नाले में पानी छोड़ा, शेरेका नाला के 24 गेट है इस शेरेका नाले के दो गेट तो हरदम ही खराब रहते हैं 42 आर. डी. पर। उस दिन सुबह 6-7 बजे तक तो गेट बन्द ही थे। वे गेट बन्द रहते हैं उसका भी कारण है। उसका कारण यह है कि वहां रिसाल का पानी आता है तो कुछ काश्तकार इन लोगों से मिल जुलकर गेट बन्द करा लेते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा? इनको पता भी नहीं था कि नाली में उसे ओटू हैड से पानी पीछे से वर्षा का आ रहा है या नहीं। इनके पास बार-बार ओटू हैड से टेलीग्राम, रेडियो से यह खबर आई और मैंने भी एक अधिकारी को यह बताया कि जब हमारे यहां 8-10-12 अंगुल वारिश हो गई है तो पीछे भी वर्षा हुई होगी और यह नाली आयेगी उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा आप सतर्क रहें। उन्होंने यही कहा कि हम सतर्क हैं पर मेरी समझ में नहीं आता है एक्स. ई. एन. इसका सूरतगढ़ बैठता है, एस. डी. ओ. हनुमानगढ़ बैठता है 424 आर. डी. पर जो गेट है तो 42 तक तो लेखराम, जे. ई. एन. है और 42 के बाद भादर राम चौधरी वहां जे. ई. एन. लगा है वहां पर जो गेट कीपर या वह मौके पर नहीं था, दूसरा गेट कीपर था, मैंने उसके बयान लिये। उसने यह बताया कि असल गेट कीपर नहीं था। गेट जब ही खुलते हैं जब जे. ई. एन. आकर उससे कहता है यह गेट खोल दो-नम्बर 1, नम्बर दो, जो 34 आर. डी. पर यह नहर टूटी है उसको बान्धने के लिय टीबी पुलिस, तहसीलदार टीबी आये परन्तु कोई अधिकारी मौके पर नहीं था शेरेका की तरफ जो दायी तरफ टूटी है, 24 घंटे बाद इन अधिकारियों का रुकने का काम रहा; बुलडोजर लगा कर वह नहर बान्धी गई है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपनी मन मरजी से तो वहां अधिकारी भेजते हैं, किसी को पूछते तक नहीं हैं और अगर कहा जाता है कि इस अधिकारी के खिलाफ सारे विधायक भी हैं तो भी धक्के से धोके देते हैं ये बड़े मेहरबान हैं हमारे ऊपर। मैं यह बात बताना चाहता हूं कि कम से कम पांच करोड़ का नुकसान तीन जगह पर हुआ है। पहले तो इन्होंने सीम में पानी छोड़ा फाटक बन्द होने की वजह से वह 34 आर. डी. पर नहर टूट गयी इसके बाद इन्होंने 24 आर. डी. पर गेट खोले उससे नाली बेंड का सारा एरिया तबाह हो गया सारी फसलें तबाह हो गयी है, सारा एरिया तबाह हो गया उसके बाद गेट खोले गेट पहले खोल देते तो वहां कई करोड़ रुपयों की फसल

(श्री पीरूराव)

की बचत हो सकती थी वह फसल डूब गयी। अब आप सोचलें कि यह पानी किस तरीके से खोल रहे हैं। इनके पास कोई रास्ता भी नहीं सोचने का कि पानी खोला कैसे जाय, किस तरह से खोला जाय। अगर एक तरफ से खोल देते तो इतना नुकसान नहीं होता जितना दोनों तरफ खोलने से हुआ। दूसरी बात यह है, जो मेरे क्षेत्र में यह नहर टूटी है, उससे शेरेका, मसानी, पीरका मण्डियों में कम से कम 60 हजार, एक करोड़ का नुकसान हुआ है। काश्तकार त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मैंने आज से पहले 80-81 में घर-घर नाले के लिए बार-बार चिट्ठियां दी हैं। मुख्य मंत्री का रिप्लाई आया है कि हम इसको ठीक करा रहे हैं, बांध रहे हैं। 78-79 में इस पर काम हुआ घर-घर नाले का 97 लाख का बजट रखा गया था उसमें बहुत तगड़ा घपला अधिकारियों ने किया वह अधिकारी सस्पेण्ड भी कर दिये गये। सस्पैण्ड करना कोई पब्लिक के हित की बात मैं तो मानता नहीं, क्योंकि वह फिर बहाल हो जाते हैं। मैं तो एक बात कहता हूं कि हमारे गंगानगर जिले में तो महाकाल पड़ता है। हर जगह अकाल राहत कार्य चलते हैं, अकाल पड़ जाता है। इस एरिया के अन्दर पिछले फसल में शीत लहर और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ यहां पर डेपुटेशन आया, मन्त्री महोदय से मिला तो मन्त्री महोदय ने एक काश्तकार को कहा कि हमारे यहां तो हमेशा ही अकाल पड़ता है आपके यहां तो अब की दफा ही ओले पड़े हैं। उस टाइम भी मंत्री महोदय यह बता कर चले गये कि हमारे पास मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात सावन की फसल में फिर ओलावृष्टि हुई उस टाइम में भी हमारा भयंकर नुकसान इसी क्षेत्र में, इसी एरिया में हुआ। फिर डेपुटेशन आया। मन्त्री जी ने कहा मैं सोच कर विचार करूंगा। मुख्य मंत्री ने भी यही कहा कि सोचकर चर्चा करके मुआवजा दिलाएंगे। आज तक भी मुआवजा नहीं मिला। तीसरी दफा अब फिर हाडी आयी है। मेरा निवेदन है कि एक महाकाल का भी मन्त्री लगाया जाय ताकि महाकाल के मन्त्री से हम जाकर बात करें। गंगानगर को तो सिंचित करके, गंगानगर जिले को बर्बाद कर दिया। क्योंकि हम सिंचित एरिया में तो आ गये इसलिए जब फसल तबाह हो जाती है तब न तो अकाल सहायता का काम चालू किया जाता है और न ही मुआवजा मिलता है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहता हूं कि महाकाल का मन्त्री नियुक्त किया जाय ताकि काश्तकारों को पानी ठीक मिले और जो नुकसान हो उसका मुआवजा मिले। जब भी काश्तकार आते हैं, मन्त्री जी से मिलते हैं या मुख्य मंत्री से मिलते हैं तो एक ही जवाब मिलता है कि हमारे पास प्रावधान नहीं है। यह आप देखो कि जहां अकाल पड़ता है, वहां तो अनाज घर के अन्दर ही पड़ा रह जाता है, सरकार सहायता करती है। हम तो घर का अनाज फसल में डालते हैं, 500 रुपये 600 रुपये बीघा काश्तकार का फसल का बीज लेने में देने में है, उसके बाद में, व पानी लगाने में उसकी फसल बर्बाद हो जाय, लगातार तीन-तीन फसलें बर्बाद हो जायें उस काश्तकार के पास क्या होगा, यह बतायें? अध्यक्ष महोदय, बार-बार मुख्य मंत्री जी के पास हमारा डेपुटेशन जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती।

अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस नहर के लिए 80-81 में 12-8-60 को मुख्य मंत्री ने यह कहा कि हम यहां कार्य कराने के लिये सोच रहे हैं। टूटी मसानी गांव जहां से घग्घर टूटी है, मुंडा गांव, में, नावानी और कलानों की ढाणी और 1 से, 33 आर

(श्री पोहूराम)

डी. पर 25 फीट गहरा खड्डा साइफन के पास पड़ा है। अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। हमारा दो करोड़ का साइफन, तेलवाड़ा जो हैड वर्क्स है, वह तबाह होने जा रहा है। वहां पर सीम हो गयी है। लाखों, हजारों बीघा जमीन वहां सीम से खराब हो गयी, काश्तकार बर्बाद हो गये। मैं बार-बार चिट्ठी लिखकर दे रहा हूं मुख्य मंत्री को, चिट्ठियों का जवाब आ रहा है। यह 12-8-80 को मैंने लिखा है, उन्होंने यह जवाब दिया कि हम यह कार्य कराने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी चिट्ठी भी मुख्य मंत्री की आयी है इसी विषय पर; यह आयी है 10-2-81 को और तीसरी चिट्ठी भी आयी है। मैं बार-बार इस नहर के लिए लिख कर दे रहा हूं क्योंकि जगह-जगह खतरा हो रहा है, इसकी क्षमता मन्त्री महोदय ने बतायी है 22 हजार क्यूसेक्स की, 122 हजार क्यूसेक्स तो क्या इसके अन्दर 4 हजार क्यूसेक्स पानी चला था। एक हजार क्यूसेक्स पानी जो राजस्थान नहर से छोड़ा गया था वह क्यों छोड़ा गया ? इन राजस्थान नहर वालों को पूछो कि ऊपर से तो बाढ़ आ रही है और इधर यह एक हजार क्यूसेक्स पानी छोड़ रहे हैं ? हमारे वहां माथुर एक्स. ई एन. लगा है इसलिए उसका नाम ही नहीं लिया जा रहा है। उसने पानी क्यों छोड़ा ? उसके बाद जो सूरतगढ़ ब्रांच है, वह 1700 क्यूसेक्स की ब्रांच है इसे क्यों बन्द रखा गया था ? उसमें इन्होंने निर्माण कार्य चला रखा है। उसके बाद 5 तारीख को पानी छोड़ा, क्या पहले पानी नहीं छोड़ सकते थे ताकि दूसरी तरफ नुकसान नहीं होता। एक तरफ तो नुकसान हो ही गया था पर दूसरी तरफ यह नुकसान नहीं होता अगर सूरतगढ़ ब्रांच में पानी छोड़ देते तो। अब उसमें इन्होंने पानी छोड़ा इनका तो नियम है बारीबन्दी का, पानी ऊपर हो नियम पर चलते हैं, तो उसमें बारीबन्दी थी। कोई बारीबन्दी नहीं थी उसके अन्दर अधिकारियों ने वहां सिर्फ ठेकेदार को बचाने के लिए सूरतगढ़ ब्रांच में पानी नहीं छोड़ा वहां लाइनिंग हो रही थी, इस ठेकेदार का मेटीरियल पड़ा हुआ था उसको बचाने के लिए सूरतगढ़, ब्रांच में पानी नहीं छोड़ा। अगर उसमें पानी छोड़ देते तो काश्तकारों को पानी भी मिलता और यह दूसरा नुकसान जो 24 आर. डी. पर साइफन का फाटक खुला है वह नहीं होता। मैं सरकार से, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं काश्तकारों की तरफ से कि हमारे काश्तकार बहुत पीड़ित हैं, तीन-तीन फसलें उनकी तबाह हो गयी हैं। उनको मुआवजा दिया जाय। नियम बनाया जाय ताकि उनको मुआवजा मिल सके। हर बार विधान सभा में हम बोलते हैं उससे कोई लाभ नहीं होता। डेपुटेशन आता है उससे भी कोई लाभ नहीं होता। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, एक ही मांग करता हूं कि जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाय। विधायक जीवराजसिंह, सुनील जी और मैं मौके पर गये, वहां यह हालत हो रही है कि फसल सड़ रही है बुरी तरह से, बीमारी होने का खतरा है। दूसरी बात आपको एक और नयी बात बता देना चाहता हूं यह इससे संबधित पाइण्ट तो नहीं है पर मैं फिर भी आपको इत्तला दे रहा हूं जैसे मैंने घग्घर के जगह-जगह पक्की बनाने के लिए और दूसरी बातों की इत्तला दी। मेरे क्षेत्र के अन्दर राजस्थान कैनाल है। राजस्थान कैनाल मचितावाली हैड से 22 आर. डी. तक, चीफ इंजीनियर भी सुनते होंगे यह। इतनी खतरनाक हो रही है कि किसी भी टाइम टूट सकती है इसलिए कि वहां सीम पैदा हो गयी है, नीचे से पानी रिस रहा है। आज से तीन रोज पहले मैं वहां गया तो देखा कि मचितावाली हैड से 22 आर. डी. तक

(श्री पोरूराम)
2-2 पिटों के खड्डे लगे हुए हैं 30 फीट की उसकी भराई है उन खड्डों के अन्दर पानी जमा पड़ा है वर्षा और सेम का, वह कभी खाली नहीं होता, दरख्त पड़ गये हैं और वह बैठने शुरु हो गये हैं। फिर अधिकारी कहेंगे, उससे इतना नुकसान होगा कि सैकड़ों गांव तबाह हो जायेंगे, फसलें बर्बाद हो जायेंगी, यह राजस्थान नहर वर्ल्ड की मानी हुई नहर है, राजस्थान का नाम बदनाम होगा, अगर इसकी देखरेख पहले नहीं की गयी तो। गांव डब्लीकलां में सीम आने से अभी मकान गिर रहे हैं। मैंने कलेक्टर को भी इत्तला दी है इस बारे में कि इन लोगों को यहां से उठाकर दूसरी जगह बसाया जाय और इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। वहां जो रोडेवाली ढाणी है वह भी खतरे के अन्दर है। यह राजस्थान नहर की बात बता रहा हूं, मैं आगे आने वाले जैसा मैंने पहले भी ...

श्री अध्यक्ष : अलग विषय है। अन्य किसी अवसर पर उठा लें।

श्री पोरूराम : इसलिए मैं यह भी पहले से इत्तला दे रहा हूं। मैं एक ही बात आपको बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, घग्घर की जो नुकसान हुआ है उसके बारे में मन्त्री महोदय पता नहीं किस के दबाव में यह लीपा-पोती का जवाब दे रहे हैं, वे काश्तकारों के हमराह हैं। हमारे काश्तकार यह भी मानते हैं कि हमारा मन्त्री है पर मेरे यह समझ में नहीं आता कि जब भी डेपुटेशन काश्तकारों का आता है तो बड़े प्रेम से मन्त्री महोदय मिलते हैं, उसके बाद भी यह देने दिवाने को कुछ भी नहीं। मतलब यह है कि हरवक्त यह कह देते हैं कि कोशिश करेंगे, कोशिश कब तक चलती रहेगी। मैं तो यह चाहता हूं कि हमारे काश्तकारों को जितना नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जावे।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सिंचाई मंत्रीजी को मुख्य मंत्री बनाने का आश्वासन दे दो आपको मुआवजा मिल जाएगा।

श्री पोरूराम : एक और बताता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के साथ हरियाणा बोर्डर पड़ता है वहां फसल का मुआवजा मिलता है। थोड़ासा-नुकसान होने पर भी मुआवजा मिलता है। इसलिए हमारी बहुत दिक्कत है हरियाणा में हमारी रिश्तेदारी है। हरियाणा और राजस्थान है जोईन्ट क्षेत्र है वहां जाने में हमें बड़ी डिफिकल्टी आ रही है, लोग वहां जाने नहीं देते। काश्तकार लोग कहते है कि हमें मुआवजा चाहिए। हमारी गलती नहीं है, आपकी सरकार और आपके अधिकारियों की गलती है, हमें मुआवजा दिया जावे। यह हमारी हालत हो रही है, छुपते फिर रहे हैं। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, एक ही बात आपको कहना चाहता हूं कि हमारे काश्तकारों को मुआवजा दिया जावे। इसी के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह। संक्षेप में।

श्री नाथू सिंह (बांदीकुई) : संक्षेप में। बिलकुल पाइन्टेड प्रश्न करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों ने निवेदन किया, सब से पहले तो मैं निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री महोदय, से जो बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, इस तरह के जवाब की आशा नहीं करता था। अध्यक्ष महोदय, 1962 में भी इसी तरह की फ्लड वहां पर आई

(श्री नाथूसिंह)

थी उस समय मुख्य मंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। वे स्वयं इस समस्या की गम्भीरता को समझ कर अपने मंत्री मण्डल के सहयोगियों, विरोधी दलों के नेताओं को साथ लेकर वहां गए। उन्होंने स्वयं सिचुएशन का निरीक्षण किया और वहां मौके पर जाकर किसानों की समस्या का निदान किया और किसानों को मुआवजा दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली मेरी आपत्ति यह है कि यह सरकार किसी तरह से सजग नहीं है, आज तक न मुख्य मंत्री जी वहां गए। किसानों के प्रति कितनी सचेत है यह सरकार इसका नमूना पेश कर रहा हूं, न मुख्य मंत्रीजी वहां गए, न इरिगेशन मंत्री वहां गए, न मंत्री मण्डल का कोई सदस्य वहां पर गया, न विरोधी दलों के नेताओं को लेकर गए, न उस क्षेत्र के माननीय विधायकों को साथ लेकर गए। मैं यह जानना चाहता हूं, आज मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, इस जवाब को तैयार किया? अधिकारियों ने। अधिकारियों ने जो जवाब तैयार कर दिया वह आपने यहां आकर पढ़ दिया। अधिकारी कौन है? जवाब किसने तैयार किया है? अध्यक्ष महोदय, जो लोग उस समस्या के लिए रेसपासिबल हैं, जिनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये उन लोगों ने उत्तर बनाकर दे दिया और आपने सदन में आकर उसको पढ़ दिया, अच्छा तो यह होता कि समस्या की गम्भीरता को देखते हुए, माननीय मंत्री महोदय, आप स्वयं वहां जाते। आप स्वयं निरीक्षण करते, विरोधी दलों के नेताओं को ले जाते, माननीय मुख्य मंत्रीजी पर दवाब डालते, उनको कहते कि आप भी चलिये। किसानों की कोई गलती नहीं थी, जो अधिकारी दोषी थे उनके विरुद्ध वहीं कार्यवाही करते। किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा करते और उसके बाद हाउस में, सदन में आकर यहां वक्तव्य देते कि मैं वहां पर जाकर आया हूं, देख कर आया हूं, वस्तु स्थिति यह है, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है और किसानों के लिया यह घोषणा करके आया हूं तब तो आपकी शाबाशी होती, आपको हम धन्यवाद देते लेकिन आपने अधिकारियों का जवाब पढ़ दिया अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ऊपर जो वर्षा हुई और वर्षा का पानी ओटू के पास जलाशय में एकत्रित हुआ इसकी सूचना कब मिली? अध्यक्ष महोदय, वहां पानी इकट्ठा हो गया, वहां अधिकारी बैठते हैं, जब पानी इकट्ठा हुआ बट नेचुरल था कि बाढ़ आती और बाढ़ आती तो नहर टूटने की सम्भावना हो गई थी। फसल को नुकसान होने की सम्भावना हो गई थी। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके डिपार्टमेंट के आफिस वहां पर बने हुए हैं, डिपार्टमेंट के पास जीपें हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक बड़े-बड़े अधिकारी वहां पर बैठे हुए है, उस पानी के इकटठा होने की फर्स्ट इन्फार्मेशन उनको डिपार्टमेंटली कब प्राप्त हुई कि यहां पानी इकट्ठा हो गया और उन्होंने आगे कब दी? पहला मेरा प्रश्न यह है।

दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, मेरा यह है कि उस इन्फार्मेशन के आधार पर कि यहां पानी इकट्ठा हो गया, आगे बाढ़ आएगी क्या किसानों को बाढ़ आने की सम्भावना की सूचना दी गई? यदि हां, तो कब दी गई और किन-किन अधिकारियों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी थी कि किसानों को सूचित किया जावे, आगे की व्यवस्था की

(श्री नाथूसिंह)
जावे ? दूसरा मेरा यह सवाल है ।

तीसरा, उस समय उसके इंचार्ज कौन-कौन थे और उन लोगों ने क्या एक्शन लिया? क्या वे मौके पर आए ? तीसरा मेरा प्रश्न यह है ।

चौथा प्रश्न मेरा यह है, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान नहर का पानी एक हजार क्यूसेक्स उन्होंने कहा है,छोड़ा तो उस समय राजस्थान नहर में कितना पानी था ? उस पानी को छोड़ने की क्या आवश्यकता थी ? चौथा सवाल मेरा यह है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि 42-आर-डी. पर 22 फाटक थे । उन 22 फाटकों में से केवल पांच फाटक खुले थे, बाकी सारे फाटक बन्द थे। बाकी सारे फाटक बन्द थे इसके कारण बुर्जी, 33 और 34 के बीच में वह नहर टूटी । तो अध्यक्ष महोदय, वहां पर अधिकारी मौके पर पहुंचे नहीं, उन्होंने किसानों को सूचना नहीं दी, पानी ऊपर इक्टठा हुआ उसकी सूचना नहीं दी, इसका भी मूझे आप जवाब देंगे ।

अध्यक्ष महोदय, अगला मेरा प्रश्न है कि बडोपाल के नम्बर छः डिप्रेशन को क्यों खोला ? क्या इसकी आवश्यकता थी ? अध्यक्ष महोदय, उस डिप्रेशन के खोलने से करीब साठ हजार बीघा जमीन डूब में आ गई। इसके लिए कौन दोषी है, यह भी मेरा प्रश्न है ?

अध्यक्ष महोदय, एक और मेरा प्रश्न है कि वहां पर डूब में आने के कारण और नहर टूटने के कारण कुल कितना नुक-सान हुआ किसानों का ? उसका असेसमेंट आप कब तक कर लेंगे ? जितना नुकसान हुआ उसके किस प्रपोर्शन में, किस हिसाब से आप किसानों को मुआवजा देंगे, उस मुआवजे की आप कब तक घोषणा करेंगे या दे देंगे ?

अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए ।

श्री नाथूसिंह अंतिम प्रश्न है । बूल-डोजर अवेलेबल थे हनुमानगढ़ में, जब वह नहर टूटी, अध्यक्ष महोदय, पास में बुलडोजर थे । किसानों ने 33-34 के बीच में जो नहर टूटी थी उसको ठीक किया । अध्यक्ष महोदय, वह बुलडोलर 24 घण्टे बाद वहां पर पहुंचे । तो ज्योंही नहर टूटी उसके तुरन्त बाद वहां पर बुलडोजर क्यों नही पहुचें । इसके लिये, कौन जिम्मे-वार है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यह सवाल करना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष: अंतिम तो आपने पूछ लिया।

श्री नाथूसिंह : कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि वहां पर एक बहुत बड़े अधिकारी है उनके माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास जो . . .

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, विषयान्तर हो रहे हैं ।

श्री नाथूसिंह : उसके अन्दर साझेदारी है, इसके लिए उनको बचाया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । श्री तिलोकसिंह ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है . . .

श्री अध्यक्ष : कृपया, समाप्त कीजिए।

श्री नाथूसिंह : कि अधिकारियों को सरकार बचा रही है। किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। शर्म की बात यह है कि सरकार ने आज तक उन किसानों के पक्ष में, हित में एक भी शब्द नहीं कहा और सहानुभूति तक नहीं दिखाई। अध्यक्ष महोदय, किसानों की जान और माल का सवाल है। लगभग दस करोड़ का वहां पर नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विरोधी दल के नेताओं और उस क्षेत्र के माननीय विधायकों को साथ लेकर उस क्षेत्र का निरीक्षण स्वयं करेगी और किसानों को मुआवजा देने की घोषणा करेगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोकसिंह !

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, घग्घर डाइवर्शन चैनल टूटने के बारे में सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव मैंने रखा था। दो बार आसन की ओर से मुझे यकीन दिलाया गया कि आपका प्रस्ताव सरकार को जानकारी के लिये दिया है। सरकार दस दिन तक तो नींद में सोती रही और आज मुझे इल्म हुआ कि मेरा प्रस्ताव तो गायब है। यह तमाशे की बात है। उसके बाद घग्घर की चर्चा आई है, घग्घर का सवाल यहां आया है इसलिए मुझे भी इजाजत दी गई है कि मैं बोलूं। यह कितने बड़े अफसोस और दुःख की बात है कि किसान की जिन्दगी खतम हो जावे, किसान की फसल खतम हो जावे और किसान का प्रतिनिधि जो वोट लेकर आया है वह यहां कहे कि मैं हाथ जोड़ता हूं। मैं कहना चाहता हूं साथियों से कि कब तक हाथ जोड़ोगे ? आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजा तब मिलेगा जबकि इस नालायक और निकम्मी सरकार के खिलाफ आप अपनी आवाज उठायेंगे, इस के खिलाफ विद्रोह करोगे तब इसकी नींद हराम होगी।

मैं दो बातें सबसे पहले कहना चाहता हूं जो निहायत काबिले एतराज हैं। पहली यह कि जो सरकार की ओर से, चौधरी परसरामजी, जो सिंचाई मंत्री हैं, की ओर से जो बयान दिया गया है, वह कितना निकम्मा, कितना हल्का है, "कुछ नुकसान हुआ है" अगर एक कारखाने वाले का गोदाम फूक जाय, कारखाना फूक जाय तो यह सरकार घुटनों के बल जाती है, जांच करती है उसको मुआवजा देती है। 100 में से 90 किसान जो इस सरकार को रोटी नहीं जिन्दगी देता है, अगर वह किसान इस सरकार के खिलाफ हाथ उठा दे तो दो मिनट में सरकार मर जायगी; खतम हो जायगी। यह ऐसी हालत है इस सरकार की, इस सरकार का सिंचाई वजीर कहता है, "कुछ नुकसान हुआ है"। कितने मजे की बात है। दूसरा, जिन लोगों ने नहर को तोड़ा है, जिन लोगों पर नहर को तोड़ने का इल्जाम है उनसे जांच करवायी जा रही है। जो नहर पर कर्मचारी तैनात हैं, जिनकी लापरवाही से नहर टूटी है, हम उन्हें बड़ी-बड़ी तनख्वाह देते हैं। चण्डीगढ़ में छः सौ हमारे कर्मचारियों को बैठा रखा है जिनके पास आला और आधुनिक साधन हैं। हिमाचल प्रदेश से पानी चला वायरलैस से वह खबरदार कर सकते थे। यह निकम्मा डिपार्टमेंट, यह

(श्री त्रिलोकसिंह)

निकम्मी सरकार किसान को सावधान करती कि पानी आ रहा है, नहर को सम्भालो तो मुमकिन था नहर को किसान नहीं टूटने देता। यही नहीं, जब उस नाली में पानी आया तो फाटक बंद मिले। यही नहीं, फाटक तो बंद मिले हो, दूसरी नहर के पानी को उसमें डाल दिया गया ताकि और ज्यादा टूट जाय और फसल बरबाद हो जाये, किसान तबाह हो जाय। यही नहीं, वह नहर दो दिन तक टूटती रही, तबाही मचाती रही, हमारी फसल बरबाद होती रही, नहर का कोई भी माला कर्मचारी वहां गया तक नहीं। 24 घन्टे के बाद वहां बुलडोजर जाता है इतने में किसान खून पसीना एक करके, वह नाला बंद कर देते हैं। यह कितने तमाशे की बात है। मैं कहना चाहता हूं, इल्जाम लगाना चाहता हूं, जितने कर्मचारी दोषी हैं, उनको बर्खास्त करो, जेल में रखो, मुकदमा चलाओ, उन्होंने हमारी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया है, यही नहीं, मैंने आज सुना है, कोई ए. ई. एन. जो शराबी है, गंगानगर के कलेक्टर का जवांई है, उसको उस तमाम इल्जाम से अलग रखा जा रहा है। अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सस्पेंड नहीं किया गया। मैं मांग करूंगा कि सबसे पहले उस ए. ई. एन. को, शराबी को गिरफ्तार करके जेल में रखो। उसको जिसने बचाने की कोशिश की है, उसके खिलाफ भी एक्शन लो। यह तमाशा है, यही नहीं, तीन फसल गंगानगर की बरबाद हो गई। राजस्थान की अनाज की मन्डी गंगानगर। हमारी जिंदगी की उम्मीद है, वह राजस्थान को अनाज सप्लाई करता है। वहां पिछली फसल कीड़ा लगने से बरबाद हो गई थी। अभी (नरमें) हमारी नरमें और राई की फसल ओले पड़ने से बरबाद हो गई। अब हमारे गेहूं की फसल को बाढ़ तबाह कर गई और सरकार सोती है, आज तक मजे में। यह हमारा भाई, यह हमारा साथी विधायक जो गंगानगर से आये हैं, जिनके खेत डूब गये, जिनकी जिंदगी डूब गई, वह चुपचाप बैठे हैं। इस निकम्मी सरकार से इस्तकबाल करते हैं, कहते हैं हाथ जोड़ते हैं। मैं कहना चाहूंगा, आज तक हाथ जोड़ा, उसका नतीजा देखा। कहते हैं हरियाणा में किसान को फसल की बरबादी का मुआवजा मिलता है। मैं कहना चाहता हूं हरियाणा की किसान सरकार के बारे में, वह टोपी वाली सरकार है, कोई इकलाबी सरकार नहीं है, पर वहां का किसान हाथ नहीं जोड़ता है। अगर उनकी फसल डूब जाय, फसल जल जाय और मुआवजा नहीं दिया जाय तो सरकार को उठाकर फैंक देते हैं, भजनलाल के जाने के पग दिखेंगे? और आप लोग सरकार को सलाम करते हो। मांग करो, अगर मुआवजा नहीं दिया जाये तो राजस्थान की मौजूदा सरकार बर्खास्त की जाये। मैं उम्मीद करूंगा, मैं अपील करूंगा कि उसकी अगुवाई गंगानगर का नुमाइन्दा करे। गंगानगर के किसान ने इसलिये वोट नहीं दिया था कि आप यहां खाली इस्तकबाल करके, सलाम करके, हाथ जोड़ कर अपने फर्ज को पूरा करना चाहते हो। यह सवाल गंगानगर का नहीं, राजस्थान के किसानों का सवाल है। कभी गंगानगर में फसल भाखड़ा की नहर टूटने से तबाह हो जाती है तो कभी बिजली बंद करके राजस्थान की उस फसल को बरबाद कर देते हैं और यह वजीर, यह मंत्री यों बैठे रहते हैं जैसे

(श्री त्रिलोक सिंह)

इनका कोई दायित्व ही नहीं हो । यह तो मेरी समझ में आता है कि 35 साल की यह बीमार सरकार, 35 साल की यह निकम्मी सरकार, वह तो इसी हालत में है पर आप लोगों को तो लोगों ने भेजा है, आप लोगों को तो इसलिये भेजा है आप लोगों के हकों की हिफाजत करोगे, लोगों के साथ न्याय कराओगे । अगर यह सरकार न्याय नहीं करे तो इसको उठाकर फेंक दोगे, अगर 90%....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी समय हो गया, आपने बात कह दी ।

श्री त्रिलोक सिंह : यह मसला ही ऐसा है । मेरा प्रस्ताव था ।

श्री अध्यक्ष : आपने कह दिया तथ्य कह-दिये आपने ।

श्री त्रिलोक सिंह : नहीं, आपने खो दिया होगा । भले ही मेरा प्रस्ताव गुमा दिया होगा, कहीं छिपा दिया होगा, पर मेरी जिन्दगी से, मेरे भारत की जिन्दगी से ताल्लुक रखता है, इसलिए मुझे कहना पड़ता है । गंगानगर के किसान का जो दस करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है, ऑल पार्टी इनका कमीशन मुकर्रर किया जाय, विधायकों की ओर से जांच करें । जितना नुकसान हुआ है उतना मुआवजा दिया जाये - एक बात ।

दूसरा, यह सरकार वहां तक नहीं जाती । यह तमाशा देखने रोज जाती है। लालाजी की दुकान खुलती है, उद्घाटन करने जाते हैं, शादियों में ये जाते हैं । ये शादियों में ही नहीं, मृत्यु भोज में शरीक होते हैं । यहां शादियों में मैंने देखा है, जहां लाखों रुपयों में लड़के-लड़कियों को खरीदा जाता है बहा जाते हैं । क्या वजह है ...

श्री महेन्द्रसिंह : आप क्या लेने गये थे, वहां ?

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं, बैठ जायं ।

श्री त्रिलोक सिंह : क्या वजह है, गंगानगर जाकर मौके पर जांच नहीं करे ? यह इनका दोष नहीं है, टाइम ही ऐसा है। इस वक्त ऐसा ही दिमाग हो जाता है इनका । इनका दोष नहीं है, × × ×

तो ऐसी हालत में, मैं कहना चाहूंगा, यह किसान की जिन्दगी का सवाल है । गंगानगर के किसान की फसल की तबाही की जांच हो । उनको मुआवजा दिया जाये । दोषी अधिकारियों को बर्खास्त किया जाय ; जेलों में रखा जाय और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री जीवराज सिंह ।

श्री जीवराजसिंह राठौड़ (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस घग्घर बाढ़ से प्रभावित होने वाला क्षेत्र अधिकतर मेरे क्षेत्र में आता है इसलिये इस संबंध में जो मुद्दे सामने आये हैं उनको सदन के समक्ष रखना उचित समझता हूं ।

श्री अध्यक्ष: थोड़ा जोर से बोलें, माननीय सदस्य ।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री जोवराजसिंह राठौड : दिनांक 31-1-83 को घग्घर चैनल में पंजाब और हरियाणा में बरसात होने की वजह से अचानक पानी आया। इसकी पूर्व सूचना दिनांक 29-1-83 को विभागीय अधिकारियों को मिल चुकी थी लेकिन न जाने किन कारणों से इसकी सूचना किसानों तक नहीं पहुंची, क्यों कानों में तेल डाले बैठे रहे। एकदम पानी का बहाव बढ़ा। नहर के गेट बन्द थे, नहर शेरेका और मसानी दोनों गांवों के पास दोनों तरफ से टूट गई और पानी नाली बैड में बहना शुरु हो गया। प्रातः काल टूटी नहर को किसानों ने देखा तब तहसीलदार टी. बी. को सूचना दी। तहसीलदार ने उप-जिलाधीश, हनुमानगढ़ और जिलाधीश, गंगानगर को सूचना दी। इसके कुछ देर बाद वे अधिकारी वहां पहुंचे और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी वहां पहुंचे। पानी इतनी अधिक मात्रा में था कि वे वहां जाकर पानी को देखते ही बौखला गये और उन्होंने नाली बैड का फाटक खोल दिया। टी. बी. से लेकर सूरतगढ़ के बीच 60-70 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। उसमें बहुत मात्रा में फसल चावल, गेहूं, चना और सरसों की खड़ी थी। इस फसल को पानी के बहाव ने तबाह कर दिया। यह अधिकारियों की लापरवाही और बौखलाहट की वजह से होना मैं मानता हूं। नाली बैड में नुकसान हो जाता, यहीं तक सीमित रखते तो भी ठीक था। बाद में अधिकारियों ने टूटी नहर को बान्धा और नाली बैड के फाटकों को बन्द किया। घग्घर चैनल के पानी को इक्ट्ठा करने के लिये जो डिप्रेशन्स बने हुए हैं उनकी कच्छी के ऊपर हजारों एकड़ भूमि में किसानों ने काश्त की हुई थी। उस लेवल के ऊपर तक पानी चढ़ा कर डिप्रेशन्स की कच्छियों पर खड़ी हुई फसल को बरबाद किया। अध्यक्ष महोदय, अन्त में पानी इतनी अधिक मात्रा में आ गया था कि डिप्रेशन्स के फटने का खतरा हो गया। इसकी सूचना मैंने क्षेत्र में घूम कर माननीय सिंचाई मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को टेलीग्राम से दी, टेलीफोन किये कि स्थिति विकट है, इसका अवलोकन करने के लिये किसी को भेजा जाय लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। सरकार में भागीदार एक मंत्री जी दिनांक 9-2-83 को जब जैसलमेर घूमने के लिये जा रहे थे तब सूरतगढ़ में तीन घंटे के लिये उन्होंने हाल्ट किया। उस समय भी उस नालीबैड के एरिया में भयंकर तबाही और हाहाकार मचा हुआ था। लोगों ने टीबों पर घुमक्कड़ लोगों की तरह अपना सामान डाल रखा था, बच्चों को बैठा रखा था। कपास और नरमें के ढेर टीबों पर लगा रखे थे, भयंकर तबाही हो रही थी लेकिन इन मंत्रीजी ने यहां तक नहीं सोचा कि इस तरह की बात यहां सुनते में आई है कि बाढ़ इतना विकट रूप लिए हुए है। वह 3 घंटे सूरतगढ़ में राजस्थान के स्टेट प्लेन से आकर रुके और वहां से जैसलमेर उड़ गये। यह हमारी सरकार के लिये शर्म की बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मंत्री कौन थे, उनका नाम बताइये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : व्यक्ति का नाम छुपाते क्यों हो ? नाम बताना बहुत आवश्यक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नाम बता दो, आपको कौन से मंत्रीमण्डल से हटा देंगे।

श्री जोवराजसिंह राठौड : वह ?

(जीवराजसिंह राठौड़)
तारीख को गये थे और वह माननीय श्री रामजी गोटेवाला थे ।

एक माननीय सदस्य : वह तो स्पीकर ने उनको पहले ही सर्टिफिकेट दे रखा है घोटाले वाला ।

श्री जीवराजसिंह राठौड़ : चाहिये तो यह था, जैसा माननीय नाथूसिंह जी ने कहा कि 1962 में इसी तरह की बेमोसम बरसात हुई थी और बाढ़ का पानी आया था उस समय माननीय सुखाड़िया जी ने मंत्रिमण्डल और विरोधी दल के कुछ सदस्यों को निरीक्षण के लिये भेजा था उसी प्रकार अब भी भेजते, लेकिन बार बार कहने, तार देने और किसानों के बार बार चिल्लाने पर भी किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पर नहीं भेजा गया । अभी भी इस मसले को मामूली नहीं मानना चाहिये । वहां के 18-20 गांव डिप्रेशन की वजह से बारूद के ढेर पर बैठे हैं । इस तरह की हालत उनकी है कि डिप्रेशन का पानी कभी जरूरत से ज्यादा आ जायेगा तो सूरतगढ़ से लेकर पाकिस्तान तक एक-एक शहर और गांव का नामोनिशान मिट जायेगा । इसलिये इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिये और सरकार को ध्यान देना चाहिये । जो क्षति किसानों की हुई है उसका मुआवजा हर हालत में किसानों को देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम ।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज तकरीबन एक महीना होने जा रहा है, आपने किसानों के लिये क्या किया ? उनकी आपने बात तक नहीं उठाई । उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं वहां पर पधारते, मंत्री महोदय या मंत्रिमण्डल के कोई सदस्य पधारते तो मैं सच बताता हूं कि देखकर आंखों में आंसू आ जाते, इस कदर किसानों की बुरी हालत हुई है । चाहे किसी भी पार्टी के सदस्य हों, हाउस में बैठकर हम यही कहते हैं कि किसानों की भलाई करते हैं लेकिन वास्तविकता आपके सामने है । करोड़ों की फसल किसानों की पकी-पकाई चली गई और हमारे कानों पर जूं नहीं रेंगी यह बड़े दुःख की बात है ।

मैं एक बात की जानकारी आपको देना चाहूंगा । घग्घर का जो बांध आपने बनाया उसकी क्या कैपेसिटी है यह नहीं बताई । दुर्भाग्य की बात है कि आर. डी. 42 पर जो गेट लगे हुए थे वे विभाग द्वारा अनधिकृत मोगों में पानी चलाने के लिए बन्द किए हुए थे जिसके कारण नहर 31-1-83 को रात्रि में मसानी गांव और लेरेका गांव, दोनों गांवों की तरफ से टूट गई ।

श्री अध्यक्ष : आप भी गये नहीं वहां, ऐसा मालूम होता है ।

श्री राधेश्याम : मैं वहां गया था । नहर टूट गई । मसानी गांव में रहने वालों ने 1-2-83को इत्तला दी, जिस पर तहसीलदार (राजस्व), टीबी, पुलिस स्टेशन से हनुमानगढ़, एस. डी. एम, अति. पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़, अपर पुलिस

Page No 77

(77)

(श्री राधेश्याम)
अधीक्षक, सांगरिया को लेकर 1-2-83 को सुबह 6 से 9 बजे तक साइड पर पहुंच गये। आर. डी. 42 पर जो गेट बन्द थे उनको मसानी गांववासियों ने 1-2-83 को सुबह 6 बजे जाकर उठाया।

श्री भगवानदास शास्त्री : इस प्रकार पढ़ कर बोलने की तो लोक सभा में छूट दी जाती है। विधान सभा में कोई इस तरह का स्टेटमेंट पढ़ा नहीं जाता।

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम : पी. एच. ई. डी. का कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा और...

श्री सम्पतराम (खैरथल) : ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य को किसी ने लिखकर दिया है, तथ्यों की जानकारी नहीं है और वे पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह तो मेरा भी ख्याल था लेकिन उन्होंने कहा कि वे जाकर आये हैं।

श्री राधेश्याम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं गया था लेकिन कुछ टैक्निकल बातें ऐसी हैं जिनकी जानकारी देना जरूरी था। मैं आपके सामने, हाउस के सामने निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा है, हमारी सरकार में जो भी मंत्री महोदय बैठे हुए हैं राजस्थान में कहीं भी कोई घटना हो जाती है तो सरकार उस समय फौरन पहुंच जाती है। लेकिन हमारे गंगानगर जिले के अन्दर 11 विधायक कांग्रेस के हैं, प्रधान, प्रमुख, एम. पी. और यहां तक कि राज्य सभा के मेम्बर हैं; हमारे चिल्लाने से, प्रार्थना करने से, मंत्रीमण्डल के एक भी सदस्य यहां पर नहीं पधारे। हमारी जितनी क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं हाउस से कि हमारे इलाके से सम्बन्धित जो लोग नहीं हैं उन्होंने आज जो कुछ यहां पर कहा है, वह हमारे लिये बड़े गौरव की बात है। उन्होंने हमारे दर्द में हिस्सा बंटाया है, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन इसके साथ-साथ मैं मंत्रीमण्डल और सरकार से यह जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या बात है, ऐसे क्या कारण हैं जिन कारणों की वजह से हमारे इलाके की जनता, लाखों-हजारों की तादाद में आपके दरवाजे पर 15 दिन से भटक रही है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आपने अभी तक मुआवजे के लिये एक शब्द नहीं कहा है। आपने कहा, गिरदावरी करवायेंगे। परन्तु लोग आज वहां पर टीले के ऊपर बैठे हुए हैं। बीमारी फैलने का डर है। आप वहां जाकर आंखों से देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जायेंगे कि किस तरह किसानों के साथ ज्यादती हुई हैं। इस तरह का चित्र है। इस तरह का स्टेटमेन्ट दे देना, जैसा अधिकारियों ने तैयार कर के दे दिया और आपने यहां पर पढ़ दिया और जैसा माननीय सदस्य मेरे लिये कह रहे थे मैं लिखा हुआ पढ़ रहा हूं, यह बिलकुल गलत है। मौके पर जाना चाहिये, देखना चाहिये और स्थिति को देख कर ही सदन के सामने अपनी राय रखनी चाहिये इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आप जो स्टेटमेन्ट दें उसमें यह घोषणा करें कि मुआवजा कब देने जा

(श्री राधेश्याम)

रहे हैं और कितना दे रहे हैं। और उनको बसाने की आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। आप वहां पर किसान 80/80 फीट के टीबे पर बैठे हैं। उनके लिये वहां पर क्या इन्तजाम कर रहे हैं। इन सारी बातों को देखते हुए मैं गवर्नमेन्ट से प्रार्थना करूंगा कि गंगानगर जिले का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, खास करके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को क्षति हुई है जिसको पूर्ति होना संभव नहीं है। मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि मंत्री महोदय मुआवजे की घोषणा करें तो फिर भी कुछ न कुछ हमारे हाथ में रहेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानसिंह।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अपना एक सरकारी वक्तव्य सदन में पढ़ कर सुनाया। मुझसे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने मौके के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, भावनाओं के आधार पर अपनी बात रखी। जहां तक मंत्री जी के वक्तव्य का प्रश्न है, उन्होंने कुछ तथ्यों से परे होकर के, यह स्टेटमेंन्ट दिया है। अगर मंत्री जी मौके पर जाते और उसके बाद हाउस में, स्टेटमेन्ट दे देते तो आज इस स्टटमेंट की स्थिति दूसरी होती। जो आंकड़े, वस्तुस्थिति, घटना अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा तैयार की गयी है, वही सदन में प्रस्तुत की गयी है। उन अधिकारियों का इस मामले के अन्दर बहुत बड़ा हाथ है, वे इस बात के लिए गुनहगार हैं। मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में इस बात को माना है कि हमारे अधिकारियों की गलती है वैसे उन पर कार्यवाही करने जा रहे हैं। जहां तक सूचना का प्रश्न था, अध्यक्ष महोदय, 29 तारीख को कानोरी से घग्घर में फ्लड आनेकी अधिकारियों के पास सूचना पहुंच गयी थी। तो फिर मैं कोई कारण नहीं मानता कि 31 तारीख की रात को यहां फाटक नहीं खोले जाये। वहां पर अधिकारी मौजूद नहीं थे और किसी प्रकार से जनता को इस बात की वार्निंग नहीं दी गई कि बरसात की वजह से या किसी वजह से बाढ़ आने वाली है। इससे स्पष्ट है कि इस मामले के अन्दर वहां के अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे सुनने में आया है कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि या तो इसमें किसी की गलती है नहीं, और अगर है तो सब से बड़े अधिकारी की इसमें गलती है। जहां एक तरफ करोड़ों रुपयों की फसल का नुकसान हो जाय, दूसरी तरफ सब से बड़ा अधिकारी घूमता रहे इससे ज्यादा प्रशासनिक अकर्मण्यता और लज्जा की बात और नहीं हो सकती और इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात नहीं हो सकती, जहां तक नुकसान का मसला है करीबन 20 हजार एकड़ जमीन, जो 70 मील के फासले पर है, में फसल का नुकसान हुआ है इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके दौरान कट नम्बर चार और छः को तोड़ा गया। इससे हजारों रुपयों का नुकसान हुआ है। कट नम्बर चार पर जब इरिगेशन कमिश्नर और कलेक्टर साहब मौके पर गये थे तब इरिगेशन कमिश्नर साहब ने यह कहा था कि इस बांध को नहीं तोड़ा जाये, इससे किसानों का नुकसान होगा, लेकिन 7 तारीख को वहां के सिंचाई अधिकारियों ने उस कट नं. चार को तोड़ा। इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस समय इस पर 1500

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

क्यूसेक पानी चल रहा था और सूरतगढ़ बांध की कैपेसिटी 1700/1800 क्यूसेक्स की है। यह क्यों तोड़ा गया, मैं इस बारे में जानकारी देना चाहता हूं। कट नं. चार और छः पर 31-12-1981 तक 70 लाख रुपया खर्च होना बताया गया है। इसकी काफी शिकायतें थीं, और जनता में भी रोष था इसलिये इस बांध को जान बूझकर तोड़ा गया ताकि उनके घोटाले की आंच न हो सके। इससे बड़े शर्म की बात हमारी सरकार के लिये क्या हो सकती है। यह बहुत लज्जाजनक बात है। इरिगेशन कमिश्नर ने इसको नहीं तोड़ने के लिये कहा था, लेकिन 7 तारीख को इसको तोड़ दिया गया और 8 तारीख को नम्बर 6 के बांध को तोड़ कर एक बहुत बड़े घोटाले को बचाने की तजवीज की गयी है। यह बहुत बड़ी साजिश है।

यह जनता के खिलाफ षड्यंत्र है। जहां तक और मसलों का प्रश्न है, यह गेट जो बंद थे इस सम्बन्ध में किसानों ने जो जानकारी दी है, वह यह है कि इनको बंद रखने के लिये अधिकारियों को कई हजार रुपयों की मासिक रिश्वत मिलती थी। घग्घर का पानी वे एक नाजायज जमीन को दे रहे थे। इस नाजायज जमीन को पानी नहीं देते तो वहां पर गेट बंद नहीं होते। गेट बंद इसीलिये रखे गये कि नाजायज भूमि को पानी मिल सके। गेट बंद नहीं होते तो आज करोड़ों रुपयों की फसल तबाह नहीं होती। यह घोटाला हमारे सामने है। हमारी सरकार ने क्यों नहीं एक महीने तक इस पर कार्यवाही की। यह सरकार की गलती है। आज तक गिरदावरी का मसला चल रहा है निश्चित रूप से सरकार का कोई मंत्री वहां पर जाता, हमारे मुख्य मंत्रीजी जाते और जाकर के कम से कम वहां के किसानों को इस बात का विश्वास दिलाते कि आपके दुख के साथ-साथ हमारी सरकार चिन्तित है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहती है तो कुछ संतोष होता, लेकिन एक महीने तक किसी मंत्री ने और मुख्य मंत्री ने वहां का दौरा नहीं किया। लोग बुरी तरह से तड़फ रहे हैं। लोग यह सोचने को मजबूर हो गये हैं कि यह हमारी सरकार नहीं है सरकार हमको सहायता नहीं देना चाहती है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन सरकारी आकड़ों के प्रस्तुत करने से, उनके आंसू पूछने से वहां के किसानों का भला नहीं होने वाला है। कानून में कमी हो सकती है। यह इतनी बड़ी क्षति यदि किसी प्राकृतिक विपदा से होती तो हमें सन्तोष होता लेकिन यह तबाही आफिसरों की वजह से, कर्मचारियों की गलती से हुई है। करोड़ों रुपयों की फसल की हानि हुई है किसान उसको बैठा हुआ नहीं देख सकता। हमारे गंगानगर के चुने हुए प्रतिनिधि इस बात को नहीं देख सकते और इसको नजरअन्दाज नहीं कर सकते, इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को निश्चित रूप से कोई मापदंड बना कर के मुआवजे की घोषणा करनी चाहिये जिससे किसानों को राहत मिल सके। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपये की फसल का नुकसान करने के लिये जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करनी चाहिये जिससे इस बात का प्रशासन को उदाहरण मिल सके कि जनता के साथ खिलवाड़ करने से

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सरकार जागरूक है और वहां के चुने हुए प्रतिनिधि भी जागरूक हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप भी सरकार पर दबाव डालें ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके। उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो जिन्होंने इस मामले में लापरवाही बरती है। मंत्री महोदय ने बताया कि 1-2-1983 को रात के 11 बजे मसानी में बांध टूटा है, यह बात बिल्कुल गलत है। मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि यह झूठ है। 11 बजे तक कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा था, यह कलेक्टर ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है। बांध टूटने के चौबीस घंटे के बाद वहां पर बुलडोजर पहुंचे। फिर कौनसा ऐसा मन्त्र था जिससे 1-2-1983 को 11 बजे पानी रोक दिया गया। इस प्रकार तथ्यों से परे, यहां पर बात कही गयी है। यह बात गुमराह करने के लिये कही गयी है। इसमें मैं मंत्रीजी का दोष मान कर नहीं चलता। मंत्रीजी इस घटना से परे थे। सरकारी अधिकारियों ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह उन्होंने सदन के सामने रख कर सदन को गुमराह किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी विश्वास के साथ निवेदन करूंगा कि जो सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण गलती हुई है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले ताकि किसान जो कि हैविलिटेट होने की स्थिति में है, को मदद मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री आत्माराम।

जयहिन्द।

(अनुपस्थित)

श्री शिवराम शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : असंतुष्ट विधायकों के विधायक दल के नेता।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारी सरकार को दाद देता हूं कि और उसका आभारी हूं कि चाहे कोई छोटी-मोटी घट कुछ भी हो, चाहे घना पक्षी विहार का कांड हो, चाहे महादेव सिंह काण्ड हो, चाहे राजस्थान हाउस के मैनेजर को हटाने की बात हो, हमारे कोई न कोई मंत्री तपाक से खड़े होकर कह देते हैं कि आज शाम तक यह कार्यवाही हो जायेगी, यह निर्देश दे दिये गये हैं या एक फालतू डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार के पास में है रेवेन्यू मंडल इसके किसी वरिष्ठ सदस्य से जांच करा ली जायेगी। जहां तक मैं देख रहा हूं यह आश्वासन, यह राजस्व मंडल के मैम्बर से जांच कराने के वायदे सुन-सुन कर थक चुके हैं। आश्वाशन देने से पहले सरकार यह सोचे, मंत्री जी यह सोचे कि घग्घर कैनाल जो टूटी है उससे जो नुकसान हुआ है, उस मामले में भी आप वैसा ही कोई आश्वासन न दें दें कि राजस्व बोर्ड के सचिव से जांच करा लेंगे या कोई निर्देश दे दिये हों। जैसे आश्वासन दे दिया राजस्थान हाऊस का मैनेजर आज शाम तक हट जायेगा, किन्तु नहीं हटा वह छः महिनों तक। इसलिये मेरा निवेदन तो यह था जो कोई बात कहें, ठोस कहें। बात उतनी ही कहें जितनी की कार्यवाही हो सकती है, हम उतने में ही संतोष कर लेंगे। लेकिन बढ़-बढ़ कर बात कह देवें, वह

(श्री भैरूंसिंह गुजर)

वारों में छप जाये, ग्राम जनता को जिन बातों का पता चले उस पर कार्यवाही न हो तो यह हमारे लिये, हमारी सरकार के लिये, सभी के लिये शर्म की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, ग्राप यह जो जांच कराते हैं, मंत्री जी अगर किसी प्रकार की जांच करवाते हैं किसी मामले में तो उसमें अधिकारियों का दोष होता है और अधिकारियों से ही जांच करवा दी जाती है। अधिकारियों की हम शिकायत करते रहते हैं क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। मैं मना नहीं करता कि आप अधिकारियों से जांच नहीं करवायें, आप अधिकारियों से जांच जरूर करायें लेकिन एक कमेटी बना दें उसमें जितने अधिकारी हों उतने ही जनता के प्रतिनिधि भी हों, दोनों ही मिलकर, मौके पर जाकर वह कमेटी जांच करे। जनता का दुःख तो जनता का प्रतिनिधि जानता है। अगर अधिकारियों से ही जांच करानी होती, मंत्री महोदय, तो यह करोड़ों रुपये वोटों में बिगाड़ने की क्या आवश्यकता थी, क्यों वोट लेकर एम. एल. ए., एम. पी. और मंत्री यहां पर आते हैं? वह केवल इसलिये आते हैं कि जनता के दुःख दर्द की बात को अधिकारी नहीं सुन सकते, उनको जनता का और गांवों का ज्ञान नहीं होता है। तो करोड़ों, अरबों रुपये खर्च करके चुनाव करवाये जाते है, ताकि जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के सामने सीधे बात कह सके। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर निर्वाचित प्रतिनिधि यह कह दे कि यह जांच अधिकारी करेगा तो फिर यह वोट लेने से, और जनता के पास जाकर गांव-गांव जीप लेकर घुमते हुए वोट लेते हैं उससे क्या फायदा? इसलिये मेरा तो आपसे निवेदन है कि जन प्रतिनिधियों का आप समुचित उपयोग करें।

इस मामले के अन्दर जब गंगानगर के 11 में से 9 विधायकों को इस बात की जानकारी हो गई कि एक अधिकारी को सुपरिन्टेन्ट इंजीनियर के रूप में घग्घर चैनल पर लगाया जा रहा है, उस अधिकारी के खिलाफ कई जांच और शिकायतें चल रही हैं तब, माननीय अध्यक्ष जी, 11 में से 9 विधायकों ने यह लिख कर दिया है कि इस अधिकारी के खिलाफ पहले ही जांच चल रही है इस अधिकारी को घग्घर चैनल पर नहीं लगाया जाय आप देखिये 9 के 9 सदस्य सत्तारूढ दल के और सत्तारूढ दल के ही मंत्रीजी हैं फिर भी वह आदेश हो जाता है। वह अधिकारी वहां लग गया जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गयी। अगर उन 9 विधायकों का कहना पहले मान लिया जाता, पहले उन जन-प्रतिनिधियों की बात सुन ली जाती उनको महत्व दिया जाता तो मेरे ख्याल से आज इतना बड़ा काण्ड नहीं होता।

माननीय अध्यक्षजी, इसके बाद मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सिंचाई विभाग के जो सचिव हैं, श्री रमणीजी, वे मौके पर गये थे उन्होंने मौके का मुआयना किया। मौके का मुआयना करने के बाद उन्होंने कट नं. 4 तोड़ने के लिये मना कर दिया। वहीं पर उन्होंने सुपरिन्टेंडेंट इंजीनियर को आदेश दिया कि कट नं. 4 को नहीं तोड़ा जाय लेकिन कट नम्बर 4 तोड़ना इसलिए जरूरी हो गया था कि नम्बर 4 जब बनाया गया था, इसको एक कट नम्बर 6 और था, जबसे बनाये गये थे तो इनके ऊपर कम से कम 70 लाख रुपये खर्च हुये थे। उस 70 लाख का क्या हुआ? उसका सुपरिन्टेंडेंट इंजीनियर और अन्य अधिकारियों को यह भय हो गया

Page No 82

(८२)

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

कि अगर यह नहीं तोड़े गये तो कोई भी कमेटी जांच करने आ सकती है, न्यायिक जांच हो सकती है और इसके अन्दर जो घोटाले हुए हैं अधिकारियों ने जो घोटाले किये हैं वे पकड़ में आ सकते हैं। इसलिये, सिंचाई सचिव के आदेश की अवहेलना करके कट नम्बर 4 और कट नम्बर 6 तुड़वा दिये गये इसके कारण हजारों एकड़ भूमि में जो फसल थी, पकी हुई फसल थी जिसका लाखों करोड़ों में हो अनुमान लगा सकते हैं उसका नुकसान हो गया है। मैं तो कह रहा हूं माननीय मंत्री महोदय, अगर आप हमारी बातों पर विश्वास करते हैं, अगर आप हमें विश्वास में लेकर चलते हैं तो आपको आज यह घोषणा कर देनी चाहिए कि संबंधित अधिकारियों को आज ही निलम्बित कर दिया जायेगा। मैं दाद दूंगा श्री दिनेश राय जी डांगी ने गोकलेन्द्र जी शर्मा के घोटालों पर विधान सभा में खड़े होकर तुरन्त कह दिया कि उन्हें निलम्बित करने के आदेश दे दिये गये हैं। दोषी अधिकारियों को बचाने में मत लगो जो अच्छे अधिकारी हैं उनको आप पुरस्कार दो लेकिन जो भ्रष्ट हैं, वास्तव में चोर हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने की इसी विधान सभा में घोषणा करें ताकि आपकी वाहवाही हो और आपके साथ हमारी भी वाहवाही हो।

श्री नाथु सिंह : उसी तरह कर दें जैसे राजस्थान हाउस के मैनेजर को हटाने की घोषणा की थी कि उनको हटा रहे हैं। आज तक नहीं हटे। यह ऐसी ही चलती है इनकी सरकार में।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य। समय काफी हो गया है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा, कि मुझे मंत्री महोदय यह बता दें, क्या यह सही है कि 7-2-83 को ओटू हैड पर 1600 क्यूसेक पानी निकल रहा था? नम्बर 2 क्या सुरतगढ़ शाखा 1700-1800 क्यूसेक पानी रखने की क्षमता रखती है? अगर यह क्षमता रखती है, तो वहां जो पानी निकल रहा था उसको क्यों निकलने दिया गया? उसके लिये क्या कार्यवाही की? डिप्रेशन में जब पानी घटना शुरू हो गया उसके बाद नम्बर 4 और 6 क्यों तोड़े गये? इन दोनों बातों का आप स्पष्टीकरण दे दें, हमें यह बता दें कि वह कट नम्बर 4 व 6 क्यों तोड़े गये? क्या यह सही था कि उनके ऊपर 70 लाख रू. की राशि खर्च हुयी थी उसमें घोटाले हुए थे, जिसके शायद जांच करवाने की भी शंका रखती है, इसी कारण से कट नम्बर 4 व 6 को तोड़े गये? यदि यह सही हैं, मंत्री महोदय, तो फिर, इस पर आप कार्यवाही करेंगे?

नम्बर तीन, 31-1-83 को जब यह सारी घटनायें हो रही थीं, यह मामला हो गया था उस समय आपके विभाग के अधिकारी कहां थे? क्या यह सही है कि वें जैसलमेर में थे? शराब के नशे में धुत थे गोड़ावण का शिकार कर रहे थे। विधान सभा की सम्मानित याचिका समिति जब जैसलमेर गयी थी तो नशे में धुत अधिकारी उस को मिले थे, याचिका समिति इस बात की गवाही दे सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी बड़ी घटनाएं हो जायं

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं,

(श्री अध्यक्ष)
विषय से हट रहे हैं, माननीय सदस्य। कृपया समाप्त कीजिये।

श्री नाथू सिंह : उसको नहीं हटा सकते चीफ मिनिस्टर के लड़के के साथ उनकी पार्टनरशिप है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष जी, क्या यह सही है कि 27 व 28 जनवरी को उत्तरी भारत में बरसात की सूचना विभाग को प्राप्त हो गयी थी नम्बर एक 29-1-83 को कानोर से 4000 क्यूसेक पानी घग्घर से आने की सूचना हनुमानगढ़ बाढ नियंत्रण विभाग में मिल गयी थी या नहीं मिली थी? मिली तो कब मिली थी? तो इस सूचना पर ध्यान दिया गया या नहीं दिया गया? 31 जनवरी, 1985 को

श्री अध्यक्ष : यह सब तथ्य पहले ही लिखित में पढ़ दिये गये हैं मेरे खयाल से एक किसी माननीय सदस्य ने

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अन्त में एक सवाल और है मंत्रीजी, कृपा करके यह मानस बना लिया है या नहीं बनाया है कि आज भी वैसी ही घोषणा करेंगे जैसी पहले की है या आप कोई फिर ऐसी घोषणा करेंगे जिससे ताली बजाकर मेजें थपथपा कर आपका स्वागत किया जाय। यह मुख्य मुद्दा है। आप घोषणा करते वक्त यह नहीं सोचें कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर से जांच कराऊंगा या उससे कराऊंगा, आप स्पष्ट घोषणा कर दें ताकि न्याय मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी। कृपया समय का ध्यान रखें। नई बात हो तो फर्मायें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : समय की तलवार नहीं लटकायें, अध्यक्ष महोदय, मैं इस समस्या के मूल में जाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नई बात कहेंगे तो समय का प्रश्न नहीं है। लेकिन वही बातें दोहराने से कोई फायदा नहीं होगा।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह सिंचाई विभाग का 82-83 का प्रगति प्रतिवेदन है। इसका एक ही पैराग्राफ पढ़ लीजिये, अध्यक्ष महोदय। "घग्घर बाढ़ नियन्त्रण योजना के लिये वर्ष 82-83 में 70.00 लाख रु. का प्रावधान है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य घग्घर बहाव पर 59,000 भूमि को बाढ़ से बचाकर पानी को डिप्रेशनों में डालने का था, इससे काफी भूमि लाभान्वित हुई है।...."

श्री अध्यक्ष : बात ठीक कही आपने।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस प्रकार से घग्घर चैनल की एक योजना बनाई लेकिन वहां पानी चारों तरफ फैलता है, किसानों के खेतों में जाता है और खेतों को बरबाद करता है। अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपये इन्होंने घग्घर चैनल को बनाने में लगाये, अध्यक्ष महोदय, एक तरफ मंत्री महोदय ने फरमाया कि 31 तारीख की जिस रात को नहर टूटी थी, उस समय 42 आर. डी. पर 7 हजार क्यूसेक्स पानी चल रहा था। (अध्यक्ष

(श्री दर्वीसिंह भाटी)

महोदय, एक तरफ जब यह मानते हैं कि घग्घर चैनल की 12 हजार क्यूसेक्स पानी की कैपेसिटी है तब वे यह कैसे मानते हैं कि 7 हजार क्यूसेक्स पानी चलने से नहर टूट गयी, जब नहर क्षमता 12 हजार क्यूसेक्स है, जब आप यह मानते हैं कि नहर से 7 हजार क्यूसेक्स पानी उस दिन चल रहा था तो 5 हजार क्यूसेक्स पानी और आता तो भी वह झेल सकती थी, फिर वह नहर कैसे टूट गई ? परन्तु यह विभाग अपनी गलती नहीं मानेगा अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व में टीबी, तहसीलदार ने घग्घर चैनल के ए. ई.-एन. मिस्टर सरावगी को सूचित किया था कि 31 तारीख को दिन में 2 बजे से इस प्रकार से पानी बढ़ रहा है, पानी को कन्ट्रोल करें, उसके उपरान्त सरावगी ने कतई गौर नहीं किया, अगर वह उस मौके पर चला जाता, राजस्थान नहर विभाग के अधिकारियों से कान्ट्रैक्ट करता तो जो पीछे से पानी राजस्थान कैनाल का घग्घर चैनल में छोड़ा गया था वह रोका जा सकता था ।

(2.10 म. प.)

(श्री देवीदत्त तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

पीछे से जो पानी नेचुरल रूप से फ्लो होकर आ रहा था उसको कन्ट्रोल करके गेट खोल दिये जाते तो यह दर्दनाक, यह दुःखद घटना नहीं होती, मंत्री महोदय, परन्तु अब इसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, आप लाचार हैं, सभापति महोदय, एक तरफ यह मानते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट आ गई थी कि हरियाणा के अन्दर कुछ बारिश हुई, बारिश हुई तो घग्घर चैनल के अन्दर पानी बढ़ा, पानी आया। घग्घर चैनल, कैपेसिटी 18 हजार क्यूसेक्स की है, आगे जाकर ओटू के बाद में 12 हजार क्यूसेक्स की रह जाती है, जब इनको यह पता है कि हरियाणा में बारिश हो चुकी है, चैनल में पानी आ रहा है, पानी चल रहा था तब इन्होंने किस स्थिति में राजस्थान कैनाल का 2 हजार क्यूसेक्स पानी घग्घर चैनल में डाला ? हालांकि मंत्री महोदय ने तो अपनी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार एक हजार क्यूसेक्स माना है परन्तु यह सही है, कैसे भी नोट कर लिया जाये कि 2 हजार क्यूसेक्स पानी राजस्थान कैनाल को एस्केप से घग्घर चैनल में छोड़ा गया, क्यों छोड़ा गया ? इसलिये कि किसी को चिन्ता नहीं थी। राजस्थान कैनाल वालों ने अनूपगढ़ शाखा के लिए पानी मांगा था जिसको कि एक तारीख को चलाना था। पानी की मंदी चल रहा थी। और एक तारीख से अनूप गढ़ शाखा से पानी छोड़ना था परन्तु चूंकि राजस्थान कैनाल के अधिकारी उस पानी को उपयोग में नहीं ले सके, अनूपगढ़ शाखा से पानी छोड़ नहीं सके इसलिए उन्होंने अपनी नहर को बचाने के लिए घग्घर चैनल में 2 हजार क्यूसेक्स पानी छोड़ दिया कुल मिलाकर मंत्री महोदय, बात यह आती है आप मानते हैं कि जिस रात नहर टूटी उस रात 7 हजार क्यूसेक्स पानी उसमें चल रहा था । क्या आप यह नहीं मानते कि 42 आर. डी. के पास जो चैनल बनी हुई है, 12 हजार क्यूसेक्स की उस नहर की कैपेसिटी है ? जब उस नहर की 12 हजार क्यूसेक्स की कैपेसिटी है तो 7 हजार क्यूसेक्स पानी से कैसे टूट सकती है ? किसी भी हालत में नहीं टूट सकती अब इसके कारण आप जान सकते हैं क्योंकि जांच आप करायेंगे, नतीजे आप जानते हैं क्या आयेंगे, सभापति महोदय,

(श्री देवीसिंह भाटी)

जब इनके पास डेली गेजेज आते हैं, ओटू हैड से इनके पास आवरली गेजेज आते हैं कि अभी इतना पानी चल रहा है, इस हैड से इतना पानी छोड़ा गया फिर दूसरे अधिकारी क्या करते रहे ? क्या आपके पास वहां ओवर सीयर नहीं है, क्या आपके पास वहां बेलदार नहीं है क्या आपके पास वहा ए. ई-एन. नहीं है ? आखिर वह स्टाफ क्या कर रहा था ? मुझे यह पता नहीं चल रहा मंत्री महोदय यह स्टेटमेन्ट दे देगें कि हम इसकी गिरदावरी रिपोर्ट लेगें, फलां करेंगे परन्तु आप उस मूल समस्या के ऊपर क्यों नहीं जाते यह किसान बार बार गंगानगर का क्यों मरता है. कभी किसी ने कृपा दृष्टि उस गंगानगर के किसान के ऊपर नहीं की। गंगानगर का किसान सबसे ज्यादा काश्त करता है, मेहनत करता है। गंगानगर का किसान अपने खेत के अन्दर ट्रैक्टर से 2-2, 3-3 बार पाट करता है, वह मंहगा बीज लाता है, खेत के अन्दर खाद डालता है, पेस्टीसाइस डालता है, जिस दिन नहर टूटी उस दिन उसका 80 प्रतिशत खर्चा हो चुका था क्या आप देगें उस खर्चे को ? नहीं, हाथ ऊपर कर दोगे सरकार के पास कुछ नहीं है। आप उत्तर क्या देते हैं कि सरकार ने आज तक किसी को मुआवजा दिया नहीं। चाहे ओले पड़ जायें, चाहे नहर से पानी नहीं मिले, चाहे पानी फालतू आ जायें, बाढ़ की स्थिति बन जाये, लेकिन तब तो सरकार मुआवजा नहीं देगी और झूठी वाहवाही के लूटने के लिए अगर कहीं एक झोपड़ी जल जाय तो तुरन्त घोषणा होती है चीफ मिनिस्टर की तरफ से तुरन्त घोषणा होती है कलेक्टर की तरफ से कि उसको 500 रुपये सहायता के लिए दिये जाते हैं। किस बात के लिए दिये जा रहे हैं झूठी वाहवाही लूटने के लिए ? सभापति महोदय, किसान करोड़ों रुपए रेवेन्यू के रूप में देता है। जो सम्पन्न किसान है वह मेहनत करता है किसी के भरोसे जिन्दा नहीं रहता। पिछली फसल के समय ओले पड़ गये, गेहूं की फसल पिछले साल बरबाद हो गई। वह किसान आज इतना खर्चा करता है आप बतायें, सरकार ने अगर एक पैसा भी दिया हो तो ? सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। उसके बाद, सभापति महोदय, पिछले खरीफ की खड़ी फसल में जब फूल आ गये, फसल पकने को आ गयी, जब उसके अन्दर कपास लगने लगी, चावल तैयार होने लगा, तब कह दिया कि नहरों में पानी नहीं है। मरा कौन ? किसान जिन्दा कौन है ? यह सरकार।

एक माननीय सदस्य : किसानों के हत्यारे है ?

श्री देवीसिंह भाटी : इस खरीफ की फसल की बरबादी होने पर आज तक किसी के खिलाफ न तो कोई एक्शन हुआ, न किसी किसान को कोई राहत दी और आज क्या होगा ? सभापति महोदय, मैं इस्तीफा लिख कर दे सकता हूं, अगर यह सरकार उस इलाके में जो क्षति हुई है उसका सही-सही मुआवजा दे दे तो मुझे कोई गम नहीं मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आप भले ही किसी कांग्रेसी एम. एल. ए. को वहा लाकर बैठा दें, परन्तु उस किसान को नहीं मारें। आज वह लगातार तीन-तीन फसलों से मरा जा रहा है। टीबों के अन्दर जो काश्त करता हैं उसका सिर्फ हल चलता है खेत में बीज डालता है परन्तु वह गंगानगर का किसान जमीन को ट्रैक्टर से पाट करता है, बीजाई, से हल से,

(श्री देवीसिंह भाटी)

मजदूरी में हर तरीके से जमीन को तैयार करता है। 80 प्रतिशत, मंत्री महोदय, उसका आज खर्चा हो चुका है उस खेत के अन्दर उसको आपने क्या दिया है ? समय पर पानी चल नहीं सकता आप दे नहीं सकते ; जब उसकी जरूरत नहीं थी तब आपने चैनल पूरी तुड़वा दी कि लो पानी में डूबो और मरो । सभापति महोदय, यह डिप्रेशन कार्य के लिए बनाये ? इस प्रगति प्रतिवेदन में बड़ी अपनी बातें ठोकते हैं कि घग्घर नदी का फैला क्षेत्र है, इससे किसान को ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ज्यादा नुकसान न हो इसलिए हम इस क्षेत्र को चैनलाइज करने के लिये एक ऐसी योजना बनाते है जिससे किसान भी बच जायेगा और हमारी एक अच्छी योजना भी बन जायगी । योजना क्या बनायी ? घग्घर चैनल बनायी, जिसमें करोड़ों रुपए पहले ही खा चुके हैं जिसकी आज इन्क्वायरी चल रही है। आज एक्स.ई-एन. सचदेवा क्यों सस्पैण्ड है ? क्या हो रहा है, उसका ? खा गया पैसा हो गया सस्पैंड । क्या है कल वापस बहाल हो जायगा। जब घग्घर चैनल बनी उस वक्त यह घोषणा की गयी कि घग्घर चैनल बनने से सारे क्षेत्र के किसानों को नुकसान नहीं होगा और जो डिप्रेशन में फालतू पानी आयेगा, उससे हम टीबों के अन्दर सिंचाई करेंगे । अरे, क्या सिंचाई की है इस सरकार ने ? सूरतगढ़ के आस पास का किशनपुरा, बडोपल, मानकथेड़ी, गांव गिनते जाओ, सारे गांव बरबाद हो गये । किसानों के मकान धराशायी हो गये, खेतों में आज अन्न का एक दाना उग नहीं सकता, जब मुआवजा देने की बात आती है, तो सभापति महोदय, मुआवजा हमारे पास है नहीं, जवाब मिलता है कि हम जांच करवा रहे हैं, हम सर्वे करवा रहे है। जब कहीं भी आन्दोलन होता है, जब सरकार देखती है कि उग्र आन्दोलन फैल रहा है उस वक्त यह कहती है कि नेतागण आ जायें, हमारे से बातचीत कर लें, हम समझौता कर लेते हैं, उस वक्त तो यह आश्वासन देते हैं कि डिप्रेशन नम्बर 5 और 6 में पानी नहीं छोड़ेंगे आप अपनी काश्त करिये क्योंकि हमने आपको मुआवजा या दूसरी जमीन नहीं दी है, इस भरोसे पर बेचारा किसान फिर मारा जाता है, इस झूठ आश्वासन पर फिर मारा जाता है। उसने वहां काश्त की और इन्होंने अपनी लापरवाही की वजह से फिर वहां पानी छुड़वाया। आज उन दोनों डिप्रेशनों के अन्दर उसकी फसलें बरबाद हो गयीं, आखिर यह करोड़ों रुपया, मंत्री महोदय, किसका खर्च हुआ है, उस गरीब किसान का, राजस्थान प्रदेश की जनता का खर्च हुआ है परन्तु हल कुछ नहीं निकला है, हर साल आप किसानों को मारते रहे हैं और मारते रहेंगे ··

श्री सभापति : माननीय सदस्य संक्षेप में ।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या संक्षेप में, मुझे तो गुस्सा आता × × है, किसान मर रहा है पर कोई उसकी हैल्प करने के लिये तैयार नहीं है। मुझे पता है, उस दिन चीफ इन्जीनियर पहुंचा वहां । जब सुखाड़िया मंत्रीमण्डल वहां पहुंच सकता है। 62-64 में, तो क्या तकलीफ थी चीफ इन्जीनियर को वहां जाने में ? क्या तकलीफ थी सिंचाई मंत्री को वहां जाने में ? क्या तकलीफ थी मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर को ? स्टेट प्लेन के लिये सब इधर उधर घूमते रहेंगे ।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

Page No 87

(87)

(श्री देवीसिंह भाटी)

परन्तु किसानों की तकलीफ का मौके पर जायजा लेने के लिये नहीं जा सकते, इनके पास समय नहीं है।

सभापति महोदय, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है पर कहूं क्या, मुझे इस सरकार पर कतई भरोसा नहीं है, मैं तो चाहता हूं, जैसा मेरे साथी कामरेड त्रिलोकसिंह जी ने कहा हाथ जोड़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ यहां खड़े होकर आप सहानुभूति अपने क्षेत्र के लोगों की लेना चाहते हो तो आज तक न कभी आपको मिली है और न मिलेगी, अगर डंडा हाथ में लोगे तो उन किसानों को राहत मिलेगी, उनको मुआवजा भी मिलेगा और आगे आइन्दा न्याय भी मिलेगा, परन्तु आप तो इसी प्रकार हाथ जोड़ते रहे, अरे, आप किसी की मेहरबानी से नहीं आये हो, आये हो तो अपनी किस्मत से, अपने कार्य से, अपने व्यवहार से आये हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपना भाषण समाप्त करीये।

(2.20 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा नहीं कहकर इतनी बात मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब जिलाधीश महोदय, एस. पी., ए.डी. एम. 1-2-1983 को जब हनुमानगढ़ पहुंच गये तो उन्होंने पहुंचने के बाद क्या-क्या राहत कार्य उस दिन करवाये ? अध्यक्ष महोदय, कुछ भी वह नहीं करवा सके। कलेक्टर वहां मौजूद था, वहां आर्मी थी वह किसी तरह से अरेन्ज करके व्यवस्था करवा सकता था उसने कोई व्यवस्था नहीं करवाई क्योंकि उसे नाराजगी थी इस बात की कि रेस्ट हाउस में कमरा नहीं मिला उसने अधिकारियों के खिलाफ अपना बचाव करके कुछ लिख दिया बाकी कलेक्टर ने वहां कोई बचाव, राहत कार्य नहीं किया, सिर्फ बैठे रहे कलेक्टर और एस. पी.। अध्यक्ष महोदय, दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब टी वी के रेवेन्यू तहसीलदार ने सूचित कर दिया था ए. इ.-एन. सरावगी को जो कि मुन्नालाल सुरेखा का जवाई है तो वह साइड पर क्यों नहीं गया ? हालांकि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने की उम्मीद है परन्तु ए. ई -एन., हनुमानगढ़ मौजूद था और टी वी के रेवेन्यू तहसीलदार ने उसे दिन में 2 बजे इत्तला दे दी थी कि नहर में पानी बढ़ रहा है, नहर के टूटने की सम्भावना हो रही है तो वह क्यों नहीं साइड पर गया ? अध्यक्ष महोदय, इसके उपरान्त न तो उच्च अधिकारियों ने वहां कोशिश की कि वहां मौके पर जाय, कोई व्यवस्था करवाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं बेकार गला फाड़ कर अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, मुझे इस सरकार से कतई उम्मीद नहीं है, कि अगर यह मुआवजा दे दे, अध्यक्ष महोदय, तो मैं इस सरकार की वाहवाही करूंगा, गंगानगर जिले में ढोल पीट-पीट कर इस सरकार की वाहवाही करूंगा परन्तु यह सरकार एक पैसा, एक धेला मुआवजा नहीं देगी। अभी कह देगी कि अभी गिरदावरी हो रही है। अरे, गिरदावरी हो रही तो कुछ तो राहत आज दे सकते हो, जब किसी का झोपड़ा जलता है उसे तो 500 रुपये आंशिक रूप से सहायता के देने के लिए तैयार हैं, इस एक छोटी वाहवाही लूटने के लिए. और वह किसान जो लाखों रुपया अपना लगा चुका है, बेचारा, उसके लिये

(श्री देवीसिंह भाटी)
आपकी आंशिक सहायता कहीं है नहीं । Shame on the Government.

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सिंचाई मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया, उनसे कम से कम इस प्रकार के वक्तव्य की आशा नहीं थी । इस सारे वक्तव्य को पढ़ कर और जैसा वक्तव्य सदन में सुना है, अगर माननीय मंत्री महोदय स्वयं इस वक्तव्य को कई बार पढ़ेंगे, तो उनको लगेगा कि नहर क्यों टूट गई, इसके बारे में वह स्वयं कन्वीन्स्ड नहीं हो सकेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि ऊपर के क्षेत्रों में बारिश हो रही थी । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यदि जानकारी है, यह सूचना आ रही है, यह सूचना अपने वक्तव्य में भी उन्होंने जाहिर की है—कौन से प्रिपरेटरी तरीके वहां विभाग ने अख्तियार किये कि उस पानी के आ जाने से कौन-कौनसी कठिनाइयां पैदा हो सकती है ? क्या इस बाढ़ नियंत्रण नाले में, घग्घर के बाढ़ नियंत्रण नाले में अगर सारा पानी आ गया था आने की स्थिति बनी कौन सी विपत्ती वहां के लोगों पर आ सकती है, ऐसी प्रिपेरेटरी कोई तैयार कभी विभाग ने की—इसका जवाब जब मंत्री महोदय अपना उत्तर देंगे हाउस में उस समय बताने का कष्ट करें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 18 हजार ऊपर कैपेसिटी है नाले की, 12 हजार नीचे कैपेसिटी है उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि 31 तारीख को 5 हजार के लगभग उसमें पानी आया । 1 तारीख को 7 हजार के लगभग पानी आया । इस वक्तव्य से कोई वह कैसे कन्वीन्स्ड हो जायेंगे कि 5 या 7 हजार क्यूसेक पानी बह रहा है, उस नाल में बह रहा है, घग्घर बाढ़ नियंत्रण नाले में बह रहा है इस कारण से नहर टूट जायेगी । कोई आर्ग्यूमेंट उन्होंने उसमें दिया है वह आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते । कारण है 42 बुर्जी पर जैसा माननीय सदस्य ने बताया, 4 फाटक खुले रहते हैं, बाकी फाटक नहीं खोले जाते । माननीय सदस्य ने एक कारण बताया । एक कारण नहीं है उसके तीन कारण हैं, उन मोगों को बन्द रखने के लिये सिंचाई विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के तीन हित है । एक हित तो यह है कि अप-स्ट्रीम में जो मोजें हैं उनके कारण पानी भिजायें, मछियां हो जायं उसमें, मछियों के व्यापारियों से सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की सांठ-गांठ करके उन मछियों का उपयोग कर सकें, उनको पकड़ सकें, उन्हें बाहर भेजकर उनसे रुपया कमा सकें । भ्रष्टाचार दोनों के बीच में प्रेम से होता रहे । डाउन स्ट्रीम के जो किसान भाई हैं, वह पानी इकट्ठा करने के लिये तरसते रहें, पानी उनको नहीं मिले । वह मांग करें । मांग से तो पानी नहीं मिले वह आयें फिर अधिकारियों के पास कुछ जेब गर्म करने का विचार करके आयें, अपनी फसलों के लिये पानी मांगें, पानी को छुड़ाने की कोशिश करें और उसमें से बीच में भ्रष्टाचार को जन्म मिले । यह तीन कारण हैं जिसके कारण से वह मोगों को बन्द रखते थे । वह मोगे बन्द रहें ।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

वह बन्द रहे इस तरह से, माननीय मंत्री महोदय ने बिल्कुल ठीक कहा, 5 हजार और 7 हजार से अधिकतम पानी उसमें बहा, मोग बन्द रहे तो पानी इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा होने का दुष्परिणाम यह हो गया कि किनारे टूटे हैं। उधर मसानी वाले भी कोई सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण नहीं बंधे, वह नहीं बांध सके। जनता आगई, खड़ी हो गई, कट छोटा था बान्ध दिया उन्होंने। शेरेका वाले नहीं बांध सके, प्रलय हो गया। स्केपीज के कारण पानी और डाल दिया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो सारी घटना हो गई है और जो उन्होंने अपने वक्तव्य में विवरण दिया है इससे स्पष्ट है कि ड्यू टू दी नेग्लीजेन्स घटना हुई। क्या जांच करायेंगे आप। कुछ तर्क तो समझ में आये, कोई बात तो समझ में आये, कोई इस प्रकार की बात आये कि इतना पानी कम होने के बाद भी क्यों टूट गया उनको तुरन्त निर्णय करना चाहिये था उच्चाधिकारियों के बारे में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इमीजियेटली कुछ लोग सस्पेंड हो जायेंगे। अभी मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तो घोषणा कर देंगे कि एक्स. ई-एन. सस्पेण्ड, वह सस्पेण्ड, वह सस्पेण्ड। मगर सस्पेन्सन से कुछ नहीं होता। थोड़े समय के बाद जिन लोगों से जांच करवा रहे हैं वह राज्य के वह लोग हैं यह जो चाहेंगे, उसमें यह बात नहीं आये कि राज्य सरकार की कोई कमी रही या सिंचाई विभाग की कोई कमी रही। मैं तो सिंचाई मंत्री थोड़े दिन रहा हूं मुझे यह अनुभव है। पिछले विधान सभा सत्र में मैंने कोट किया था, इन्द्राणी बांध टूट गया 3 महीने का वायदा किया था कि जांच रिपोर्ट आ जायेगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर एक्शन ले लेंगे। पिछली विधान सभा सत्र तो चला गया, नया विधान सभा सत्र आ गया, वह जांच रिपोर्ट उन अधिकारियों की आई कि नहीं आई पता नहीं। मैं तो सिंचाई मंत्री रहा हूं मुझे पता है। कोटा के पास वह नाला टूट गया, वह ही शायद अधिकारी वहां बैठे हुये हैं वह टूट गया, उस पर पुल बना हुआ था, उसकी जांच करने का वायदा किया था, हमारी सरकार तो चली गई उसका नतीजा तो आया नहीं। यह तो अधिकारी और कर्मचारी डिले टेक्टिक्स लगायेंगे और इसलिये लगायेंगे कि राज्य सरकार भी चाहेगी। राज्य सरकार चाहेगी कि उसमें से कुछ ऐसे नतीजे निकलें, जिन नतीजों के कारण जांच के ये नतीजे नहीं आयें, यह परिणाम नहीं निकलें कि उसमें सिंचाई कर्मचारियों कि कोई न कोई कमी थी। अगर यह निकल गया तो सिंचाई कानून के तहत उनको मुआवजा देना पड़ेगा। 70 मील का फासला है, 30 हजार एकड़ जमीन है कितने करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। एक तरफ वित्त मंत्री जी आ जायेंगे, आकर कहेंगे कि नहीं यह बन्द करो वह बन्द करो, मुआवजे की बात कहां करते हो ऐसी रचना होगी, जो अधिकारी बनाये गये जांच करने वाले उन अधिकारियों के द्वारा ऐसी रचना होगी, क्यों नहीं गये मंत्री। माननीय सदस्य ने तो वहुत कहा, मंत्री महोदय नहीं गये। क्यों जायें मंत्री महोदय, मंत्री महोदय जायेंगे तो यह बात सामने आयेगी कि कौन कौन दोषी है, वह तो सस्पेण्ड हो जायेंगे, एक्शन हो जायेगा। यह इम्पोर्टेन्ट बात नहीं है, इम्पोर्टेन्ट बात यह है कि हजारों किसान, जिनकी भूमि नष्ट हो गई है, जिसकी फसल जल गई है, बर्बाद हो गई है, जो भूखों मरने की स्थिति में आ गये उनको मुआवजा देने

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

का प्रश्न आ जायेगा। इसलिये मंत्री महोदय गये तो जनता को फेस करना मुश्किल हो जायेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। इसलिये हरे राम हरे गंगा। यहीं पड़े रहो.. जाने की जरूरत क्या है। यह कारण है, नहीं जाने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कारण है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं यह जांच कमेटी बनी यह सब फ्रॉड है। वही निर्णय दे देगी जो पुरानी जांच कमेटी ने निर्णय दिया है। माननीय सदस्य महोदय को उसमें लिया। गंगानगर के इलाके के लोगों को, गंगानगर के मन्त्री महोदय को लिया था, कुछ भूतपूर्व विधायकों को लिया था। इस चीज का आकलन करें, समझायें, कुछ समझ हमारी भी है। हमको भी सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से बात करने के बाद उस बात को समझने का मौका मिले। नहीं, इसकी घोषणा नहीं करेंगे मन्त्री महोदय, इसमें डर लगता है उनको क्योंकि निर्णय वह आने वाला है। मैं कहना चाहता हूं आप देख लीजिये पिछले साल भी ऐसा हुआ था, पानी आ गया फसलें बह गईं। सिंचाई शुल्क वसूल हो गया लोगों से पिछली वार, इस बार भी होगा। जब मन्त्री महोदय घोषणा करेंगे सिंचाई शुल्क के माफी की। सिंचाई शुल्क तो फसल को बढ़ाने के लिए है, यहां तो पानी बहा दिया, जमीन डुबो दी, फसलें नष्ट कर दीं। सिंचाई शुल्क पिछले साल भी लिया गया और इस साल भी लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : सिंचाई का अभाव तो नहीं रहा न ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सिंचाई का जो परिणाम होता है उस परिणाम में अगर नेचरल केलेमिटीज होतीं, नेचरल केलेमीटीज कई बार होती हैं, ओले पड़ जाते हैं, पाला पड़ जाता है, राज्य सरकार आगे आती है, उनको मुआवजा देती है। राजस्थान सरकार ने भी दिया है, हरियाणा और पंजाब तो देती ही रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मन्त्री महोदय हरियाणा और पंजाब सरकार जब इस प्रकार का मुआवजा दे सकती है, तुरन्त घोषणा कर सकती है, किसानों को राहत पहुंचा सकती है तो वक्तव्य में कहते, इस प्रकार का संकोच क्यों हो गया, नहीं, हम तय करते हैं कि मुआवजा लोगों को दिया जायगा। मैं इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जांच कमेटी को ठीक रूप से बनाने का विचार किया जाय। पानी बहकर डिप्रेशन तक पहुंच गया, डिप्रेशन काट दिये माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या क्राइटेरिया है, क्या मानदण्ड है, कौनसा डिप्रेशन कितना पानी आने के बाद, कितना फ्लो आने के बाद काटा जायगा ? अपना जवाब दें तो मानदण्ड को बतायें, कौनसे मानदण्ड हैं। अगर यहां सचिव महोदय रमणी साहब कहते उनको मत काटो, फिर भी कट गये छोड़िये, पता नहीं वह टेक्निकल आदमी और तो हैं। क्या मानदण्ड हैं उनके क्या क्राइटेरिया हैं, कौनसा कब जाकर जजमेन्ट लेंगे कि कब काटा जायगा उनको ? क्या माननीय मन्त्री महोदय उन मानदण्डों को जजमेंटों को बतायेंगे और फिर उसके आधार पर करेंगे कि हां इसके आधार पर चौथा, छठा डिप्रेशन हमने काटा है। मैं आप के माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि यह इस प्रकार की स्थिति यहां आकर खड़ी हो गई।

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अगर कोई बात रिपीट कर रहा हूं तो बता दें अगर कोई ऐसी बात कह रहा हूं कि जो उपयुक्त नहीं है तो बतावें। अध्यक्ष महोदय, समय नहीं ले रहा हूं। केवल मात्र उन बिन्दुओं की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो स्थिति बनी है 70 मील के इलाके में उसमें सिंचाई शुल्क माफ करिये, लोगों पर ऋण है उसको आगे के लिये चलता करिये, उसको स्थगित करिये, उनको मुआवजा दीजिये, भरपूर दीजिये, पंजाब की भांति दीजिये, हरियाणा की भांति दीजिये, ठीक कमेटी बनाइये, कुछ रिप्रेजेन्टेशन हमारे यहां के सदस्यों का भी करिये और उसके बाद प्रारम्भिक रिपोर्ट तो आ गई, आपने अपने वक्तव्य में कह दिया जो प्रारम्भिक रिपोर्ट थी या वह एक दो जजमेंट जो कर रहे हैं आप, यह भी बता देते अब बतायेंगे शायद उत्तर में, वही लीपापोती होगी, एक-दो को वलिदान का बकरा बनाकर राजस्थान सरकार द्वारा जिसने इस प्रकार का अपराध किया फसलों को डूबने का उसको बचाने की कोशिश की जायेगी। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह बात माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने जवाब में इन बातों का उत्तर दे।

श्री अध्यक्ष : अब एक दो माननीय सदस्यों को और अवसर दूंगा क्योंकि समय काफी हो गया है और सभी बिन्दुओं पर विचार माननीय सदस्योंने व्यक्त कर दिये हैं इसलिये अब एक-दो को और अवसर दूंगा, आप बैठिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का गम्भीर प्रश्न अभी सदन के सामने उपस्थित हुआ है सदन के माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार गम्भीरता के साथ इस सारे मामले को सदन में प्रस्तुत किया है मेरा विश्वास है कि सदन में जो कुछ बातें कही गई उन सब बातों को सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिया होगा। माननीय मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया, वक्तव्य देकर उन्होंने शायद विधान सभा के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन कर दिया, उनको संतोष भी हुआ होगा कि मैंने एक वक्तव्य देकर ऐसे गम्भीर प्रश्न के कारण से सदन के माननीय सदस्यों की जो भावनायें उद्वेलित हो रही हैं उनको शान्त करने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों की भावनायें तो एक सीमा तक की जा सकती हैं, चर्चा की जा सकती है, चर्चा के आधार पर कई विन्दुओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। सरकार का उत्तर मिल सकता है और उस समय सरकार के उत्तर के बाद इस प्रश्न की विधान सभा में किस सीमा तक बात जाती है उसका अपने आप ही एक इतिश्री हो जाती है। मन्त्री महोदय ने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी दी गई है। अगर आप यह नहीं भी कहते तो भी कोई अन्तर नहीं होता कोई अन्तर नहीं होता। यह बात तो हर वक्तव्य के बाद में आपको लिखने की आदत पड़ गई है। यह बात तो आप निश्चित रूप से लिखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है कई कह रहे थे जिम्मेदार अपने इन्जीनियर्स हैं, कई माननीय सदस्य बोल रहे थे जिम्मेदार हैं गेटकीपस, कई जिम्मेदारी बता रहे थे सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर्स की। मैं,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, किसी की जिम्मेदारी नहीं मानता, जिम्मेदारी मानता हूं सरकार की अयोग्यता को, सरकार की अकर्मण्यता को। अयोग्यता और अकर्मण्यता का प्रतीक कोई दूसरा नहीं है, सिंचाई मंत्री हैं, अगर एक्शन लेना है तो इन्जीनियर्स के खिलाफ एक्शन लेने से काम नहीं चलेगा, कोई सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर्स को सस्पेन्ड करने से काम नहीं चलेगा। परसराम जी, नैतिकता का तकाजा है, लालबहादुर शास्त्री के इतिहास को याद करो, रेल्वे का एक्सीडेन्ट हुआ था, ड्राइवर की गलती से हुआ होगा, गार्ड की गलती से हुआ होगा, स्टेशन मास्टर की गलती से हुआ होगा लेकिन जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर लेकर त्याग-पत्र दिया। अगर थोड़ी बहुत भी जिम्मेदारी है, थोड़ी बहुत भी जनता के प्रति नैतिकता का प्रश्न आपके दिमाग में है तो कोई बड़ी बात नहीं मंत्री महोदय का पद, कोई बड़ी बात नहीं है, उस मंत्री के पद का यदि परित्याग करने की स्थिति आप पैदा कर दें तो एक परसराम जी नहीं जायेंगे, एक राजस्थान का सिंचाई मंत्री नहीं जायेगा, ये सिंचाई विभाग के सारे अधिकारी हैं इन अधिकारियों के ऊपर अपने आप बोझ पड़ेगा, जो दोषी हैं ऊपर आयेंगे उनको दण्ड दिया जा सकेगा। हालत आज यह हो गई, आप कहेंगे कि गेट कीपर दोषी है, गेट कीपर कहेगा, असिस्टेन्ट इन्जीनियर दोषी है, एग्जिक्यूटिव इन्जीनियर दोषी है, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर दोषी है। यह तो आपके और इन्जीनियर्स के बीच में विवाद है। मैं पूछना चाहता हूं उन किसानों, जिनकी पांच करोड़ की क्षति हुई है, को किस प्रकार से कम्पन्सेट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पैसा देकर आप पूरा उनको कम्पन्सेशन नहीं दे सकते हैं। कोई उनको इतना पैसा नहीं दिया जा सकता कि जितनी फसल की क्षति हुईहै वह क्षति पूर्ति हो जाय। आप लाख, पचास लाख, करोड़, डेढ़ करोड़ रुपया दे देंगे और थोड़ी बहुत उनको राहत मिलेगी वह देंगे कि नहीं देंगे, यह भी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं सरकार देगी या नहीं देगी सरकार को तो फैसला करना है लेकिन सरकार यदि इस तरह के जिम्मेदारी के प्रश्न के ऊपर भागेगी तो निश्चित रूप से मानकर चलें जैसा कि ललित किशोर चतुर्वेदी ने आपके सामने कहा इन एनक्वारियों का ऐसा ही अन्त होगा जिस प्रकार की अन्य एन्क्वारियां होती हैं।

अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता जब दिन-दिन पहले, एक दिन पहले बरसात हो रही है, वहां के विधायक वहां के अधिकारियों को सूचना दे रहे हैं विधायकों की सूचना के आधार पर कार्यवाही करने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता लेकिन उस सूचना के आधार पर इतना प्रिकोशन भी नहीं लिया जाय क्योंकि ओटू बांध से ज्यादा पानी रिलीज होगा हमें ज्यादा पानी रिलीज करने के लिये गेट का पूरा प्रबन्ध करना पड़ेगा। अचानक पानी चला जाय, लोग तबाह हो जायेंगे, यह तो केवल फसल तबाह हुई लेकिन इन्सान की यदि क्षति हो जाती तो आप यह कहते गेट-कीपर दोषी है, असिस्टेन्ट इन्जीनियर दोषी है, इन्जीनियर दोषी है इसीलिए मैं सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा, इस बात के लिए अगर कोई दोषी है तो श्री परसराम मदेरणा सिंचाई मंत्री दोषी है। इस बात के लिए अगर किसी को दण्ड दिया जाना चाहिये कोई इन्जीनियर को दण्ड दिया जाय वह बाद में दिया जाय, पहला दण्ड यदि इस विधान सभा को देना है तो सिंचाई मन्त्री को दण्डित करना है। सिंचाई मन्त्री को यदि दण्डित

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं किया तो इस असेम्बली के प्रति जो रेस्पान्सिबिलिटी की फीलिंग है वह फीलिंग स्वतः खत्म हो जायगी। एक मन्त्री अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेगा, कोई एक्सीडेन्ट होता है, कभी कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं समझता हूं, लोकतन्त्र के प्रति यदि आदर की भावना और लोकतन्त्र में लोगों की आस्था उत्पन्न करने की हमें स्थिति उत्पन्न करनी है तो कोई चिन्ता की बात नहीं हमें अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जिस जांच रिपोर्ट को आपने आधार बनाया वह कोई कांफिडेंशियल है। उस रिपोर्ट को आप सदन की मेज पर रखते जो माननीय सदस्य उसकी जानकारी करना चाहें उनके सामने रखते, लेकिन उस रिपोर्ट को नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? किसकी जिम्मेदारी है, यह सदन भी फसला करता। आखिर कई चीजें ऐसी होती हैं जो सदन के अन्दर रखनी चाहिएं, सदन को कांफिडेंस में लेना चाहिए। ऐसा मसला, जिसमें माननीय सदस्य पीरूराम जी कह रहे थे, गंगानगर में पांच करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है उसके संबंध में चाहे प्रारम्भिक रिपोर्ट हो चाहे फाइनल रिपोर्ट हो मैं समझता हूं, सदन से उस प्रकार की रिपोर्ट छिपाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कोई प्रिविलेज डाक्यूमेंट नहीं है जिस डाक्यूमेंट को आप सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकते कि जिसको आप क्लेम कर सकते हैं। जिसके कारण से आपको यह अन्दाजा हो कि हाउस में अगर उसे रख दिया गया तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की साख गिर जायेगी या प्रशासन डिमोरेलाइज हो जायेगा। मैं समझता हूं न तो डिमोरेलाइज का क्वेश्चन है, न सीक्रेट के आउट होने का क्वेश्चन है। यह डाक्यूमेंट कोई प्रिवीलेज डाक्यूमेंट नहीं है। आपको सदन में इसको प्रस्तुत करना चाहिए, सदन के माननीय सदस्यों को पता लगे कि आखिर यह सारी घटना हुई क्यों? आपका वक्तव्य मैंने पढ़ा है। उस वक्तव्य में आपने बड़ी तरकीब से, मैं समझता हूं पूरा दिन लगाया होगा उसको ड्राफ्ट करने में, यह घटना क्यों हुई इसके भी कारण नहीं बताते। गेट क्यों नहीं खुले, इसका भी कोई कारण नहीं बताते, गेट खोलने के लिये कौन जिम्मेदार था इसका भी कारण नहीं बताते। जिस आदमी ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया, उसकी भी बात नहीं कहते। आपने कह दिया कि हम एक्शन लेंगे। मेरी समझ में नहीं आता आज कोई आदमी आग लगा दे परसराम जी के मकान में, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके आग लगाने के मामले में उसका चालान करती है, अदालत में उसका प्रासीक्यूशन होता है, सजा होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको जुल्म दबाने का किसने अधिकार दिया? किस व्यक्ति ने आपको अधिकार दिया कि जिन लोगों की गलती के कारण से गेट नहीं खुले डाइवर्शन कैनाल टूटी, घग्घर कैनाल में पानी चला गया, उसकी क्षति हुई, क्या उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, क्या वह इण्डियन पैनल कोड का उन्होंने आफेंस नहीं किया? आफेंस नहीं किया, यदि आप यह मानते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, नैतिक दायित्व से क्या आप कहना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कोई इन्क्वायरी करने की आवश्यकता नहीं है, चीफ

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

इंजीनियर से लेकर के नीचे तक के जिन लोगों के साथ अन्याय किया है, उनका केस रजिस्टर्ड करवायें थाने में they should be prosecuted, they should be put behind the bars. एक बार आपने लोगों को रख दिया तो मजाल नहीं होगी कि लोग जिस समय चाहें उस समय केजुअली ले जायें और सबकी तरह बात कर लें। आपको अगर उसमें वहम हो कि हम नहीं कर सकते तो मैं आपको कहूंगा कि इस इन्क्वायरी रिपोर्ट को लो फाड़ कर फेंक दो इस रिपोर्ट में कुछ नहीं, राज्य सराकार की तरफ से, गंगानगर में जो थाना लगता हो उसमें इस केस को रजिस्टर्ड करवाइये। जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोषी हैं, जिनकी सुपरवाइजरी नेगलिजेंस है उन सब लोगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन करवाइये। एक उदाहरण रख दीजिये राजस्थान में की इस प्रकार की जिम्मेदारी से लोग वंचित होने की कोशिश करेंगे या जिम्मेदारी से बचकर या दूसरे प्रकार के काम करने की कोशिश करेंगे तो एक्शन डिसिप्लीनरी एक्शन तक सीमित नहीं होंगे जिसका कोई अन्त नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, यह अनुभव की बात है आप किसी के खिलाफ डिसीप्लीनरी एक्शन लें, पिछले 30 सालों में यदि किसी आदमी ने हिन्दुस्तान में अपने लिये कवच बनाया है, जिस कवच को भेद नहीं सकता, तो वह सर्विसेज ने कवच बनाया है। एक दुर्ग खड़ा कर लिया एक किला, बना लिया कोई भी मंत्री चाहे इस किले को भेद नहीं सकता। इतने लीगल काम्पलीकेशन खड़े कर लिये, इस प्रकार का प्रोटेक्शन रीक कर लिया कांस्टीट्यूशन रूल में, एक्ट में कहीं न कहीं उस इन्क्वायरी के अन्दर गलती हो जायेगी, परिणाम यह निकलेगा कि तीन वर्ष तक अण्डर सस्पेन्शन रहा हुआ आदमी मजबूरी के कारण रिइन्स्टेट होगा और बिना काम के उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी। यदि हमने इसकी सजा का प्रावधान कर रखा है तो इस तरह के प्रावधान से हम निकल पायें, इसकी तो हमें कोशिश करनी चाहिये, लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि सार्वजनिक क्षति के मामलों की डिसीप्लीनरी एक्शन के नाते इतिश्री नहीं की जाय। यह क्रिमिनल है, उसने वो क्राइम किया है उस क्राइम के लिए जो दोषी है उसी तरह से जैसे आग लगा दे, कोई आदमी अध्यक्ष महोदय, कुएं में या किसी प्रकार के पानी में बहा दे यह भी मैं समझता हूं इण्डियन पेनल कोड का आफेंस है। आग लगा दे इण्डियन पेनल का आफेन्स है इसी प्रकार की और की क्षति पहुंचा दें, दुनिया भर के केसेज राजस्थान में बने हुए हैं, आग लगाने के मामले और इसमें फर्क है। एक हमने गलती की। आज इस कानून में मैं समझता हूं परसरामजी मेरे से ज्यादा जानते हैं लेकिन लोग यह कहते हैं कि बच्चे के हाथ में ऐसा हथियार दे दिया जाय जिससे आग लगा दी, बच्चे के हाथ में यदि बन्दूक दे दी और उसने बन्दूक से किसी का कत्ल कर दिया, तो देने वाला भी उतना ही रेस्पान्सिबल है जितना वह बच्चा रेस्पान्सिबल है। मैं पूछना चाहता हूं क्या इस प्रकार रेस्पान्सिबिलिटी लोगों की नहीं है। मैं चाहूंगा, मौके पर इस सारी स्थिति में काश्तकारों के लिए भी वरदान होगी और मैं समझता हूं कि विधान सभा के इतिहास के लिए यह एक बहुत अच्छी बात होगी और परसरामजी आपके जीवन में भी एक ऐतिहासिक दिन होगा कि आज काश्तकारों की जब क्षति हुई है, आप त्यागपत्र देकर मैदान में आ गये। सरकार को कह दें और जिन

(९५)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लोगों ने दोष किया है, उनके लिये आप घोषणा कर दें। आप जानते हैं कि ऐसी इन्क्वायरी हमने भी बहुत की हैं, आपने भी बहुत कराई हैं, लेकिन उन इन्क्वायरी का परिणाम क्या निकला है। पांच वर्ष की यदि आप इनटोटेलिटी निकालेंगे तो, अध्यक्ष महोदय, एक दो कर्मचारी ऐसे मिलेंगे जिनको हमने बर्खास्त किया। पांच वर्ष तक इन्क्वायरी चली, कोई परिणाम नहीं निकलेगा। ढांचा बदलें और इन्क्वायरी करने का प्रोसिजर बदल। सार्वजनिक संपत्ति की, सार्वजनिक जीवन की क्षति का यदि कोई क्राइम बनता है तो उनका डायरेक्ट प्रासिक्यूशन करवाइये। मैं इस आधार के ऊपर कहना चाहता हूं कि आपने जो इन्क्वायरी करवाकर उस इन्क्वायरी की रिपोर्ट को दबा लिया, उसकी आवश्यकता नहीं। आपको सीधे जवाब देना है कि क्या उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया और क्या तो उस क्राइम के अगेन्स्ट में आप किसी कोर्ट में पुलिस के प्रासिक्यूशन के द्वारा जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं? क्या आप यह समझते हैं कि छोटे-मोटे कर्मचारी इसके लिए दोषी हैं और बड़े लोग इसके लिये दोषी नहीं हैं? क्या उनकी सुपरवाइजरी नेगलीजेंस का इसमें कन्ट्रीब्यूशन नहीं है? जिनका कन्ट्रीब्यूशन है उनको सजा मिलनी चाहिए। साथ ही मैं पुनः फिर आपसे कहना चाहूंगा कि एक बार एक मंत्री को उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा, कि वह मंत्री चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस घटना में इन्वाल्व नहीं हो, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी हो, थोड़ी रेस्पान्सिबिलिटी उसकी है तो उनको अपने आपको बलिदान करना पड़ेगा। यदि यह कदम आपने उठाया तो निश्चित रूप से काश्तकारों की क्षति को हम एक दूसरे हिसाब से बात करनी पड़ेगी। जो क्षति हुई है उसमें संकोच नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, सजा भी नहीं दें और लोगों को मुआवजा भी नहीं दें यह विचित्र स्थिति है, सजा देनी पड़ेगी। मैं नहीं मानता कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बियान्ड ह्यूमन कन्ट्रोल होते हैं। आज वह परसराम जी भी चाहें तो नहीं कर सकते, मैं चाहूं तो नहीं कर सकता, चीफ इंजीनियर चाहे तो नहीं कर सकता। अचानक कहीं बाढ़ आ गई, अचानक कहीं बरसात हो गई, जिसके लिये हम प्रिपेअर्ड नहीं है, मेन्टली प्रिपेअर्ड नहीं, फिजीकली प्रिपेअर्ड नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेअर्ड नहीं है, एक दिन में 24 इन्च वर्षा हुई है उसके कारण से यदि कोई रिपरकुशन्स होते हैं चाहे जयपुर में हो, उसके लिए मैं नहीं कहता कि एक आदमी दोषी है या इस प्रकार की स्थिति है, लेकिन यहां तो आपको जानकारी थी कि कितनी ही बरसात हो जाये, इस बरसात के बाद में भी आप उसका नियन्त्रण कर सकते थे। आपने किया, मगर नहीं किया। इसलिये मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं मानता, सिंचाई मंत्री की जिम्मेदारी मानता हूं, सिंचाई मंत्री त्याग-पत्र दें, किसानों को कम्पनसेशन दें, जो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके लिये रेस्पान्सिबल हैं, इनका प्रॉसीक्यूशन करायें और टाइमलि उसकी उनके खिलाफ डिसीजन सैंक्शन लेना हो तो उस संबंध में किसी प्रकार की इन्क्वायरी कराई जाय। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र सिंह।

श्री महेन्द्रसिंह (सांगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन घग्घर चैनल टूटने के बारे में व किसानों की फसलों के

(श्री महेन्द्रसिंह)

तबाह होने के बारे में चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि किसान अपनी फसल को चाहे वह गेहूं की फसल हो, चाहे वह कपास की फसल हो वह एक साल मेहनत करता है। बोने के लिये मेहनत करने के बाद, अध्यक्ष महोदय, वह उस फसल को बोता है, बोने के बाद, अध्यक्ष महोदय, जब उसकी फसल पैदा होती है तो उसे आशा होती है कि मेरी फसल अबकी बार अच्छी होगी तो फसल अच्छे दाम देगी तो मैंने चाहे सरकार से कर्ज लिया है, चाहे बनिये से कर्ज लिया है, मेरी फसल वह मेरा कर्जा उतारेगी। अध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने किसानों के बारे में किसानों की फसल की तबाही होने के बारे में आज सदन में कुछ चर्चा की। अध्यक्ष महोदय, किसानों की आड़ में इस सरकार के खिलाफ उनके भाषण में कुछ अंश थे। अध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आये माननीय सदस्यों से मैं अर्ज करना चाहता हूं, मेरी खुद की वहां जमीन है। अध्यक्ष महोदय, मेरी 40 बीघा चने की फसल बिल्कुल तबाह हो गई।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में सरकार के खिलाफ में इस तरह की बातें नहीं करें। यह कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा उनसे अनुरोध है अध्यक्ष महोदय......

श्री **नाथूसिंह** (बांदीकुई) : आप तो इस तरह बोलेंगे ही क्योंकि 97 लाख रुपये का घोटाला हुआ है उसके कारण आप यह भाषा बोल रहे हैं, जिसमें मुख्य मंत्री ने आपको कहने के काम किया है।

श्री **अध्यक्ष** : आॅर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री **नाथूसिंह** : आपकी पोल मैं खोलूंगा।

श्री **अध्यक्ष** : आॅर्डर, आॅर्डर। माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री **नाथूसिंह** : अभी दस दिन पहले जो चैन्ज हुआ है उसमें 97 लाख रुपये का घोटाला है।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री **महेन्द्र सिंह** : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि माननीय सदस्य श्री नाथूरामजी ने कहा है। 97 लाख का घोटाला है....

श्री **धनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : नाथूराम जी नहीं, श्री नाथूसिंह जी।

श्री **महेन्द्रसिंह** : हां, श्री नाथूसिंह जी ने हमारे सदन में सदस्य बैठे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर आरोप लगाये है अगर वह किसी भी आरोप को सिद्ध कर दें तो मैं अपना इस्तीफा इस सदन के सामने पेश कर दूंगा, या वे अपना इस्तीफा दे दें।

(व्यवधान)

श्री **नाथूसिंह** : जिस अधिकारी को आप मुख्य मंत्री जी के पास लेकर गये थे उसने 97 लाख रुपये का घोटाला किया है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : वह तो आरोप लगाते ही आपका मुंह बिगड़ गया उससे ही सिद्ध हो गया कि आरोप सही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। शान्त रहें। माननीय सदस्य, ऑर्डर, ऑर्डर । कृपया आपस में बातें नहीं करें ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 273 के तहत आकर्षित करना चाहता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य इस सदन के माननीय सदस्य के खिलाफ किसी प्रकार के भी आरोप बिना लिख कर आपको दिये और आप की अनुमति लिये बिना नहीं लगा सकता है। यों खड़े होकर किसी भी माननीय सदस्य को कोई भी बात इस तरह से कहते हैं यानि आपकी तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य ट्रेजरी बेन्चेज के लोगों का आत्मबल गिराना चाहते हैं, इस तरह चार्ज लगाकर ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य । समय न लें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मनोबल हम नहीं गिरा रहे हैं, आपके असन्तुष्ट सदस्य गिरा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर । वाजिब बात है । माननीय सदस्य ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप जैसलमेर जाकर आ गये । श्री श्रीरामजी आप तो हवाई जहाज में जैसलमेर जाकर गोट करके आ गये। आप किसानों का भला नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : वह तो मैं जवाब दे दूंगा मुझे जब पूछेंगे तब कि मैं कहां गया था ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सवाल जवाब देने से हमें मतलब नहीं है । पर आपने वहां क्या किया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । कृपया, शान्त रहें ।

श्री नाथूसिंह : आप श्री श्रीराम जी जैसलमेर घूम कर आ गये । आपको किसानों से क्या मतलब ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । ऑर्डर प्लीज । आप काहे के लिये खड़े हैं, माननीय सदस्यगण ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी तो कास्ट करेक्टर ही किसानों के खिलाफ है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे क्लास करेक्टर की वजह से ही आप लोग 20–22 जीते हो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके क्लास करेक्टर में नहीं हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री महेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, नुकसान किसानों का हुआ है दोष मुख्य मन्त्रीजी पर लग रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर प्लीज ।

श्री महेन्द्रसिंह : कोई तो यह कह रहे हैं कि गंगानगर के भाखड़ा के एस. ई. दुग्गल साहब के लड़के की और हमारे मुख्य मन्त्रीजी के लड़के की दुकान में आपस में साझेदारी है । अध्यक्ष महोदय, कोई यह कह रहे हैं कि गंगानगर के कलेक्टर का दामाद एस. डी. ओ. है । इनको यह ही नहीं पता है कि गंगानगर के कलेक्टर का दामाद कोई इरिगेशन में एस. ई. नहीं है । · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर । माननीय सदस्य आॅर्डर, आॅर्डर प्लीज ।

श्री महेन्द्रसिंह : वहां कोई गंगानगर कलेक्टर का दामाद नहीं है ।

श्री देवीसिंह भाटी : अब वह रिटायर हो गये हैं । श्री मूंगालाल सुरेखा । रिटायर्ड आर. ए. एस. अधिकारी ।

श्री महेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मूंगालाल सुरेखा नाम का कोई भी गंगानगर का कलेक्टर नहीं है ।

श्री देवीसिंह भाटी : मूंगालाल सुरेखा, डिप्टी सैक्रेटरी रिटायर्ड ।

श्री अध्यक्ष : वह तो अब रिटायर हो गये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति रिटायर हो गया उसका हमारा क्या लेना-देना है ।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : वह मूंगालाल सुरेखा रिटायर्ड आर. ए. एस. अधिकारी का जवाई है, सरावगी ए. ई. एन. ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर । माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें ।

श्री महेन्द्रसिंह : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर के कलेक्टर की बात करता हूं । मैं खुद गंगानगर गया था जहां पर बाढ़ आई थी और किसानों की फसलें बरबाद हुई, अध्यक्ष महोदय, मैं खुद गया । मैंने वहां का नुकसान देखा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । आॅर्डर, आॅर्डर । कृपया, आपस में बातें नहीं करें ।

श्री महेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां पर किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, चाहे वह अधिकारियों की वजह से, हो चाहे वह दूसरे अन्य कारणों की वजह से हुआ हो । किसानों का बहुत नुकसान हुआ है । मेरा माननीय सिंचाई मन्त्रीजी से निवेदन है कि वह सबसे पहले तो किसानों का जो आबियाना है या सरकारी कोई कर्ज है उसको माफ किया जाय ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह तो वैसे ही हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : याद तो दिलाना पड़ेगा। माफ कैसे हो जायगा।

श्री महेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा यह निवेदन है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों का वहां चाहे ओले की मार से, चाहे कोई बाढ़ की वजह से जो भी नुकसान होता है, सरकार उसे मुआवजा देती है। तो मेरा मन्त्रीजी से निवेदन है कि किसानों को आप मुआवजा दिलायें और जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्यवाही करें। इतना कहता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। मंत्री महोदय।

श्री मेघराज ताबड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी है। वह रह गया है।

श्री अध्यक्ष : होगा आपका नाम लेकिन काफी माननीय सदस्यों ने ...

श्री मेघराज ताबड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट में ही अपनी बात कह देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आप तो गंगानगर से बहुत दूर निवास करते हैं।

श्री मेघराज ताबड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता था कि आप मुझे यही फर्मायेंगे कि गंगानगर आपसे बहुत दूर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान का कम्युनिस्ट पार्टी का एक ही सदस्य हूं, राजस्थान के बारे में जैसे आप जिम्मेदार हैं वैसे ही मैं भी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो विषय सदन में आया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को गोली से उड़ा दोगे तो भी पाप नहीं लग सकता है। मैं यह शब्द इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, अगर दूसरी जगह कहीं बाढ़ आ जाय, थोड़ा बहुत कुछ हो जाय तो हैलीकोप्टर लेकर मुख्य मंत्रीजी पहुंच जाते हैं और लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन इतना गम्भीर मामला है। किसानों की फसल तो चौपट हो गयी। एक महीना हो गया, चाहे राजस्थान का मुख्य मंत्री हो, चाहे सिंचाई मंत्री हो, चाहे मन्त्रि मण्डल के और लोग हो, और तो और, मंत्री मण्डल के लोग जो वहां पर जाय वह हैलीकोप्टर में जायं और किसानों के पास नहीं पहुंचे। तो किन लोगों के लिये गये, इससे साफ जाहिर होता है, यह सरकार किसानों विरोधी है। अगर किसी पैसे वालों का, सेठों का नुकसान हो गया होता तो जैसा कि माननीय श्री त्रिलोकसिंह जी ने कहा कि यह सरकार घुटने टेकते हुए वहां जाती। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा मामला है। पर इतना ही नहीं, गंगानगर जिले के किसानों को आज पूरा पानी नहीं मिल रहा है, न कहीं उनको खातेदारी अधिकार मिल रहे हैं और न उनको बिजली मिल रही है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए बीच में कहना चाहता था कि यह बाढ़ का मामला तो है ही लेकिन सीपेज से किसानों को जो नुकसान हुआ है और धारा 15-ए के अन्तर्गत खातेदारी राइट को छीना है वह भी एक कारण है। नहर के पास बड़ोफल व रूकमणथली जो गांव हैं, उनकी जो हालत है उसके कारण कई बार किसानों ने आन्दोलन किया है। लेकिन उन लोगों को दूसरी जगह बसाया गया, न जमीन कहीं बदली

(श्री मेघराज तावड़)

गई और न उनको मुआवजा ही दिया गया। आज वहां के नल कूप जैसे हैं, अध्यक्ष महोदय, यह सारे फोटू हैं, सीपेज से फसल नष्ट हुई है। लेकिन आज मंत्रीजी यह कहते हैं कि कुछ नुकसान हुआ है उनसे यह मालूम पड़ता है कि यह किसानों की सरकार नहीं है यह तो मंत्रीजी महोदय ने यह कहा कि मामूली नुकसान हुआ है, पर अध्यक्ष महोदय किसानों को मामूली नुकसान नहीं हुआ है। अगर देखा जाय तो अध्यक्ष महोदय, लगभग दस करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन किसानों की जमीन भी बरबाद हो गयी है। आपको सदन में घोषणा करनी चाहिए कि किसानों को मुआवजा दिया जाय। हवाई जहाज के एक्सीडेन्ट से कोई मर जाता है उसको आप एक लाख रुपए का मुआवजा देते हैं। और जो बस दुर्घटना से मर जाता है उसको आप सिर्फ पांच हजार रुपये का ही मुआवजा देते हैं। तो जो हवाई जहाज दुर्घटना से मरता है उसको एक लाख रुपए देने का क्या क्राइटेरिया है। सरकार इतना बड़ा भेदभाव करती है। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा वक्त नहीं लेता हुआ, मैं कहना चाहता हूं गंगानगर की बहुत उपेक्षा की जा रही है। यही नहीं, इसके साथ यह नक्शा है, उस इलाके का जहां पानी भरा रहता है वहां मछलियां पालन का काम होता है। 30 लाख का ठेका यह सरकार देती है सालाना का, यह भी एक कारण है, पानी को कहां रोकना और कब छोड़ना। कब पानी को रोकना है और कब पानी को छोड़ना है।

क्योंकि पानी को छोड़ते वक्त मछली पानी की तरफ पर आती है इसलिए शिकार किया जा सकता है। वहां झाड़ियां हैं, जाल डाला नहीं जा सकता; जब पानी छोड़ेंगे और पानी आयेगा तब बहाव के समय मछली चढ़ती है और शिकार किया जाता है। वहां के ठेकेदार और अधिकारी मिले हुए हैं। यह बात सही है कि मंत्री महोदय ही नहीं बल्कि राजस्थान का मंत्रिमण्डल, श्री शिवचरण माथुर का मंत्रिमण्डल स्तीफा दें क्योंकि किसानों की उपेक्षा की जा रही है और गंगानगर इलाके के किसानों की बराबर उपेक्षा की जा रही है। माननीय भैरोंसिंह जी ने भी कहा था कि किसी थाने में या पुलिस में यह केस प्रासीक्यूट किया जाये। मैं तो कहता हूं कि मंत्रिमण्डल तो इस्तीफा दे माथुर मंत्री मण्डल लेकिन जो अधिकारी दोषी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने उस कट को तोड़ा है ×××

अध्यक्ष महोदय, एक खतरा और है। अगर गंगानगर के किसानों की इसी प्रकार उपेक्षा की गयी तो अकालियों के साथ जा सकता है गंगानगर का इलाका। यह आगे खतरा और भी है। मैं आगाह कर देना चाहता हूं इस सरकार को कि यह सरकार किसानों की उपेक्षा नहीं करे, खास तौर से गंगानगर के किसानों की। करोड़ों रुपयों का नुकसान, करोड़ों रुपयों का गबन और भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार आज तक कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, किसानों को मुआवजा तो दिया जाये और गंगानगर की खास तौर से जो उपेक्षा की जा रही है, चाहे कोई भी सरकार आई हो, चाहे भैरोंसिंह जी की हो, चाहे पहाड़िया की हो और चाहे स्वर्गीय सुखाड़िया जी की हो या माथुर साहब की हो, गंगानगर का इलाका हमेशा उपेक्षित रहा है। वह अब उपेक्षित नहीं रहे और जितनी तरह की भी वसूलियां हैं वह स्थगित की जायें और उनको तुरन्त मुआवजा देने की घोषणा की जाये

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मेघराज तावड़)

वरना ऐसा अयोग्य मंत्रिमण्डल, माथुर मंत्रिमण्डल इस्तीफा दे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं विरोधी पक्ष के नेताओं और वहां के विधायकों की एक समिति गठित कराके जांच कराई जायगी और जो फसल का नुकसान हुआ उसका निरीक्षण कराया जायगा यह भी इसमें घोषणा करें। यही कहना चाहता हूं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि कैसा ही विषय हो लेकिन आवेश में आकर हिंसा भड़काने वाली इस तरह की बातें माननीय सदस्यों को नहीं करनी चाहिए। भाषा में संयम बरतना चाहिए जहां भी ××× शब्द का प्रयोग किया है, माननीय सदस्य ने उन शब्दों को मैं कार्यवाही से हटाता हूं।

मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, घग्घर डाइवर्शन चैनल के दो ब्रीचेज हुए आर. डी. 33 और 34 के बीच दाहिनी और बांयी ओर। पहला 31 और 1 की दरमियानी रात को ब्रीच दाहिनी ओर हुआ, शेरेका गांव के पास और दूसरा मसानी गांव के पास, थोड़ी देर के बाद में घंटे दो घंटे के बाद में। यह दोनोंही ब्रीचेज़ 1 ए. एम. और 4 ए. एम. के बीच में हुए जो फसल खड़ी थी वह घग्घर रिवर के बैड में थी, घग्घर नाली जिसको कहते हैं उस नाली के अन्दर फसल खड़ी हुई थी। उसको किसी भी इरिगेशन सिस्टम से पानी नहीं दिया जाता है। घग्घर नाली की भूमि ही इतनी उपजाऊ है कि वहां के काश्तकार मोइस्चर रिटेन होने की वजह से ट्यूबवैल खोदकर उस एरिया को सिंचित करते हैं। गंगानगर में सबसे ज्यादा कीमती भूमि वही है जहां नाली वैठकी में 1962 के अन्दर सदियों में इसी प्रकार की घग्घर नदी में बाढ़ आई थी तब यह डाइवर्शन चैनल नहीं बनी हुई थी। राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। इस तरह से पानी रोकने के लिये या उसको डाइवर्ट करने के लिये यह डाइवर्शन है, ताकि पानी नाली में नहीं आये, नदी में नहीं जाये और नैचरल फ्लो हो। यह डाइवर्शन चैनल बनाने का 1962 में प्रोजेक्ट बना। कुल मिलाकर 31 मील लम्बा यह चैनल बना और इसके ऊपर 10 करोड़ का खर्चा आया। यह डाइवर्शन चैनल जो बनाई गई है उस डाइवर्शन चैनल में पानी डालने के लिये आर. डी. 629 जो कि राजस्थान की फीडर आ रही है, के नीचे साइफन और साइफन के अन्दर पूरे का पूरा नदी का पानी डाइवर्ट कर दिया गया लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट किया हुआ पानी आगे जाकर नैचरल फ्लो से 18 डिप्रेशन हैं उसमें जाकर पानी भर जाता है।

यहां पर यह कहा गया, अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी, जो सी.पी.एम. के नेता हैं इस सदन में फतहपुर, सीकर डिस्ट्रिक्ट से आये हैं के द्वारा कि बहुत बड़ा निकम्मा और हल्का वक्तव्य मैंने सदन में दिया बाढ़ इसके संबंध में। कुछ माननीय सदस्यों ने और खास तौर से बांदीकुई के माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने अधिकारियों के दबाव में आकर जैसा उन्होंने वक्तव्य दिया, वह पढ़ दिया, केवल उसको हिज मास्टर्स वाइस की तरह

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री परसराम मदेरणा)

से यहां पढ़ दिया और वक्तव्य अधिकारियों ने दिलवाया है। यह मैं प्रारम्भ में ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस सदन के प्रति उत्तरदायी है, ग्रान्सरेबल है और वक्तव्य देना सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं है, सरकार का कर्त्तव्य भी है। यह सदन के अन्दर सरकार से वक्तव्य मांग सकते हैं, अध्यक्ष महोदय, आज्ञा दे सकते हैं और उसकी हमें अनुपालना करनी पड़गी, लेकिन यह नहीं हो सकता कि कोई भी अधिकारी राजस्थान के सिंचाई मंत्री से जैसा वक्तव्य दिलाना चाहें वह दिला सकें। मैं समझता हूं कि अभी कोई भी ब्यूरोक्रेट इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट या कोई इन्जीनियर या टैक्नोक्रेट इतना प्रभावशाली हो जो मुझसे वक्तव्य दिलाने की क्षमता रखता है। तो एक भी मिनट मैं सरकार में रहना पसन्द नहीं करूंगा।

मैं निवेदन करना चहता हूं 1962 के हालात और आज के हालात में बहुत फर्क है। 1962 के अन्दर अपोजीशन के नेता प्रतिपक्ष के नेता और सुखाड़िया जी, सब गये। जब सर्दियों में बरसात आती है तो फसल बोई हुई होती है। फसल को पानी की आवश्यकता नदी या नाले से नहीं है। घग्घर की नदी नाली के बैड में है। एक योजना बनाई गयी और राजस्थान कैनाल के नीचे, जहां तलवाड़ा में राजस्थान की सरहद में एन्टर होती है आर. डी. वहां आर. डी. से लेकर 24 आर. डी. तक जो चैनल बनाई गई है उसकी केपेसिटी 17800 क्यूसेक्स है। श्री गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि मैंने चैनल की केपेसिटी के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैंने वक्तव्य में बहुत स्पष्ट कहा है कि आर. डी. से लेकर 24 आर. डी, जहां एस्केप के दो गेट बने हुए हैं, नाली में पानी डाला जा सकता है उसकी कैपेसिटी 17800 क्यूसेक्स है, डाइवर्शन चैनल की और आर. डी. 24 से लेकर आखिरी टेल तक जो 158.7 आर. डी. है, उसकी कैपेसिटी 12,000 क्यूसेक्स है। मैंने यह बात नहीं छिपाई है। मैंने मेरे वक्तव्य में बहुत स्पष्ट किया है कि जब इतनी बड़ी डाइवर्शन चैनल थी तो फिर ब्रीच होने का कैसे प्रश्न आया, अगर ब्रीच होने का प्रश्न आया तो उसके लिये जिम्मेदार कौन है।

यहां पर एक बात तो सामने यह आई कि इमीजियेटली मुख्य मंत्री, मंत्री और कोई वहां पर पहुंचा नहीं। पहले पहुंचे थे 1962 में, 1962 और आज की हालत में बहुत अंतर है। जैसा कि सदन जानता है, दिसम्बर के अन्दर ज्यादा सर्दी की वजह से खरीफ की फसल खराब हुई। किसानों की यह बराबर मांग थी कि राजस्थान नहर के इसी एस्केप, जो 629 के ऊपर है, से आप पानी छोड़िये। नदी से हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। सर्दियों में पानी की आवश्यकता नहीं थी। बरसात नहीं हुई, खेरली के आसपास के क्षेत्र में। बरसात का पानी सबसे पहले ओटू के हैड से आता है जो राजस्थान की बाउडण्री से 23, 24 या 25 किलोमीटर दूर है। यह बात सही है कि 29 तारीख को, सिरसा में जो हमारा असिस्टेंट इन्जीनियर है जो तीस तारीख को हनुमानगढ़ में मिला था, उसनें यह बात कही थी कि ओटू हैड पर नहीं, लेकिन खैनोरी पर 6,800 क्यूसेक्स पानी है। 6,800 क्यूसेक्स की वजह से राजस्थान को कोई खतरा नहीं। डाइवर्शन चैनल की केपेसिटी 24 आर. डी. पर 17,800 क्यूसेक्स थी और उसके आगे 12 हजार क्यूसेक्स थी इसलिये कोई खतरा नहीं था। इस तरह पानी पूर्व में भी आया है

(श्री परसराम मदेरणा)

और वह भर दिया जाता है। लेकिन कई माननीय सदस्यों ने और प्रतिपक्ष के नेता ने एक बात कही कि इस चैनल के बंध टूटने का सबसे बड़ा कारण यह था कि आर.डी. 42 के ऊपर जो क्रान्स रेगुलेटर्स लगे हुए थे, वह गेट बन्द थे और गेट बन्द होने की वजह से पानी हल्ड अप हो गया और हैल्ड अप होने से पानी चैनल के ऊपर आ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को नम्रतापूर्वक सूचित करना चाहता हूं कि चैनल पर आज भी जाकर देखा जा सकता है·····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने नहीं कहा।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अगर हैल्ड अप होता तो निश्चित तौर पर···

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ओवर फ्लो के पहले ही टूट गया। Is it possible ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रिलिमिनरी जो जानकारी की है, चीफ इन्जीनियर और सिचाई सचिव मौके पर गये हैं, एडीशनल चीफ इन्जीनियर प्रभारी मौके पर गये हैं उनकी रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि गेट बन्द नहीं थे। उसके बाद में भी····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूरे खुले हुए थे ?

श्री परसराम मदेरणा : 24 में से 22 खुले हुए थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो 22 खुले हुए थे वह पूरे खुले हुए थे क्या ?

एक माननीय सदस्य : फिर तो टूटना नहीं चाहिये था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। उत्तर आने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : 12 गेट बन्द थे··

श्री सुनिल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर वहां मौजूद था। गेट उस समय खुले नहीं थे। कलेक्टर गंगानगर ने रिपोर्ट दी है।

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट इरिगेशन सचिव ने नहीं दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको किसने कहा कि गेट खुले हुए थे।

श्री परसराम मदेरणा : यह आप कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने नहीं कहा।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा था कि गेट बन्द नहीं थे। 24 में से 22 गेट खुले हुए थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 22 पूरे के पूरे खुले हुए थे ?

श्री परसराम मदेरणा : पूरे खुले हुए थे। फैक्ट्स को छुपाया नहीं जा सकता। यह जांच का मामला है और इसलिये··

श्री नाथूसिंह : वह टूटा कैसे फिर ?

श्री परसराम मदेरणा : वह भी आ जायेगा, धैर्य रखिये।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : 12 हजार क्यूसेक्स पानी बता रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : आप समझते नहीं हैं, सिंचाई का मामला है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। बातें नहीं करें, माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : मसानी के गांव के लोग इस तरफ हैं, आर. डी. 42 की तरफ शेरेका गांव के लोग उधर हैं दूसरी तरफ। इस मौके पर जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने और मैंने 2 मार्च को बनाया था। 2 मार्च को जब मौके पर जायेंगे तो आम जनता से हम इस बात की भी जानकारी करेंगे। जो सचिव ने रिपोर्ट दी, उसकी बिना पर राय निर्धारित नहीं करूंगा, यह गेट खुले थे, यह सही है या नहीं है।

दूसरी यहां पर एक बात कही कि 5 करोड़ की सार्वजनिक क्षति हुई···

श्री अध्यक्ष : टूटने का कारण क्या-क्या है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वही मेन बात है।

श्री परसराम मदेरणा : अभी मैं सभी बात कह रहा था आप सुनना नहीं चाहते। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। मेरे वर्दी प्रिडीसेसर।

जो रिपोर्ट दी गई है उसमें यह बताना गया है कि घग्घर डाइवर्शन चैनल, यहां चिकनी मिट्टी है, में वहां सीपेज होने लग गया था। क्योंकि पानी का सीपेज होने लगा था, पानी छः हजार, सवा छः हजार क्यूसेक्स के आस पास था पानी निकालने के बाद··

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कन्विन्स्ड हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : मौके पर जाने के लिये मैं कुछ माननीय सदस्यों को आमंत्रित करूंगा कि वे भी मौके पर जायेंगे··

श्री अध्यक्ष : मुझे तो चूके का डाउट था।

व्यवस्था का प्रश्न

उद्धृत-पत्रों का मेज पर रखा जाना

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट-ऑफ-ऑर्डर।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने रिपोर्ट का रेफरेन्स देकर इस सदन को जानकारी दी है, उस रिपोर्ट के आधार पर 25 में से 22 गेट खुले हुए थे, वह 22 पूरे खुले थे। इसके साथ उन्होंने यह जानकारी दी, सी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने सदन को जानकारी दी कि वहां पर ज्यादा पानी आने के कारण से, गेट्स के नहीं खुलने के कारण से ब्रीच नहीं हुआ, इस कैनाल में पहले से इस प्रकार की दरारें थी जिसके कारण ब्रीचेज हुए। अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट का उन्होंने तो रेफरेन्स दे दिया, सदन भी उस रिपोर्ट को देखना चाहेगा। चूंकि मंत्री जी बार-बार उसी

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

डाकूमेंट को रेफर कर रहे हैं, रूल्स के हिसाब से जिस डाकूमेंट के बेसिस पर कोई जानकारी हाउस को दी जाये, वह डाकूमेंट सदन की मेज पर रखवाया जाये। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

श्री ज्ञानसिह चौधरी : वस्तु स्थिति यह है कि वहां दोनों साइडों में···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बाद में कहें।

मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था का प्रश्न प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने यहां उठाया, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मैंने उसमें से कोई उद्धरण पेश नहीं किया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : You have referred this.

श्री परसराम मदेरणा : But it is not necessary that I should agree with you to place the report on the table of the House.

मैं निवेदन कर रहा था···

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने उनसे कोई व्यवस्था नहीं चाही है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था तो मैं दोनों पक्षों को सुनकर देता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : He said, there is no need to place the report on the table of the House वे तो ऐसे कह गये जैसे सुप्रीम कोर्ट बैठी हो। उन्हें पता नहीं कि कोर्ट यहां पर नहीं है। आप माननीय अध्यक्ष महोदय की पावर्स एज्यूम कर रहे है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि हमारे जो नियम है प्रक्रिया के उनके अन्दर कोई माननीय सदस्य अथवा मंत्री किसी डाक्यूमेंट को, परिपत्र को यदि पढ़े तो उसको रखना पड़ता है लेकिन अगर किसी रिपोर्ट या प्रतिवेदन का कोई हवाला दे दे भाषण में तो उसके आधार पर उसको रखना लाजमी हो जाय, ऐसी कोई नियमों में व्यवस्था नहीं है। लेकिन सहूलियत के लिये वे आसन को अपनी रिपोर्ट बता देंगे। जो खास मुद्दे होंगे और जो माननीय सदस्य जानना चाहेंगे, उनको बता देंगे। उसमें क्या बात है?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं रूल्स के आधार पर···

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मुझे जो व्यवस्था दी है वह स्वीकार है। मैं आज ही रिपोर्ट मंगवा कर अध्यक्ष महोदय को सुपुर्द कर दूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन करना चाहता था···

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो आने दीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उत्तर तो दे दिया है न?

अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है, उसका मैं विरोध नहीं करता लेकिन कोई भी डाक्यूमेंट के लिये यदि सदन के माननीय सदस्य चाहें तो सरकार को उस डाक्यू-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
मेंट को सदन की मेज पर रखना पड़ता है...

(व्यवधान)

मेरी बात सुन लीजिये ।

सरकार के पास केवल एक ही चारा है कि सरकार उसको प्रिविलेज डाक्यूमेंट क्लेम करे । अब या तो मंत्री महोदय यह कहें कि डाक्यूमेंट प्रिविलेज है उसको हम सदन की मेज पर नहीं रख सकते और अगर वह प्रिविलेज डाक्यूमेंट नहीं है तो सदन की मेज पर रखवाइये ।

श्री अध्यक्ष : हमारे प्रक्रिया के नियमों में नियम 288 इस सम्बन्ध में व्यवस्था करता है वह नियम इस प्रकार है :—

Papers quoted to be laid on the Table of the House-If a Minister quotes in the house a despatch or otherState paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table :

Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest :

अनेक माननीय सदस्य : कोट किया है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं ।

Provided further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or state paper it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table.

इस लिये मैंने निवेदन कर दिया कि आपकी सहूलियत के लिये आप चाहेंगे तो रिपोर्ट मैं मेरे पास मंगवा लूंगा और जो खास मुद्दे है उससे अवगत करा दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो रूल 288 यहां पढ़कर सुनाया है उसको मैं आपकी इजाजत से एक बार दुबारा पढ़ देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : पढ़ दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Papers quoted to be laid on the Table of the House. If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table;

Provided that this shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest;

दूसरा प्रोविजो है कि वह किस हालत में नहीं रखेंगे । उसमें साफ लिखा है पहले वाले में कि पढ़ें तो उसको ले करना है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले वाला लागू नहीं होगा । दूसरा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, लागू करना है, उनको ले करना है लेकिन दो कन्डीशन है ले नहीं करने की, उसके लिये मंत्री महोदय ने कहा नहीं है । अब दूसरा प्रोविजो इसमें है :

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

Provided further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or State paper it shall not be necessary to lay the relevant papers on the table.

और, अध्यक्ष महोदय, आपने स्वीकार कर लिया कि अभी तक इन्होंने कोई जिस्ट नहीं दी

(व्यवधान)

आप मेरी सुन लीजिये—

Provided further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or State paper it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table.

आप यह मानते हैं क्या कि उस रिपोर्ट की समरी या जिस्ट इन्होंने इस हाउस में दे दी है क्या? Do you agree with its? बेसिक क्वेश्चन यह है कि Whether he has given a summary or a gist of the document which he refers in the House.

श्री अध्यक्ष : नहीं, इस नियम की सही व्याख्या यह है कि यदि मंत्री किसी पत्र या परिपत्र को कोट करे, पढ़ कर सुनाये तो उस स्थिति में तो उसको ले करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि अगर उन्होंने उस डाक्यूमेंट को पढ़ रखा है और उसमें जो तथ्य है उसमें से कुछ तथ्य, इसमें शब्द है, अपनी ही भाषा में बताते है, कोट नहीं करते उसका सारांश मंत्री बताते है तो उस अवस्था में सदन के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है फिर भी न तो मंत्री जी का पूर्वाग्रह है न मेरा है और न ही कोई सीक्रेट डाक्यूमेंट है इसलिये मैंने कहा यह प्रतिवेदन मैं मंगवा लूंगा और जो माननीय सदस्य देखना चाहेंगे उसमें जो खास बातें हैं, वह बता दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री सुनील विश्नोई : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर पहले तो उठा नहीं रहे थे जब मैंने..

श्री सुनील विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर, गंगानगर ने भी एक रिपोर्ट भेजी है गवर्नमेंट को। वह भी मंगाने की कृपा कर लीजिये आप।

घग्घर डाईवर्शन चैनल टूट जाने से गंगानगर व उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाने से काश्तकारों की फसल को क्षति

श्री पीरूराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को पूरा ज्ञान नहीं है। इन्होंने साइट नहीं देखी है इसलिये सदन को गुमराह कर रहे है मंत्री जी। मैं साइट पर गया हूं, मेरा क्षेत्र है मैं मौका देखकर आया हूं

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य समय काफी हो गया है इसलिये अधिक समय न लिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अगर दरारें पड़ गई थी और उसमें से पानी रिस करके

(श्री परसराम मदेरणा)

इतनी बड़ा ब्रीच हुआ है तो इसमें थारों एन्क्वायरी की आवश्यकता है। उस एन्क्वायरी के पूर्व यह उचित समझा गया, कुछ ऐसे अधिकारियों से भी मैं एन्क्वायरी कराने की बात मैं सोच रहा हूं मैं अगर ऐसी बात कहूंगा तो मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य यह कहेंगे कि आप यह रेवेन्यू बोर्ड के किसी अधिकारी को सौंप देते हैं, इन्डिपेंडेन्ट, जो इस विभाग से सम्बन्ध नहीं रखता हो, ऐसे किसी टेक्नोक्रेट को यह इन्वायरी सौंपी जाय। लेकिन उससे पूर्व मुख्यमंत्री जी और मैं वहां मौके पर जा करके . .

श्री भैरूंसिह गुर्जर : इन्क्वायरी कराई क्यों जाय। आप उसमें जन प्रतिनिधि शामिल क्यों नहीं करते है।

श्री परसराम मदेरणा: यह बात टेक्निकल मामला है और यह कहना है कि मसानी पर ब्रीच 1तारीख को 11वजे बन्द नहीं हुआ था, भादरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे और कलेक्टर ,..

(व्यवधान)

यह मसानी वाली की बात नहीं है। यह तो शेरेका वाली बात है क्लेक्टर खुद ही कह रहा था कि 11 तारीख को बन्द हो गया था इसलिये मैंने बात मसानी की कही है एक बात। दूसरी यह बात सही है, अध्यक्ष महोदय, ब्रीच होने की वजह से ईरिगेशन के कर्मचारियों ने आर.डी. 24 पर जो एस्केप है, दो ऐस्केप है, एक 8 हजार क्यूसेक्स का और दूसरा 6 हजार क्यूसेक्स का वह खुलने से जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, ब्रीच को बन्द करने के लिये और गांव को खतरे से बचाने के लिये उन्होंने नालियों में पानी खोल दिया। कुछ पानी शेरेका ब्रीच हो गया था, चेनल में उसमें से भी जा रहा था और पानी रेगूलेटेड वे में जा रहा था, जो एस्केप है उसको खोल दिया और खुलने की वजह से फसल को बहुत बड़ी क्षति हुई है। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि 10 करोड़ की क्षति हुई है। प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि 5 करोड़ की सार्वजनिक प्रापर्टी की क्षति हुई है। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य, पूर्व में सिंचाई मन्त्री भी रहे थे, काल अटेन्शन में तीन करोड़ की क्षति का उल्लेख करते है तो तीन वह और पांच वह, 10 करोड़ की क्षति निश्चित रूप से हुई है इस क्षति के लिए अभी मैंने वक्तव्य में उल्लेख किया कि गिरदावरी भी नहीं हुई है..

श्री भैरोंसिह शेखावत : गिरदावरी नहीं, आपका भी तो अनुमान होगा कि कितने करोड़ का नुकसान हुआ होगा।

श्री परसराम मदेरणा: अनुमान तो मैं इसलिये नहीं लगा सकता कि अनुमान के तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप क्या यह उल्लेख करना चाहते हैं कि किसी ने 10 करोड़ का कहा, किसी ने पांच करोड़ का कहा, किसी ने तीन करोड़ का कहा अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज क्या हो सकती है। गवर्नमेन्ट ने रफ एस्टीमेट नहीं मंगवाये कि कितना नुकसान हुआ है। नुकसान का आपका एस्टीमेट नहीं बनाते है तो उस समय कोई कम्पेंसेशन देने का, कोई रिलीफ देने का क्वेश्चन पैदा नहीं होता गवर्नमेण्ट के पास रफ एस्टीमेट तो आने चाहिए थे कि एक्चुअल [illegible]

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
हुआ है, एप्रोक्सीमेटली कितना नुकसान हुआ है। इसके भी रफ एस्टीमेट नहीं हैं।

श्री पीरूराम : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि कुछ क्षति हुई है। कुछ क्षति के क्या मायने हुए, स्पष्ट तो करिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुछ का क्या मतलब ?

श्री परसराम मदेरणा : एक्चुअली क्वान्टम के इन्टर कितनी फसल थी। जो बताया गया वह यह बताया गया कि चने की फसल तो करीब-करीब 80और85सदी के आस-पास क्षतिग्रस्त हो चुकी है। दूसरी जो फसल है, पहले जैसा अनुमान था वैसा अनुमान है। इसलिए क्लेक्टर से मैंने बात की थी परसों रात को। वह कह रहे थे कि जिस टाइम गिरदावरी कराएंगें उसके बाद ही पूर्ण जानकारी होगी,कि कितनी क्षति हुई है,कितने रकबे में हुई है, उन्होंने कल बताया था कि 11,000..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में है, क्या यह सही है कि सरकार के पास क्लेक्टर की रिपोर्ट आयी है, उसमें लगभग 4 से लेकर 6 करोड़ का नुकसान बताया है ?

श्री सुनील विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी गिरदावरी हो चुकी पटवारी कि रिपोर्ट है कितने एकड़ में नुकसान हुआ है। यह तो कलेक्टर को भी पता है कि कितने एकड़ में पानी फैला है क्या महीने भर में उसको यह भी पता नहीं लगा कि कितने एकड़ में पानी फैला है, नुकसान हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर उन्होंने यह बात कही है कि कहीं कहीं बचा भी रहे हैं। मैं कतई नहीं बचा रहा हूं, मैं किसी को नहीं बचाने वाला हूं। यहां पर प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि इसमें अगर किसी की जिम्मेदारी है तो राजस्थान के इरिगेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी है और नैतिकता का यह तकाजा है कि उसको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : अभी दे दो।

श्री परसराम मदेरणा : और क्योंकि किसी एक रीडर के ऊपर या जूनियर इंजीनियर के ऊपर या दूसरे किसी अधिकारी के ऊपर दोषारोपण करने का कोई अर्थ नहीं है। नैतिकता के तकाजे की बात आज नहीं, जो इस ओर बैठते हैं वह बहुत अयोग्य हो जाते हैं, जो उस ओर बैठते हैं वह बहुत योग्य हो जाते हैं, जब आप राजस्थान के प्रतिपक्ष के नेता, मुख्य मंत्री थे और मासूम बच्चों को बारां के अन्दर गोली से उड़ाया गया था तो मैंने यह मांग की थी कि नैतिकता का तकाजा यह है कि यह जानें ली हैं, मासूम बच्चों की तो आप इस्तीफा दे दीजिए....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आप ही से प्रेरणा लेकर इस्तीफा मांगा है।

श्री परसराम मदेरणा : मासूम बच्चों की जानें ली थीं तो भी आपने इस्तीफा नहीं दिया था, आज आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां से माननीय सिंचाई मंत्री ने....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका लेना देना नहीं है। मैंने केवल इतना ही कहा, अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि सिंचाई मंत्री जी ने अपनी बात खुद दोहरायी। इन्होंने यह कहा कि तीन मासूम बच्चों की जब हत्या हुई तो उस मामले को लेकर मुख्य मंत्री से त्याग पत्र मांगा गया, था मैं समझता हूं कि जिस वक्त.....

श्री अध्यक्ष : उस समय गृह मंत्री आप थे क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं मैं नहीं था। गृह मंत्री कोई और थे लेकिन गृह मंत्री को छोड़कर इन्होंने मुझ से त्याग पत्र मांग लिया। मैं तो यह बात कहना चाहता हूं कि जिस नैतिकता से इन्होंने मेरे से त्याग पत्र मांगा, मेरा विश्वास है कि वह नैतिकता आज भी आपके पास होगी और आप अनैतिक नहीं हुए होंगे।

श्री परसराम मदेरणा : आपने कहा, फसल नष्ट हुई है, इसका अनुमान नहीं है। मासूम बच्चे नहीं मारे गये हैं और जिनकी फसल नष्ट हुई है, निश्चित तौर पर उन किसानों के साथ सहानुभूति भी नहीं हुई, लेकिन राज्य सरकार को बहुत बड़ा खेद है पहले 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक और वापस 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक रावी व्यास के मामले के अन्दर दिल्ली में रहना पड़ा इसलिये समय नहीं मिला। इधर सदन आहूत कर लिया गया था, सदन की प्रथम बैठक 17 को रखी गई, 17 तारीख को हम सोच रहे थे, कब जाना चाहिए। इसलिए कोई प्रोग्राम इसकी वजह से नहीं बना। दो दिन पहले शुक्रवार को यह तय किया गया था कि 2 तारीख का एक दिन प्रोग्राम बनाकर वहां पर जाकर पूरे क्षेत्र को आर. डी. 629 तक देखना चाहिए, वहां के किसानों से मिलना चाहिये और जो फसल नष्ट हुई है, नुकसान हुआ है, उसका जायजा भी लेना चाहिए, उस संबंध में आगे क्या राहत दी जा सकती है और फसल का कितना नुकसान हुआ है, उस संबंध में चर्चा करनी चाहिए।

यहां पर एक बात और आयी है कि सिंचाई सचिव ने यह आदेश दे दिये थे कि क्योंकि पानी 629 के साइफन से डाइवर्शन होता है इसका इस चैनल में, यह पानी फलो करते करते 18 डिप्रेशन में जाता है इसलिए डिप्रेशन नं. 5 और 6 के बीच में और डिप्रेशन नम्बर 9 और 11 के बीच में 9 डिप्रेशन हैं कट नम्बर 6 या 8 था, यह 7 तारीख को खोलने की क्या आवश्यकता थी और जब कि सिंचाई सचिव ने यह आदेश दिया था कि यह डिप्रेशन 5 और 6 है, इनको नहीं कट करना है न तोड़ना है, करना है तो फिर यह कट कैसे हो गया। ऐसा कोई भी आदेश सिंचाई सचिव ने नहीं दिया था, मैंने उनसे पूछा था, वह यहां पर थे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मौखिक आदेश दिया होगा।

श्री परसराम मदेरणा : कोई मौखिक नहीं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मुकर गये होंगे।

श्री परसराम मदेरणा : आप मुकर गये थे तो मुझे मालूम नहीं। मैं तो अभी पूछकर आया हूं कि ऐसे आदेश देकर आये थे क्या ? तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसा आदेश नहीं दिया था। आन दी अदर हैण्ड वह मुझे यह बतला रहे थे, उन्होंने यह आदेश दिया था वहां के एडीशनल चीफ इन्जीनियर, मिस्टर

Page No 111

(111)

(श्री परसराम मदेरणा)

जैन को, अभी जो पानी सी लेवल के ऊपर है और लबालब भरा हुआ है इसकी सिचुएशन का असेसमेंट आपको मौके पर करना चाहिए। एडीशनल चीफ इंजीनियर ने देखा कि इसका लेवल 601 पाइण्ट कुछ ऊपर आ गया है, जो अभी हाईएस्ट लेवल का रिकार्ड था और हाईएस्ट लेवल रिकार्ड था, यदि भरा है कई वर्षों से, सोच तो यह रहे थे कि डाइवर्शन चैनल बनानी थी पानी सूख जायेगा डिप्रेशन में, पानी डिप्रेशन में सूखता नहीं। कई वर्षों से भरा हुआ पड़ा है इसलिये डिप्रेशन नम्बर 11 से शार्यद पीलीबंगा की चैनल बनायी जा रही है। मानकथेड़ी की नहर बनायी गयी थी और उससे कुछ सिंचाई भी हो रही थी। कट नम्बर 4 की वजह से, मानकथेड़ी के सिंचित एरिया को इस से पानी नहीं मिलता है। यह भी एक मुद्दा है। इसलिए यह आदेश दिया है और कलेक्टर से कहा है कि मानकथेड़ी की नहर के पास वाले लोग हैं, जिनकी तरफ से कहीं भी आवाज नहीं आयी है, उनसे मिलना पसन्द करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई लोगों की इसमें कन्टीन्यू नेग्लीजेशन है और कई लोगों की सुपरवाइजरी नेग्लीजेन्स है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अनुशासनात्मक कार्यवाही सिर्फ कुछ लोगों के खिलाफ की गयी है, एपरेन्टली नेग्लीजेन्स क्रिमिनल नेग्लीजेन्स जिसकी एपेरेन्ट थी, उसको सस्पैण्ड किया है और जांच रिपोर्ट से भी ऐसा पाया जाता है कि उन लोगों ने अपने कर्तव्य की निर्वहन करने में बहुत बड़ी गलती की है, लेप्स किया है। बाकी लोगों की सुपरवाइजिरी नेग्लीजेन्स है, उस सम्बन्ध में भी ले लिया गया है डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ क्या लेने की बात है यह मैटर एग्जामिनेशन के अन्दर है।

इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने किसानों की जो खड़ी फसल की जो क्षति हुई है और . . .

श्री भैरोंसिह शेखावत : सस्पेण्ड किन किन को किया है, जरा बता दें ताकि गवर्नमेंट की सीरियसनेस का अन्दाजा लग जाये कि इतने बड़े केस में, कितने लोगों को आपने टार्गेट बनाया है। यह आप बता दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : घग्घर फ्लड कन्ट्रोल का जो एक्स-ई. एन. है, उनको सस्पेण्ड किया है, जूनियर इंजीनियर, घग्घर फ्लड कंट्रोल जो 24 आर. डी. से लेकर 42 आर. डी. तक है उसको सस्पेण्ड कर दिया। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपकी सूचना के लिए कह दूं कि आर. डी. 42 के ऊपर गेट कीपर था, उसको सस्पेण्ड कर दिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : गेट कीपर पर आ गये न आप।

श्री परसराम मदेरणा : अब आपका गेट का नहीं बेजेज का मामला है। और इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस सम्बन्ध में यह प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद में जैसा अभी मैंने कहा कि कैपेसिटी तीन और ब्रीच है और ब्रीच होने के बाद में ओवरटोप नहीं हुई और इसलिए इण्डिपेन्डेन्ट टेक्निकल एजेंसी से इसकी जांच कराने के सर्टन में आश्वासन देते हुए दो तारीख को मुख्य मंत्री जी और मैं . . .

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सदस्यों को बनाओ मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री **देवीसिंह भाटी** : राजस्थान केनाल से 21 तारीख को दो हजार क्यूसेक पानी क्यों दिया गया जब आपके चैनल्स की हालत खराब थी...

श्री **परसराम मदेरणा** : जाकर स्वयं इसका जायजा लें ।

श्री **अध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बहुत समय लग गया है।

श्री **देवीसिंह भाटी** : हमने ध्याना आकर्षण दिया है उसका जवाब नहीं आया है।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : आसन पैरों पर है, चर्चा समाप्त हुई । अब समय देना सम्भव नहीं है ।

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** : हमने जो बातें कही थी उनका जवाब नहीं आया है ।

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज ।

श्री **देवीसिंह भाटी** : राजस्थान नहर से जो पानी दिया है...

श्री **सुनील विश्नोई** : माननीय अध्यक्ष महोदय, छः करोड़ का नुकसान हुआ है...

श्री **पीरूराम** : वहां पर परमानेन्ट स्टाफ काम कर रहा है मौके पर । मंत्रीजी ने पूरा ध्यान नहीं दिया है...

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : कृपया बैठ जावें, उत्तर नहीं आएगा । ऑर्डर, ऑर्डर ।

(व्यवधान)

बैठ जावें, अब चर्चा नहीं होगी । चर्चा समाप्त हुई ।

श्री **देवीसिंह भाटी** : हमने ध्याना-कर्षण दिया है उसका जवाब नहीं आया है । राजस्थान कैनाल एक्ट के विपरीत आपने दो हजार क्यूसेक पानी क्यों दिया...

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : कृपया बैठ जावें। कृपया बैठ जावें । आसन पैरों पर है । अब इजाजत नहीं दूंगा ।

विधायी कार्य, विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक ।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो अब कोई चर्चा नहीं होगी

श्री **देवीसिंह भाटी** : × × ×

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, एक बात स्पष्ट कर दें...

श्री **अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो रहा है । व्यर्थ में समय जा रहा है ।

(व्यवधान)

अब कोई चर्चा नहीं होगी ।

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** : × × ×

श्री **सुनील विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, काश्तकारों का सवाल है ।

श्री **अध्यक्ष** : काश्तकारों का सवाल है इसीलिए तीन घण्टे का समय दे दिया ।

(व्यवधान)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

Page No 113

(113)

श्री सुनील विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, छ: करोड़ का नुकसान हुआ है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब समय नहीं दे रहा हूं। चर्चा समाप्त हुई। विधायी कार्य ले लिया है।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं। एक इम्पोर्टेंट सूचना देनी है....

श्री अध्यक्ष : व्यर्थ में समय जा रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : × × ×

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। विधायी कार्य।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो रहा है।

श्री यदुनाथसिंह : × × ×

श्री सुनील विश्नोई : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया समय का ध्यान करें। अंकित नहीं हो रहा है। आर्डर प्लीज समय जा रहा है व्यर्थ में। अब इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, व्यर्थ में समय जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : मेरा निवेदन यह कि जब एक्स.ई.एन. को सस्पेंड किया तो ए. ई. एन. को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : ए. ई. एन. छुट्टी गया होगा। माननीय सदस्य मौके पर होगा ही नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, ए. ई. एन. वहां पर मौजूद था मौके पर। उसके बारे में ग्राम गांव के लोग कलेक्टर और दूसरे अन्य अधिकारी मौजूद थे मौके पर, उनकी सेवाओं के बारे में गांव वाले भी प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ए. ई. एन. ने बहुत सतर्कता बरती है और बहुत अच्छा काम किया है इसलिए ए. ई. एन. को सस्पेंड करने का प्रश्न कहां उठता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप गांव वालों का कहना मानते हैं तो...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें। चर्चा समाप्त हुई।

विधायी कार्य

परिनियत संकल्प

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 1982

विधायी कार्य विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक : राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 डा. उजला अरोड़ा

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 114

(114)

(श्री अध्यक्ष)

अरोड़ा परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगी ।

निम्न सदस्यों ने भी परिनियत संकल्प की सूचना दी है : डा. उजला अरोड़ा ।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री कैलाश मेघवाल, श्री नाथूसिंह ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : बैठा हूं साहब, मैं तो यहीं बैठा हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकार लिया, सुना ही नहीं आपने ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने कहा कि निम्नलिखित ने सूचना दी है तो मैंने यह समझा आप नाम बोल रहे हैं सभी के । मैं तो यहीं पर बैठा हूं ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मुख्य सचेतकजी ये क्या कर रहे हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : घनश्यामजी!

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं नए कर रहा हूं और न वी कर रहा हूं । ऐसे बिलों पर आज तक कभी भी चर्चा हुई नहीं है । नई परम्परायें मत डालो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं नई परम्परा डालनी पड़ेगी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो मैं इसमें यह एवजेम्प्शन करा दूंगा कि आप न लें तो न लें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज-आज के लिए छोड़ने को तैयार हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या छोड़ने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : आज-आज के लिए ।

(व्यवधान)

संक्षेप में, माननीय सदस्य ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने यह जो संकल्प प्रस्तुत किया है :

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1982) को अस्वीकार करता है ।"

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतकजी, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी और माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने कहा कि ऐसे विधेयक पर चर्चा नहीं होती । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किस प्रकार से यह अध्यादेश जारी किया गया । पहले तो माननीय मुख्य सचेतकजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहा हूं पर अध्यादेश जारी किया गया उस पर चर्चा करना चाहूंगा । तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश जारी करने के कुछ कारण होते हैं । अध्यादेश जारी करने के लिये कहते हैं, चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और मामला अति आवश्यक था, अतः

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
राज्यपाल ने 24 नवम्बर, 1982 को राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (1982 का अध्यादेश सं. 9, सन् 1982) बनाया और प्रख्यापित किया। अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए अध्यादेश प्रख्यापित किया गया कि राजस्थान विधान सभा के सदस्यों का जो रेल यात्रा और हवाई भत्ता है वह चार हजार के बजाय छः हजार रुपये हो जावे। क्या इसके कारण ही राजस्थान में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि विधान सभा सत्र में नही थी, यह अध्यादेश प्रख्यापित आकाश पड़ने वाला था। अगर दो हजार रुपये नहीं बढाये जाते तो माननीय सदस्य यात्रा नहीं कर सकते थे, इन छोटी छोटी बातों पर अध्यादेश जारी किये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे डर हो गया है, इसमें जो कारण दिए गए हैं उन कारणों को लेकर, क्योंकि रेल किराया फिर बढ़ चुका है इसलिए माननीय सदस्यों के लिये दो हजार रुपये और बढ़ाये जायेंगे।

(3.49 म.प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति पीठासीन)

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि विधान सभा के रहते-रहते, सरकार को एक अध्यादेश और जारी करना पड़ेगा। पहले रेल किराया बढ़ा था फरवरी में। फरवरी में किराया बढा, उसके बाद सैशन चला गया और नवम्बर में अध्यादेश जारी किया गया। फिर फरवरी के अन्दर सैशन होने वाला था। दो महीने के लिए आपने अध्यादेश जारी किया। अब जो रेल किराया बढ़ा दिया, बजट में तो फिर उस बढ़े हुए किराये के लिए क्या आप अध्यादेश जारी करने वाले हैं? लेकिन, सभापति महोदय, यह कोई बात नहीं है। इन छोटी-छोटी बातों को लेकर जैसी मारवाड़ी में कहावत है, राज्यपाल महोदय को खिलौना बनाया। मैं माफी चाहूंगा इन शब्दों के लिये, लेकिन राज्यपाल महोदय से इस प्रकार का व्यवहार ये करवा रहे हैं किस बात के लिए? दो हजार रुपयों के लिए। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, सभापति महोदय, यह हाउस सैशन में था उस समय बिल पेश हो चुका था, उस समय पास नहीं कराया। उस समय पास नहीं करवाया तो फिर सैशन आने वाला था। 24 नवम्बर को कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई थी, कौन सा राजस्थान की जनता ने विद्रोह कर दिया था, कौन सी कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही थी, कौन सा हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, कौनसा जजमेंट दे दिया था कि जिस जजमेंट के कारण से लीगल कॉम्प्लीकेशन पैदा हो गये थे और सदस्यों का भत्ता बढ़ाना जरूरी हो गया था। लेकिन भत्ता इसलिये नहीं बढ़ाया, सभापति महोदय। माननीय मुख्य मंत्री जी का कहना है कि राजस्थान कुछ विधायकों को गलती से टिकट मिल गए और वे चुन कर आ गये, तो जब भी वे अपनी कार्यवाही शुरू करते हैं, मीटिंग बुलाने का मांग-पत्र पेश करते हैं दिल्ली में जाते हैं, किसी से मिलते हैं तो शायद उन्होंने सोच रखा है कि जो विधायक असंतुष्ट हैं उनको थोड़ा बहुत कुछ न कुछ देओ, कुछ देने से वे संतुष्ट हो जायेंगे। विधायकों को इतना छोटा इन्होंने समझा और इसलिये अध्यादेश के द्वारा जो दो हजार रुपये रेल किराया बढाने का प्रावधान किया..

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदय, माननीय सदस्य क्या

(श्री मोहनलाल मोदी)

कह रहे हैं। क्या असंतुष्ट विधायकों को ही मिलेगा? यह सारे के सारे ही विधायकों के लिए किया गया है। यह कैसी बात कर रहे हैं, यह सदन का समय ही बर्बाद कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: अध्यक्ष महोदय, अंधा बांटे रेवड़ी फिरफिर अपने को दे। जो अध्यादेश जारी किया वह समझ में ही नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, जनता यह समझती है कि विधायक, अपने भत्ते बढ़ा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। क्या हम फरवरी तक इंतजार नहीं कर सकते थे जो हमें अध्यादेश जारी करना पड़ा ? सभापति महोदय, इसमें जो व्यवस्था की गई हैं वह व्यवस्था करते करते फरवरी में आज यह पास हो सकता था। इन्होंने लिखा है जो सुविधाएं हैं, वह भूतलक्षी प्रभाव से दी जायं। जब नवम्बर में आप भूतलक्षी प्रभाव से दे रहे हो तो फरवरी में भूतलक्षी प्रभाव से देने में क्या परेशानी थी ?

दूसरा, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, दूसरी बात इसमें लिखी है "जो स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी जाती है, वह पेंशन विधायकों को जो पेंशन मिलती है, अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी विधायक भी रह चुका है, और वह स्वतंत्रता सेनानी है तो उनको दोनों ही पेंशन मिलती रहेंगी। विधायक की पेंशन मिलने से स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन नहीं काटी जायगी" यह भी कोई ऐसा मसला नहीं था जिस पर नवम्बर में फैसला करना जरूरी था। इस मसले पर फैसला भी फरवरी में किया जा सकता था। मेरे कहने का मुख्य मतलब है, मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

स्वतंत्रता सेनानियों को दो पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है अध्यादेश जारी करने के कोई कारण उपस्थित नहीं थे। राजस्थान में कोई इस प्रकार की परिस्थिति नहीं थी जिसके कारण राज्यपाल महोदय को अध्यादेश जारी करना पड़ा।

तीसरी, इसमें व्यवस्था की है जो जयपुर में प्राइवेट मकानों में, सरकारी आवासों में जो नहीं रहते हैं, रहते हैं उन माननीय सदस्यों के लिये बिजली और पानी की अधिकतम रेट तय की है। यह तीसरा ऐसा मसला नहीं था, जिसके लिए राज्यपाल महोदय को अध्यादेश जारी कराने के लिए बाध्य किया जाता। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा ये तीन मुख्य बातें थीं जिनके लिये अध्यादेश जारी किया गया। यह कोई ऐसी इमर्जेन्सी की बातें नहीं थी। इन बातों के कारण राजस्थान में कोई विशेष परिस्थिति पैदा नहीं हुई थी। माननीय सभापति महोदय, आप विद्वान आदमी हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस अधिकार, जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है का एक तरह से यह इमर्जेन्सी राइट है। जब विधायी कार्य करने वाली विधान सभा सत्र में नहीं हो, और प्रदेश में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई हों, जिसके लिये सरकार को तुरन्त कदम उठाना आवश्यक हो गया हो तो अध्यादेश जारी किया जाता है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यादेश जारी करने के जो अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार का खुलमखुल्ला दुरुपयोग इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तीन जो मुख्य कारण बताये हैं, विधायकों का रेल किराया बढ़ाना, स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन का मामला और जयपुर में रहने वाले माननीय विधायकों की बिजली और पानी की रेट का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मामला। यह व्यवस्था की गई, इस अध्यादेश में कि यह भूतलक्षी प्रभाव से। लागू होंगे, पहले की डेट से। जब नवम्बर में हम पहले की डेट से जारी कर सकते हैं, तो फरवरी में पहले की डेट से विधेयक लाकर जारी करने में कोई आपत्ति नहीं थी। तो फिर इसके पीछे क्या कारण था कि राज्यपाल महोदय को अध्यादेश जारी करना पड़ा। मैं समझता हूं मेरी नजर में यह तीनों बातें इस प्रकार की नहीं थीं जिनके कारण राज्यपाल महोदय को अध्यादेश जारी करना पड़ा। इसलिये मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं, सदन की गरिमा को देखते हुए, मामले की अर्जेन्सी को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए इस अध्यादेश को अस्वीकृत करें और सरकार को यह बतायें की छोटी-छोटी बातों के लिये इस प्रकार अध्यादेश जारी करना बहुत गलत बात है अधिकारों का दुरुपयोग है। माननीय प्रभारी मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कृपया, वे अपने वक्तव्य में स्पष्ट करें, तीन कारण जो दिये, कौनसे कारण इस प्रकार के थे, क्या राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही थी क्या राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया था, क्या राज्य में आर्थिक संकट खड़ा हो गया था, क्या न्यायालय का कोई ऐसा फैसला हो चुका था जिसके कारण सरकार को तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक था जब कि विधान सभा सत्र में नहीं थी, विधान सभा आने वाले नहीं थी? मैं चाहूंगा, इस संकल्प के द्वारा कि माननीय मंत्री महोदय माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने की कोशिश करें कि ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण इस अध्यादेश को प्रख्यापित करना पड़ा?

अंत में, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, इस अध्यादेश को जारी करना, अध्यादेश जारी करने के लिये संवैधानिक अधिकारों का खुलमखुल्ला भयंकरतम दुरुपयोग है। जनता के सामने विधायकों की प्रतिष्ठा गिराने के लिये यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है कि विधायक दो हजार रुपये के यात्रा भत्ते के लिये इस प्रकार के अध्यादेश को जारी करने के लिये सरकार को बाध्य कर सकते हैं। एक तरह से विधायकों की जनता में प्रतिष्ठा गिराने के लिये, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिये इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया गया है। अतः मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं। माननीय मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करता हूं, इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने के वह कोई कारण समझा दें। हो सकता है बहुमत के आधार पर इसको पास कर लें। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, बहुमत का सहारा न लेते हुए अपने वक्तव्य के द्वारा इन तीन बातों को आप समझा दें, यह स्पष्ट कर दें कि इन कारणों से राज्यपाल महोदय को अध्यादेश जारी करना पड़ा, इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए सदन से निवेदन करूंगा, इस अध्यादेश को निरस्त करे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई नहीं बोलेंगे। आप नाम पुकार दें।

श्री सभापति : माननीय श्री नाथूसिंह।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : यह जो अध्यादेश है, अप्रजातांत्रिक है...

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री त्रिलोकसिंह : तब यहां जम्हूरियत है, देश और व प्रदेश के लोगों ने हमें यहां चुन कर भेजा है तो कोई भी फैसला हो

(श्री त्रिलोकसिंह)

यहां होना चाहिये। गवर्नर को क्या अधिकार है? इसका मतलब यह भी हो सकता है . . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको भी अवसर दे दिया जायगा। अब नाम बोल दिया गया है, माननीय नाथूसिंह जी का। इसलिए आप थोड़ा विराजें।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : सभापति महोदय, मैं यह परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं—

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।"

सभापति महोदय, यह जो अध्यादेश जारी किया गया है, इसके द्वारा मैं समझता हूं, सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ी नहीं, घटी है। सभापति महोदय, विधान सभा का सत्र आने वाला था तब इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने का एक ही कारण देंगे, जो अभी माननीय सदस्य ने बताया है। यह केवल माननीय सदस्यों की यात्रा के लिये दो हजार रुपये बढ़ाये गये हैं। उस समय चूंकि 1982 का वर्ष समाप्त हो रहा था, इसलिए इस अध्यादेश को जारी करना आवश्यक हो गया था। एक मात्र यह कारण देंगे। लेकिन इसमें तीन बातें कही गई हैं। उनमें से एक बात के लिये तो अध्यादेश ला सकते थे बाकी जो दो बातें कही गई हैं उनको तो सदन में बिल के रूप में लाकर जोड़कर ठीक करा सकते थे। लेकिन इन्होंने तीन बातें एक साथ जोड़ कर अध्यादेश निकालने के सरकार के अधिकार का खुल्लमखुल्ला दुरुपयोग किया है, अपरिपक्वता का परिचय दिया है सरकार ने, यह अध्यादेश जारी करके। सभापति महोदय, मैं यह समझता था, सरकार किसी मामले में अध्यादेश जारी करेगी तो सीरियसली उस विषय में विचार करेगी। लेकिन जब इस तरह के अध्यादेश सरकार लाने लग गई है तो लगता है कि सरकार भी सीरियस नहीं है। चाहे जिस मामले में अध्यादेश टिका देना लोकतन्त्र की कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है। अध्यादेश निकालने की जो मूल भावना रही है, यह उसके विपरीत है, माननीय खेतसिंह जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, माननीय परसराम जी भी यहां बैठे हुए हैं, वह भी जानते हैं, छोटे छोटे इस तरह के मामलों में आप अध्यादेश जारी करने लग जायेंगे तो अध्यादेश जारी का सरकार को जो हथियार दिया हुआ है, इसकी क्या परिणिति होगी। हर मामले में अध्यादेश। हमने इसलिए अध्यादेश को अस्वीकार करने के लिये संकल्प प्रस्तुत किया है ताकि यह सरकार समझ जाय कि अध्यादेश सरकार जारी कराये तो कम से कम सोच समझकर कराये, कुछ वजनदार मामले हों या कोई ऐसी अड़चन आ जाय जिससे सरकार को तुरन्त जन साधारण के हित के लिये अध्यादेश जारी करना पड़े। आप जन साधारण का कौनसा हित करना चाहते हैं इस अध्यादेश के द्वारा ? सभापति महोदय, इस बिल पर मैं बोलूंगा तब विस्तृत रूप से बताऊंगा। इन्होंने कहा है, स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये। हम स्वतन्त्रता सेनानियों का बहुत सम्मान करते हैं लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि जिन स्वतन्त्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, उनको आप चन्द रुपये महीना देकर खरीद लें। पैसों से उनके बलिदान का मूल्य चुकाना चाहते हैं

(श्री नाथूसिंह)
उनके बलिदान को तोलना चाहते हैं? क्या है यह? आपने उनको केवल खुश करने के लिये, इसमें बहुत तत्परता दिखायी है। आप अध्यादेश नहीं निकाल करके कम से कम विधान सभा में बिल लाते तो पहले आपको हम समझाते कि इसको पास कराने की आवश्यकता नहीं है। आपने स्वतन्त्रता सेनानियों की इंसल्ट की है इस अध्यादेश के द्वारा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता सेनानियों को कोई बहुत बड़ा सम्मान दे दिया हो आपने, ऐसा नहीं है। कितने लोग स्वतन्त्रता सेनानी हैं? उनकी कोई कोई समस्या हो तो सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, मुझे कोई झिझक नहीं है, जो लोग स्वतन्त्रता सेनानी रहे हैं, उनको पेंशन दें और उन पर पैसा लुटायें लेकिन कम से कम इस बात का ध्यान रखें, जो लोग मरते हैं फौज में रह कर, बलिदान देते हैं, उनको केवल आप वीर चक्र, और न जाने क्या क्या पकड़ा देते हैं। स्वतन्त्रता सेनानी जब तक मरेंगे, वह चाहे करोड़पति आदमी हो, आपने कह दिया उनको पेंशन दी जायगी। मैं इस सिद्धान्त के मूलतः विरोध में हूं।

(व्यवधान)

क्या कह रहे हैं, कल्ला साहब!

श्री बुलाकीदास कल्ला (राज्य मंत्री, शिक्षा): आजादी के आन्दोलन में आपने कुर्बानियां नहीं दीं। कुर्बानियां दी होती तो इसका विरोध नहीं करते।

श्री नाथू सिंह: सभापति महोदय, मैं जानता हूं, कल्ला साहब ने कितनी कुर्बानियां दीं। आपने कुर्बानी पुस्तकों में पढ़ी होंगी, प्रोफेसर साहब कुर्बानी का नाम ही सुना होगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला: मैं उस समय पैदा भी नहीं हुआ था लेकिन हमारी पार्टी ने कुर्बानी की थी।

श्री नाथूसिंह: सभापति महोदय, आप तो पैदा ही नहीं हुए होंगे मेरी तरह से। आप पार्टी पार्टी कर रहे हैं। सभापति महोदय, कल्ला साहब की समझ के बारे में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। यह मात्र लेक्चरार थे किन्तु अपने नाम के साथ प्रोफेसर लगाते हैं। इससे समझ लें, यह कितने विद्वान हैं। He is simply a lecturer लेकिन लिखते हैं प्रो. बी. डी कल्ला। इसलिए इनकी समझ के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। हां, प्रद्युम्न सिंह जी समझ सकते हैं।

श्री सभापति: टू दी पाइन्ट कहिये, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह: मैं घोषणा कर रहा हूं, वोटों की चिन्ता करना मुझे नहीं आता। यह मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। मेरे क्षेत्र में भी बहुत स्वतंत्रता सेनानी होंगे और जगह भी होंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात): राजस्थान में 6 हैं। आपको यह भी वहम हो रहा है कि राजस्थान में . . .

श्री नाथूसिंह: आपकी जानकारी मेरे से ज्यादा है, यह मैं मानता हूं। मुझे इस तरह की जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने इस तरह की पेंशन नहीं ली है, न लूंगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा: जब एलान किया

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
ईश्वरचन्द्र भटनागर ने कि यह बिल लाये हों . . .

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम को मालूम है कि आपकी पार्टी के नेता भाषण देते थे कि हमारी पार्टी के एम.पी. और एम एल.एज. को पेंशन मिलेगी तो लेंगे नहीं। क्या वह बिल लाये राज्य सभा में। आपकी कथनी करनी में फर्क है।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, हम तो ढाई साल रहे और ढाई साल में जनता की तरफ जितना ध्यान दिया . . .

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह घनश्याम जी से सीखो। उन्होंने कायदे की बात कही। आपकी बातों में क्या रखा है।

श्री नाथूसिंह : हमारे यहां ऐसा नहीं चलता कि एक की टांग दूसरा खींचे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन को संबोधित करें।

श्री नाथूसिंह : प्रद्युम्न सिंह व बनवारी लालजी दोनों एक ही पार्टी के सदस्य हैं। वे जैसा व्यवहार करते हैं, क्या हम भी वैसा ही करें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, टू दी पाइन्ट कहें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, अगर इसकी मूल भावना है कि उनको आर्थिक कठिनाई है वह आर्थिक कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं तो आप उनको अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दें। उनको कंसेशन्स दें इंडस्ट्री लगाने के लिये या कोई नौकरी या और ऐसी चीज दें जिससे वे आजीविका कमा सके और कम से कम स्वाभिमान के साथ जी सकें लेकिन आप केवल चन्द पैसे इस तरह से अध्यादेश निकाल कर दान दक्षिणा के रूप में देना चाहें तो मैं समझता हूं कि यह स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्रूर मजाक है, उनकी इंसल्ट है। इसलिए सभापति महोदय, यह जो पीछे के दरवाजे से लाया गया है अध्यादेश इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें अधिकारों का सरासर दुरुपयोग किया गया है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि सदन इस अध्यादेश को अस्वीकार करे।

श्री सभापति : श्री त्रिलोकसिंह

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : सभापति महोदय, यह जो अध्यादेश जारी किया गया है अगर यह विधायकों कि पेंशन के बारे में, सहूलियतों के बारे में न होकर गंगानगर के किसानों के बारे में होता कि सरकार उनको फौरी तौर पर मुआवजा देगी तो ज्यादा वाजिब और वजनदार होता। यह कैसा तमाशा है? राजस्थान की चार करोड़ जनता हम से पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे। हम यहां बैठे हैं, लोगों ने हमको चुन कर भेजा है। हम यहां बैठे रहें और हम को पता ही नहीं हो कि राज्यपाल ने अध्यादेश निकाल दिया और उन्होंने फैसला कर दिया कि ये-ये सहूलियतें इस तरह की मिलेंगी। यह एक विवादग्रस्त मुद्दा है। यह इस तरह का दस्तावेज है जो काबिले एतराज है और खास तौर से हमारे प्रजातंत्र पर कलंक है।

अब इसके मुद्दों पर जाता हूं। एक मुद्दा है, फ्रीडम फाइटर को पेंशन मिले। यह मुद्दा

(श्री त्रिलोक सिंह)

इस मुल्क में बहुत विवादग्रस्त है । अभी गत 24 जनवरी को मेरे जिले में, मेरे इलाके में फतेहपुर में स्वतंत्रता सेनानियों का जल्सा हुआ । सभी कांग्रेसी गये थे । मुझे भी बुलाया गया था । जिस प्रकार का प्रदर्शन वहां हुआ उसको देखते हुए मैंने उनको समझाया कि मुल्क की आजादी का दावेदार न कोई एक व्यक्ति है, न कोई एक पार्टी है । हिन्दुस्तान को आजाद,हिन्दुस्तान के लोगों ने कराया, मुझे यह कहना पड़ा कि जिन लोगों ने हिन्दुस्तान के लिये कुर्बानी दी वे कांग्रेसी नहीं थे । भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरू और आजाद हिन्द फौज के लोग कांग्रेसी नहीं थे और न बम्बई के नेवी विद्रोही कांग्रेसी थे । इसके अलावा मैंने कहा कि राजस्थना में अगर कहीं कुर्बानी दी, शहीद हुए तो मेरे इलाके सीकर शेखावाटी में सबसे ज्यादा हुए । मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि आपके तांत्या-टोपे मेरे गांव में रहे जो हिन्दुस्तान की आजादी के सबसे बड़े सैनिक थे ।

श्री तेजपाल यादव (चौमू) : आपके घर में नहीं रहे होंगे । 1942 में आपने क्या किया ? आप तो अंग्रेजों के समर्थक थे ।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : उस समय उस आन्दोलन को प्रतिक्रियावादी आन्दोलन कहा गया था, यह भी सही है यह कहने में नाराज क्यों होते हो माननीय सदस्य ?

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : अगर सीकर के पांच हजार लोग राजा के खिलाफ जाते हैं और हमारा बेटा शहीद होता है तो उस आन्दोलन को तुम्हें शर्म नहीं आती, प्रतिक्रियावादी आन्दोलन कहते हुए ×××जब हम...

(व्यवधान)

श्री तेजपाल यादव : दुश्मन पार्टी थी आपकी कांग्रेस पार्टी ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शांत रहें ।

श्री त्रिलोकसिंह : आप बैठ जाओ । मैं मेरी पार्टी की बात कह रहा हूं, किसानों की बात कह रहा हूं ।

सीकर शेखावाटी के किसानों ने कुदन खुडी में खून दिया, जयसिंहपुरा में खून दिया और मेरे गांव में खून दिया । उनको आप प्रतिक्रियावादी कहते हो ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ने 1942 में हिन्दुस्तान की आजादी के खिलाफ काम किया है उसे इसलिए कहते हैं ।

श्री त्रिलोकसिंह : ×××

(व्यवधान)

श्री तेजपाल यादव : जब कांग्रेस पार्टी आजादी के लिये लड़ रही थी उस समय आपकी पार्टी क्या कर रही थी ?...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, टू दी पाइंट कहिये ।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

Page No 122

(122)

(श्री तेजपाल यादव)

1857 में, मुल्क की आजादी के लिये जिन्होंने बगावत की थी, मेरे इलाके में अंग्रेजों ने गांव के गांव फूंक दिये थे। मेरे गांव के लोग जेलों में रहे। 7 साल तक मेरे पुरखे जेल में रहे। हमने तांत्या टोपे को पनाह दी थी, कान्हा भील को पनाह दी थी। उसके बाद हम सब जागीरदारों से लड़े। उस समय आप लोग तो ×××

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तांत्या टोपे की बात है, 1857 से जिन्होंने मुल्क के लिये लड़ाई लड़ी उनके लिये ही तो हम यह सारा कर रहे हैं। अब, माननीय सभापति महोदय, मैं आप से निवेदन करूंगा...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहेंगे।

श्री त्रिलोकसिंह : मेरे इलाके में सीकर शेखावाटी में....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे को भी पता है कि क्या हुआ था ?

श्री त्रिलोकसिंह : जगीरदारों को पेंशन दी जा रही है। यह धोखा है। सरकारी खजाने को लूटाया जा रहा है। इसलिये हम कहते हैं कि मुल्क के लिये जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनको पेंशन दी जाये, हमें इस बात से गुरेज नहीं है। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको नहीं दी जा रही है। उन लोगों को दी जा रही है जो गलत आदमी है××× लोगों को लूटते थे, गांवों को जलाते थे उनको यह पेंशन दी जा रही है।

दूसरी बात यह है कि यह पीछे के रास्ते से....

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपवर्जित की गई।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें।

श्री त्रिलोकसिंह : जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

मैं इस अध्यादेश के विषय में कहूंगा, इसको पीछे से लाने की क्या जरूरत थी। अध्यादेश गंगानगर के लिये लाते, वहां के विद्यार्थियों को कन्सेशन देने के लिये बना देते तो उचित होता। महज जनता के नुमाइन्दों, चाहे वे किसी पार्टी के हों, तो इस अध्यादेश के द्वारा सहूलियतें दे कर हमें जनता में बदनाम करना है कि कांग्रेस पार्टी के एम. एल. एज. ने ही नहीं, सभी एम. एल. एज. ने अपनी अपनी सहूलियतें और पेंशन बढ़ा ली है। इसलिये हम इस अध्यादेश की सख्त मुखालफत करते हैं। मैं आप से अपील करता हूं कि इसको समाप्त किया जावे।

श्री सभापति : माननीय खेतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कटारियाजी कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री सभापति : वे प्रत्युत्तर देंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति जी मेरा यह संकल्प है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आखिर इस सदन में अध्यादेश लाना क्या बुरा नहीं है ? इसके पिछे क्या हेतु है ? किन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

परिस्थितियों में, किस कारणवश यह लाया गया है। हमारे कार्य में कोई ऐसी दुविधा या संकट आ गया जिससे हम नहीं निकल सकते हैं तो इस प्रोविजन का उपयोग करके राज्यपाल महोदय हमारे काम में रूकावट पैदा करने वाली स्थिति को समाप्त करने और उसे गति देने के लिये अध्यादेश जारी कर सकते थे। परन्तु पिछले कई सत्रों में जो अध्यादेश रखे गये हैं उससे साफ है कि यह अध्यादेश के द्वारा राज्य चलाने वाली सरकार है। मैं तो अब तक यह देखता रहा हूं कि अध्यादेश जारी होते हैं और हम से सत्र में उन पर छाप लगवाई जाती है। क्या हम नाकाबिल हैं? क्या हम लोगों की समझ कम हो चुकी है या हम प्रोसीजर को नहीं समझते हैं? आखिर हम यहां आकर हाउस में राजस्थान के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जनता का तकाजा यह है उसकी भावनाओं के आधार पर हम अपनी बुद्धि से कानून पास करें। परन्तु अध्यादेश लाने की एक परिपाटी, एक रिवाज बन गया है। इसके माध्यम से सतारूढ़ दल के सदस्य, चाहें आधे सदस्य भोजन करने चले गये हों, आधे सदस्य हाथ खड़े कर देंगे और यह पास हो जायेगा। आपके मन में यह कमजोरी क्यों है? कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी पार्टी की सरकार हो, इस तरह छोटे छोटे काम के लिये यदि वह अध्यादेश जारी करती है तो कानून का गला घोंटती है। इसका परिणाम आज नहीं तो दस बीस वर्षों के बाद भुगतना पड़ेगा, जब इस देश की जनता पर सरकार अध्यादेश के माध्यम से जुल्म ढायेंगी। आपने सारे अध्यादेश के पाइन्ट को देखा है। हम को दो हजार रुपये के कूपन 15 मार्च तक मिल गये। किसी ने लिये। किसी के ऐसे ही पड़े रह गये। हम को जो कूपन दिये गये, वह भी भूतलक्षी प्रभाव से पहले से ही दिये गये।

जितने भी स्वतन्त्रता सेनानी हैं उनको हम सम्मान देते हैं। निश्चित रूप से उनकी देख-भाल करने की जिम्मेदारी देश पर है। किन्तु उनको 200/- रुपये दे देने से क्या उस की देख भाल हो जायेगी। आप चाहते हैं कि जो स्वतन्त्रता सेनानी हैं और एम. एल. ए. भी हैं उनको दोनों प्रकार की पेंशन मिले। यह इसमें लेने की क्या जरूरत थी? स्वतंत्रता सेनानी को मेडिकल सहयता, उनके बच्चों को शिक्षा मिले यह तो ठीक है जो लोग वास्तव में हेन्ड टू माउथ हैं, जिनको जीवन चलाना कठिन हो गया है उनको दें। परन्तु जिनके पास पैसा है, सम्पत्ति है, जो आराम से गुजर कर सकते हैं उनको देने की क्या जरूरत है। ऐसे कई लोग हैं जो इस बात का विरोध करते हैं।

श्री सभापति : उनको सम्मान दे रहे हैं..

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह उनका सम्मान नहीं हुआ। पैसे से किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता। यह हमारी गलत धारणा है। अगर यह धारणा है तो आप बोली लगा दें, हिंदुस्तान की रक्षा के लिये जो लोग बलिदान करेंगे, उनके बच्चों को एक हजार रुपये की पेंशन दी जायेगी। देखें कितने लोग मरने के लिये तैयार होते हैं। पैसे के आधार पर कोई मरने को तैयार नहीं होता है। यह प्रश्न भावनाओं के साथ जुड़ा है। दुर्भाग्य से हम इस बात को नीचे ले जा रहे हैं। मेरी धारणा यह है कि उनमें से एक पर्सेंट लोग भी आज को इस बात को पसन्द नहीं करेंगे। हम लोग विधान सभा के लिये चुन कर आये हैं हमारी पेंशन और उस पेंशन में टकराव है, इस कारण हमें दोनों ही मिलती रहे यह हमने अपने

(श्री **गुलाबचन्द कटारिया**)

स्वार्थ के कारण किया है। मैं किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के विरूद्ध नहीं हूं। हमारा बिजली पानी के बिल का जो 150 रुपया फिक्स्ड था, वह आपके अनुसार कम पड़ता है। इसलिये अब हम चाहे जितना खर्च करें सरकार उसका भुगतान करेगी। क्या 150 रुपया हमारे लिये पर्याप्त नहीं था ? हमारा स्वभाव बन गया है, देश को लूटने का, पैसे दुरुपयोग करने का, उसका आपने एक और रास्ता खोला है। सामान्य व्यक्ति हम से पूछेगा कि क्या 150 रुपया बिजली पानी के लिये कम होता है जिसके कारण आपको यह शब्द जोड़ना पड़ा है "जितना एक्चुअल होगा उतना पैसा देय होगा" इसका मतलब दो हजार, तीन हजार रुपया खर्च करो।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : आपने इसको पढ़ा नहीं है। ऐसा नहीं है।

...श्री **गुलाबचन्द कटारिया** : 150 रुपये या एक्चुअल क्या सीमा इसमें है ? चाहे जितने की छूट दे दो, तो ठीक है। लेकिन मेरा आप से केवल मुख्य निवेदन यह है, इसको अस्वीकार करने के लिये मेरा हेतु यह है कि इस प्रकार के छोटे - मोटे काम के लिये अध्यादेश जारी करने की कोशिश का उपयोग न हो। बिना अध्यादेश के, सदन की राय से कानून इसको पास कराया जा सकता है।... कोई भी एम. एल. ए. साल भर में कितना सफर करेगा ? जयपुर में जो रहता है उसके कूपन पड़े रहेंगे, वे कोई काम नहीं आयेंगे। जो बांसवाड़ा में रहता है उसको कूपन की ज्यादा जरूरत है लेकिन आपने इस स्टेज पर दोनों को बराबर किया है। होना तो यह चाहिये था कि विदिन दी स्टेट तो उसको छूट हो कि वह कितना भी चाहे घूम सकता है लेकिन स्टेट के बाहर के लिये उस पर सीमा लगायी जा सकती थी, चाहे हजार की हो, चाहे दो हजार की, मगर इस प्रकार से करते तो मतलब समझ में आता। आपने जो रुपया बढ़ाया है वह भी अब बढ़ा हुआ नहीं रहा। सामान्य व्यक्ति हमारे से प्रश्न पूछ सकता है कि आपको तो थोड़ी सी जरूरत पड़ी और आपने 8–10 हजार हजार रुपया ले लिया लेकिन एक गरीब कर्मचारी अगर डिमान्ड करता है 8–150 रुपये के मकान किराये की और वह अपना विरोध प्रकट करने के लिये यहां जलूस लेकर आता है तो उसके ऊपर डंडे बरसाये जाते हैं। आखिर हमें यह देखना होगा कि हम इसको ठीक तरह से लायें और ठीक ढंग से ही लागू करें ताकि हम अपने काम को सही ढंग से कर सकें और लोगों के सामने जो यह घटिया तरीके से प्रदर्शन हो रहा है अध्यादेश के माध्यम से सुविधा लेने का, वह नहीं हो। आपका बहुमत है इसलिये आप इसको पास करा लेंगे पर यह कोई तरीका नहीं है। मैं समझता हूं कि इस अध्यादेश को निरस्त करने का मैंने जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार करेंगे।

श्री **सभापति** : माननीय राज्य मंत्री।

श्री**खेतसिंह राठौड़**। आप भी बोलेंगी ?

श्रीमती **विद्या पाठक (सांगानेर)** : सभापति महोदय, इसमें मेरा भी नाम है।

(4.23 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री **खेतसिंह राठौड़** : आपके काफी माननीय सदस्य बोल गये हैं।

श्री **अध्यक्ष** : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संकल्प है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां तथा पेंशन) (संशोधन), अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1982) को अस्वीकार करता है । आर्डिनेन्स जो इश्यू किया गया है उसको देखने से चार पॉइंट्स का पता चलता है एक तो जो पेंशन पोलिटिकल सफर्स को मिल रही है, उसके विषय में है । दूसरे, विधान सभा सदस्यों को मिलने वाली पेंशन को कम्यूट नहीं किया जायेगा । सदस्यों को मिलने वाला रेल किराया 4 हजार से 6 हजार किया गया है और 150 रु. तक का पानी बिजली का बिल माननीय सदस्यों को एक्चुअल का रिम्‍एम्बर्स किया जायेगा, इसकी स्वीकृति दी जा सकेगी ।

इसमें पहला तो यह निवेदन करना चाहती हूं, इन चार बातों की इतनी कोई आवश्यकता नहीं थी कि इसके लिये आर्डिनेन्स लाया जाता, इसको आर्डिनेन्स के माध्यम से लाने का कोई औचित्य नहीं था ।

इसके बाद दूसरा मुद्दा आता है, पोलिटिकल सफर्रस का पेंशन का दिया गया है, उसमें एक तो कारण यह है कि पोलिटिकल सफरर्स की सफरिंग्स को पैसों से नहीं आंका जा सकता है पर उनको किसी तरह की मदद दी जाती है तो किसी को आपत्ति करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती, नहीं करनी चाहिये । परन्तु, अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ पोलिटिकल सफरर्स की पेंशन का ही क्यों किया है, पेंशन तो नौकरी से रिटायर होकर भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और वह रिटायर होने के बाद भी वह एम. एल. ए. बन सकता है । पेंशन कोई ऐसी अनवेलीएबल सिचुएशन नहीं है कि जिसका पैसा इसमें काटा जाय । सिर्फ पोलिटीकल सफरर्स का किया है यह पर्याप्त नहीं है । एक सीलींग बनायी जा सकती है । हर पेन्शनर्स को इस नियम के तहत लाने का प्रयास किया जाने की बहुत जरूरत है ।

जहां तक दूसरे मुद्दे का सवाल है, 150 रुपया बिजली पानी का करने का निर्णय है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो आश्चर्य हुआ, इस अध्यादेश को लाने की जरूरत क्यों पड़ी । गवर्नमेंट एकोमोडेशन में जितने माननीय सदस्य रहते हैं सरकार को उनके खर्चे का तो पता ही है इसके माध्यम से जो एक्चुअल अपेक्षा थी आज के मूल्यों को देखते हुए वह भी पूरी नहीं होती है, एक तो अध्यक्ष महोदय, हम एकोमोडेशन दे नहीं सकते हैं । उसके बाद उनको उसका बिल भी प्रोड्यूज करना होगा, बिल प्रोड्यूज करने के बाद ही उसका पेमेंट मिलेगा । इसमें यह नहीं सोचा गया है कि कई बार बिल बढ़े हुए आते हैं, कितनी ही बार बिल लेट आता है, पेनल्टी के साथ जमा करवाना पड़ता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के दिन शायद ही कोई माननीय सदस्य होगा जिसका कि 150 रुपये से कम का बिल आता हो । 400-450 रुपये का बिल आता है, तो कोई अनहोनी बात नहीं है । अधिकतर 150 से ज्यादा का ही बिल आता है । मुझे लगता है कि यह माननीय मंत्री महोदय के दिमाग की उपज नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री महोदय भी विधान सभा के सदस्य हैं उनको सदस्यों की पूरी परिस्थिति की समझ तो होगी कि बिल प्रोड्यूज करने और उसका एक्चुअल रिएम्बर्समेंट किस

(श्रीमती विद्या पाठक)

तरह लेने, कोई कठिनाई हो सकती है। इसका कोई औचित्य भी नहीं है। यह निश्चित रूप से उनके दिमाग की उपज नहीं है। मंत्री महोदय, आप तो चाह कर भी हीराबाग में सदस्यों को मकान नहीं दिलवा सके, हीराबाग फ्लेट्स एम. एल. एज. के लिये नहीं ले पाये, यह तो आफिसर लोगों के दिमाग की उपज है जिसके कि माननीय मंत्री महोदय खुद भी शिकार हो गये हैं। मंत्री महोदय आपके अधिकारियों में से कितने ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े बंगले हैं और जिनको उन्होंने रेंट आउट कर रखा है। कितने धन का दुरुपयोग उनके द्वारा अनुचित रूप से हो रहा है। आपने इकोनोमी करने की सोची भी तो कहां सोची। कुल पांच सात एम. एल. एज. हैं, उनके लिये भी आपने प्रेक्टिकल आस्पेक्टस के आधार पर नहीं सोचा। इससे इफेक्टेड होने वाले माननीय सदस्यों को यदि आप एक बार बुलाकर चर्चा कर लेते तो यह नियम या यह अध्यादेश जो बनाने जा रहे हैं, ज्यादा प्रेक्टिकल हो जाता। यह भी आपने नहीं सोचा विधान सभा की टर्म खत्म होने के बाद सदस्यों के फर्नीचर ओवर ड्यू निकलता है, उसी तरह से यह नल बिजली का भी एरियर निकलेगा, जो सदस्य फिर जयपुर से बाहर चले जाते हैं उनकी क्या स्थिति होगी, यह बात इस अध्यादेश को बनाने वालों ने नहीं सोची है इसलिये ऐसी परिस्थिति में इस अध्यादेश को वापस लिया जाना चाहिये।

श्री खेतसिंह राठोड़ : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के कई माननीय सदस्यों ने संकल्प रखा है और कहा है कि आर्डिनेंस के रूप में लाने की क्या आवश्यकता थी, इसको बिल के रूप में भी लाया जा सकता था। हमको आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी थी कि रेलवे कूपन्स जो माननीय सदस्यों को दिये जाते हैं वे 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक ही दिये जाते हैं और चूंकि 31 दिसम्बर को ये कूपन्स खतम हो गये थे, इसके अलावा सदन की हाउस कमेटी का भी यह आग्रह था और यह सिफारिश थी कि रेलवे कूपन्स के बारे में जल्दी से जल्दी फैसला किया जाना चाहिए, रेलवे आथोरिटी ने भी लिखा था कि अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी सूचना भेजें जिससे कि हम कूपन्स को प्रिंट करवा कर आपको भिजवा सकें यह परिस्थिति सबसे ज्यादा थी जिसकी वजह से आर्डिनेंस लाने की हमको आवश्यकता पड़ी। इस आर्डिनेंस के फलस्वरूप ही माननीय सदस्य बेंगलोर और हैदराबाद आदि कई जगहों पर पधार सके।

दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह परम्परा बहुत गलत पड़ रही है। माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये जो बिल आता है उसके बारे में डिसकशन नहीं होता है। हम जो कुछ इस बिल में लाये हैं वह हाउस कमेटी की सिफारिश के अनुरूप है जिसमें आपकी पार्टी के सदस्य भी शामिल होते हैं। हमारे भी सदस्य होते हैं यह तो सारे सदन की समिति होती है...

श्री भैरोसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : क्या उसमें यह कहा गया था कि आर्डिनेंस लाया जाये।

श्री खेतसिंह राठोड़ : यह सिफारिश की थी कि चार से छः हजार किया जाय, यह तो फर्मा ही दिया है कि आर्डिनेंस लाने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके रीजन बता दिये हैं।

(श्री खेतसिंह राठौड़)
दूसरा जो पाइन्ट है

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या हाउस कमेटी ने यह कहा था कि आर्डिनेंस लाया जाय ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हाउस कमेटी की सिफारिशों को हमने इज्जत दी है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक बात माननीय सदस्य बता दें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सदस्य नहीं, माननीय मंत्री ।

~~श्री भैरोंसिह शेखावत : हां मंत्री । शाबासी लेने के लिये पीछे मत देखो सामने देखो ।~~

मैं यह जानकारी चाहता हूं कि हाउस कमेटी की क्या यह सिफारिश थी या आपने हाउस कमेटी को यह जानकारी दी थी कि इसके लिए आर्डिनेंस लाना होगा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस कमेटी ने तो 3-4 सिफारिशें की थीं उसमें एक सिफारिश यह थी कि 4 हजार से 6 हजार के रेलवे कूपन किये जायें । क्योंकि किराया बढ़ गया है और माननीय सदस्यों की भी यह राय थी । आर्डिनेंस लाने की कोई हाउस कमेटी ने सिफारिश नहीं की थी वह तो हम इसलिए लाये थे क्योंकि 31 दिसम्बर को कूपन खतम हो चुके थे । असेम्बली सैशन फरवरी में आने वाला था इसलिए हमने देखा, डेढ़ महीने का गैप रह जायेगा जिसमें माननीय सदस्य कहीं और भी भारत दर्शन के लिये, या किसी इम्पार्टेन्ट मीटिंग में, किसी अभियान में, या चुनाव प्रचार में जाना चाहें तो उनको सहूलियत मिल जाये । उस दृष्टि से हमने यह व्यवस्था की थी ।

दूसरी बात जो आपने कही, 4 महीने के लिए क्यों किया है, 4 महीने तक कोई भी माननीय सदस्य रह सकता है । यह आप ही का सुझाव था । मान्यवर, आपकी सरकार ढाई वर्ष में ही . . .

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह किसने कहा ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जनता पार्टी की सरकार ढाई वर्ष में ही पलायन कर गयी थी । जब आपको एकदम हटना पड़ गया था, आप बौखला गये थे । आप बंगले छोड़ना तो नहीं चाहते थे, छोड़ने भी पड़ रहे थे । वैसी परिस्थिति में कई महीने तक वह जमे रहे । जब वह जमे रहे तो यह सुझाव दिया कि हमारे ऊपर बहुत भारी किराया बढ़ जायेगा । इसमें से थोड़ा बहुत रैगुलराइज करके 4 महीनों का कर दो ताकि सबको सहूलियत रहे । 4 महीने से अधिक रहेंगे तो उसके ऊपर स्टैण्डर्ड रैन्ट लगेगा ही । जो 4 महीने की सहूलियत दी थी वह सहूलियत रैन्ट इसलिए ही दी थी ।

तीसरी बात आप पेंशन की करते हैं । श्रीमान् मैं सीकर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा, आप कहते हैं, कौन पेंशन लेना चाहता है । ढाई वर्ष में तो 5 वर्ष की पेंशन लेने के लिये तय किया और ढाई वर्ष में पधार गये । 125 रुपये के हकदार थे लेकिन आप को 250 रुपये पूरे मिले । हमने 5 वर्ष की अवधि पूरी की है और हम पेंशन के हकदार हैं . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह किसने किया अमेण्डमेंट ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप और हम सब शरीक हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बतायें किसने किया ? अध्यक्ष महोदय, हम आगे उसके पहले ही लॉ बन चुका था । लॉ मिनिस्टर की पालियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टरी की अज्ञानता के ऊपर में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जितना कम कहें, दोनों एक दूसरे के लिये उतना ही अच्छा है ।

दूसरा निवेदन था, श्रीमन् स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इस विषय पर ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं । जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दीं, दुःख झेले, जेलों में रहे, चक्कियां पीसीं, उनकी वजह से आज अपन स्वतंत्रता का आनन्द ले रहे हैं । यदि उनको कोई पेंशन यहां से मिलती है और वह यहां मेम्बर रहते है तो अपने यहां पर यह प्रावधान था कि एक पेंशन ले सकता है, दूसरी नहीं ले सकता है । तो स्वतंत्रता सेनानी दोनों पेंशनों के हकदार हों, यह तो बहुत उचित बात है, इसमें बहस का सवाल नहीं और प्रान्तों में इस प्रकार की व्यवस्थायें हैं । मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता अपने दल के माननीय सदस्यों को कहेंगे कि इस पर बहस की आवश्यकता नहीं है । इसे तुरन्त पारित करने में ही सबका हित है....

श्रीमती विद्या पाठक : रिएम्बर्समेण्ट वाला तो वापस लीजिए आप माननीय मंत्री जी, इस सिचुएशन में कभी भी पड़ जायेंगे तो मुश्किल हो जायेगी । आप अपने मकान में रहते हैं

श्री खेतसिंह राठौड़ : पड़ सकते हैं, मैंने कब कहा कि नहीं पड़ सकते । सिचुएशन मेरी और आपकी दोनों की एक सी हो सकती है, अलग-अलग भी हो सकती है,

श्रीमती विद्या पाठक : मंत्री जी, यह कोई टेक्निकल भी नहीं है आप क्लेरिकल स्टाफ और अपना स्टेब्लिशमेण्ट बढ़ा रहे हैं और सदस्यों के लिये प्रॉब्लम क्रियेट कर रहे हों । इसको आप ग्रेसफुल्ली वापस ले लें तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष : संकल्प पर मतदान ।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 9, सन् 1982) को अस्वीकार करता है ।

(ध्वनि-मतदान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां पक्ष जीता

श्री अध्यक्ष : दुबारा पूछ लेते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां पूछ लीजिए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 9, सन् 1982) को अस्वीकार करता है ।

(ध्वनि-मतदान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां पक्ष जीता ।

श्री अध्यक्ष : विभाजन चाहते हैं ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : हां विभाजन चाहते हैं। कॉन्स्टीट्यूशन का और विधान सभा के सदस्यों का जिस तरह अपमान किया जा रहा है, उसे कांग्रेस पार्टी सहन कर सकती है, हम नहीं सह सकते, हम चाहेंगे इस प्रश्न पर मत विभाजन हो यह दुर्भाग्य है कि हम जो कुछ अपनी भावनायें व्यक्त कर रहे हैं, वह वैसा ही है जैसे भैंस के आगे मृदंग बजाना।

खेतसिंह जी कोई जिम्मेदारी की बात कहना अपने आप में वैसी।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : यह भाषण की स्टेज नहीं है। ना और हां कह दीजिए।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : लाइटली इस मामले को लिया है। आप अपने आप को जैसा हल्का समझते हैं विधान सभा को भी वैसी ही हल्की बनाना चाहते हैं।

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : आपने कानून बनाकर सुविधा दी है। गैर कानूनी तरीके से मेरी पार्टी के सदस्य ने किसी भी सुविधा का दुरूपयोग नहीं किया है या उपयोग नहीं किया है। आपने ऑर्डिनेंस इश्यू करके मैम्बर्स को सुविधा दी है, जबरन नहीं ली है।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : आप भी हाउस कमेटी में मैम्बर थे?

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : कोई किसी हाउस कमेटी के साथ नहीं गये।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : हमें क्या गरज पड़ी है.

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : आपको क्या गरज पड़ी थी विधायकों की खुशामद करने की। मैं बताऊंगा हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा ऑर्डिनेंस जारी हुआ है। एम. एल. ए. की सुविधाओं को लेकिर ऑर्डिनेंस इश्यू कर विधान सभा का अपमान करा है कांग्रेस के लोग इसका विरोध कर रहे हैं इतना बड़ा अपमान इस हाउस का 30 वर्ष के इतिहास में नहीं हुआ जितना इस सरकार ने विधायकों को इन्वॉल्व करके ऑर्डिनेंस लाकर किया है।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : ऑर्डिनेंस नहीं आया था तब तो कई माननीय सदस्यों ने कहा था ऑर्डिनेंस लाओ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : कोई कहते होंगे, क्या फर्क हुआ कोई मैम्बर कहते है और कोई नहीं कहते।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : जरूरी नहीं है कि आपकी राय मानी जाये।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश 1982 (अध्यादेश संख्या 9 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

(ध्वनि-मतदान)

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : हां पक्ष जीता।

श्री **अध्यक्ष** : जो माननीय सदस्य संकल्प के पक्ष में हों वह हां पक्ष की लॉबी में, जो संकल्प के विरोध में हों वह ना पक्ष की लॉबी में पधारने का कष्ट करें। सदन की अनुमति से बैठक का समय इस विभाजन के परिणाम आने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

(मतदान)

माननीय सदस्य यहां पर कन्वेसिंग नहीं करें।

(श्री अध्यक्ष)

मत विभाजन का परिणाम—

हां पक्ष–16 मत

ना पक्ष–47 मत

तटस्थ–2 मत

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

मत-विभाजन

ना पक्ष

क्र. सं.	नाम
1.	श्री अमराराम
2.	श्री अमीन खां
3.	श्रीमती कमला भील
4.	श्री केसरीचन्द चौधरी
5.	श्री खेतसिंह राठौड़
6.	श्री गोविन्द अामलिया
7.	श्री गोविन्दसिंह गुर्जर
8.	श्री घासीराम यादव
9.	श्री चेतराम
10.	श्री छोगाराम बकोलिया
11.	श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी
12.	श्री जयकृष्ण शर्मा
13.	श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया
14.	श्री ज्ञानसिंह चौधरी
15.	श्री दिनेश डांगी
16.	श्री दीन मोहम्मद
17.	श्री दीपचन्द
18.	श्री देवदत्त तिवाड़ी
19.	श्री देवीलाल
20.	श्री परसराम मोदिया
21.	श्री पीरूराम
22.	श्री प्रद्युम्नसिंह
23.	श्री प्रभुलाल
24.	श्री बुलाकी दास कल्ला
25.	श्री भंवरलाल मेघवाल
26.	श्री भरतलाल
27.	श्री मनफूलराम
28.	श्री मोहनलाल मोदी
29.	श्री मोहनलाल जाट
30.	श्री राम किशन
31.	श्री राम नारायण हूंडी
32.	श्री राम रघुनाथ चौधरी
33.	श्री रामेश्वरलाल
34.	श्री रेवतराम चौधरी
35.	श्री लक्ष्मीनारायण भांभू
36.	श्री विष्णु प्रकाश बजारी
37.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
38.	श्री शोभाराम
39.	श्री श्रीराम गोटेवाला
40.	श्री सुनील कुमार विश्नोई
41.	श्री सुन्दरलाल
42.	श्री सुरेन्द्र व्यास
43.	श्री सूरजपालसिंह
44.	श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर
45.	डा. श्री हरिसिंह (फुलेरा)
46.	श्री हरिसिंह (महुआ)
47.	श्री हीरालाल देवपुरा

हां पक्ष

क्र. सं.	नाम
1	2
1.	श्री कैलाश चन्द मेघवाल
2.	श्री गुलाबचन्द कटारिया

Page No 131

(131)

(श्री अध्यक्ष)

1	2
3.	श्री घनश्याम तिवाड़ी
4.	श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी
5.	श्री छीतरलाल आर्य
6.	सुश्री पुष्पा जैन
7.	श्री बालचन्द्र आर्यवीर
8.	श्री भगवानदास शास्त्री
9.	श्री भैरोंसिंह शेखावत
10.	श्री महावीर प्रसाद
11.	श्री मेघराज तावड़
12.	श्री रघुवीरसिंह कौशल
13.	श्री रामकिशोर मीणा
14.	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी
15.	श्रीमती विद्या पाठक
16.	श्री हीरालाल आर्य

तटस्थ माननीय सदस्यों के नाम अंकित नहीं किये गये ।

प्रभारी मंत्री जी उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन विधेयक, 1983 के साथ वित्तीय (संशोधन) ज्ञापन और धन खण्ड

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ग्राफ ऑर्डर ।

अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 61 की **ओर** आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस नियम में लिखा है—

61-A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expediture involved in case the Bill is passed into Law.

(2) Clauses or provisions in Bills involving expenditure from public funds shall be printed in thick type or in italics :

Provided that where a clause in a Bill involving expenditure is not printed in thick type or in italics, the Speaker may permit the member incharge of the Bill to bring such clauses to the notice of the House.

अध्यक्ष महोदय, यह तो नियम की व्यवस्था है । अब इस बिल के साथ जो फाइनेन्सियल मेमोरेन्डम दिया है वह मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं । आपको यह फैसला करना है कि क्या नियमों की कम्प्लायेन्स हो रही है । अच्छा हुआ मुख्य-मन्त्री जी आ गये । सेक्शन 4 है :—

Section 4-A of the principal Act provides for the deduction of the amount of pension.

Clause 3 of the Bill which proposes to amend section 8-B of the principal Act propose to provide for the payment of six thousand rupees instead of four thousand rupees to each member of Rajasthan Legislative Assembly on account of travelling facilities. This will involve an extra expen-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
diture of two thousand rupees per member amounting to the total expenditure of Rs. 4 lacs per year.

श्री खेतसिंह राठौड़ : हिन्दी में पढ़ दें तो आपको क्या...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप हिन्दी में सुन लीजिये :—

"मूल अधिनियम की धारा 4-क में राजनैतिक पीड़ितों को, जो राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे हैं, संदेय पेंशन की रकम, उन्हें विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के रूप में संदेय पेंशन की रकम में से काट लेने का उपबन्ध है। इस विधेयक के खण्ड 2 के परिणामस्वरूप राजनैतिक पीड़ितों को संदेय पेंशन की रकम, उन्हें भूतपूर्व सदस्यों के रूप में संदेय पेंशन में से नहीं काटी जायेगी। चूंकि ऐसे भूतपूर्व सदस्यों की संख्या, जो इस समय राजनैतिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा ऐसे सदस्यों की संख्या, जिनके भविष्य में ऐसी पेंशन प्राप्त करने की सम्भावना है, सही-सही अभिनिश्चित नहीं की जा सकती, अतः अन्तर्वलित व्यय प्राक्कलित नहीं किया जा सकता।"

अध्यक्ष महोदय, रूल को पढ़ लें और फाइनेन्सियल मेमोरेन्डम को पढ़ लें। फाइनेन्सियल मेमोरेन्डम में जहां इस बात की आवश्यकता है कि आपका रेकरिंग और नॉन-रेकरिंग एक्सपेण्डीचर के आंकड़े देने पड़ेंगे और आंकड़े भी यदि बोल्ड लेटर्स में नहीं दिये जायं तो इटेलिक्स में दिये जायेंगे। यदि कोई सदस्य आपत्ति करे तो अध्यक्ष महोदय, इसकी व्यवस्था करेंगे कि मन्त्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण विधान सभा में कर दें। उस हालत में यहां यही पता नहीं है सरकार को कि कितने सदस्यों को हमें पेंशन देनी पड़ेगी, कितने सदस्यों की पेंशन में कटौती होती है, कितने सदस्यों की कटौती न होने से राज्य सरकार के ऊपर कितना भार पड़ेगा, इसका कोई उल्लेख इस मेमोरेन्डम में नहीं है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आगे और पढ़ लें—

"इस विधेयक के खण्ड 3 में जिससे मूल अधिनियम की धारा 8-ख को संशोधित करने की प्रस्थापना की गई है, विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को यात्रा सुविधाओं के मद्दे चार हजार रुपये के बजाय छः हजार रुपये का संदाय करने का उपबन्ध करने की प्रस्थापना की गई है। इसमें, प्रत्येक सदस्य पर दो हजार रुपये का अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित होगा और कुल व्यय प्रति वर्ष चार लाख रुपये होगा।"

तो एक पार्ट तो उन्होंने इस फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम का पूरा कर दिया। इसका मतलब 50 पर्सेन्ट उन्होंने जहां तक मेम्बर्स से सम्बन्धित मामला था उसकी तो कम्प्लायेन्स कर दी। लेकिन एक पार्ट के अन्दर जो उल्लेख था, यदि आवश्यकता नहीं होती तो यहां भी मेम्बर्स की संख्या नहीं दी जाती। यहां भी मेम्बर्स के सम्बन्ध में कितना खर्च किया जायेगा, वह नहीं बताया जाता, लेकिन यहां पेंशन-होल्डर्स के मामले में इस प्रकार की बात कह कर जो फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम विधेयक के साथ सब्मिट करने के लिये नियमों में प्रावधान है जिस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था है उसका उल्लंघन हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम स्पष्ट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
नहीं हो, कितना खर्चा होगा, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग एक्सपेण्डिचर कितना होने वाला है उस खर्च के बारे में जब तक नहीं बताया जाय, तब तक माननीय मन्त्री महोदय को विधेयक सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाय ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय नेता महोदय से कहूंगा कि पेज 5 पर फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम है इसको पढ़िये :

Clause 3 of the Bill which purposes to amend section 8-B of the principal Act, proposes to provide for the payment of six thousand rupees, insteed to four thousand rupees to each member of Rajasthan Legislative Assembly on account of travelling facilities. This will involve an extra expenditure of two thousand rupees per member amounting to the total expenditure of rupees four lakhs per year.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऊपर पढ़िये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सुनिये, सुनिये, सुनिये, सुनिये ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसका है टोटल एक्सपेन्डीचर ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : पेंशन का नहीं, एक्सपेण्डीचर का, इसका

(व्यवधान)

आपके, क्या नाम, कूपन्स का है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय संसदीय मन्त्री महोदय, केवल कूपन्स का है न ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब, अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे दीजिये, मुझे हां, ना कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जहां तक स्वतन्त्रता सेनानियों का है वह तो एग्जेक्ट नम्बर मालूम नहीं है । एग्जेक्ट नम्बर बताया जाय तो एग्जेक्ट नम्बर में सभी तो पेंशन का भोग करने वाले नहीं हैं, कोई लेना चाहें या कोई नहीं लेना चाहें, इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है और कोई ज्यादा रकम का इन्वाल्वमेन्ट भी नहीं है,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले एक व्यवस्था जो इस सदन में हुई है उसको पढ़कर मैं सुना सकता हूं, यदि आप चाहें तो, अध्यक्ष महोदय,

श्री खेतसिंह राठौड़ : दस आदमी होंगे टोटल ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह है अध्यक्षीय व्यवस्था राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के पेज 109 पर एक रूलिंग है वित्तीय ज्ञापन में उस प्राक्कलन की राशि का उल्लेख किया जाना चाहिये जिसे विधेयक को योजना की कार्यान्विति पर व्यय करने का अनुमान हो ।

राजस्थान होम गार्डस विधेयक, 1962, के पुरः स्थापन के समय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने यह आपत्ती उठाई की उक्त

(श्री भैरोंसिह शेखावत)
विधेयक से संलग्न वित्तीय ज्ञापन में विधेयक के अन्तर्गत होने वाले व्यय के प्राक्कलन की राशि का उल्लेख नहीं है जो नियमों के अनुसार होना आवश्यक है। अन्य सदस्यों ने भी इस सम्बन्ध में अपने-अपने विचार व्यक्त किये। तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी:-

मेरे विचार में, जहां तक संभव हो, इस प्रकार के विधेयकों के साथ जो वित्तीय ज्ञापन संलग्न किये जायें उनमें राज्य की संचित निधि से होने वाले व्यय से प्राक्कलन की राशि भी बताई जानी चाहिये। कुछ विधेयक ऐसे हो सकते हैं जहां ऐसा करना सम्भव न हो, कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिनके अन्तर्गत सरकार कुछ अधिकार लेना चाहती है, परन्तु उन अधिकारों का प्रयोग कब किया जावेगा उस सबंध में निश्चित तौर पर कुछ नही कहा जा सकता।

यह दूसरा जो उन्होने मेमोरेण्डम दिया है, मेमोरेन्डम ऑफ डेलिगेटेड पावर में, उस सम्बन्ध में अलग से निवेदन करूंगा लेकिन इस समय इस सम्बन्ध में एक नहीं अनेकों रुलिंग यहां की लोकसभा की देख लीजिये, इसके ऊपर कोर्ट के कई बार फैसले हो चुके हैं, यह इस समय तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप समय दें तो मैं पेश कर सकता हू एक यू.पी. का मामला है, इस प्रश्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि फाइनेन्सियल मेमोरेन्डम की वेल्यू क्या है, किस प्रकार का फाइनेन्सियल मेमोरेन्डम होना चाहिये। मैं समझता हूं जहां तक यहां के नियमों का सवाल है उनका पालन नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रुप से इन नियमों का आदर करते हुए इस बिल को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं प्रदान करेंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : समय बढ़ाना है क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज की कार्यसूची समाप्त होने तक समय बढ़ा दिया जाय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय खेतसिंह से हमने एक समस्या का उल्लेख किया है। यदि उनमें थोड़ी बहुत भी मानवता है तो मेरी बात को स्वीकार करके हाउस की कार्यवाही को स्थगित करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो घटना है वह वास्तव में ऐसी है कि हमारे माननीय विधायक श्री भंवरलालजी शर्मा के दामाद की आज कोई एक्सीडेन्ट से उदयपुर में डेथ हो गई लेकिन सदन की कार्यवाही ऐसी घटना पर स्थगित नहीं हुआ करती।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप लोगों के सामने भी कोई समस्या आती है तो हम अकोमोडेट करते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सदन....

श्री भैरोंसिह शेखावत : सदन क्या होता है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं समय पूरा हो रहा है इसलिए....

Page No 135

135

श्री खेतसिंह राठौड़ : समय तो बढ़ाना ही पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे आपत्ति नहीं, गवर्नमेन्ट चाहे तो बढ़ा दें ।

पास तो नहीं कराओगे ।

श्री अध्यक्ष : पांच बजे हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो मैं कह रहा हूं, समय बढ़ाइये कार्यसूची समाप्त होने तक ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बढ़ाइये । हमे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : समय बढ़ाना है । और क्या चारा है ।

कल तो बजट पेश हो रहा है इसलिये आज का बिजनेस आज ही खत्म करना पड़ेगा । दो घंटे के लिये बढ़ाना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : एक घंटे के लिये बढ़ा देते हैं । सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाता है ।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियों तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1983 के साथ वित्तीय ज्ञापन और धन खण्ड

विपक्ष के नेता महोदय ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि विचाराधीन विधेयक के साथ जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम होना चाहिये था, उसमें एक में उस तरह का मेमोरेंडम है, लेकिन स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन का जो अंश है उसके ऊपर कोई मेमोरेंडम नहीं है । विपक्ष के नेता महोदय ने यहां के अध्यक्षजी की व्यवस्था का हवाला दिया है और उसमें व्यवस्था प्रारम्भ इस बात से की गई है कि यथासंभव····

श्री भैरोंसिंह शेखावत । रूल्स में भी है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं । अध्यक्षजी ने जो कहा है । नहीं तो

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बात और बता दूं आपको यथासंभव का मतलब यह लें जो उसमें लिखा है । उसमें जिस रेफरेंस में होम गार्ड के बनाने का प्रश्न था उसमें कंसोलिडेटेड फण्ड का नाम है । कन्सोलिडिटेड फण्ड में से कितना अमाउण्ट दिया जायेगा, प्रश्न यह था कि यह बात उठाई गई थी, अमाउण्ट एप्रोप्रियेटली इसमें शो नहीं किया गया था । इस व्यवस्था में और उस व्यवस्था में फर्क है । यहां पर तो अमाउण्ट नाम की चीज का उल्लेख ही नहीं किया है । लगभग हो जाता तो हम समझ लेते ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि मेमोरेण्डम देना चाहिये, यह बात तो सरकार के ध्यान में थी और क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं थे, आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत ज्यादा इस तरह के माननीय सदस्यों की संख्या हो जो इस तरह की पेंशन प्राप्त करने के योग्य होंगे तो उसमें हो सकता है कि पांच हों, दस हों···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : संख्या से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ।

श्री अध्यक्ष : वर्तमान की है, आगे का तो इसमें कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री शिवचरण माथुर : (मुख्य मंत्री) अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बिल के दो भाग वर्णित किये गये हैं

(श्री शिवचरण माथुर)

उसमें एक भाग में तो माननीय सदस्यों के चार हजार रुपये के कूपन्स के बजाये 6000 रुपये करने का प्रस्ताव है। यही मायने में इस प्रस्ताव की आज इसलिये आवश्यकता है कि जब यह 4000 का प्रावधान था उस समय किराया बहुत कम था अब किराया बढ़ गया है। अभी जो रेल्वे का बजट हुआ है।

श्री अध्यक्ष: इसके बारे में विवाद नहीं है, विवाद इस बारे में है कि फाइनेंशियल मेमोरेंडम साथ होना चाहिये। जो आप बात कर रहे हैं उसमें फाइनेंशियल मेमोरेंडम है। दूसरा जो स्वतन्त्रता सेनानियों वाला उसमें फाइनेंशियल मेमोरेंडम नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर: मैं वही निवेदन कर रहा हूं।

पहले में तो फाइनेंशियल मेमोरेंडम है, मैं समझता हूं उसमें तो कोई एतराज आपका नहीं है। दूसरे में जब यह स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने का सवाल सामने था उसमें पहले यह व्यवस्था थी कि जहां एक जगह से पेंशन मिलती है तो दूसरी जगह से नहीं मिलेगी। राजस्थान सरकार ने निर्णय किया कि यह पेंशन किसी को एक आर्थिक आधार देने के दृष्टिकोण से नहीं दी जा रही है, इसको हमने इसलिये एक सम्मान पेंशन का रूप दिया है। उन लोगों के लिये जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न भी हों, पेंशन देने की व्यवस्था हमने अलग से महसूस की है, उसका आर्थिक स्थिति से किसी स्वतन्त्रता सेनानी का सम्बन्ध हमने नहीं जोड़ा। अगर अपनी मर्जी से वे लें या न लें लेकिन राजस्थान सरकार निश्चित रूप से उन पर कोई एहसान नहीं करती। उन्होंने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की तरह से पेंशन, हम एक सम्मान के रूप में उनको कुछ भेंट देना चाहते हैं, उन पर कोई एहसान नहीं करना चाहते। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए हमने यह व्यवस्था भी की, एक संपन्न व्यक्ति भी इसका हकदार होगा। यदि वह लेता है तो ठीक है। अगर नहीं लेता है तो उसकी मर्जी है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जब सवाल आया कि इस सदन के माननीय, जो किसी समय यहां रहे हों आज रिटायर हो चुके हैं, आज वे यहां नहीं है या पालियामेंट के सदस्य रहे हों पुराने जमाने में उनको उस कैटेगरी में बनाने की दृष्टि से आज जो नियमों में प्रावधान है उसमें यदि पेंशन देते हैं तो उनको जो मेम्बर की दृष्टि से पेंशन मिलती है उसमें से उस पेंशन को कम कर दिया जायेगा। यह एक सिद्धांत का निर्णय राजस्थान सरकार ने लिया अब उस निर्णय के अनुसार कितना रुपया खर्चा होगा, कितने लोगों को दी जायेगी, इसको क्वांटीफाई करना संभव नहीं है। कितने लोग उसके अन्दर आयेंगे और उसके अन्तर्गत यदि आते भी है तो इसको स्वीकार करेंगे या नहीं, यह बात स्पष्ट नहीं थी। इसलिये इसमें क्वांटीफाई करना कठिन था। जैसा मैं मानता हूं कि यथासंभव उसको देने वाली बात स्वीकार करके एक सिद्धान्त का निर्णय हम मानें तो एक स्वतन्त्रता सेनानी के लिये एक सम्मानजनक बात होगी, मैं मानता हूं, कि इस कमी को आप नजर अन्दाज करके इसे पास करने की कृपा करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: सदन के नेता ने कभी महसूस कर ली, अध्यक्ष महोदय, अब यह आपके हाथ में है कि आप इस कमी को महसूस करते हैं या नहीं, अपनी व्यवस्था

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में इस कमी का समावेश करते हैं या नहीं, मुझे इस संबध में ज्यादा नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष :ऐसा है जो रूलिंग आपने पढी है उसमें भी यह है और अपने व्यावहारिक अनुभव के आधार पर भी कह सकते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें जानकारी नहीं करते हैं, यह असंभव नहीं है, विधान सभा में करीब 600 आदमी होंगे जिनको पेंशन मिल रही है। उनको पूछ नहीं सकते थे कि स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में कौन-कौन पेंशन ले रहे हैं। इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, अरबों रुपये का जिस गवर्नमेंट का प्रशासन है, वह 600 आदमियों से कान्टेक्ट नहीं कर सकती।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें ऐसा है कि वर्तमान में तो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी है या नहीं, वर्तमान में तो उनकी पेंशन कटती नहीं है जो वर्तमान में हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे आप सुबह छूट दीजिए मैं ट्रेजरी से पूछकर बता दूंगा, किस-किस विधायक की पेंशन में से फ्रीडम फाइटर होने के नाते पेंशन कटती है।

I will get this information till 5 p.m.

मुझे दीजिए आप। इनके पास तो गवर्नमेंट है मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपको एकूरेट फिगर दूंगा।

श्री खेतसिंह राठोड़ : काफी लोग आपके अब भी हैं ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले बैठे हुए हैं तो यह तो आपका उनमें अविश्वास है। जो आज बैठे हुए हैं उनमें आपका अविश्वास है। यह कोई छोटी सी बात है नहीं। किन किन की कटती है....

श्री अध्यक्ष : खैर यह टेक्नीकल कमी तो हम इसको मान सकते हैं। ऐसी सूचनायें एकत्र भी की जा सकती थीं। लेकिन इसमें जो धनराशि है, जो वित्तीय भार बढ़ेगा वह भी बहुत कम है इसलिए फाइनेंशियल मेमोरेंडम साथ में होना चाहिए, इस बात को कबूल करते हुए मैं इस त्रुटि को नजर अन्दाज करते हुए आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको निरस्त करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री खेतसिंह राठोड़ : पाइंट आफ आॅर्डर पर पाइंट आफ आॅर्डर नहीं आ सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह व्यवस्था तो दे दी उस पर जिक्र नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में जो भी खर्चा होगा वह स्टेट के कंसोलिडेटेड फण्ड से होगा। आप इसको एग्री करते हैं? इस बिल में कहीं भी नहीं लिखा है कि यह पैसा कंसोलिडेटेड फण्ड से खर्च किया जायेगा। अब आप पढ़ लीजिए। कोई एक लाइन बता दीजिए जिसमें यह लिखा हो कि कंसोलिडेटेड फण्ड से खर्चा किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : किसी कानून में ऐसा नहीं

(श्री अध्यक्ष)

लिखा जाता ।

(व्यवधान)

संविधान में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : संविधान बता देता हूं, मैं रूल्स भी बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष : संविधान यह प्रावधान करता है कि जो भी धन राशि ली जायगी वह कंसोलिडेटेड फंड....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कहां है ?

श्री अध्यक्ष : वह संविधान में है। इसमें नहीं आता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : संविधान में है वह सही है लेकिन जब तक आप कंसोलिडेटेड फण्ड के अन्दर चार्ज नहीं करते उस समय तक I can not be a part of bill.

श्री अध्यक्ष : जो मूल विधेयक है उसमें भी प्रावधान नहीं है, आप रूल में बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, रूल में बता देता हूं।

"A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite the particular attention to clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case, the Bill is passed into Law.

तो अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक के संबंध में खर्चा होता वह कन्सोलिडेटेड फंड में चार्ज होता है। कन्सोलिडेटेड फण्ड से जो चार्ज होता है, उसका एप्रोप्रियेशन बिल में इस चार्ज का समावेश होना चाहिये। लेकिन जब तक कंसोलिडेटेड फण्ड में आप चार्ज नहीं करेंगे तब तक कोई भी कानून में सरकार को अधिकार नहीं मिलता कि कन्सोलिडेटेड फण्ड से वह पैसा निकाल ले।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह तो बजट पास करेंगे ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बजट पास करेंगे। जो राज्य सरकार के सब खर्चे किसी न किसी विधेयक के अन्तर्गत खर्चा हों, ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एप्रोप्रियेशन बिल होता है।

श्री अध्यक्ष : नहीं तो एप्रोप्रियेशन बिल में यह जायेगा जब बजट होगा उस वक्त में यह आ जायगा वरना तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो कार्य हैं वह किसी एक्ट के अन्तर्गत थोड़े ही होते हैं। यह सार्वजनिक निर्माण और जन सेवाय हैं उनका खर्चा होता है लेकिन वह खर्चा जब बजट में पारित हो जाय तो कन्सोलिडेटेड फण्ड में से पैसा उठाने के लिये एप्रोप्रियेशन बिल पास करते हैं। यह बिल आथोरिटी देता है वरना कानून में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का पुख्ता खर्चा होता है। जैसा आपने कहा पी. डब्लू. डी. के खच के लिये कोई बिल नहीं होता। मैं इस बात को नहीं मानता

Page No 139

(139)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
हूं । पी. डब्ल्यू. डी. के खर्चों के लिये एप्रोप्रियेशन बिल आता है ।

श्री अध्यक्ष : वह तो सभी के लिये आता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सब के लिये आता है । अब सबके लिये कौनसा आयेगा जिस पर विधान सभा में जिस खर्च के लिये कन्सोलिडेटेड फण्ड के ऊपर चार्ज के रूप में स्वीकार किया है, इसमें चार्ज के रूप में कोई स्वीकार नहीं करते ।

श्री अध्यक्ष : फिर एप्रोप्रियेशन बिल की जरूरत ही नहीं रहती है । अगर कानून के अन्दर प्रावधान में प्रावधान कर दें कि इतना खर्चा कन्सोलिडेटेड फण्ड में से होगा, इस कानून में बल दें तो फिर एप्रोप्रियेशन की कोई आवश्यकता है ही नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल तो हमेशा आयेगा ।

श्री अध्यक्ष : किसी कानून में आप यह तजबीज नहीं पायेंगे कि यह खर्चा है फलां मद में से या कन्सोलिडेटेड फण्ड में से लिया जायेगा । कई मामले ऐसे है कानून के अन्तर्गत या किसी विधेयक के अन्तर्गत बजट में कुछ खर्चा रखा जाता है । कोई भी विधेयक नहीं हो फिर भी जैसे सार्वजनिक सेवायें, सामाजिक सेवायें हैं इनके लिये कोई कानून नहीं है । लेकिन जब बजट प्रस्तुत हो जाता है और बजट की मांगें पास हो जाती हैं तो उसके बाद में पास किये हुए को कानूनी मन्जूरी तब मिलती है जब एप्रोप्रियेशन बिल पास हो जाता है तो हर साल पास किया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, Respectfull. I disagree with your opinion.

श्री अध्यक्ष : आप एक कानून मुझे बता दीजिये जिसमें लिखा हुआ हो...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई भी कानून हिन्दुस्तान में नहीं है जिसमें आप बता दें ।

श्री अध्यक्ष : कन्सोलिडेटेड फण्ड में से इतना खर्चा होगा सब कानून देख लें, आप तो रात दिन कानून बनाते हैं ।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, आपका फरमाना बिल्कुल सही है । दूसरी बात यह है, यह, जो बिल है इसमें अमेंडमेंट इन दी ओरिजिनल बिल इटसेल्फ है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें भी नहीं होता । वह तो हर वक्त करना पड़ता है, बजट में जितना प्रावधान रखते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है । बजट पारित उसके पश्चात् पैसा तब ही उठाया जा सकता है जब हर वर्ष एप्रोप्रियेशन बिल पास किया जाये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बजट पास हुआ उसमें इस रुपये का समावेश नहीं है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : तो एडीशनल ग्रान्ट ले आयेंगे, सप्लीमेन्ट्री ले आवेंगे, ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लायेंगे तब होगा ना । मैं इसलिये कहता हूं, लायेंगे उस समय रेगुलेराइज करेंगे । उससे पहले कन्सोलिडेटेड फन्ड पर चार्ज होता है । तो वह लायेंगे उस समय तो एप्रोप्रियेशन पाइन्ट आफ व्यू से रेगुलेराइज होता है ।

श्री अध्यक्ष : वह तो लाना पड़ेगा। जो अत्यधिक खर्च होगा। वह जरूर सामने आयेगा। उसमें कोई दो राय नहीं प्रभारी मंत्री जी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री खेतसिह राठौड़ : यह पाइन्ट आफ आर्डर के अन्दर पाइन्ट आफ आर्डर कैसे आ सकता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने सदन का अपमान किया तो हम विरोध करेंगे।

श्री खेतसिह राठौड़ : मैंने तो आपका अपमान नहीं किया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने और मुख्य मंत्री जी दोनों ने ही किया है।

श्री खेतसिह राठौड़ : हम तो आपकी इज्जत करते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुख्य मन्त्रीजी, आप आये नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप विधान सभा को और विधान सभा के सदस्यों को पब्लिक की नजर में गिराने की कोशिश नहीं करें।

श्री खेतसिह राठौड़: हमने तो कभी नहीं की।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप मेरी सुनियें। आपकी समझ में आने वाली बात नहीं है। मुख्य मन्त्रीजी आये हैं इसलियें दो बात मैं उनसे कह दूं।

श्री खेतसिह राठौड़ : आज कुछ परेशानी आप को ज्यादा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : खेतसिह जी, मुझे आप से क्या परेशानी होगी।

श्री खेतसिह राठौड़ : तो विराजो नी। अब आप बैठ जाओ, आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप बैठ जावों, मैं क्यों बैठूं।

श्री खेतसिह राठौड़ : मैं क्यो बैठूं मुझे अध्यक्ष महोदय ने बोलने के लिये कहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप नहीं थे इस विधेयक में विधायकों की सुविधाओं का उल्लेख किया गया है, मेरी जानकारी में है, आपकी जानकारी में ज्यादा हो सकती है और किसी माननीय सदस्य की भी जानकारी हो सकती है। विधायकों को सुविधायें देने के संबंध में आज तक हिन्दुस्तान में किसी भी राज्य में कोई आर्डिनेन्स नहीं आया। आप सुविधाएं द, जो चाहे सो करें मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस प्रक्रिया में है। यह स्वतन्त्रता सेनानियों का मामला नहीं है, यह मामला विधायकों का भी है। केवल स्वातंत्रता सेनानियों को होता तो समझ में आता जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा है, आर्थिक मदद का तो सवाल नहीं है उनके सम्मान का सवाल है। मान लीजिय, कि किसी के सम्मान के सम्बन्ध में कोई आंच आ रही हो तो उस सम्मान को बचाने के लिय हम आर्डिनेंस भी इश्यू करें, तो कुछ समझ में आता है। लेकिन मैम्बरों को यहा कूपन्स देने और रेलवे बोर्ड ने कहा कि कूपन जनवरी से चालू हो, और वह अगले वर्ष तक अगर चलाने हैं, तो आपको जनवरी में लेने पड़ेंगे और जनवरी में आपको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ग्रार्डिनेन्स इश्यू करना पड़ेगा। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि दुनिया भर में अब राजस्थान विधान सभा की मजाक उड़ेगी, दुनिया भर में राजस्थान विधान सभा के सदस्यों पर लान्छन लगायेंगे कि उन्होंने अपना रेल्वे का भत्ता और रेल्वे के कूपनस के लिये ग्रार्डिनेन्स इश्यू करा दिया। आज भी कोई आपत्ति नहीं होगी, आप इस ग्रार्डिनेन्स को वापस ले लें, विधान सभा चल रही है आप पेश कर दें। इसमें भी आप रिट्रोसपक्टिव इफेक्ट से लागू किया है बिल में भी रिट्रोसपेक्टिव इफेक्ट से लागू करने का आप प्राविजन रख सकते हैं। ग्रार्डिनेन्स से विधायक अपनी सुवधायें बढ़ायें इस कलंक से विधान सभा और सदस्यों को बचाना है, तो मुख्य मंत्रीजी इस सम्मान को तो वापस लीजिये। इसमें कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं हैं विधान सभा की प्रतिष्ठा है तो आप की भी प्रतिष्ठा है, हमारी भी प्रतिष्ठा है लोगों के सामने हमें मजाक का विषय नहीं बनाइये। हमें कोई कूपन नहीं चाहिये, कुछ नहीं चाहिये, हमें अपनी इज्जत चाहिये। इज्जत बचाना इस विधेयक के जरिये यदि आप चाहते हैं तो आप वह कोशिश करिये और यदि नहीं करना चाहते हैं तो जिस लाइन पर यह सरकार चल रही है उसी लाइन पर आप चलिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विरोधी दल के नेता महोदय स्वयं मानते हैं कि इस सुविधा को हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी दे सकते थे।

जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि यह कोई सुविधा नहीं है मेम्बर्स के लिये, जितने माईलेज वह चार हजार के कूपन से करते थे रेलवे का किराया बढने से एक प्रकार से वह माइलेज कम हो गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पहले इसको।

श्री शिवचरण माथुर : मैं पहले भी, अगर पहले भी हिसाब लगाया जाय तो। तो, अध्यक्ष महोदय, कहीं पर भी नहीं मानता हूंकि इससे विधायकों की इज्जत गिराने वाली मंशा हमारी है। एक सुविधा जो पहले दी हुई थी उसको इन टर्म्स ग्राफ इन्क्रीज इनरेट्स, रेलवे फेयर अगर 25% बढ़ी है तो उसको और बढ़ाने की दृष्टि से इसको लाया गया है बहुत ही इन इनग्राकुअश और बहुत ही इन्नोसेन्ट, मैं समझता हूं, प्रोविजन रखने वाली बात हो, पर की गई है। उसको भी अगर आप दूसरी दृष्टि से देखें तो आप की इच्छा है। वरना यह तो बहुत साधारण सी बात है उसको यहां पर बहुत इनग्राकुग्रस और इन्नोसेन्ट बिल केप प्राविजन्स है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में कोई मुख्य मंत्री और मंत्री यह कहने वाला नहीं है। विजयों के लिये ग्रार्डिनेन्स इश्यू किया जा सकता है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मन्त्री जी को, आपने अपनी हैसियत का अच्छा परिचय दिया कि इनग्राकुग्रस विषय के लिये ग्रार्डिनेन्स लाये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री जी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब तो कोई प्राइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रान ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर । अध्यक्ष महोदय, अब आप व्यवस्था निकाल लीजिये ।

Memorandum regarding delegated Legislation.

वह उन्होंने दिया है--

The explanation (ii-a) to sub-section (1) of section 9 of the principal Act proposed to be inserted by clause (4) of the Bill empowers the State Government to allot Government residential accommodation on rent at Jaipur for such period as may be prescribed but not exceeding four months from the date the member ceases to be a member of the Legislative Assembly.

Sub-section (3) proposed to be added in section 11 of the principal Act by clause(5) of the Bill empowers the State Government to make rules with retrospective effect from such date not earlier than the date of commencement of the Act.....

अध्यक्ष महोदय, कानून बनाने का रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से कोई बिल लाते हैं तो उसका तो आप अधिकार देते हैं, विधान सभा को अधिकार है । लेकिन रूल्स बैक डेट से बनाये जायें इस प्रकार की पावर डेलीगेटेड नहीं की जाय । यह भी अगर आप चाहें तो मुझे समय दें । दुर्भाग्य से ऐसी बातें आ रही हैं ।

श्री अध्यक्ष : मुझे आपको समय देना पड़ेगा । मैं मेरी व्यवस्था को रिजर्व रखूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, रिर्जव रखेंगे तो यह पेश कर देंगे । फिर आपका रिजर्वेशन और मेरा भाषण दोनों ही मतलब के नहीं रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष : यह तो नियम बनाने की शक्तियों को रिट्रोस्पेक्टिव....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता गवर्नमेंट को रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से किसी कानून को लागू करने का अधिकार है बशर्ते विधान सभा अधिकार दे । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कानून बनाने का अधिकार है, कानून के अन्तर्गत नियम बनाने के अधिकार को रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से लागू किया जाय, इसमें और उसमें भेद है । इस प्रकार की पावर विधान सभा डेलीगेट नहीं कर सकती । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अभी राजस्थान सरकार ने सेल्स टैक्स में इस प्रकार बैक डेट से कानून बनाया और रूल्स बेक डेट से लागू किया । तो उस सम्बन्ध में विवाद खड़ा हुआ था और वह विवाद हाई कोर्ट में गया । हाई कोर्ट ने रूल्स बनाने की जो प्रक्रिया थी, अधिकार दिये उनके संबंध में चुनौती को स्वीकार किया । अमेण्डमेंट उसमें बाद में आयें । उन रूल्स को हमनें रेगुलेराइज नहीं किया । नये रूल्स हमने बनाये ।

Page No 143

(143)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत) :

तो आज एक्ट में हम कानून बनाने का अधिकार दे सकते है। एक्ट में यह कह सकते हैं :

'shall be deemed to have been in effect from such and such date or with retrospective effect or in any language it can be mentioned.

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, डेलीगेटेड पावर्स में हम यह कह दें, मैं पूछना चाहता हूं खेतसिंह जी तो मंत्री हैं आज आर्डिनेन्स इश्यू करने की तो उनको आवश्यकता हो गयी, जिस आर्डिनेन्स के अन्तर्गत वह लोगों की मदद करना चाहते हैं। वह मदद तो बिना रूल्स के आप नहीं कर सकते थे ? क्या रूल्स आपने बना लिये ? रूल्स बन गये क्या ?

श्री खेतसिंह राठोड़ : मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह तो एक्ट में ही हम प्रोवीजन कर रहे हैं यह एक्सप्लेनेशन है सिर्फ। एक्ट में आप देखिये सेक्शन 5 :

Amendment of section 11, Rajasthan Act 6 of 1957 In section 11 of the principal Act, after sub-section (2) the following sub-section shall be added, namely—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देख लिया है, यह मतलब का नहीं है।

श्री खेतसिंह राठोड़ : पेज 2 में देखिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : ....so as to have retrospective effect from such date.

श्री खेतसिंह राठोड़ : Any rule under this Act may be made so as to have retrospective effect from such date, not earlier than the date of commencement of this Act ...

यह हमने एक्ट में ही प्रोवीजन डाला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां है एक्ट में ?

श्री खेतसिंह राठोड़ : अमेंडमेंट यही तो ला रहे है।

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि न्याय मंत्री) : एक्ट में यह अमेंडमेंट कर दिया गया है।

श्री खेतसिंह राठोड़ : लॉ मिनिस्टर को सुनिये।

Page No 144

(१४५)

श्री अहमद बक्श सिंधी : एक्ट में जो प्रावीजन किया गया है उसके अनुसार रूल्स बनाये जाते हैं उसके रिपगनेन्ट नहीं होते हैं। उसकी स्प्रिट को ध्यान में रखते हुए रूल्स फ्रेम किये जा सकते है। गवर्नमेंट कर सकती है लेकिन और एक्ट में यह प्रोवीजन नहीं है तो नहीं कर सकती। एक्ट में इसका अमेन्डमेंट लाया जा रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रूल्स बनाये जा सकते हैं। इसमें आपत्ति क्या है आपको ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सदन की और विधि मंत्री जी की जानकारी के लिये क्लाज 2 में ही है ना यह व्यवस्था विधि मंत्री जी ?

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री जी का यह कहना है···

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं कह दूं, अध्यक्ष महोदय, पहले। किस क्लाज में है विधि मंत्री जी पहले जरा सुना तो दीजिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उन्होंने जो बात कही है कामनसेन्स की बात है, वह कही है उन्होंने।

श्री भैरोंसिह शेखावत : धारा 2 पढ़िये आप।

श्री अहमद बक्श सिंधी : पढ़ता हूं "Any rule under this Act may be made so as to have retrospective effect from such date. not earlier than the date of commencement of this Act as the State Government may by notification in the Official Gazette, appoint....."

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह आप धारा में से ही पढ रहे हैं ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हमारी पार्टी में रहे हैं, आपकी पार्टी में कभी नहीं रहे इसलिये आप एतराज करते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आज कई आदमियों की जानकारी नयी-नयी आपको मिलेगी। खेतसिंह जी की जानकारी तो सदन को पहले से ही थी, विधि मंत्री जी की जानकारी आज और मिल गयी कि किस प्रकार के हमारे विधि मंत्री जी हैं। विधि मंत्री जी ने कहा कि एक्ट में प्रोवीजन रखा है आपके वर्डस याद रखिए, आपने कहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रूल्स बनाने के लिए एक्ट में प्रावधान किया गया है। आपने कहा है ना ?

श्री अहमद बक्श सिंधी : This is the Act.

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं उनको चुनौती देता हूं अगर एक्ट में इस प्रकार का कोई प्रावधान हो रूल्स बनाने के संबंध में तो वह पढ़ कर सुना दें। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस एक्ट में उन्होंने नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ कर सुना देता हूं :

Amendment of Sec. 4A, Rajasthan Act 6 of 1957. In sec. 4 A of the Rajasthan Legislative Assembly Officers and Members Emoluments and Pension Act. 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957, herein after referred to as the principal Act after explanation III; the following explanation shall be and shall always be deemed to have been added namely—

यह एक्सप्लेनेशन एड किया है। अब आप

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

इसमें कुछ भी लगा दीजिये । केवल एक्स-प्लेनेशन एड किया है। उस एक्सप्लेनेशन के साथ में रूल्स बनाने का अधिकार सरकार ने एक्ट में मान लिया है, ऐसी बात नहीं है। रूल्स बनाने का अधिकार नहीं लिया, इसीलिये पावर्स डेलीगेट करवाना चाहते हैं। मैं समझता हूं, विधि मंत्रीजी की जानकारी पर मुझे दया आती है कि कैसे तो वह सुप्रिम कोर्ट में गये, कैसे हाई कोर्ट में गये और कैसे उनको वकालात करने का सर्टीफिकेट मिल गया। मुझे तो उन पर भी दया आती है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इसकी व्यवस्था दें कि गवर्नमेंट इस तरह से पावर्स डेलीगेट करने की व्यवस्था नहीं कर सकती ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : बात यह है कि आपने अभी कानून पढा नहीं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने कानून नहीं पढा, लेकिन आप जैसे कई कानूनदा को पढ़ा दिया ।

श्री अध्यक्ष : इसमें अध्यक्षीय व्यवस्था यह है कि यदि पुरानी तारीख से या पुरानी तिथि से किसी मूल विधेयक को लागू किया जा सकता है तो उसके अन्तर्गत बनने वाले जो नियम हैं क्योंकि वह उसकी परिधि के बाहर नहीं जाते हैं उसके अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियम भी उसी समय से प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस कानून के अन्दर तो यह व्यवस्था की गयी है कि नियम ऐसे बनाये जायेंगे जो कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उस तारीख से, जो कि उस तारीख से पहले की न हो, तारीख जिस दिन यह मूल विधेयक पारित किया था, मैं समझता हूं कि यह विधि मंत्री जी ने जो कुछ कहा है कानूनी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। नियम बनाने का अर्थ क्या है ! का मतलब यही है । मूल एक्ट बहुत ज्यादा लम्बा न हो इसलिये कुछ धाराओं के अन्तर्गत उस क्लिष्टता से बचने के लिये सरलीकरण के लिये नियम बनाये जाते हैं। आप यह भी जानते हैं, नियमों का प्रभाव भी वही है जो उस कानून का प्रभाव है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें हम फर्क करें कि नियम पीछे से लागू नहीं हो सकते और कानून पीछे से लागू हो सकता है तो यह तो विधि निर्माण का एक तरीका है, विधि निर्माण का एक हिस्सा है और नियम किसी निर्मित विधि का हिस्सा ही माना जाता है। अतः मैं विपक्षी नेता महोदय ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसको मैं निरस्त करता हूं ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों को परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर उजला अरोड़ा उपरोक्त विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्तुत करेंगी। उक्त माननीय सदस्या के अलावा निम्न सदस्यों ने भी संशोधन का समर्थन किया है सिर्फ.....

अनेक माननीय सदस्य : गलत है ।-संशोधन दिया है ।

श्री **अध्यक्ष** : अन्य सदस्यों ने भी संशोधन दिये हैं । ठीक है । माननीय श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री अनंग कुमार जैन, श्री बंशी लाल

(व्यवधान)

नहीं, स्वेच्छा से बोलें ।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): स्वेच्छा से ही बोल रहा हूं साहब ।

मैं संशोधन प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के द्वारा हम राजस्थान के चुने हुए 200 विधायकों को..

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो कुछ आप चर्चा करें नये विषय होने चाहिए। पुनरावृत्ति नहीं हो पहले कही हुई बात दुवारा . नहीं कही जाय ।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** : पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

उनकी सुविधा के लिये हमने कुछ उनकी राशि में वृद्धि की है । श्रीमान्, क्या आप इसको उचित समझते हैं कि जिन विधायकों को जितने कूपन देते हैं जिनकी दूरी अपने विधान सभा क्षेत्र और राजधानी के बीच में कम होने के कारण उनको दिये गये कूपन का भी वह साल भर में उपयोग नहीं कर पाते। कई वार कई विधायकों को अपने कूपन सरेण्डर करने पड़ते हैं उनको उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती है । जबकि राजस्थान के दूर दराज के गांवों में रहने वाले व्यक्ति जो कि जैसलमेर से चलते हैं, बांसवाड़ा से चलते हैं या भरतपुर से चलते हैं या बीकानेर और गंगानगर से चलते हैं इन सबको हम इस एक ही श्रेणी में लाकर हमने खड़ा किया है वास्तव में यह उचित नहीं है । इसके कारण से हम उनके साथ में न्याय नहीं कर पा रहे हैं । अगर हमने उनको सुविधायें दी हैं तो क्या सुविधा यह है कि सीकर या चौमू से आने वाले विधायक हैं जो कि राजधानी में आते हैं और जो कि प्रतिदिन बस से आते हैं उनके रेल्वे कूपन का भी उपयोग नहीं हो पाता है । कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहां रेल्वे लाइन नहीं है, वह यहां विधान सभा तक पहुंचते हैं तो उनके कूपन का भी उपयोग नहीं हो पाता है ।

मैं आपके माध्यम से सदन से पूछना चाहता हूं कि इसका औचित्य क्या है कि हम सारे विधायकों को एक साथ 6 हजार रुपये के कूपन दें । मेरी जानकारी यह है कि हम में से कई लोगों ने अपने कूपन को किसी तरह से खतम करने के लिये अन्तिम के दिनों में यदि रेल्वे यात्रा नहीं हो सकती थी तो प्लेन से वहां से उड़कर वापिस यहां आ गये

(5. 33 म. प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति पदासीन)

15 दिसम्बर के बाद जो कूपन दिये उसके आधार पर यह हुआ है, यह हकीकत है इसको कोई मना नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं हुआ। तो मैं यह चाहता हूं कि यह जो आधार बना है यह आधार न होकर के जैसी कि हिन्दुस्तान की कई विधान सभाओं में यह

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

व्यवस्था है कि विदिन दी स्टेट, अपने राज्य के अन्तर्गत उनको रेल्वे की फर्स्ट क्लास का जो पास देते हैं वह अनलिमिटेड है। जितनी भी यात्रा करना चाहे अपने क्षेत्र में यात्रा करने के लिये उनको कोई पाबन्दी नहीं है, कोई सीमा नहीं है। राज्य के बाहर जरूर उसकी सीमा तय है, कहीं 1500 कर रखी है, कहीं 2 हजार कर रखी है। तो मैं यह समझ नहीं पाया, इसका प्रोवीजन करके हमने कौन-सा विधायकों के साथ न्याय किया है। हमारा जो धन खर्च होता है, दो हजार के कूपन बढ़ाकर छः हजार का जो खर्चा किया है, मैं ऐसा मानता हूं, आप अपने सचिवालय के रिकार्ड उठाकर देखें तो आपको मालूम होगा कई विधायक अपने कूपन का उपयोग नहीं कर कर पाये हैं। वे ऐसे ही पड़े रहते हैं। कोई डायरी घर पर पड़ी रह जाती है, यहां पर सबमिट नहीं होती है, कोई गुम जाती है। हमने इस आधार पर कोई अच्छा निर्णय नहीं किया। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारे यहां तो हर साल बजट आता है, गाड़ी का किराया बढ़ गया तो क्या हर बार किराया बढ़ेगा और हर बार हम अपने कूपन की सीमा बढ़ाने के लिये आर्डिनेंस लायेंगे ? जिस तरह से हुआ है प्रयत्न लगातार चलता रहेगा। अगर हम चाहते हैं तो क्यों नहीं हम इसकी सीमा तय कर देते हैं कि इतने किलोमीटर तक की सीमा होगी। हर बार बजट प्रावधान आता है उसके अनुसार पैसा बढ़ जाता है तो यह तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं लगता है। आपने आज कहा है कि जितने भी और स्वतन्त्रता सेनानी हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि हिन्दुस्तान के किसी भी स्वतन्त्रता सेनानी ने अगर आपसे किसी आर्थिक मदद की भी मांग की हो, कभी उसने यह कहा है कि उस जमाने में इस देश की आजादी के लिये हम लड़े हैं इसलिये आप हमारी मदद करें ? मेरा ऐसा मानना है कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। हमारी सरकार कह रही है हम तो उनका सम्मान करना चाहते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि हिन्दुस्तान के लोगों को शिकायत न तो पहले कभी हुई, न आगे होगी। आप उनको एक लाख, दस लाख, बीस लाख तक भी दे दें, अगर वास्तव में स्वतंत्रता, आजादी के लिये लड़े हैं तो यह पैसा उनके लिये कोई मूल्य नहीं रखता, कोई कीमत नहीं रखता। अगर वास्तव में आप उनकी इज्जत करना चाहते हैं तो उनको कोई ताम्र पत्र दो, उसको आप और कोई चीज दो। उनके बच्चों की शिक्षा किस प्रकार से होगी, बुढ़ापे में उनकी चिकित्सा किस प्रकार से होगी, इसकी व्यवस्था करें। 100, 200, 250 रुपये उन लोगों को बढ़ा कर अगर हम यह समझते हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी के लिये उन्होंने कुर्बानी दी उसकी पेन्शन है तो मैं आज के विषय से परे जा रहा हूं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर जो राजा-महाराजाओं को पेन्शन दी जाती थी, क्या उनके बाप-दादाओं ने इस देश की आजादी के लिये कोई लड़ाई नहीं लड़ी ? उनका कोई इतिहास नहीं है ? उन्होंने अपने देश के लिये कुछ भी नहीं किया ? केवल अपने राजघराने में बैठकर आराम किया। अगर हम उनके इतिहास को देखें उनका पुराना इतिहास देखें तो उन लोगों को एक समझौते के आधार पर हमने पेन्शन दी थी उस पेन्शन को आपने बन्द कर हिन्दुस्तान में ढिंढोरा पीटा था कि हम लोग ऐसे लोगों की पेन्शन बन्द कर रहे हैं जो जागीरदार हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं कि अगर कोई फ्रीडम फाइटर है वह करोड़ रुपये का मालिक है, किसी मिल का मालिक है या और कोई धनाढ्य है उसको आप यह 200

Page No 148

(148)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रुपये दे कर क्या उसका सम्मान करना चाहते हैं। यह क्या उसकी इज्जत करना चाह रहे हैं? यह इज्जत का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि वास्तव में हमारा जो मापदण्ड है या हमारी बुद्धि का मापदण्ड है वह ही बदल चुका है या हमने हमारे इतिहास को उलटने की कोशिश की है। मैं सोचता हूं अगर आप चाहते हैं कि इस हिन्दुस्तान के लोगों ने अपने देश के लिये कुर्बानी की है तो उसको पैसों से तोलने का प्रयास नहीं किया जाये। अगर आपको मदद करनी है तो पैसे के आधार पर मदद नहीं करें, मदद करने के हजारों तरीके हैं जिनके आधार पर आप उनकी मदद कर सकते है उसकी सारी कुर्बानियों के पैसे के आधार पर तौल कर हिन्दुस्तान के उन लोगों के साथ न्याय नहीं किया। यह प्रावधान केवल इसलिये रख रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों में से कुछ लोग विधायक बन जाते हैं तो उनकी पेन्शन में दो सौ रुपये कम पड़ जायेंगे इसलिय यह आर्डिनेन्स केवल उनकी सहूलियत के लिये नहीं लाये श्रीमान, उनकी सहूलियत के लिये लाते तो शायद हमको परेशानी नहीं होती। उनकी पेन्शन अगर 200 रुपये हो अगर उसको बढ़ा कर 400 रुपये करे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। यह अध्यादेश केवल इसलिये हैं लाये है कि विधायक रहने के कारण उस पैसे में से कटौती न हो जाये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे मन में कौन सा चोर है जिसने हमको इसके लिये तैयार किया? क्या हम वास्तव में उन लोगों की भलाई के लिये लाये हैं या हम लोगों में से जो विधायक रह कर चले गये हैं या कुछ आगे जाने वाले हैं या आगे वह आने वाले हैं जिनको पेन्शन मिल रही है उनके दो सौ रुपये की कटौती न हो जाये? क्या उसके लिये हमने इतना बड़ा पाप किया है? पहले भी मैंने कहा है छोटी-छोटी बातों के लिये आपने आर्डिनेंस लाकर अच्छी परिपाटी पैदा नहीं की। आप यह कहिये कि इस हाउस को फेस नहीं कर सकते थे। पिछली बार भी आप बिल लाये थे, जब हमारा विधान सभा का सैशन चल रहा था उस समय इस बिल को लाये थे उस समय आप बिल की हैसियत में लाये थे। किसी कारण वश किसी विरोधवश, किसी और नाराजगी के वश आप उसको समेट कर वापस ले गये, वापस लेने की आपको क्या जरूरत थी।....

श्री सभापति : संक्षेप में बोलें, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं कोई चीज रिपीट करूं तो आप कहें मुझे कोई एतराज नहीं।

मैं आपसे निवेदन इसलिये कर रहा हूं कि पिछले सत्र में इसको विधेयक रूप में ला चुके थे, हाउस में पेश हो चुका था उसके बाद इसको विदड्रा किया तो उसके बाद ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई? क्या चार छः महीने इन्तजार नहीं कर सकते थे? इसका मतलब है कहीं न कहीं अपने ही अन्दर विस्फोट की स्थिति आ रही थी। लोगों के दबाव के कारण आप उनको इतना कन्विस नहीं कर सके। छोटी सी बात के लिये आर्डिनेंस लाना उचित नहीं लगता। अगले सत्र में विधेयक के रूप लाते लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री ने अपने लोगों को कुछ देर के लिये शांत करने के लिये यह प्रयत्न किया है। किसी भी तरह से यह उचित नहीं है। श्रीमान् मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी समझ में नहीं आता कैसी-कैसी, छोटी-छोटी बातों को जोड़कर आर्डिनेंस का जो महत्व है उसको समाप्त करते जा रहे हैं। हमने कहा, चार महीने तक हमारा मकान खाली न किया जाये। अगर यह दो महीने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
बाद आ जाता तो कौन सी तकलीफ होने वाली थी ? कौन सी विधान सभा कल ही भंग हो रही थी और परसों हमारे मकान खाली कराने की स्थिति हो रही थी ? हम आखिर आज की तारीख में तो एम. एल. ए. हैं। दो साल बाद, छः महीने बाद विधान सभा भंग होती है तो उसके बाद हमारे सामने यह समस्या आयेगी कि हमारे मकानों का क्या होगा। उसके लिये आज हमको आर्डिनेंस लाने की क्या आवश्यकता थी ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसको इसमें इन्कलूड करने की क्या आवश्यकता थी ? हमारे पानी बिजली का भत्ता कितना हो, कितना न हो इसको तय करना है। मैं आपसे फिर इस बात के लिये निवेदन करना चाहता हूं केवल इसलिये नहीं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, आपमें से कई लोग ले भी लेगें, आप लोग ऐसा ही करेंगे.

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : लेगे नहीं, ले लिया। 31 दिसम्बर तक ले चुके। ज्यादातर, अधिकतर विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने यह छः हजार रुपये की राशि उठा ली है....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : यह बिल्कुल गलत है....

श्री मोहनलाल मोदी : मैं आंकड़े सहित अभी बता सकता हूं आपको।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : अगर गलत है तो आपको दो तीन माननीय सदस्यों के नाम भी बताना चाहता हूं.....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : मैं आपको नाम तक बता सकता हूं...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं माननीय सभापति महोदय, एक ही निवेदन करना चाहूंगा.

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : ले लिया साहब, बता दो किसने लिया है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

(व्यवधान)

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सभापति : अंकित न हो, अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++

श्री मोहनलाल मोदी : +++

श्री सभापति : आसन पैरों पर है। कृपा करके बैठ जांय, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

(व्यवधान)

××× सारा का सारा...

(व्यवधान)

श्री सभापति : अंकित न हो अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। व्यवस्था रखने में सहयोग दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाडी : × × ×

(व्यवधान)

श्री सभापति : अंकित न हो। अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाडी : + + +

श्री श्रीराम गोटेवाला : मोदी जी आप जरा विराजिये। एक मिनट आप विराजे,

सभापति महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि सीकर से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने नीम के थाने से आने वाले सम्माननीय सदस्य पर बिना पूर्व अनुमति लिये कई आरोप लगाये है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन्हें या

तो एक्सपंज किया जाय या....

श्री सभापति : एक्सपंज किया गया।

(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : ढाई साल तक इनका राज्य रहा....

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं आपसे इस बात के लिये निवेदन कर रहा था कि इस आर्डिनेंस को लाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं फिर इस बात के लिये....

(व्यवधान)

दुख इस बात का है। आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं ...

श्री सभापति : यह प्रश्न ओवर हो गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं हम में से, आखिर 15 दिसम्बर को हमने यह फैसला किया कि ..

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोकित की गई।
* +++ माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मोहन लाल मोदी : मुझे समय दिया जाय स्पष्टीकरण का....

श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां): सभापति महोदय, माननीय सदस्य पर जो आरोप लगाये हैं इनका उत्तर सुनने के बाद भाषण शुरु करवाया जाय....

(व्यवधान)

यह कायदे की बात है...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री मोहन लाल मोदी : मुझे स्पष्टीकरण का मौका दिया जाय । सभापति महोदय, आप हाउस की पांच आदमियों की कमेटी बना दें। वह जांच करले । आरोप सिद्ध नहीं हो तो माननीय सदस्य इस्तीफा दे दें और आरोप सिद्ध होंगे तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा ।

एक माननीय सदस्य: × × ×

श्री भगवानदास शास्त्री : (अजमेर पश्चिम) : सभापति महोदय, चैलेन्ज स्वीकार हो गया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : अंकित न हो, अंकित न हो।

श्री भगवान दास शास्त्री : + + +

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

+ + + माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मोदी जी, आपको इस बात के लिये दावत देता हूं। आपके पास सरकार है, आपके पास साधन है, अगर आपके पास कोई सबूत कहीं से भी..

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : मैं वैसे निवेदन कर रहा था....

(व्यवधान)

पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति: आसन पैरों पर है। आप व्यवस्था रखिये।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी: सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर है।

सदन में इस प्रकार पूर्व अनुमति के बिना चार्जेज लगाये जाते है वह न लगा करें, नियमानुसार पूर्व अनुमति लेनी चाहिये ।

श्री सभापति: चार्जेज को एक्सपंज कर दिया गया है इसलिये आप संतोष करियेगा। वैसे लिखकर ही देना चाहिये। यह बात सही है रूल्स 173 में कार्यवाही करनी चाहिये। माननीय सदस्य, आप कन्टीन्यू करें। अब आप बहुत ही संक्षेप में कहेंगे ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : 20 मिनट हो गये, इनको बोलते...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं यह निवेदन कर रहा था, उस समय जब मैंने प्रारम्भ किया था तब भी मैंने इस बात पर जोर दिया था कि इस छोटी सी बात के लिए

Page No 152

(152)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
कि 4 हजार के कूपन कम पड़ेंगे, 2 हजार के कूपन बढ़ा दिये जायें, ग्रार्डिनेंस जारी करना उचित नहीं है। यदि हमको 15 दिन बाद मिलते तो कौनसा पहाड़ पड़ जाता। इस सत्र के 4 हजार के कूपन मिले, यदि 30 दिसम्बर तक दो हजार के कूपन उठा लिये तो कौनसा सदुपयोग किया। किसी माननीय सदस्य ने ले भी लिये तो उसका कौनसा सदुपयोग कर पाये हैं...।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह पिष्ठ पेषण है। It is repetition only.

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसलिये मैं कह रहा हूं कि इस छोटी सी बात के लिये ग्रार्डिनेंस लाने की ग्रावश्यकता नहीं थी। मैं ग्रापसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान के सामने कई समस्याएं खड़ी हैं, उनके लिये हम ग्रार्डिनेन्स निकालें जिससे लोगों को राहत मिले तब तो लोग यह सोचेंगे कि राजस्थान के चुने हुए प्रतिनिधि कुछ करते है, कुछ समझते हैं, कुछ जनता के लिये सोचते हैं ग्रन्यथा वे समझते हैं, संकट में फंसे हुए ग्रामीण के लिये तो, कि उनके लिये तो इस प्रकार का ग्रार्डिनेंस नहीं ला सकते हैं, हम भला नहीं कर सकते हैं तो मैं कहना चाहता हूं यह कनवर्सन के लिये करोड़ों रुपया, लिया गया इक्ट्ठा किया किन्तु इस काम के निपटारे के लिये कोई कानून नहीं बना सके। उसके लिये तो हमें फुर्सत नहीं है। उसका तो कोई ग्रार्डिनेंस नहीं है। उसके लिये हमारे पास समय नहीं है ग्रौर इस छोटी सी बात के लिये ग्रार्डिनेंस लाये है इसलिये मैं चाहूंगा..

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसलिये मैं चाहूंगा कि जिसको ग्रार्डिनेंस हमारे सामने प्रस्तुत किया है उस ग्रध्यादेश को विधेयक का रूप देकर जो पास कराने को सदन में लाये है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। ग्रगर लाना है तो उसको फिर विधेयक के रूप में लायें तो हम ग्रपनी कसौटी पर कसकर ग्रपना मत दे देंगे। इसलिये मैं चाहता हूं जनता के सोते हुए मानस को जाग्रत करने के लिये इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ग्रौर उसके बाद बहस करके निर्णय कर सकें।

श्री भगवान दास शास्त्री : सम्माननीय सभापति महोदय, मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है राजस्थान विधान सभा (ग्रधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां ग्रौर पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को छः माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। यह जो माननीय सदस्यों की सुविधाग्रों के लिये विधेयक लाया गया है इसमें विशेष करके प्रावधान किया गया है कि... हमको तो 2000 रुपये के कूपन मिलेंगे। यह माननीय सदस्य, ना मालूम कहां से ग्राये हैं, बार-बार चिल्लाते भी हैं, ग्रपने कलंक को छिपाते हैं हमारे एक दो साल बाकी रहते हैं उसमें हम शान्ति के वातावरण में रहें लेकिन उस प्रभाव की गड़बड़ी होती है...

श्री मोहनलाल मोदी : मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लोग दोषी है वह लाइन नहीं लगा सकते।

श्री भगवान दास शास्त्री : बाकी ग्राप जैसे बुजुर्ग कुछ लाछन लगायें तो पहले ग्राप ग्रपने को देखें, ग्रपनी जाति को देखें, जितने मोदी परिवार हैं उनको देखें ग्राप की

(श्री भगवान दास शास्त्री)
मिलें चलती हैं दिल्ली के बाहर। मेरा मतलब है पूरे डेढ़ साल से हर महीने में पानी और बिजली के मामले में हमें कौन सा आराम मिलेगा जब कि लास्ट मन्थ में ही 204 रुपये का बिजली का बिल देकर आये हैं। मेरा कहने का मतलब यह था विधान सभा सत्र प्रारम्भ होने वाला था इस महीने में तो थोड़ा अगर ठहर जाते, इस सत्र में बिल ले आते और यह बिल पास हो जाता। हमारा विरोध कोई इस बिल के बारे में नहीं है। विधायक जितने चुनकर आते हैं, उनके ऊपर कलंक लगने का सवाल है। लोग कहेंगे कि नवम्बर में तो यह कहते हैं कि हम अकाल राहत कार्य विशेष रूप से चालू करेंगे और काम शुरू होते हैं मार्च, अप्रेल और मई में। कहता हूं वह अकाल राहत कार्य तो समय पर चालू कराइये कम से कम। अकाल का नाम लेते हो, आप जिन किसानों के लिए,...

(व्यवधान)

क्यों चेलेन्ज देते हो मुझे। आपने चार हजार रुपये के कूपन का उपयोग किया, उसके लिये चेलेन्ज देना....

श्री दीपचन्द (सादुलपुर) : सभापति महोदय को सम्बोधित हो आप। आप किसी माननीय सदस्य को सम्बोधित मत करो।

श्री भगवान दास शास्त्री : आप मेरे से ज्यादा मोटे नहीं हैं, मेरे जैसे ही हैं। इसलिए आप शान्त रहें। मेरे कहने का मतलब यह है, सभापति महोदय, इनके मन में खलबली क्यों मची है। मैं तो चेलेन्ज के साथ कहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित करिये।

श्री भगवान दास शास्त्री : मैं तो चेलेन्ज से कहता हूं। माननीय सभापति महोदय, कहने के लिए डेढ़ सौ रुपये पानी और बिजली के लिये मामूली हैं पर स्वतंत्रता सेनानियों के लिये आप कहते हैं कि उनको सम्मान पेंशन के साथ पेंशन देनी है। मैं कहता हूं स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन को, अपने परिवार को अपने बच्चों को देश पर न्योछावर कर दिया। उस समय कांग्रेस थी, उस समय एक सांस्कृतिक संस्था थी और आप हम सब थे। हमारे पूर्वज थे। जब आजादी मिली तो गांधी जी ने यह सच कहा था कि मेरे मरने के बाद या मेरे जीते जी कांग्रेस को समाप्त कर दो। अगर उन दिनों समाप्त करते तो गांधी जी कलंकित नहीं होते, नेहरू जी कलंकित नहीं होते किन्तु उन शहीदों के नाम को फायदा उठाने के लिए उनके नाम पर सत्ता हथियाने के लिए इन्होंने कांग्रेस के नाम के साथ 'इ' और 'इ' लगा दिया। लगाकर और फायदा उठा रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 'ई' लगाकर आपको गायब करवा दिया। यह हमने और बड़ा काम कर दिया।

श्री भगवान दास शास्त्री : सभापति महोदय, इसमें कोई हंसी की बात नहीं है। आपके बजट में प्रावधान है या नहीं, मुझे मालूम नहीं लेकिन जिन स्वतंत्रता सेनानियों को आप पेन्शन देने जा रहे हैं मुझे याद है मैंने कभी-कभी दस्तखत किये थे, 1967 में 1970 में किसी स्वतंत्रता सेनानी की बच्ची की शादी के लिये 3,000 रुपये की मैंने सिफारिश की थी, कोई स्वतंत्रता सेनानी मकान बनाना चाहता था तो मैंने 8-8 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपये की सिफारिश की थी एम. एल. ए. के रूप में।

(श्री भगवान दास शास्त्री)

अगर किसी बच्चे की भी शादी हुई, लड़की की शादी होती है वह तो कन्यादान कहलाता है, लेकिन लड़का जो एशोग्राराम के लिए शादी कर रहा है, उसके लिए भी सहायता देने के प्रार्थना-पत्र पर मैंने दस्तखत किये हैं। ग्राप जब एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, जब ग्राप उनको स्कालरशिप दे रहे हैं, जब ग्राप उनको स्कूल के वस्त्र, जो स्कूल ड्रेस होती है, की सुविधा दे रहे हैं तो यह 200 रुपये देकर ग्राप उनको अपमानित क्यों करते हो। दो सौ रुपये की वैल्यू क्या है। दो रुपये। ग्राप अगर बढ़ते हुए भावों को ग्रौर ग्रासमान को छूती हुई मंहगाई को देखें तो ग्रापने पेंशन की बात कह कर उनकी जो सफेद टोपी है, निष्कलंक है, सफेद है, उसके ऊपर एक काला दाग लगा दिया है। सम्माननीय सभापति महोदय, मैं स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ग्रौर कुछ नहीं कहना चाहता अरबपति भी हैं, लखपति भी हैं, खगपति भी हैं, गरीबी की रेखा के नीचे भी हैं। ग्राप समय देखकर उनको पहचानिये। ऐसा नहीं हो कि सर्टिफिकेट किसी एम. पी. का ले ग्राये भले ही जेल का दरवाजा देखा ही नहीं हो, मार्ग देखा ही नहीं।

श्री दीपचन्द : माननीय सदस्य, विषय पर बोलें। हां मैं कह रहा हूं, ग्राप ग्रपना भाषण क्यों दे रहे हैं ?

श्री भगवान दास शास्त्री : मैं ग्रापके विषय पर ही बोल रहा हूं। विधायक पर बिल्कुल मेरा चार्ज है। ऐसे नकली बहुत हैं ग्रापमें। मैं उनको पेंशन देने के पक्ष में नहीं हूं। ग्राप बैठिये। शर्माजी बैठिये। ग्रापने ग्रलवर का घी खाया हुआ है, ग्रापका ग्रजमेर का घी कम मिलता है। ग्राप बैठिये। ग्राप जरा संतुलन रखिये। ग्राप मेम्बर हैं। ग्राप कैबिनेट के मेम्बर हैं। यह ग्रापका तो · ·

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर है मेरा। ग्रापके सदन के नियम हैं कि जो माननीय सदस्य हैं उनके बैठने का स्थान नियत है वहीं से वह बोलते हैं। माननीय मंत्री महोदय श्री जयकृष्ण जी शर्मा का स्थान यहां नियत है लेकिन वह खड़े होकर बोल रहे हैं यह सदन का अपमान कर रहे हैं, नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। ग्राप इनको ताड़ना दीजिये, यह अपने स्थान पर आये, बोलें। मंत्री होकर इस प्रकार का आचरण करना, सदन की मान्यताग्रों का पालन नहीं करना बहुत ही खेदजनक है। मैं चाहता हूं कि ग्रासन इनको इस प्रकार की ताड़ना दे · · · ·

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज।

श्री दीपचन्द : माननीय सभापति महोदय, मुझे दु:ख ग्रौर अफसोस के साथ कहना पड़ता है; श्रीमान् सीकर से ग्राये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि मंत्री को दूसरी जगह से नहीं बोलना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिस भाषा में ग्रौर जिस लहजे में मोदी जी पर व्यक्तिगत लांछन लगाये हैं, यह क्या शोभा देता ग्रापको ? माननीय सभापति महोदय, मेरा सीधा सा प्रश्न था कि यह राजस्थान विधान सभा पवित्र स्थान है · · ·

श्री जयकृष्ण शर्मा : चेयरमैन महोदय, पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर · · · ·

श्री दीपचन्द : राजस्थान विधान सभा के कोई सदस्य ने यदि गलती की है और भूल है तो मैं महसूस करता हूं कि यह जो कुछ होगा वह होगा लेकिन···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठने का कष्ट करें ।

श्री दीपचन्द : लेकिन किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहिए । माननीय सभापति महोदय, मैं भी एक डकैती में सजा पाया हुआ हूं····

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय 2 घण्टे के लिये और बढ़ा दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही का समय 2 घण्टे के लिये और बढ़ा दिया जाय ।

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही को दो घण्टे के लिये और बढ़ाया गया ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, ना पक्ष जीता । आप मतदान करा लीजिए । ना पक्ष जीता ।

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, ना पक्ष नहीं जीता ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ना पक्ष जीता ।

श्री सभापति : मैंने कह दिया, समय बढ़ गया, माननीय सदस्य ।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : सदन की सहमति नहीं है। आप नहीं बढ़ा सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप मतदान करा लीजिए ।

श्री भगवान दास शास्त्री : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के····

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री यातायात) : मैंने पाइण्ट आफ आर्डर रेज किया है।

व्यवस्था का प्रश्न

नियत स्थान से ही बोलने का अधिकार

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है उस पर व्यवस्था आयेगी पाइण्ट आफ आर्डर पर पाइण्ट आफ आर्डर नहीं आ सकता ।

श्री सभापति : पाइण्ट आफ आर्डर है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने यह पाईइन्ट आफ आर्डर रखा था कि जो माननीय सदस्य सदन में हैं उनके लिए स्थान नियत है सदन में, उस स्थान पर ही खड़े रह कर बोल सकते हैं । माननीय जयकृष्ण जी शर्मा जो मन्त्री महोदय हैं अपने स्थान पर नहीं खड़े हैं और दूसरे स्थान, जो अन्य माननीय सदस्य के बैठने का स्थान है, पर खड़े होकर बोल रहे हैं। यह सदन की स्थापित परम्पराओं की अवहेलना, अवमानना कर रहे हैं । इसलिए उनको प्रताड़ना दीजिये इनको अपने स्थान से बोलने के लिए आप निवेदन करें वह अपने स्थान से बोलें, दूसरे के स्थान से नहीं बोलें । बहुत पुराने मन्त्री हैं, सदन की परम्पराओं का ध्यान रखें । सदन की परम्पराओं का पालन करें इसके लिए इस प्रकार की ताड़ना दें ।

श्री सभापति : यह हार्ड एण्ड फास्ट नियम नहीं है ।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : यह कौन से रूल्स ग्राफ प्रासीजर एण्ड कण्डक्ट ग्राफ बिजनेस में है ?

(5.49 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, ग्रध्यक्ष पदासीन)

श्री हीरालाल ग्रार्य (पीपल्दा) : उनको ताड़ना दें । यह ग्रपने स्थान से बोलें । नियम है ।

(व्यवधान)

नियम कैसे नहीं है । सदन की व्यवस्था है । ग्राप जबरदस्ती वहां पर खड़े हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सदन का समय बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव या कोई प्रश्न सदन के सामने नहीं रखा गया ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज ।

समय बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं होता । ग्रासन यह जान लेता है कि ग्रधिक माननीय सदस्यों की क्या इच्छा है उसके ग्रनुसार व्यवस्था दी जाती है । इसलिए सदन की ग्रनुमति मानकर चलते हैं । इसमें यह नहीं होता है कि ग्राप यह कहें कि नहीं, इसमें साथ नहीं है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनको पता नहीं है । यह बच्चे हैं ।

श्री ग्रध्यक्ष : इसलिए ग्राज का बिजनेस समाप्त करने तक के लिए समय बढ़ाया जाता है । बीच में ग्रौर देख लेंगे ।

(व्यवधान)

साथ में एक व्यवस्था ग्रौर दे दूं । जितने भी विधेयक हैं, जो विचाराधीन हैं, प्रत्येक के लिये ग्राधे घण्टे का समय है । इसके बाद जितने भी इसके दौर होते हैं, उनमें से गुजर जाए उसके लिये प्रत्यक विधेयक के लिए एक-एक घण्टा ।

श्री भगवान दास शास्त्री : सम्माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी · · ·

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरे व्यवस्था के प्रश्न का जवाब दें ।

श्री ग्रध्यक्ष : प्रश्न उठाइये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह था कि माननीय जयकृष्ण जी शर्मा, जो ग्रपने मंत्री हैं · · ·

श्री माणकमल मेहता : यह सभापति महोदय ने डिसाइड कर दिया है । इसके बाद it cannot be re-opened now.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनके बैठने का स्थान नियत है किन्तु वह पीछे वाली बैन्च पर बैठ करके माननीय सदस्य को बीच-बीच में टोक रहे हैं ग्रौर भाषण दे रहे हैं। मेरा निवेदन यह था कि माननीय मंत्री पुराने सदस्य हैं उनको ग्रपने स्थान पर ही खड़े होकर बोलना चाहिए इतने बुजुर्ग सदस्य को सदन की मान्य परम्पराग्रों की ग्रवमानना नहीं करनी चाहिए ।

श्री ग्रध्यक्ष : इस पर विनिश्चय दे दिया है मेरे खयाल से ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं दिया है।

श्री माणकमल मेहता : दे दिया है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या दिया है, हमने सुना नहीं है । क्या दिया है ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिए प्रोसीडिंग्स को देखें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुनाई नहीं दिया, साहब ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विनिश्चय हो गया है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कहीं से भी बोल सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : कहीं से नहीं, यथासम्भव अपने स्थान पर ही रहना चाहिए लेकिन यदा कदा माननीय सदस्य अथवा माननीय मंत्री जी किसी अन्य माननीय सदस्य से विचार-विमर्श करने के लिए दूसरी जगह भी पहुंच सकते हैं ।

श्री भगवान दास शास्त्री : अकेले बैठे हैं । अकेले बैठे हैं, साहब

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, समय नहीं लें ।

इसके लिये केवल आधे घण्टे का समय निश्चित किया है इसलिए कृपया इस समय सीमा को ध्यान में रख कर चर्चा करें ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री भगवान दास शास्त्री : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्यों को विधान सभा की सदस्यता की समाप्ति के पीरियड के बाद जो चार माह के आवास की सुविधा भी दी गई है, कारण यह है कि जो माननीय सदस्य एक्स हो जाते हैं, आपन अच्छी तरह से जानते हैं कि वे एक दिन विशेष भी उस आवास व्यवस्था को पसन्द नहीं करते हैं । मुझे याद है पी. डब्ल्यू. डी. की आचार संहिता बहुत से सम्माननीय सदस्य रिटायर हो चुके, वह घर बैठे रहे अपने बंगले में स्थित रहे तो उसका पूरा फर्नीचर चौबीस घण्टे के अन्दर-अन्दर बाहर निकाल कर उनको चेलेंज किया गया । मेरे कहने का मतलब यह है कि सम्माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि जनता पार्टी के दिनों में अपने शिवचरणजी माथुर, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी को बस में बैठ भीलवाड़ा जाते हुए देखा है । यह बडप्पन है । सादगी है । इसको कहते हैं गांधीवादी विचारधारा । मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सम्माननीय सदस्य दुबारा चुन कर आयेंगे उनको आप सुविधायें कहां देंगे ? होटल में देंगे ? फाइव स्टार होटलों में रखेंगे या आप उसको सर्किट हाउस में रख कर जो अधिकारी बाहर से आते हैं, जो अधिकारी स्पेशल ड्यूटी के लिए आते हैं उनको आप क्या रामलीला मैदान में टेन्टों में रखोगे ? मेरे कहने का मतलब यह है कि कम से कम सोच विचार करके एक आधार रखें । जो माननीय सदस्य आप और हम सब हैं, इन दो सौ माननीय सदस्यों को बदनाम करने के लिए आप आर्डिनेंस लाए हैं । यह विधेयक जो है इसके पास होने से क्या हमारी और प्रेस्टिज बनेगी । आप अखबारों से तो डरते नहीं है, न्यूज से आप डरते नहीं हैं । समाज से आप घबराते नहीं हैं । आप समझते हो कि उम्र भर के लिए ताम्र-पत्र के साथ-साथ सर्टीफिकेट लेकर आये हो राज नेता बनने का, मिनिस्टर बनने का सात पीढ़ी के शायद आप एक ताम्र-पत्र लेकर आये हो । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री भगवान दास शास्त्री)
इस लिए मैंने साफ लिखा है कि इस विधेयक को जनमत जनने हेतु भेजा जाय, जिससे दुनिया देखे। जनता के विचार आ जाय, विधान सभा सदस्य से वह क्या चाहते हैं, हमें सुविधा देना चाहते हैं, एशो-आराम करने के लिए या भूखा रखना चाहते हैं। पीड़ित जनता जहां अकाल की स्थिति में रोटी-रोजी के लिए, एक टाइम की रोटी के लिए तड़फ रही है वहां ऐशो-आराम हम सम्माननीय सदस्य प्राप्त करें और यह राजस्थान के लिए तो कलंक है, मुझे और तो कुछ नहीं कहना है। इतना ही हक कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, हम बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से पुनः निवेदन करता हूं कि आधा घंटा समाप्त होते ही इस विधेयक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक प्रश्न पूछ लिए जायेंगे।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और हमारी वित्तीय स्थिति जिस प्रकार की है उन सारी स्थिति को देखने के बाद भी हम अपनी सुविधायें बढायें, हम अपने बारे में केवल सोचते रहें इससे ज्यादा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। जहां सारा राजस्थान अकाल की चपेट में हो वहां हम उनके लिए कोई रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकें, हम कोई शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा सकें। आज सारे स्कूल खाली पड़े हैं, वहां पर मास्टर हम उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, हमारे वित्तीय साधन इस प्रकार के नहीं हैं। आज हॉस्पिटलों में डॉक्टर और नर्सों का हम प्रावधान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सामने वित्तीय संकट है। राजस्थान में हम बिजली की व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहां वित्तीय संकट है। आज बेरोजगार युवकों को हम रोजगार नहीं दे सकते, आज हम कोई बांध नहीं बना सकते, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थियों में बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि आज हम अपनी सुविधाओं के लिए जो इस प्रकार का अध्यादेश लाया गया है बिल का रूप दे रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं यह आपकी मार्फत कि हम अपने विधान सभा क्षेत्रों में गए होंगे, हमने बसों में यात्रायें की होंगी, लोगों की किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में यह हमने सुना होगा। आज विधायक के नाम से कहीं पर भी सम्मानित रूप से नहीं बैठ सकते। ऐसी स्थितियों में यदि हमने विचार नहीं किया और यदि हमने अपने सामान को घटाने की कोशिश की इस प्रकार का बिल और आर्डिनेंस लाकर हमने केवल अपनी सुविधाओं का ध्यान रखा, केवल अपने बारे में ही विचार करते रहे तो जिस प्रकार राजस्थान में कहावत है। मामा का माल और मां पुरसने वाली में कहावत है। इस

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

प्रकार की स्थिति हमारे लिए लाए तो क्या हम लोगों के सामने मुंह दिखा सकेंगे ? क्या हम जनता के बीच में जा सकेंगे ? केवल हम अपनी सुविधाओं के बारे में विचार करते हैं । कोई आर्डिनेंस इस प्रकार का लाया जाता जिसमें लोगों की समस्याओं का जिक्र होता, जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण होता तो समझ में आ सकता था । वैसा अध्यादेश लाने का कोई तर्कसंगत कारण होता । इस प्रकार की बातों को लोग स्वीकार करते कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, आज फलाने गांव में इस प्रकार की स्थिति है, आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में हमारा बजट लेप्स हो रहा है किन्तु हम व्यवस्था नहीं कर सकते । लेकिन उसकी कोई चिन्ता नहीं है । कोई चिन्ता करने वाला व्यक्ति नहीं है कि वह बजट लेप्स क्यों हो रहा है । 27 के 27 जो जिले हैं उनमें हॉस्पिटल खाली पडे हैं, के सारे स्कूल खाली पड़े हैं , इस प्रकार की व्यवस्था है । इन सारी व्यवस्थाओं के बाद भी हम अपनी सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, हम केवल अपनी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं इससे ज्यादा कलंक की बात हमारे लिए नहीं हो सकती । इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि राजस्थान की जनता को विश्वास में लें और इस बिल के बारे में उनकी ओपिनियन लें कि वह हमारे बारे में क्या सोचती है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जावें ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश के माध्यम से इस विधेयक के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों को और अधिक सुविधा दी जा रही है, यह बात सही है ।

श्री परसराम मोदिया (लक्ष्मनगढ़) : आप ले चुके ।

श्री हीरालाल आर्य : आप सुन लीजिए पहले । सुन लीजिए आप ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मोदिया : आप ले चुके हैं और बातें करते हो ।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराज जावें ।

श्री हीरालाल आर्य : कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हो आप···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें ।

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद (रूपवास) : मैं माननीय सदस्य को·····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाधा न डाले, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : आप पहले चुपचाप सुन लीजिये ।

(श्री हीरालाल आर्य)
माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्डिनेन्स के मार्फत सुविधाएं बढ़ायी जा रही हैं।

(व्यवधान)

श्री भगवान दास शास्त्री : आप जनसंघी हैं पक्के।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर। माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : ऐसी समस्याओं के बारे में, ऐसी जन समस्याओं के बारे में, जिनका निराकरण करना आवश्यक हो, विधान सभा यदि चल नहीं रही हो तो आडिनेन्स लाया जाय तो उसकी उपयुक्तता है। लेकिन सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर राजस्थान में...

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद : पहले यह तो माननीय सदस्य त्याग तो करो थोड़ा।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी का सिद्धान्त यह है पहले त्याग करो फिर बोलो विधान सभा में।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामप्रसाद : पहले अपने मुंडे को देखिये, बोल क्या रहे हो ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री हीरालाल आर्य : राजस्थान में अकाल पड़ रहा है, पीने के पानी की समस्या है, खेत किसान के सूख रहे हैं, हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, मंहगाई बढ़ रही है। इन सबको ठीक करने के लिये, इन सबकी व्यवस्था करने के लिये कोई आर्डिनेन्स लाते तो उसकी उपयुक्तता होती।

श्री परसराम मोर्दिया : हमने 6 हजार के कूपन ले लिये।

श्री रामप्रसाद : पहले 6 हजार के कूपन ले लिये।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिये आप लोग इस तरह से आर्डिनेन्स लाये, यह शर्म की बात है। आप मेरे को कह रहे हैं आपने सुविधाएं उठायी हैं...

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह था...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाधा न पहुंचायें! माननीय सदस्य, आॅर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : मैंने कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं उठायी है। ×××

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, गुमराह करते हैं, ×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शब्द को कार्यवाही से हटाया जाय। माननीय सदस्य, संयम बरतें।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री हीरालाल आर्य : मैंने कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं उठायी है । जिस तरह से अभी माननीय सदस्य ने कहा, इन ××× इस तरह की बात बनाते हैं । अनावश्यक रूप से कोई इस सुविधा का फायदा नहीं उठाया है ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मोरदिया : 5,777 रुपये के···

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य: यह लोग बात सुनें । हम सुन सकते हैं, तो आपको भी सुनने का कर्तव्य है । जब आपका मौका आये तब आप भी बोलें ।

खुद की सुख-सुविधा के नाम पर राजस्थान की जनता के हितों की चिन्ता किये बगैर यहां बैठकर अपने लिये सुख-सुविधा बढ़ाते रहें, क्या आपको पता है राजस्थान की जनता की क्या स्थिति है ? अध्यक्ष महोदय, जब हम इलाकों में जाते है, लोग हमको कहते हैं । ये लोग तो जाते नहीं, इनको तो पता नहीं है । इन लोगों के इलाकों में तो काम नहीं हो रहे हैं, पब्लिक इनसे पूछेगी, क्या कर रहे हो, इस डर के मारे ये लोग इलाके में जाते नहीं है । इनको पता नहीं है जनता क्या फील कर रही है इनके बारे में ? हम इलाके में घूमते हैं, हम इलाके की सुख-सुविधा की चिन्ता करते हैं । पब्लिक वाले कहते हैं, साहब, यह क्या कर रहे हो ? हमारे यहां जो असुविधाएं हैं, दिक्कतें हैं, इनको दूर करने के लिये कोई आर्डिनेन्स आता तो कोई बात होती । साधरण पब्लिक भी कहती है जो आर्डिनेन्स के लिये समझती भी नहीं है । कहीं विधायकों की छवि खराब नहीं हो । इसलिये आवश्यक था कि इस तरह का आर्डिनेन्स नहीं लाया जाता । यदि आर्डिनेन्स लाया जाता था तो जनता की सुविधाओं के लिये लाया जाता । इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा यह विधेयक जो है, इसको जनमत जानने के लिये पहले जनता में परिचालित किया जाय ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को एक माह के लिय जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो स्वतंत्रता सेनानियों, के नाम पर राजस्थान विधान सभा अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन के लिये विधेयक सदन में लाया गया है यह बिलकुल इस प्रकार का···

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद : सबसे पहले आपने आपको कहने वाले···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री बालचन्द आर्यवीर : आप सुनिये पहले । नीचे बैठ जाईये । अरे नीचे बैठ जा...

(व्यवधान)

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री हीरालाल आर्य : हमने…

(व्यवधान)

कोई नहीं करी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जांय । आॅर्डर प्लीज ? माननीय सदस्य, कृपया, बैठ जायें ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : इनको बाहर निकालो । लड्ढा जी को बाहर निकालो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोल रहे हों तो बीच में बाधा न पहुंचायें । माननीय सदस्य, कृपया, बैठ जांय । कृपया, बैठ जांय ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : वर्तमान में राज्य में भंयकर अकाल है । ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को पीने के लिये पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । इस समय इस प्रकार सदस्य…

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पहले यह सवाल इनसे पूछ लिया जाय । इनके माननीय सदस्यों ने और इन्होंनें कूपन लिये या नहीं लियें ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, बैठ जांय ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : राज्य की जनता हमारे बारे में क्या सोचेगी । राज्य की गरीब जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये विधेयक लाते तो राज्य की जनता में प्रसन्नता की लहर उमड़ती । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भंयकर अकाल की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं करा सके हैं । ग्रामीण किसानों की बात करते हैं उन किसानों की फसल सूख रही है, हम उनको बिजली नहीं दे पाते हैं । हम किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कर पाते हैं । यदि हम हमारी सुविधाओं के लिये इस प्रकार विधेयक पास करेगें तो राज्य की जतना क्या सोचेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस प्रकार विधेयक लाया गया है उसको वापस लिया जाय । अन्यथा इसको हम जनमत जानने के लिये भेजेंगे तो सर्वोत्तम होगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो दलीलें दी हैं, उनका मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं । कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है । भगवान इनको शक्ति दे कि इनकी कथनी और करनी एक रहे ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : हमारी तो एक ही है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कूपन्स का जहां तक ताल्लुक है …

श्रीमती विद्या पाठक : खूब दीजिये मगर हम लोगों की इज्जत बचाये रखें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कूपन्स का…

(श्री खेतसिंह राठौड़)
जहां तक ताल्लुक है कोई खास सुविधा नहीं दी है। चार हजार के पहले आपको कूपन्स मिलते थे, वह 6 हजार के दिये गये हैं, रेल किराया बढ़ गया है। रेल किराया बढ़ने की दृष्टि से यह आपको सुविधा दी गई है। यदि आप नहीं लेना चाहें, तो न लें इतना ही आपको सोच और फिक्र है...

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : पहले ले लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुझे विश्वास है कि वापस जमा करा देंगे उससे निश्चित तौर से राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा। मेरी यह मान्यता है जिन माननीय सदस्यों ने यह संकल्प रखा है वह तो कम से कम इसका अनुकरण करेंगे ही।

दूसरी बात आपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कही। मैंने पहले भी कह दिया, मुख्य मंत्री ने भी आपसे निवेदन किया ही है, वह ऐसा विषय नहीं है जिस पर अपन बहस—दलील करें, क्योंकि ज्यादातर आपके ही हैं। उस वक्त जिन्होंने तकलीफ पाई है वह जानते हैं कि आजादी कितनी मुश्किल से मिली थी।

मकानों के बारे में जो व्यवस्था है, वह आपके ही वक्त की है, हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम तो मिनिस्ट्री में नहीं रहेंगे, जब एम.एल.ए. नहीं रहेंगे तब मकान खट से खाली करके जाने वालों में हैं। पहले भी इस तरह खाली करके गये हैं। आप लोग ही अड़े रहते हो चार-चार महीने। फिर बाद में यह अमेंडमेंट लाना पड़ता है। तब फिर विरोध अलग करते रहते हो।

जहां तक पानी और बिजली की सुविधा का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो हमने ठीक कर दिया। इसकी एक लिमिट थी। अप टू लिमिट कर दिया, उस लिमिट से सहूलियतें हुई है, बचत हुई है। इसमें कोई ज्यादा प्रावधान नहीं किया गया है।

मैं समझता हूं इतना काफी है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा इसको पारित करने के लिये मुझे इजाजत दें।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से सदन जानना चाहता है, 150 रुपया आपने किया है, या 150 रुपया कम का किया है। इसमें आप कितनी सेविंग की कल्पना करते हैं। आपने कल्पना तो की होगी, फाइनेन्सियल इन्वाल्वमेंट इसमें है तो कोई कांकरीट आपने बात भी सोची होगी। उसकी अनुमानित बजट राशि भी सोची होगी। कितनी बचत करने का प्रावधान रखते हैं। कितनी बचत कर पायेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जहां तक आपने कूपन हैं, वह तो चार लाख का प्रावधान...

श्रीमती विद्या पाठक : कूपन नहीं, रिएम्बर्समेंट आफ लाइट एण्ड वाटर बिल्स?

श्री खेतसिंह राठौड़ : रिएम्बर्समेंट आफ 150 रुपया।

श्रीमती विद्या पाठक : लाइट एण्ड वाटर बिल्स ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, लाइट एण्ड वाटर बिल्स ।

श्रीमती विद्या पाठक : कितनी सेविंग आप इसमें करेंगे, और कितना आप खर्चा इसकी व्यवस्था में करेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले के एक्ट के अन्दर इसका प्रावधान है, वही खर्चा आपको मंजूर है । वह अगर कम होता तो कम मान लिया जायेगा, उस लिमिट तक हो जायगा तो वह मान लिया जायगा, उसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है ।

श्रीमती विद्या पाठक : इसकी जरूरत आपने, कैसे क्यों महसूस की थी ? इसकी जरूरत महसूस करने के क्या कारण थे ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है,

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : विधेयक लेने से पहले हक नहीं बनता किसी मेम्बर का ।

श्री अध्यक्ष : ठीक कहते हैं आप।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, ठीक तो नहीं है, अब आप कहते हैं, इनका बहुमत है तो इसको ठीक मानकर भले ही चलें आप पर ठीक तो नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन अस्वीकार किये गये ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों को परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया । प्रभारी मंत्री ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा, (अधिकारियों तथा सदस्यों को परिलब्धियां) और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय ।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति है । अभी तो क्लाज बाई क्लाज लगे, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : जब अमेण्डमेंट न हो तो पारित करने का प्रस्ताव तत्काल आ सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मेरे अधिकार को नहीं छोड़ सकता । मैं विरोध कर सकता हूं, बिना अमेण्डमेंट के ।

श्री अध्यक्ष : यदि खण्डों में संशोधन न हो तो उस स्थिति में पारित करने का प्रस्ताव आयेगा उसके पश्चात् आपको अधिकार होगा यह कहने का कि पारित नहीं किया जाय ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है । आप इसमें ज्यादा मत पड़िये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य सचेतक जी की मेरे प्रति शुभ कामनाओं का तो मैं

(श्री भैरोंसिह शेखावत)
आभारी हूं। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था यह है कि किसी बिल में किसी पटिकूलर क्लाज को डिलीट करने के लिये अमेण्डमेंट दिया जाय तो उसको सरकुलेट नहीं किया जाय।

श्री अध्यक्ष : वह नेगेटिव होता है। व संशोधन की परिभाषा में नहीं आता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसलिये मैं इसके क्लाज को डिलीट करने के लिये अमेण्डमेंट दूं तो उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा अधिकार रहता है बोलने का। मान लीजिये चार क्लाज हैं और चार में से तीन का विरोध करता हूं, एक का पक्ष लेता हूं तो क्या हाउस में तीन क्लाजेज पर वोट नहीं कराया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अगर संशोधन नहीं हो तो.....

श्री भैरोंसिह शेखावत : अगर नेगेटिव अमेण्डमेंट है तो संशोधन तो होगा ही नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें तो है बिलोपित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : जब किसी प्रकार का संशोधन न हो तो उस स्थिति में विधेयक को पारित किया जाय, यह प्रस्ताव आ जायेगा। उसके बाद पारित नहीं किया जाय इस संबंध में चर्चा कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय मंत्री महोदय ने थर्ड रीडिंग के लिये प्रस्ताव रखा है कि इसको पारित किया जाय। इसमें बोलने का मुझे राइट है। मैं अपना पहला राइट नहीं छोड़ना चाहता। मैं क्लाजेज का विरोध भी कर सकता हूं। आप तो कानून मंत्री रहे हैं। आप तो जानकार हैं। यह तो सर्वमान्य व्यवस्था है। डिलीशन होता है तो उसको मूव करने की जरूरत नहीं है। मैं स्टेट-वे किसी क्लाज का विरोध कर सकता हूं। यह मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : इसमें ऐसा है कि क्लाज को विलोपित करने की पहले सूचना देते।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई जरूरी नहीं। आज तक दिया तो रिजेक्ट कर दिया कि नेगेटिव अमेंडमेंट मोशन की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में आप अल्प काल की चर्चा कर सकते हैं। इसका समय साढ़े छः बजे निश्चित है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तो मेरे अधिकार को सुरक्षित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बोल लीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तब आप अपना प्रस्ताव वापस लें, मंत्री महोदय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्रीमन् आप थर्ड रीडिंग पर बोल दीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्लाज बाई क्लाज तो तभी बोल सकता हूं जब थर्ड रीडिंग के बारे में जो प्रस्ताव रखा गया है वह हाउस में न आये।

श्री अध्यक्ष : इसमें ऐसा है कि आसन ने व्यवस्था दे दी कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ नहीं माना जायेगा। आपको मैंने बीच में समय दे दिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उन्होंने गलत प्रस्ताव रख दिया। अध्यक्ष महोदय, इसमें धारा

Page No 166

(166)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

2 पास कर दीजिये । इस पर मैं बोलना नहीं चाहता हूं ।

मैं धारा 4 पर बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप कौन से खण्ड पर बोलना चाहेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं खण्ड 4 पर ।

श्री अध्यक्ष : तो 2 और 3 पहले पास कर दें।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 स्वीकार किये जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 और 3 स्वीकार किये गये ।

यह अगर सीक्वेंस में है तो जितने खण्डों पर आपके एतराज हैं, आप एक साथ ही बता दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अलग अलग है । एक तो स्वतंत्रता सेनानियों का । और एक विधायकों का है ।

श्री अध्यक्ष : आप खण्ड 4 और 5 पर एक साथ ही अपना मत व्यक्त कर दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, क्लाज 4 में अमेण्डमेंट किया है- (a) for clause (i) the following clause shall be substituted namely:—

"(i) reimbursement of actual charges on account of consumption of electricity and water upto a maximum limit of rupees one hundred and fifty per month to members residing at Jaipur and occupying their own or hired accommodation or the Govt. accommodation on standard rent,"

(b) after proiviso to clause (ii), the following clause shall be and shall always be deemed to have been inserted namely:—

"(ii a) allotment of Govt. residential accommodation or rent at Jaipur for such period as may be prescribed but not exceeding four months from the date the member ceases to be as such."

इसमें डिफाइन नहीं किया है । मेम्बर्स को सुविधा देना चाहते हैं लेकिन क्या किराया लेंगे , स्टेण्डर्ड या कन्सेशनल रेट पर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष: लेकिन आप तो विलोपित करने के लिये कह रहे हैं । इस प्रकार की तो आप बात कह नहीं रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसका कोई सेंस नहीं है । जब रेंट लिख दिया तो रेंट का मतलब क्या है ? आप अच्छी तरह से देखें- allotment of Govt. residential accommodation on rent at Jaipur for such period as may be prescribed but not exceeding four months from the date the member ceases to be as such."

"rent at Jaipur का मतलब क्या है, "on the same rent" कर दें।

श्री अध्यक्ष : फिर तो ऐसा है कि आप विलोपित कराना चाहते हैं तो इसमें दोष है । आप का विरोध करता हूं, यह कह सकते हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वही मतलब है जो यह कह रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप विधि मंत्री जी की राय ले लीजिये ।

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, क्लाज 4 में सब-क्लाज (1) में है

(a) for clause (1), the following clause shall be substituted namely:--

(i) reimbursement of actual charges on account of consumption of electricity and water upto a maximum limit of rupees one hundred and fifty per month to members residing at Jaipur and occupying their own or hired accommodation or the Government accommodation on standard rent."

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब बात बिल्कुल साफ हो गई। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, कह रहे हैं कंसेशनल रेन्ट और विधि मंत्री जी कह रहे हैं स्टण्डर्ड रेन्ट। तो कौन सी बात सही है, यह बता दीजिये।

श्री अहमद बक्श सिंधी : (b) After proviso to clause (ii), the following clause shall be and shall always be deemed to have been inserted namely :

(ii-a) allotment of Govt. residential accommodation on rent at Jaipur......

जो आप रह रहे हैं वह रेन्ट है for such period as may be prescribed but not exceeding four months from the date, the member ceases to be as such. यह तो क्लियर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो रेन्ट मेम्बर देगा वही रेन्ट होगा या स्टेण्डर्ड रेन्ट देना पड़ेगा।

श्री अहमद बक्श सिंधी : एज मेम्बर जो दे रहे हैं वह रेन्ट चार महीने तक होगा। उसके बाद !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा है तो मैं विरोध नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री और विधि मंत्री दोनों की एक ही राय है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4, 5, 6 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4, 5, 6 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना, अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री जी।

विधेयक का पारण

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन)

(श्री अध्यक्ष)
विधेयक, 1983 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया गया ।

परिनियत संकल्प

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1982

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1982, परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगी डॉ. अरोड़ा ।

(अनुपस्थित)

अन्य सदस्यों ने सूचना दी है, श्री घनश्याम तिवाड़ी । कृपया, थोड़ा-थोड़ा समय लें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 1982 को अध्यापित राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1982) को अस्वीकार करता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अध्यादेश के द्वारा जो संशोधन लाया गया है उसका मैं विरोध नहीं करता हूं । यह जरूरी था क्योंकि छोटी-छोटी जगह पर असीस्टेन्ट रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार को अधिकार देने के लिये यह अध्यादेश लाया गया है । इसके पहले भी सहकारी संस्थाओं के लिये दो अध्यादेश लाये गये थे जिसको पिछली विधान सभा में हमने बिल का रूप दिया था । केन्द्रीय सरकार की भी यह मंशा है कि सहकारी कानूनों के लिये आदर्श नियम बना कर, आदर्श कानून लाकर पारित किया जाये ताकि सहकारी समितियों के सामने जो अड़चन आ रही है उसको दूर किया जा सके । मैं समझता हूं मंत्री महोदय भी इस बात से सहमत होंगे कि सहकारी कानून में इतनी विसंगतियां और उलझनें पैदा हो गयी हैं कि छोटे-छोटे काम में भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है और छोटी-सी बात के लिये कई बार बहुत लम्बे समय तक इन्तजार करना होता है । जैसे कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव चल रहे थे, उसमें एक परिवार के मेम्बर को डिफाइन किया गया, तो क्या मेम्बर पत्नी होगी या नहीं, पत्नी के अलावा उसके मेजर बच्चे उसके मेम्बर हो सकते हैं या नहीं और वे वोट दे सकते हैं या नहीं ? इन सब मामलों में बहुत दिक्कत आती थी । अलग-अलग प्रकार की इंस्टीट्यूशन्स हैं उनके कार्य संचालन के अन्दर दिक्कत आती है । कई बार इन्डस्ट्रियल अरबन को-ऑपरेटिव बैंक के कार्य संचालन, उनकी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बहुत बड़ी समस्या आती है । जो इन्डस्ट्रियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक हैं उनमें सदस्यता के फार्म त्रुटिपूर्ण हैं यह कह कर रिजेक्ट कर दिये जाते हैं लेकिन त्रुटिपूर्ण की व्याख्या नहीं है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने जो उलझन पैदा हुई है उसको दूर करने के लिये यह अध्यादेश जारी किया गया है । इसको जारी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सत्र आने वाला था । इस सत्र के अन्दर एक आदर्श विधि सह-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कारिता के लिये बना कर पास कराते। विधेयक के रूप में इसको पास करते तो हमारे सामने जो उलझन पैदा हो गयी है उससे राहत मिल सकती थी और हम कुछ सहायता कर सकते थे।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने हमारे पुराने कानून हैं और नये कानून बनाते हैं, उसमें इस प्रकार बार-बार अध्यादेश के द्वारा संशोधन लाने के कारण समस्या पैदा होती है। इस समस्या का समाधान करना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक आदर्श विधि, एक आदर्श कानून सहकारिता के बारे में नये ढंग से बनाया जाय। जो समस्या हमारे सामने आती हैं उनको निपटाने के लिये छोटे-छोटे है अध्यादेश जारी होते हैं जिनसे केवल तात्कालिक लाभ मिल जाता है। अध्यादेश बार-बार जारी नहीं करने पड़े, सहकारिता के क्षेत्र में मूल रूप से सुधार हो और यह संस्थाएं भ्रष्टाचार से बचें, इस पर विचार करके एक सम्पूर्ण विधेयक लाना चाहिये, यह मेरी मान्यता है। बाकी इस अध्यादेश में जो संशोधन लाया गया है उसका तो मैं विरोध नहीं करता हूं परन्तु मैं यह अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जो परिनियत संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है उसको यह सदन स्वीकार करे ताकि सहकारी क्षेत्र में ठीक ढंग से काम हो सके।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री हनुमान प्रभाकर (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसके द्वारा माननीय सदस्य ने जहां तक अध्यादेश का प्रश्न है और उसमें जो विषय निर्धारित हैं उनका विरोध नहीं किया। उन्होंने यह कहा कि सहकारिता क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं उसके सम्बन्ध में कानून बनाया जाय जिससे सहकारी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके यह उनका सुझाव है, मैं इससे सहमत हूं। राज्य सरकार भी इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि अपने सहकारी क्षेत्र को हम किस प्रकार ठीक करें। इन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है। जहां तक इस अध्यादेश को लाने का सवाल था उसका मूल कारण यह था कि सन् 1974 में एक संशोधन हुआ था उस समय जो प्रोविजो था 124 का वह विलुप्त हो गया। परिणाम यह हुआ कि चाहे असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार का निर्णय हो, चाहे डिप्टी रजिस्ट्रार का निर्णय हो, चाहे ज्योइन्ट रजिस्ट्रार का निर्णय हो, उस निर्णय की अपील सीधी राज्य सरकार के पास ही होती। रजिस्ट्रार उन अपीलों को सुन नहीं सकता था। इसकी वजह से बाहर से जो लोग आते थे उनको कठिनाई होती थी। उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि इन सब की अपीलें राज्य सरकार ही सुने रजिस्ट्रार नहीं सुन सकता, चूंकि रजिस्ट्रार की जो परिभाषा दी गयी थी उस परिभाषा के अन्तर्गत असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, ज्योइन्ट रजिस्ट्रार यह सब उसमें सम्मिलित हो जाते थे। यह कानूनी पेचीदगी आ गयी थी। यह पेचीदगी कानून में न रहें और लोगों को समय पर कुछ राहत मिल सके, इन दोनों दृष्टियों के कारण यह अध्यादेश निकालने की स्थिति पैदा हुई। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि आज करीब 1500 ऐसी अपीलें हैं जिन पर विचार करना है। इस अध्यादेश के आने के बाद करीब 61 अपीलों का फैसला किया जा चुका है। विलम्ब न हो न्याय में इस कारण से अध्यादेश निकालने की स्थिति पैदा हुई है। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है वे उस पर जोर नहीं देंगे

(श्री हनुमान प्रभाकर)
और संकल्प को वापिस ले लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना परिनियत संकल्प वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया उसे लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

(स्वीकृति)

परिनियत संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं परिनियत संकल्प वापस लेता हूं।

विधेयक पर विचार
राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रतुस्त करेंगे।

श्री हनुमान प्रभाकर (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसे कुछ माननीय सदस्यों ने जनमत जानने हेतु परिचारित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु।

(विराम)

प्रश्न नम्बर यह है कि राज्यपाल सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1933 को विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री हनुमान प्रभाकर (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर), श्री अध्यक्ष महोदय, मैंने नाम भी दिया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अब छोड़ो

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, वह स्टेज तो चली गयी है। उस वक्त कहती तो मैं अवश्य ही अवसर दे देता लेकिन अब तो अगली स्टेज आ गयी है। क्या पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है।

श्री हनुमान प्रभाकर : जी हां, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री हनुमान प्रभाकर)

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया गया।

श्री अध्यक्ष : यह भूमि वाला स्थगित कर दिया जाय…

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री): आज ही ले लो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : ले लो हमको तो कोई आपत्ति नहीं है पर फिर देर लगेगी। देखलो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस पर तो हम बोलेंगे। फिर देर हो तो…

(विराम)

श्री अध्यक्ष : सिनेमा वाला ले लेते हैं। यह तो जल्दी पास हो जायेगा।

(विराम)

विधेयक पर विचार

राजस्थान सिनेमा (विनियमन) संशोधन) विधेयक, 1983

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

Sorry.

प्रभारी मंत्री विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, उद्योग) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा, जनमत जानने हेतु इस विधेयक को परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

निम्नांकित सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरीश शर्मा, श्री बालचन्द्र आर्यवीर…

(विराम)

प्रश्न यह है कि जनमत जानने…

(विराम)

नहीं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

Page No 172

(172)

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया गया। सदन की कार्यवाही कल दिनांक 1 मार्च, 1983...

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री): इसको नहीं ले रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अपने मुख्य मंत्री जी से जरा पूछ लें।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह तो कुछ नहीं बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझ से बात हो गई है कि यह नहीं करना है आपको शायद....

श्री अध्यक्ष : आगे ले लिया जायेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : आगे तो बजट आ रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो क्या हुआ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : फिर कैसे, कब लेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात बी. ए. सी. सोचेगी, आपके सोचने की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 1 मार्च, 1983 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सांय 6.47 बजे मंगलवार दिनांक 1 मार्च, 1983 के म. पू. 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की गयी।)

---

(173)

परिशिष्ट 'ख'

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 173 की सूची

विवरण	लक्ष्य	उपलब्धियां
सहकारी समितियों का गठन :		
1977–78	100	23
1978–79	50	142
1979–80	50	89
1980–81	50	51
	योग ..	305

वर्षवार आय-व्यय व हानि-लाभ का विवरण :—

विवरण	वर्ष	व्यय	आय	शुद्ध लाभ	शुद्ध हानि
ऊन जानवर क्रय	1977–78	20,10,261.16	20,17,225.61	5,994,45	—
ऊन जानवर क्रय	1978–79	1,11,16,012.22	1,11,20,991.35	4,975.29	—
ऊन जानवर क्रय	1979–80	1,69,58,360.12	1,68,13,350.10	—	(–) 1,45,010.02
ऊन जानवर क्रय	1980–81	2,02,26,134.22	1,82,44,286.10	—	(–) 19,81,848.12

नोट :—वर्ष 81–82 के लेखे अभी तैयार नहीं हुए हैं अनुमानित 16 लाख रु. की हानि रहेगी ।

परिशिष्ट "ब"

ऊन के वर्षवार बाजार भाव का विवरण

कल्पन काल	ऊन किस्म दर प्रति किलो		
	सफेद (अ)	चन्दनिया (ब)	पीली (स)
फरवरी—मार्च, 78	35 रुपये से 34 रुपये	34 रुपये से 31 रुपये	32 रुपये से 31 रुपये
अगस्त—सितम्बर, 78	37 रुपये से 36 रुपये	32 रुपये से 30 रुपये	30 रुपये से 27 रुपये
अक्टूबर—नवम्बर, 78	36 रुपये से 34 रुपये	33 रुपये से 30 रुपये	31 रुपये से 28 रुपये
फरवरी—मार्च, 79	37 रुपये से 35 रुपये	34 रुपये से 31 रुपये	32 रुपये से 29 रुपये
अगस्त—सितम्बर, 79	38 रुपये से 36 रुपये	34 रुपये से 32 रुपये	32 रुपये से 28 रुपये
अक्टूबर-नवम्बर, 79	36 रुपये से 132.5 रु.	43 रुपये से 32 रुपये	33 रुपये से 32 रुपये
फरवरी—मार्च, 80	33 रुपये से 31 रुपये	31 रुपये से 29 रुपये	29 रुपये से 26 रुपये
अगस्त—सितम्बर, 8C	27 रुपये से 29 रुपये	24 रुपये से 23 रुपये	23 रुपये से 22 रुपये
अक्टूबर—नवम्बर, 80	25 रुपये से 23 रुपये	23 रुपये से 22 रुपये	22.5 रु. से 21 रुपये
फरवरी—मार्च, 81	29 रुपये से 27 रुपये	26 रुपये से 25 रुपये	25 रुपए से 23 रुपये
अगस्त—सितम्बर, 81	26 रुपये से 24 रुपये	23 रुपये से 22 रुपये	22 रुपये से 20 रुपये
अक्टूबर-नवम्बर, 81	26 रुपये से 25 रुपये	5 रुपये से 23 रुपये	23 रुपये से 21 रुपये
फरवरी—मार्च, 82	24 रुपये से 21 रुपये	23 रुपये से 21 रुपये	22 रुपये से 21 रुपये
अगस्त—सितम्बर, 82	22 रुपये से 20 रुपये	21 रुपये से 19 रुपये	18 रुपये से 16 रुपये
अक्टूबर-नवम्बर, 82	22 रुपये से 20 रुपये	21 रुपये से 19 रुपये	18 रुपये से 16 रुपये

(176)

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 176 की सूची

45 उप-केन्द्र जो स्टाफ के अभाव में बन्द पड़े हैं, की सूची—

क्रम संख्या	प्रा. स्वा. केन्द्र	सब-सेन्टर (हैल्थ)	सब-सेन्टर (परिवार कल्याण)
1.	समदड़ी	1. करमावास	1. शरत्री
		2. मोकलसर	2. जेवन्तरी
		3. मीली।	
		4. कम्टरी	
2.	बायतू	5. झाव	3. कानोड
		6. परेऊ	
		7. हीरो की ढाणी	
		8. डबों की ढाणी	
		9. मीठा	
3.	धोहटन	10. सुभाला	4. वीजराड
		11. सारला	
4.	गूंगा	12. हरसानी	5. देवका
		13. वालेवा	6. गिराब
5.	सिन्दरी	14. मोकड़ा	7. वांड
		15. नोहू	8. घाटाला
			9. इन्डाली
			10. मगने की ढाणी
6.	रामसर	16. नीलसर	
		17. खाडीन	11. गगडिया
		18. सनापडा	12. तारांतरा
		19. रानी गांव	13. नांद
7.	माण्डोली	20. दूदवा	14. टापरा
		21. कालेवा	15. कोरना
		22. जसोल	16. थोब
8.	गुड़ामालानी	23. भाखरपुरा	17. गाडेवी
		24. पीपराली	18. उठाला
		25. उढासर	
		26. मिलारानीया	
		27. उमला	

Page No 177

परशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 178 की सूची व विवरण

झालावाड़ जिले में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालयों/औषधालयों की सूची

क्र.सं.	नाम स्थान	क्र.सं.	नाम स्थान
1	2	1	2
1.	झालावाड़	28.	उन्हेल नागादेव
2.	पिड़ावा	29.	देवगढ़
3.	भवानी मण्डी	30.	दुधालिया
4.	भिलवाड़ी	31.	नन्दपुर
5.	पीपल्या	32.	कुन्डला
6.	रामनिवास घाटोद	33.	धतुरिया
7.	धनवासा	34.	बेडर्ला
8.	मन्डावर	35.	आवर
9.	झूमकी	36.	करावन
10.	दीत्याखेड़ी	37.	गुराड़िया–जोगा
11.	समराई	38.	मिखोली
12.	कनवाड़ा	39.	गोलाना
13.	रूपारेल	40.	हरिगढ
14.	खोखन्दा धनवास	41.	भीमसागर डेम
15.	रीछवा	42.	जोलपा
16.	सलावद	43.	दहीखेड़ा
17.	रटलाई	44.	पनवाड़
18.	भालता	45.	तारज
19.	देवरी कलां	46.	खाताखेड़ी
20.	सरडा	47.	बाघेर
21.	घाटोली	48.	कोटडी
22.	गेहूं खेड़ी	49.	धरोनिया
23.	मनोहर थाना	50.	हिम्मतगढ
24.	कोलूखेड़ी कलां	51.	उन्हेल-सुनेल
25.	लतोड़िया शाह	52.	दुवलिया
26.	चौमहला	53.	रायपुर
27.	डग	54.	गादिया
		55.	कनवाड़ी

Page No 178

(178)

1	2	1	2
56.	काली-तलाई	58.	फतेहगढ
57.	माथनिया	59.	ल्हास

झालावाड़ जिले में औषधि हेतु धनराशि स्वीकृती का विवरण

वर्ष	स्वीकृत औषध बजट
1980-81	2,70,880
1981-82	2,59,190
1982-83	2,57,500

————

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 181 का विवरण

वर्ष 1981-82 में पंचायतों के सहायतार्थ अनुदान की प्राप्त राशि का पंचायत समिति वार विवरण

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	योग
1.	लाडपुरा	34857.20	34857.20	69714.40
2.	अन्ता	44853.76	44858.76	89707.52
3.	बारां	30583.28	30583.28	61166.56
4.	अटरू	39617.20	39617.20	79234.40
5.	छबड़ा	30404.64	30404.64	60809.28
6.	छीपा बड़ोद	37404.64	37404.64	74809.28
7.	शाहबाद	26985.28	26985.28	53970.56
8.	इटावा	53716.88	53716.88	107433.76
9.	सुल्तानपुर	42496.72	42496.72	84993.44
10.	सांगोद	46110.96	46110.96	92221.92
11.	खैराबाद	42857.92	42857.92	85715.84
12.	किशनगंज	33947.76	33947.76	67895.52
	योग ..	463836.24	463836.248	927672.84

नोट :—अवशेष राशि 51077-52 वापस राज्य कोष में जमा करा दिये ।

(180)

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न संख्या 182 का विवरण व जांच रिपोर्ट की प्रति

वर्ष 82-83 में विभिन्न योजनाओं द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु गांवों की संख्या:-

क्र. सं. 1	योजना का प्रकार 2	गांवों की संख्या 3
1.	हैण्ड पम्प योजना	2519
2.	टी. एस. एस. योजना	45
3.	पम्प एवं टैंक पेयजल योजना	36
4.	क्षेत्रिय पेयजल योजना	159
5.	अन्य (डिग्गी आदि)	14
	कुल:–	2773 ग्राम

भौतिक एवं रसायनिक मानक–मैन्यूअल आफ वाटर सप्लाई एण्ड ट्रीटमेंट (सैकिण्ड एडिसन, 1976) (CPHEEO) से लिया गया ।

क्रम. सं.	गुण	× स्वीकार योग्य	×× अस्वीकार के कारण
1.	टरबी डी. टी. (जे. टी. यू. इकाई)	2.5	10
2.	रंग (प्लेटीनम कोवाल्ट इकाई)	5.0	25
3.	स्वाद एवं सुगंध	आपत्तिरहित	आपत्तिरहित
4.	पी. एच.	7.00 से 8.5	6.5 से 9.2
5.	कुल घुलनशील लवण (मि. ग्रा./ली.)	500	1500
6.	कुल कठोर पन (as $CaCO_3$) (मि. ग्रा./ली.)	200	600
7.	क्लोराइड (as Cl) (मि. ग्रा./ली.)	200	1000
8.	सल्फेट (as SO_4) (मि. ग्रा./ली.)	200	400
9.	फ्लोराइड (as F) (मि. ग्रा./ली.)	1.0	1.5
10.	नाइट्रेट (as NO_3) (मि. ग्रा./ली.)	45	45
11.	केलसीयम (as Ca) (मि. ग्रा./ली.)	75	200
12.	मेगनिशियम (as Mg) (मि. ग्रा./ली.)	30	150

नोटः–यदि सल्फेट की मात्रा 250 मि. ग्रा. प्रति लीटर हो । मेगनिशियम की सांद्रता 125 मि. ग्रा./ली. बढ़ सकती है जबकि सल्फेट की मात्रा 2.5 इकाई मेगनिशियम की एक इकाई के बढ़त के साथ घटती जाये ।

13.	आइरन (as Fe) (मि. ग्रा./ली.)	0.1	1.0
14.	मेगनीज (as Mn) (मि. ग्रा./ली.)	0.05	0.5
15.	ताम्बा (as Cu) (मि. ग्रा./ली.)	0.05	1.5
16.	जस्ता (as Zn) मि. ग्रा./ली.)	5.0	15.0
17.	फिनोलिक यौगिक (as Phanol) (मि. ग्रा./ली.)	0.001	0.002
18.	एनोओनिक डिटरजेंट (as MBAS) (मि. ग्रा./ली.)	0.2	1.0
19.	खनिज तेल (मि. ग्रा./ली.)	0.01	0.3

टोक्सीक वस्तुएं

20.	आरसेनिक (as As) (मि. ग्रा./ली.)	0.05	0.05
21.	केडमियम (as Cd) (मि. ग्रा./ली.)	0.01	0.01
22.	क्रोमियम (as hexavalend) (मि. ग्रा./ली.)	0.05	0.05
23.	साईनाइड (as CN) (मि.ग्रा./ली.)	0.05	0.05
24.	शीशा (as Pb) (मि. ग्रा./ली.)	0.01	0.1

Page No 182

(182)

क्र.सं.	गुण	× स्वीकार योग्य	×× अस्वीकार के कारण
25.	सेलेनियम (as Se) (मि. ग्रा./ली.)	0.01	0.01
26.	पारा (as Total Hg) (मि. ग्रा./ली.)	0.001	0.001
27.	पोलीन्यूकलर हाइड्रोकार्बन (PAH)	0.2Mg/1	0.2 Mg/1
	रेडियो एक्टीवीटी		
28.	ग्रोस अल्फा एक्टीवीटी	3 pCi/1	3 pCi/1
29.	ग्रोस एक्टीवीटी	30 pCi/1	30 pCi/1

नोट:— ×(1) जो मात्रा स्वीकार योग्य मापदण्ड में दर्शायी गई है वो मापदण्ड है जो कि उपभोक्ता को सामान्य रूप से मान्य हैं।

××(2) जो मात्रा स्वीकार योग्य के मापदण्ड से अधिक हैं, सामान्य तौर पर मान्य नहीं हैं परन्तु दूसरे स्रोतों के नहीं मिलने पर सहनशील हैं। परन्तु जो मापदण्ड अस्वीकार योग्य हैं, उनसे अधिक होने पर जल अस्वीकार किया जाना चाहिये।

(183)

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT, CENTRAL LABORATORY, GANDHI NAGAR (Near Reserve Bank Quarters) RAJASTHAN, JAIPUR- 302015

REPORT OF THE CHEMICAL EXAMINATION OF WATER

No. Lab. /Tech. (180) 192-193/ 2176 Date: 25-2-1983

To,

The Assistant Engineer.
City Sub-Dn-III, PHED,
JAIPUR.

Reference: Distt. Jaipur

Date of Collection: 21.2.1983
Date of Complete Examination: 22.2.1983
Date of Receipt 21.2.1983

Particulars Lab. Sample No	SAMPLE NO· 558—A ADRASH NAGAR PUMP HOUSE, JAIPUR

Note:—All results Except pH are in mg/l

1.	pH	7.8
2.	Turbidity (Silica Scale)	Clear
3.	Colour	None
4.	Odour	No disagreeable odour
5.	Temp. °C	
6.	Alkalinity Phenolphthalein ($CaCO_3$)	NIL
7.	Alkalinity Methyl Orange ($CaCO_3$)	196
8.	Total Hardness ($CaCO_3$)	440
9.	Calcium Hardness	264
10.	Magnesium Hardness	176
11.	Carbonate Hardness	196
12.	Non-carbonate Hardness	244
13.	Chloride (Cl)	120
14.	Sulphates (SO_4)	15
15.	Nitrites (NO_2)	NIL
16.	Nitrates (NO_3)	220
17.	Oxygen absorbed in 4 hrs. (Tiy's test)	
18.	Total Solids.	
19.	Total dissolved Solids	995
20.	Suspended Solids	
21.	Residual Chlorine	0.8
22.		
23.		

Remarks

Superintending Chemist,
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट 6

तारांकित प्रश्न संख्या 183 के पत्र की प्रति

No. 40 (28)—PF I/82-34

Government of India
Ministry of finance
Department of Expenditure,
Plan Finance Division.

MOST IMMEDIATE
NOT FOR CASH
PAYMENT FOR
ADJUSTMENT ONLY

New Delhi, 3-7-1982.

To

The controller of Accounts,
Ministry of finance,
Department of Expenditure,
New Delhi.

Sub : Release of special medium-term non-Plan loan assistance to state clear the closing deficits of 1981-82 Rajasthan.

Sir,

I am directed to convey the sanction of the president to the payment of Rs 283.46 crores (Rupees two hundred eighty three crores and forty six lacks only) to the Government of Rajasthan as a special medium term non-Plan loan assistance for clearing the closing deficits of 1981-82.

2. The amount sanctioned above has already been credited to tne accounts of the Government of Rajasthan as on 28-6-1982 through the Reserve Bank of India and as such no further action need be taken in this regard.

3. The payment is adjustable under major Head-760A-A-Loans and advances to State Governments(charged) in grant No. 41-Transfers to states for 1982-83 under sub-head AA 1-Non-Plan Schemes-AA.1 (1)-Loans to cover gaps in resources.

4. At present no provision is available under this sub-head. Howear, the requirments of funds will be met by reapropriation under the major head 760 and will be covered by obtaining supplementary grant in the ensuing session of the Parliament.

5. The terms and conditions of the loan assistance will be as follows :

(i) The loan will carry interest @ 6-1/2% per annum.

(ii) The period of loan will be six years including an initial moratorium of one year for repayment of principal and payment of interest. On expiry of the moratorium period, the loans will be repayble in five equel annual instalments commencing from the year 1984-85. Interest for the moratorium period of one year will be payble in five equal annual instalments commencing from the year 1984-85. The amounts due on these annual instal-

ments of principal and interest for the moratorium period will be recovered in four equal instalments on 1st July, October, January and March in each year commencing from 1984-85. Interest for each year after the moratorium period shall also be recoverable in four equal instalments on 1st July, October, January and March in the following year.

(iii) A re-bate of 1/4% in the interest will be admissible for timely repayment of principal and interest. In the event of default in the repayment of Principal and/or interest, interest @ 9% would be chargeable on all such overdue instalments.

6. The action taken on the letter may kindly be intimated.

Yours faithfully,
Sd/-
(V. Srinivasan)
Joint Director.

(186)

परिशिष्ट-7

तारांकित प्रश्न संख्या 185 का विवरण

Statement Showing the details of jowar seed samples found sub-Standard during Kharif, 1982

Name of the District	Lab test No.	Lot No.
1	2	3
1. Sawai Madhopur	82-SA-346	R-80-12-12(A)1718
2. Sikar	82-SA-231	Local Jowar
	82-SA-KT-647	BSK-3
3. Kota	82-SA-651	PPK-1
	82-SA-KT-12	BSK-16
	82-SA-KT-13	BSK-17
	82-SA-652	BSK-10
	82-SA-KT-14	BSK-18
	82-SA-KT-16	BSK-20
	82-SA-KT-1004	R-81-08-08(A)0100
4. Baran	82-SA-994	R-81-12-12-(G)0572
	82-S-A995	R-81-12-12-(G)0567
	82-SA-1000	R-81-12-12-2199
	82-SA-KT-9	R-81-12-12-(1)2814
	82-SA-1002	R-81-08-08(A)0099
	82-SA-KookT-1003	R-81-08-08(A)0103
	82-SA-Kt-26	S.No.3 SVP-245
	82-KT-SA-22	R-81-12-12-(1)2262
	82-KT-SA-23	R-81-12-12-(1)2263
	82-KT-SA-24	R-81-04-04-(B)8
5. Kankroli	82-SA-240	K-81-17-109(72)
	82-SA-234	K-81-17-109(03)
	82-SA 235	R-81 12-08-(C)
	82-SA 236	R-81-08.08(C)
	82-SA-241	R-81 12.08-(C)
	82-SA-242	R-81-08-08-(1C)
	82-SA-379	K-81-13.121 184
	82-SA 380	K-81-13-1 1-201
	82-SA-1079	KL-30
	82-SA-1080	KL-31
	82-SA-1081	KL-32
	82-SA-1082	KL-33
	82-SA-1086	KL.37
	82-SA-1087	KL-38
	82-SA-1088	KL-39

1	2	3
	82-SA-1089	KL-40
	82-SA-1090	K 1-1
6. Chittorgarh	82-SA-UDR-108	R-81-12-12(A)2720
	82-SA-UDR-109	R-81-12-12(A)0725
	82-SA-417	R-81-13-126(S.No.2)
	82-SA-450	0104-10-04-146(S.No-39)
	82-SA-455	K-81-13-12-8-0725
	82-SA-456	K-81-13-126(211(NS -4)
	82-SA-458	0104-10-04-146(S.No.4)
	82-SA-460	R-81-12-12-06-75(45)
	82-SA-461	0104-10.04-136(46)
	82-SA-UDR-59	K-81-13-62-207
	82-SA-UDR-56	K-21-12-12-27-25
	82-SA-472	0104-10-04-211
	82-SA-462	0104-10-04-134(47)
	82-SA-457	K-81-08-09-8917(S No.42)
	82-SA-50	01-04-10-04-136
	82-SAUDR-51	01-04-10-04-134
7. Bundi	82,SA660	K-V-6
	82 SA-675	D S21
	82-SA-KT-28	R-81-12-12(b)2770
8. Jhalawar	82-SA-KT-963	R-81-12-12 (1) 2814
	82-SA-958	R-81-12-12 (1) 2837
	82-SA-964	R-81-12-12 (1) 2149
	82-SA-965	R-81-12-12 (1) 2210
	82-SA-966	R-81-12-12 (1) 2248
	82-SA-1128	R-81-12-12 (B) 0454
	82-SA-1132	R-81-12-12 -2261
	82-SA-KT32	SYP--245
	82-SA-710	1SYP--245
	82-SA-KT19	R-81-12-12 (A) 2746
	82-SA-KT21	R-81-12-12-2709
9. Tonk	82-SA-734	R-81-12-12 (1)2203
10. Bhilwara	82-SA-1122	R-81-08-80(A) 0963
	82-SA-324	K-81-13-16
	82-SA-325	K-81-13-164
	82-SA-629	K 81-13-135 (401)
	82-SA-630	K-81-13-135 (202)
	82 SA-631	K-81.13 (135) 366
	82-SA-1117	R-81-12-12 (B) 2804
	82-SA-1120	K-81-12-12 (J) 0754
	82-SA-1124	R-81-12-08 (B) 19 TFL
	82-SA-635	K-81-03-08 (C) 2179
	82-SA-UDR-20	K-81-08 (C) 0010

Page No 188

188

1	2	3
	82-SA-215	01-04-10-03-10
	82-SA-632	K-81-12-08 (C) 0019
	82-SA-633	K-81-1?-08-(C)0091
	82-SA-634	K 81-31-135-2057
	82-SA-641	K-81-12-01-675
	82-SA-1118	R-81 12-06 (B) 263
	82-SA-UDR-16	K-81-13-62-333
	82-SA-UDR-17	K-81-13-6-2301
	82-SA-UDR-18	01-04-10-03-14
	82-SA-UDR-19	K-81-08--08(L)2188
	82-SA-UDR-22	R-81-12-010
	82-SA-UDR-23	R-81-13-18614
	82-SA-UDR-25	R-81-13-17-109-283
	82-SA-UDR-26	R-81-13-(A)235
	82-SA-UDR-28	R-81-08-08-(A) 2188
	82-SA-642	K-81-08-08(G) 929
11. Udaipur	8?-SA-82	R-80-08-12 (A) 1478

Total : 96 samp

परिशिष्ट 8

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

कला संकाय (उदयपुर) के पशु धन सहायक प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को रोजगार

186. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1980-81 में उदयपुर से पशुधन सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि विज्ञान विषय के छात्रों को नौकरी में ले लिया गया है तथा कला विषय वाले छात्रों को नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि कला विषय के छात्र पशुधन सहायक के योग्य नहीं थे, तो इन्हें प्रशिक्षण क्यों दिया गया ?

(3) क्या सरकार कला विषय के छात्रों को जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, नौकरी देना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जीव विज्ञान विषय के प्रशिक्षित अभ्यार्थियों को पशुधन सहायक के पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है । जहां तक कला वर्ग के छात्रों को नियुक्ति दिये जाने का प्रश्न है अभी पशु पालन अधीनस्थ सेवा नियमों में जीव विज्ञान के अतिरिक्त किसी अन्य विषयों में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को नहीं हैं ।

यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

धन्वन्तरी औषधालय, जौहरी बाजार में अनियमितताएं

187. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि धन्वन्तरी औषधालय, जौहरी बाजार, जयपुर के वैद्य श्री मंगलदास की आयु 62 वर्ष की होने के उपरान्त भी उनका सेवाकाल 5 वर्ष और बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार को धन्वन्तरी आयुर्वेद अनुसंधान शाला में अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायतें की गई है? यदि हां, तो उन पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(3) इस संस्था को अनुदान क्यों नहीं बन्द कर दिया गया ?

उत्तर

(1) वैद्य श्री मंगलदास की आयु 60 वर्ष है न कि 62 वर्ष । संस्था के हित में 5 वर्ष की वृद्धि की गई है ।

(2) जी नहीं । यहां कोई अनुसन्धान शाला नहीं है ।

(श्री आयुर्वेद मंत्री)

(3) संस्था के बारे में कोई अनियमितता अथवा कमी दृष्टिगत नहीं हुई, अतः अनुदान बन्द करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

उदयपुर नगर न्यास द्वारा व्यावसायिक भू-खण्ड का परिवर्तन

180. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) नगर न्यास, उदयपुर में जनवरी, 1979 से 31 जनवरी, 1983 तक कितने लोगों के प्लाट के स्थान परिवर्तन हेतु प्रार्थना-पत्र पेश हुए और उनमें से कितने लोगों के प्लाट के स्थान परिवर्तन कर दिये गये ?

(3) जिन लोगों के प्लॉट के स्थान परिवर्तन किये गये, कृपया उनके नाम, उन्हें आवंटित पूर्व के प्लॉट का दिनांक, स्थान, क्षेत्र पर अनुमानित कीमत तथा परिवर्तित स्थान, क्षेत्रफल, कीमत व दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्लॉट के एवज में प्लॉट बदलने का अधिकार न्यास को है ? यदि हां, तो कृपया, नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या ऐसी शिकायत है कि लोह मार्केट से अश्विनी बाजार में जो व्यावसायिक भू-खण्डों का परिवर्तन किया गया उसमें अनियमितताये हुई है ?

(5) क्या यह भी सही है कि किसी न्यास कर्मचारी द्वारा अपने ही दस्तखत से अपने प्लॉट का भी स्थान परिवर्तन किया गया ? यदि हां, तो किसने और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? नहीं, तो क्या इस मामले की जांच की जायेगी ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1979 से 31 जनवरी, 83 तक दस व्यक्तियों के प्लॉटों के स्थान परिवर्तन करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए व उनके स्थान परिवर्तन किये गये ।

(2) विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी है ।

(3) प्लॉट के एवज में प्लॉट बदलने की कार्यवाही न्यास मौके की स्थिति के अनुसार करती है । नियमों में इस बाबत कोई प्रावधान नहीं है ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी हां । श्री मंजूर अहमद, सहायक अभियन्ता ने किये थे जो उस समय न्यास सचिव का कार्य भी कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के पश्चात् उन्होंने दस्तखत किये थे, अतः कार्यवाही अथवा जांच करने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

प्लाटों के विवरण

क्र. सं.	प्लॉट नं.	प्लाट का स्थान एवं दिनांक		क्षेत्रफल	कीमत	दर
1.	44	आधाटनगर	17-4-80	2800 व. फी.	22,540.00	8.05 फुट
2.	21?	प्रतापनगर	4-4-78	108–8/9 व. फी.	886.11	9.00 गज
3.	160	हि. म. से.	6-10-80	2887 व. फी.	26,385.00	9.40 फुट
4.	39	आधाटनगर		2800 व. फी.	28,700.00	10.25 फुट
5.	47	आधाटनगर	26-11-80	2800 व. फी.	22,260.00	7.95 फुट
6.	45	आधाटनगर	17-9-80	2800 व. फी.	22,260.00	7.95 फुट
7.	351	हि. म. से.–5	21-10-81	2074–3	21,157.35	10.20 फुट
8.	29	आधाटनगर	30-10-81	2400 व. फी.	4,983.00	2.00 गज
9.	234	खेमपुरा	14-4-78	108–8 9 व. ग.	1,742.22	16.00 गज
10.	57	हाथीपोल	25-10-79	668-9 गज	70,218.75	105.00 फुट

वर्तमान में हि. से. 11 की दर 21.50 प्र. व. फीट

4 की दर 9.57 प्र. व. फीट

की सूची

बदला गया स्थान	क्षेत्रफल एवं दिनांक	कीमत	मालिक का नाम व पता
हि. म. से. 4(180)	2400 24-4-82	21,832.00	स्टेट बैंक ग्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर एम्पलाईज हाउसिंग को. सोसाइटी लि. वास्ते एम. एल. सहदेव
हि. म. से. 4(510)	138–8/9 19-7-82	1,055.61	श्री लच्छीराम सावली मार्फत भंवरलाल माली राज. स्पोर्टस, बापू बाजार
हि. म. से. 11(448)	2490 व. फी. 20-8-82	24,118.20	एम. एस ग्राचार्य, 336 हि.म.से.
हि. म. से. 11(382)	2855 व. फी. 12-11-81	29,370.00	श्री मरवन चन्द्र पुत्र श्री हिंम्मतसिंह मेहता, दौलत निवास मेहताओं का टीबा, उदयपुर
हि. म. से. 11 (401)	381, व. फी. 27-1-81	12,244.00	श्री ग्रनिल कोठारी पुत्र श्री सोहन लाल कोठारी, भट्टों की बाड़ी
हि.-म.-से. 11 (401)	3520 व. फी. 27-1-82	25,060.00	श्री सुरेन्द्र सिंह कोठारी पुत्र तख्तसिंह कोठारी 114, रोड भूपालपुर
हि.-म. से. 4 (169)	2400 व. फी. 31-3-82	13,867.25	श्री जुगल किशोर पुत्र शिवकिशोर सनाढ्य, श्रीनाथ की हवली
हि.-म. से. 4 (170)	2400 व. फी. 9-11-81	4,983.00	श्री मूलचन्द केवलिया पुत्र श्री वल्लभदास केवलिया, 33 छोटी, ब्रह्मपुरी उदयपुर
हि.-म. से. 6(73)	108–8/9 गज 6-8-82	1,742.22	श्री नर्वदा शंकर पुत्र श्री भगनलाल श्रीमाल, धानमण्डी उदयपुर
हाथीपोल देवली गेट योजना (11)	625 13-4-82	70,218.75	श्री नसरुद्दीन पुत्र श्री ग्रब्बासग्रली कवरियाग्रली, हाथीपोल ग्रन्दर, मस्जिद के नीचे, क्लार्क मार्केट

रेन्ज परशाद (सराड़ा) के पहाड़ों से अवैध कटाई

189. **श्री देवन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सराड़ा तहसील में कडाना परियोजना के अन्तर्गत रेन्ज परशाद में कितने पहाड़ों पर कौन-कौन से जंगल में कोटबन्दी की गई ?

(2) परशाद, खर दर,ल, अलकार इन गांवों के भोवालिया मगरा में कौन से सन् में कोटबन्दी की एवं इस पहाड़ पर वृक्ष कटाई रोकने की सुरक्षा कौन कर रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि इस पहाड़ की सुरक्षा हेतु पेड़ों की कटाई रोकने हेतु गांवों एवं पंचायतों के लिखने पर भी जंगल को बरबाद किया गया ?

उत्तर

(1) कडाना परियोजना के अन्तर्गत तहसील सराडा में निम्न स्थानों पर कोट वंदी की जाकर पेडोक्स बनाये गये हैं :—

टोकर 'अ'	200 है0
राटोडा	200 है0
भोराई	200 है0
घाटा ट्रक	94 है0
टोकर 'बी'	425 है0
करनेला	400 है0
जाम्बुडा	400 है0
परसाद	60 है0
अरवड	300 है0
धोला मगरा	240 है0

(भी फुलिया मगरा)

(2) इन क्षेत्रों में कडाना परियोजना एवं वन मण्डल, उदयपुर द्वारा किये गये कोट वन्दी के कार्यों की वर्षवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। कडाना परियोजना के कार्यों की सुरक्षा हेतु एक वनपाल, एक वनरक्षक व वार केटल गार्ड (अस्थाई तौर पर) लगाये गये है। उदयपुर वन मण्डल के अधीन दोनों की सुरक्षा का दायित्व स्थानीय वनरक्षक, नाकेदार एवं क्षेत्रीय का है।

(3) शिकायत प्राप्त होने पर जांच की जाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है। किसी भी जंगल को बरबाद नहीं किया गया है।

(१९५.)

कार्य क्षेत्र	नाम कार्य	वर्ष	विशेष विवरण
नाल, अलकार			
	(अ) पलाना परियोजना के अन्तर्गत कार्य		
	टोकर 'ए'	1971-72	200 है.
	राछोड़ा	1971-72	200 है.
	भांराई	1971-72	200 है.
	घाटा टूक	1971-72	194 है.
	टोकर 'बी'	1971-72	425 है
	करपेग्र	1972-73	400 है.
	जाम्बुडा	1972-73	400 है
	(ब) उदयपुर वन मण्डल द्वारा कराये गये कार्य		
	प्लांटेंशन शेर की खाल	1973-74	--
परशाद			
	(स) कडाना परियोजना के अन्तर्गत कार्य		
	परशाद	1971-72	80 है
	धोला मगरा	1973-74	240 है.
	(द) उदयपुर वन मण्डल द्वारा कराये गये कार्य		
	प्लांटेंशन शीता मगरा	1979-80	--
भरवड़			
	(क) कडाना परियोजना के अन्तर्गत कार्य		
	भरवड़	1972-73	300 है.
	(ख) उदयपुर वन मण्डल द्वारा कराये गये कार्य		
	प्लांटेंशन भरवड़ (भोपालिया नगर)	1976-77	—

कोटा शहर के उद्योगों में सिचाई विभाग की बकाया राशि

190. श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कोटा शहर के बड़े उद्योगों पर सिंचाई विभाग की राशि बकाया है ? यदि हां, तो कितनी और कब-कब से ? कृपया उद्योगों के नाम, बकाया राशि सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार इस बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या प्रयास कर रही है और यह राशि कब तक वसूल कर ली जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा शहर के चार बड़े उद्योगों को सिंचाई विभाग द्वारा दिये जा रहे पानी के भुगतान की 15,10,811.42 रु. की राशि बकाया है। विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) मैसर्स देहली क्लॉथ एण्ड जनरल मिल क. लिमिटेड ने उनसे बकाया राशि की वसूली पर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश, कोटा से स्टे आदेश जनवरी, 1981 में प्राप्त किया। इस कारण उनसे न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में निर्णय होने तक वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अन्य उद्योगों से बकाया राशि की वसूली करने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन प्रयत्नों से वसूली में आशातीत सुधार हुआ है।

कोटा शहर के बड़े उद्योगों को सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध किये जा रहे जल के भुगतान की बकाया राशि का विवरण :

क्रम सं.	उद्योग का नाम	कब से कब तक	बकाया राशि
1.	मैसर्स देहली क्लॉथ मिल्स कं. लि., देहली		
	(अ) मैसर्स श्रीराम केमिकल्स, कोटा	4/67/ से 1/83	5,22,702.58
	(ब) मैसर्स श्रीराम रेयन्स लि., कोटा	4/67 से 1/83	2,61,798.50
2	मैसर्स देहली क्लॉथ मिल्स कं. लि., देहली (मैसर्स श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि., कोटा)	6/72 से 1/83	5,12,600.33
3.	(अ) मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि., कोटा	3/82 से 1/83	20,052.48
	(ब) मैसर्स जे. के. स्टेपल्स एण्ड टोज लि., कोटा	10/70 से 1/83	1,34,855.98
4.	मैसर्स मल्टी मेटल्स, कोटा	12/75 से 3/79	20,724.28
5.	मैसर्स प्रीमियर पेपर एण्ड बोर्ड, कोटा	7/75 से 1/83	38,077.27
			15,10,811.42

भरतपुर जिले में सरसों की फसल को क्षति

191. श्री हरीसिंह (कुम्हेर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

भरतपुर जिले में "व्हाइट रस्ट" नाम की बीमारी से वर्तमान सरसों की कितने क्षेत्रों में फसल प्रभावित हुई है तथा कितना नुकसान हुआ है ?

उत्तर

इस वर्ष भरतपुर कृषि जिले (भरतपुर एवं धौलपुर राजस्व जिला सहित) में सरसों की 62,628 हैक्टर क्षेत्र की फसल व्हाइट रस्ट बीमारी से आंशिक रूप से प्रभावित हुई है। इस बीमारी से प्रभावित फसल में अनुमानतः 3 से 4 प्रतिशत नुकसान होना आंका गया है ।

डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रेक्टिस

192. श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय) एवं श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राज्य सेवा में कार्यरत डाक्टर्स की प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था उसकी व्यवस्था "पे क्लिनिक" द्वारा की जाती थी ? यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध कब लगाया गया था और प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण थे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि प्राइवेट प्रेक्टिस पर लगाया गया प्रतिबन्ध हटा लिया गया है ? यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध कब हटाया गया और इसके हटाने के क्या कारण हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या राज्य सरकार के इस निर्णय से गरीबों के लिये चिकित्सा सेवाएं और महंगी नहीं हो जायेगी एवं प्राइवेट प्रेक्टिस हेतु डाक्टर्स द्वारा की जाने वाली अवांछित गतिविधियां और अधिक नहीं बढ़ जायेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 2-10-74 से प्रतिबन्ध लगाया गया था । राणावत वेतन आयोग ने डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाने की व इसके स्थान पर नॉन प्रेक्टिस अलाउन्स देने की सिफारिश की थी जिसे मानकर सरकार ने प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाया था ।

(2) जी हां । दिनांक 1-1-83 से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है । प्रतिबन्ध हटाने का कारण बेरी वेतन आयोग की सिफारिश है ।

(3) प्रत्येक अस्पताल में मरीजों की सुविधा हेतु विशेषज्ञों के बैठने के दिन नियत हैं जिसमें सभी विशेषज्ञ अपनी बारी से आउटडोर में बैठते हैं । अतः अवांछनीय गतिविधियों के बढ़ने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

मरीजो पर विशेष शुल्क

194. श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) एवं श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार

(श्री कैलाश मेघवाल एवं श्री रामकिशोर-मीणा)

अस्पतालों एवं डिस्पेन्सरीज में इलाज के लिये आने वाले मरीजों पर एक विशेष प्रकार का शुल्क लगाने जा रही है ?

(2) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ? इसके वसूल करने की प्रक्रिया एवं इस माध्यम से प्राप्त आय के व्यय की क्या योजना बनाई गई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । मामला विचाराधीन है ।

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

मरीजों पर विशेष शुल्क लगाने संबंधी योजना

चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा सुविधा मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है, किन्तु वित्तीय साधनों की कमी के कारण कई प्रकार के उपकरण एवं औषधियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं । इसी प्रकार बहुत-सी डिस्पेंसरी व अस्पताल के भवन की दशा भी मरम्मत योग्य है । अतः यह प्रस्ताव है कि राजकीय अस्पताल, डिस्पेन्सरी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फिलहाल शुल्क के रूप में प्रत्येक वाह्य रोगी पर पचास पैसा तथा भर्ती होने वाले रोगी पर एक रुपया लगाया जावे ।

इस शुल्क के वसूल करने की प्रक्रिया सक्षम अधिकारी द्वारा एक वेण्डर नियुक्त किया जावेगा, जिसको कि पांच पैसे प्रति फार्म कमीशन मिलेगा । प्रत्येक स्लिप पर क्रमांक छपा रहेगा, संबंधित अस्पताल अथवा डिस्पेन्सरी के स्टोर्स से वेण्डर फार्म, कैस बैसिस पर खरीदेगा एवं मरीजों को नियमित शुल्क पर बेचेगा ।

उपरोक्त आय का उपयोग निम्न कार्य करने के लिये प्रस्तावित है :—

1. अस्पताल/ डिस्पेन्सरी का विकास, मरम्मत तथा अतिरिक्त कमरों का निर्माण आदि ।
2. अस्पतालों के लिये यंत्रों, उपकरणों एवं गरीब रोगियों में वितरण हेतु अतिरिक्त औषधियों की खरीद आदि ।

छठी पंचवर्षीय योजना में बायोगैस प्लान्ट

196. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) एवं : **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि छठी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर राजस्थान में भी बायोगैस प्लान्ट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

(2) यदि हां, तो इस योजना काल में कुल कितने और प्रति वर्ष कितने-कितने बायोगैस संयन्त्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित था ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या ये लक्ष्य अभी तक ठीक प्रकार से प्राप्त किये जा रहे हैं ? कृपया इस

Page No 198

(१९८)

(श्री रंगजी मीणा व श्री कैलाश मेघवाल) योजना काल में प्रति वर्ष लगाये गये बायो-गैस प्लांट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां।

(2) छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में राष्ट्रीय बायोगैस प्रसार योजना के अन्तर्गत 25,000 संयत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 1981-82 में 2000, वर्ष 82-83 में 5,000 वर्ष 83-84 में 8,000 एवं वर्ष 84-85 में 10,000 संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1982-83 हेतु लक्ष्य राज्य स्तर पर अब घटाकर 3,000 कर दिये गये हैं। बायोगैस योजना का कार्य संतोषजनक चल रहा है। कार्य में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना काल में वर्ष 1981-82 में 1220 बायोगैस संयन्त्र एवं वर्ष 1982-83 में अब तक 1356 बायोगैस संयन्त्र किये जा चुके हैं (जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है) ऐसे प्लान्ट जो 1981-82 में बने थे एवं ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं उनके सर्वेक्षण एवं सुधार हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को आदेश दिये जा चुके हैं एवं यह कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

राज्य में विभिन्न जिलों में लगे संयन्त्रों की संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष 1981–82	वर्ष 1982–83
1	2	3	4
1.	श्री गंगानगर	197	107
2.	बीकानेर	155	116
3.	कोटा	181	43
4.	चित्तौड़गढ़	2	39
5.	उदयपुर	137	178
6.	सवाईमाधोपुर	37	73
7.	अजमेर	81	115
8.	भरतपुर	60	15
9.	जयपुर	64	88
10.	जोधपुर	37	41
11.	झालावाड़ा	44	30
12.	भीलावाड़ा	35	163
13.	अलवर	35	52
14.	सीकर	31	27
15.	पाली	103	49
16.	जालोर	26	43
17.	बून्दी	13	15
18.	झुंझुनू	11	10
19.	टोंक	9	29
20.	चूरू	7	38
21.	नागौर	7	20

(विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री)

1	2	3	4
22.	बांसवाड़ा	..	12
23.	डूंगरपुर	..	22
24.	सिरोही	..	31
	योग	1192	1356
	खादी ग्रामउद्योग कमीशन द्वारा स्थापित संयन्त्र	28	.
	महायोग	1220	1356

जिला बाड़मेर मुख्यालय पर स्थित चिकित्सालय की क्रमोन्नति

197. श्री **हेमाराम चौधरी** (गुढा-मालानी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है सरकार बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित चिकित्सालय को क्रमोन्नत करना आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सीमावर्ती जिला होने से मिलिट्री, बी. एस. एफ., एयर फोर्स के जवान व अफसरों की चिकित्सा एवं जिले की सन् 1981 की जन गणना के अनुसार वर्ष 1983-84 में उक्त चिकित्सालय को क्रमोन्नत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर।

(2) जी हां।

समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर।

रणथम्भौर बाघ परियोजना

198. श्री **चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाघ परियोजना रणथम्भौर कब बनायी गयी तथा जिस समय इस परियोजना का निर्माण किया गया था उस समय बाघों (टाइगर) व बघेरों (पेन्थर) की संख्या क्या-क्या थी ?

(2) वर्ष 1982 में इनकी संख्या इस परियोजना में कितनी थी ?

उत्तर

(1) बाघ परियोजना रणथम्भौर माह अप्रेल, 1974 में स्थापित हुई। उस समय से परियोजना में चौदह टाइगर एवं दस पेंथर थे

(2) इस परियोजना में वर्ष 1982 (दिसम्बर) में 32 टाइगर तथा 18 पेंथर थे।

ग्राम नीमराना तहसील बहरोड़ में दुग्ध संयंत्र केन्द्र की स्थापना

199. श्री **सुजानसिंह यादव** (बहरोड़): क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने

(श्री सूजानसिंह यादव)

की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ग्राम नीमराना तहसील बहरोड़ में दुग्ध संयंत्र (चिलिंग प्लान्ट) केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र का समस्त दूध हरियाणा प्रान्त में जाता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कोटपूतली (जयपुर) में एक 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का चिलिंग सेन्टर स्थापित किया गया है, जहां पर इस क्षेत्र के गांवों से दूध संकलन कर लाया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय में नियुक्ति के लिये आयु सीमा

200. श्री दोन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या प्रदेश में सरकार द्वारा सरकारी विभागों, गैर-सरकारी, अर्द्ध सरकारी निगमों, निकायों अथवा बोर्डों की सेवाओं में नियुक्तियों पर कोई प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार नियुक्तियों पर लगे प्रतिबन्ध से जनवरी, 1983 तक प्रदेश में कितने ही युवकों की आयु सीमा पूर्ण हो चुकी है ?

(3) आयुसीमा पूर्ण हो चुकने वाले युवकों के भविष्य के लिये राज्य सरकार के पास क्या कोई योजना विचाराधीन है

उत्तर

(1) सरकारी विभागों में कनिष्ठ लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों को भरने पर दिनांक 27-4-82 से प्रतिबन्ध है। परन्तु आयोजना/आयोजना भिन्न पदों पर बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों की सीमा तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध दिनांक 14-2-83 से लागू नहीं है।

अर्द्ध सरकारी निगमों, निकायों तथा बोर्डों के व्यय में मितव्ययता लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु मार्गदर्शन सिद्धान्त तय किये गये हैं और उनके कार्यान्वियन हेतु उनके संचालन मण्डल की स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यक निर्देश प्रसारित करने हे कहा गया है।

(2) इस बारे में कोई अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) फिलहाल इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान राशि

201. श्री भैरूलाल (मनोहरथाना) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की

Page No 201

(201)

(श्री भैरूलाल)
कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा यह राशि अपने-अपने क्षेत्रों की पंचायतों के लिये पंचायत समितियों को प्रति वर्ष आवंटित की जाती रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति मनोहर थाना को भी वर्ष 1981-82 की सहायता अनुदान राशि आवंटित की जा चुकी है ? यदि हां, तो पंचायत समिति मनोहरथाना के प्रशासक (बी. डी. ओ.) द्वारा कितनी पंचायत समिति क्षेत्र की किन-किन पंचायतों को धनराशि दे दी गई है और कितनी पंचायत इस धनराशि को प्राप्त करने से वंचित है ? कृपया विगत वाइज सूची सदन की मेज पर रखें। अपने हिस्से की सहायता अनुदान राशि जिन पंचायतों को नहीं दी गई है इसका क्या कारण है ? यह धनराशि अब कब तक दिला दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) पंचायत समिति, मनोहरथाना को वर्ष 81-82 की सहायता अनुदान राशि रुपये 1,98,978,80 आवंटित की गई है। सभी अधीनस्थ पंचायतों को राशि आवंटित की जा चुकी है जिसकी सूची पंचायतवार सदन के पटल पर रखदी गई है।

ग्राम पंचायतों को सहायता/अनुदान को दी गई राशि

मनोहरथाना 1981-82

क्र.सं.	नाम पंचायत	प्रथम व द्वितीय किस्त	तृतीय एवं चतुर्थ किस्त	कुल भुगतान राशि योग	भुगतान तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	शोरती	3329.76	3359.49	6689.25	7-6-82
2.	खेरखेडा	1760.64	1776.36	3537.00	7-6-82
3.	चन्दीपुर	2952.32	2978.68	50931.00	10-12-82
4.	जावर	2983.68	3010.32	5994.06	9-6-82
5.	बनेट	2751.84	2776.41	5528.25	9-12-82
6.	समरील	2413.60	2435.15	4848.75	16-10-82
7.	ठीकरिया	2212.90	2231.75	4443.75	4-6-82
8.	मनोहरथाना	5122.88	5168.62	10291.50	29-1-83
9.	टोडरीमीरा	2298.24	2318.76	4617.00	2-6-82
10.	कोलूखेडीमालियान	2403.52	2428.98	4828.50	4-6-82

1	2	3	4	5	6
11.	खासिया	2544.64	2567 36	5112.00	2-6-82
12.	टोडरीजगन्नाथ	2647.68	2671.32	5319.00	18-10-82
13.	समलोहाट	2478.56	2500.69	4979.25	7-6-82
14.	डांगीपुरा	1919.68	1936.82	3856.50	7-6-82
15.	पिण्डोला	2560.32	2583.18	5143.50	19-8-82
16.	खानाखेडी	2253.44	2273.56	5527.00	3-8-82
17.	गुरजीलिया	2699.20	2723.30	5422.50	3-8-82
18.	चान्दपुराभीलान	2022.72	2040.78	4063.50	2-6-82
19.	कोलू. कलां	3055.36	3087.64	6138.00	2-6-82
20.	भांवलहेडा	3148.32	3176.71	6324.73	14-10-82
21.	मनपसर	2311.68	2332.32	4644.00	2-6-82
22.	बांसखेडी	2681.28	2705.22	5386.50	3-6-82
23.	वासखेडा	2668.96	2692.77	5361.73	13-7-82
24.	सरेडी	3106.88	3134.69	6241.57	7-6-82
25.	बडबद	3321.92	3351.58	6673.50	4-6-82
26.	धनावद	3164.00	3192.25	6256.25	7-6-82
27.	मिश्रोली	4358.24	4437.51	8835.75	27-1-83
28.	घडोल	2972.48	2999.02	5971.50	7-6-82
29.	मेठून	2470.72	2492.78	4963.50	7-6-82
30.	तुरकाडिया	2232.16	2252.04	4484.20	7-6-82
31.	ल्हांस	3301.76	3331.24	6633.00	7-9-82
32.	देवरीकलां	3333.12	3362.88	6696.00	2-6-82
33.	चुरेलिया	3323.04	3352.71	6675.75	2-6-82
34.	लसुडियाशाह	3128.08	3145.92	6264.00	2-6-82
35.	सरखण्डिया	3084.48	3112.02	6196.50	7-6-82
	योग :	99,047.20	99,931.60	1,98,978.80	

ह.
जिलाधीश, झालावाड़

फसल बीमा योजना

202 श्री तेजपाल यादव (चौमूं): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार प्राकृतिक आपदाओं, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, पाला, अग्नि, ओलावृष्टि, फसल की संक्रामक बीमारियों, टिड्डी दल आदि से होने वाले नुकसान से किसान को बचाने के लिये फसल बीमा योजना लागू करना चाहते है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1 फसल बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

मनोहरपुर (जयपुर) में जहरीली शराब से मृत्यु

203. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खात्वी): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर सर्किल में मनोहरपुर (शाहपुरा) में जहरीली शराब काण्ड से गत दो वर्षों में कितने-कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

(2) उक्त कांड में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों और अब कब तक कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) 8 व्यक्तियों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है।

(2) इस काण्ड के संबंध में श्री मण्डलेश्वर पुरोहित आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है। चार्जशीट 9-2-83 को जारी कर दी गई है।

राजगढ़ तहसील, जिला चूरू को सिद्धमुख नहर से पानी की योजना

204 श्री दीपचन्द (सादुलपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजगढ़ तहसील जिला चूरू की सिद्धमुख नहर की खुदाई का कार्य कब तक चालू करने का सरकार का विचार है?

(2) सिद्धमुख नहर से जिला चूरू की तहसील राजगढ़ के कितने गांवों को पानी देने की योजना है ?

उत्तर

(1) सिद्धमुख नहर योजना का आंकलन तैयार किया जा रहा है। आंकलन की स्वीकृति पर कार्य शुरू किया जायेगा।

(2) राजगढ़ तहसील के 14 ग्रामों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

---

(२०५)

परिशिष्ट 9

तारांकित प्रश्न संख्या 179 की सूची

बीकानेर जिले में विगत पांच वर्षों में वनपालों के भरे गयें पदों की संकलित सूचना

क्र. सं.	वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अन्य	योग
1.	1978-79	1	1	3	5
2.	1979-80	9	4	36	49
3.	1980-81	—	—	—	—
4.	1981-82	—	—	—	—
5.	1982-83	4	7	15	26
	योग ..	14	12	54	80

रिक्त पद 13:

1.	वन मण्डल बीकानेर	—	1	1	2
2.	वन मण्डल सूरतगढ़	—	—	—	—
3.	वन मण्डल बेरियावाली	2	3	6	11
	रिक्त पदों का योग ..	2	4	7	13

बीकानेर जिले में विगत पांच वर्षों में वन रक्षकों के भरे गये पदों की संकलित सूचना

1.	1978-79	9	10	40	50
2.	1979-80	11	3	36	59
3.	1980-81	3	1	8	12
4.	1981-82	1	—	23	14
5.	1982-83	3	5	13	21
	योग ..	27	19	120	166

रिक्त पद 19

1.	वन मण्डल बीकानेर	—	1	2	3
2.	वन मण्डल छतरगढ़	1	2	9	12
3.	वन मण्डल बेरियावाली	2	—	2	4
	योग ..	3	3	13	19

परिशिष्ट 10

तारांकित प्रश्न संख्या 180 का ब्योरा

वर्ष 81-82 में सड़क नालियों पर मरम्मत पर व्यय का ब्योरा

सितम्बर, 81	465.46
अक्टूबर, 81	4,730.45
नवम्बर, 81	1,298.60
दिसम्बर, 81	398.00
जनवरी, 82	5,530.25
फरवरी, 82	1,737.40
मार्च, 82	653.75
योग ..	14,563.91

वर्ष 82-83 में सड़क व नालियों पर मरम्मत पर व्यय के विकास कार्यों का ब्योरा

1.	अप्रेल, 82	343.00
2.	मई, 82	22,540.73
3.	जून, 82	1,47,493.26
4.	जुलाई, 82	207.00
5.	अगस्त, 82	1,11,979.84
6.	सितम्बर, 82	—
7.	अक्टूबर, 82	41,723.66
8.	नवम्बर, 82	22,404.00
	योग ..	3,46,592.49

कुल विकास कार्यों पर	3,61,156.40
वेतन बिजली सामान, क्रय फर्नीचर आदि पर व्यय	1,08,843.60
योग ..	4,70,000.00

Page No 206

(206)

परिशिष्ट 11

तारांकित प्रश्न संख्या 184 की सूची

राज्य सरकार द्वारा आयोजित नेत्र शिविरों की सूची अप्रेल, 82 से जनवरी, 1983 तक

क्र. सं.	जिले का नाम	आयोजित नेत्र शिविरों की संख्या
1.	अजमेर	8
2.	अलवर	12
3	बांसवाड़ा	8
4.	बाड़मेर	10
5.	भरतपुर	8
6.	भीलवाड़ा	3
7.	बून्दी	2
8.	चित्तौड़गढ़	2
9.	चूरू	6
10.	श्रीगंगानगर	23
11.	जयपुर	12
12.	जैसलमेर	1
13	जालोर	7
14.	झालावाड़	1
15.	झुन्झुनू	10
16.	जोधपुर	8
17.	कोटा	4
18.	नागौर	10
19.	पाली	12
20.	सीकर	8
21.	सिरोही	3
22.	सवाई माधोपुर	10
23.	टोंक	11
24.	उदयपुर	8
25.	धौलपुर	7
26	मेडिकल कॉलेज, अजमेर	2
27	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	6
28	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	4
29.	मोबाइल सर्जिकल यूनिट, राजस्थान, जयपुर	13
30.	डूंगरपुर	6
	योग . .	223

(207)

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 164 की प्रतिलिपि

परिशिष्ट 'क'

ग्राम पंचायत कोलिया की बैठक दिनांक 20-1-80 के प्रस्ताव संख्या 17 की सत्यापित प्रतिलिपि ।

प्रस्ताव संख्या 17 काम के बदले अनाज योजना में जो दिनांक 18-1-80 को गेहूं लाये थे उसमें से दो बोरी गेहूं गिर गये थे बड़ा कुआ व क्लास सिलावट के खेत के बीच की दूरी में जिसकी जांच श्री रामकरण वार्ड पंच व श्री कालूराम सांसी से करवाई गयी जिन्होंने पुष्टि की, इसकी जांच श्री सरपंच अपने स्तर से करें। जांच रिपोर्ट अगली बैठक में रखें व दो बोरी गेहूं स्टॉक रजिस्टर से कम कर दिया जावे ।

प्रमाणित प्रतिलिपि
सही/-
राम अवतार
17-2-83
सरपंच,
ग्राम पंचायत, कोलिया ।

परिशिष्ट 'ख'

ग्राम पंचायत कोलिया की बैठक दिनांक 20-2-80 के प्रस्ताव संख्या 15 की प्रतिलिपि ।

15-9-1-80 को ट्रेक्टर नं. आर. जे. एस. 20-82 पर जो दो बोरियां गेहूं की गिर गई थीं उनका कोई पता नहीं लगा । उन बोरियों को राइट ऑफ किया जावे ।

प्रमाणित प्रतिलिपि
सही/-
राम अवतार
17-2-83

ग्राम पंचायत, कोलिया,
तह. डीडवाना, जिला-नागौर ।

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 169 की सूची

क्रम संख्या	योजना का नाम	अनुमानित राशि (लाख रु. में)	आरम्भ करने की अनुमानित तिथि
1	2	3	4
	आवासीय :		
1.	ई. डब्लू. एस. स्केलिटन हाउसिंग स्कीम, झालाना डूंगरी	20.00	दिसम्बर, 1982
2.	ई. डब्लू. एस. स्केलिटन हाउसिंग स्कीम, लालकोठी	22.00	दिसम्बर, 1982
3.	ई. डब्लू. एस. कच्ची बस्ती रिसेटिलमेंट स्कीम, मालवीया नगर	32.88	फरवरी, 1983
4.	वैशाली नगर, आवासीय योजना	300.00	अप्रेल, 1983
5.	विद्याधर नगर, आवासीय योजना	तय नहीं	मार्च, 1984
	व्यावसायिक		
1.	नेहरूप्लेस	तय नहीं	जून, 1983
2.	संजय मार्केट	100.00	अक्टूबर, 1982
3.	अरावली व्यावसायिक योजना	10.00	दिसम्बर, 1982
4.	शॉपिंग सेन्टर, नाहरी का नाका	3.50	दिसम्बर, 1982
5.	गन्दा नाला, सी-स्कीम के साथ-2 व्यावसायिक योजना	तय नहीं	जून, 1983
6.	मुरलीपुरा शॉपिंग सेन्टर	तय नहीं	तय नहीं
7.	विद्याधर नगर, शॉपिंग सेन्टर	तय नहीं	तय नहीं

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 172 का विवरण

राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

राजस्थान, जयपुर

अपील

अनजान और नीम-हकीमों से आंखों का इलाज न करावें

प्रिय नागरिक बन्धुओं !

हमारी आंखें बहुत कोमल और अनमोल हैं। इनकी रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। समय-समय पर नेत्र चिकित्सकों से परामर्श लेकर व उनकी सलाह के अनुसार सावधानियां बरत कर अन्धा होने से बचा जा सकता है।

गरीब जन साधारण की आंखों के इलाज के लिये जिला अस्पतालों में निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध हैतु समय-समय पर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गांवों में, पंचायतों के सहयोग से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है जिनमें दवा मुफ्त में दी जाती है और आपरेशन भी मुफ्त में ही योग्य व अनुभवी डाक्टरों द्वारा किया जाता है।

आपने सुना होगा कि हाल ही में अलवर व धौलपुर जिलों के कुछ गांवों में पड़ौसी राज्यों के अनुभवहीन और नीम-हकीमों ने आंखों के डाक्टर बनकर कुछ लोगों की आंखों के आपरेशन निःशुल्क कहकर, फिर पैसे ऐंठ लिये और इस कारण उनकी आंखों की ज्योति चली गयी।

इस घटना से राज्य सरकार बहुत चिन्तित है। मैं, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग सरकारी अस्पतालों में या सरकार द्वारा गांवों में लगाये जाने वाले आंखों के कैम्पों में ही इलाज कराकर अपनी ज्योति की रक्षा करें।

यदि आपके क्षेत्र में कोई अनजान आदमी, आंखों का डाक्टर बनकर कैम्प लगाने की कोशिश करे तो तुरन्त ही आस-पास की ग्राम पंचायत, पुलिस थाना, डिस्पेन्सरी को बिना डरे व निःसंकोच सूचित करें, ताकि सरकार उसे रोक सके और भोली जनता को अंधा होने से बचाया जा सके।

भवदीय

खेतसिंह राठौड़
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री,
राजस्थान।

———

(210)

प्रतिलिपि क्रमांक प. 26/ (14) [एमई/ग्रुप-1/ 82 दिनांक 12-5-82 ओर से जी०पी०नागर उप-शासन सचिव, चि. एवं जन स्वा. विभाग,राज., जयपुर जो इस निदेशालय को सम्बोधित की गई है ।

विषय:—वैयक्तिक, स्वयं सेवी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर लगाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:—आपका शासकीय पत्र क्रमांक सी. डी. पी. वी. ने. शि. 87-88 दिनांक 14-4-82

महोदय

निदेशानुसार लेख है कि राज्य विभिन्न भागों में वैयक्तिक स्वयं सेवी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये जाते हैं ।

राज्य सरकार को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इन शिविरों से अनधिकृत, अकुशल एवं अयोग्य व्यक्तियों द्वारा शल्य क्रिया एवं चिकित्सा सम्बन्धी कार्य सम्पादित किया जाता है जिसके फलस्वरूप जन जीवन को दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं जैसा कि धौलपुर क्षेत्र में आयोजित नेत्र शिशिर में हुआ है । अतः इस तरह की पुनरावृत्ति को भविष्य में रोकने के लिये राज्य सरकार निम्न निर्देश जारी करती है:—

1. जिले में चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविर लगाने से पूर्व संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा । ऐसी अनुमति की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा राज्य सरकार एवं निदेशालय को भी भेजनी होगी ।

2. ऐसे कैम्प में वही चिकित्सक, चिकित्सा एवं शल्य कार्य करने को अधिकृत होंगे जो मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया या राज्य मेडिकल काउन्सिल से रजिस्टर्ड हों।

3. शिविर आयोजकों को अनुमति प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र जो संलग्न हैं भरकर सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देना होगा ।

4. शिविर में चिकित्सा एवं शल्य क्रिया के दौरान या पश्चात् किसी प्रकार की दुर्घटना, कम्पलीकेशन तथा पोस्ट आपरेटिव केयर की पूर्ण जिम्मेदारी शिविर आयोजकों एवं चिकित्सकों की होगी ।

5. शिविर में शल्य क्रिया करने का स्थान पक्का होगा तथा उसका पूर्ण स्टरलाईजेशन करने के तपश्चात ही शल्य क्रिया की जावेगी ।

6. शिविर में ठहरने खाने पीने चिकित्सा सुविधा एवं अन्य व्यवस्था की जिम्मेदारी शिविर आयोजकों की होगी ।

7. शिविर आयोजकों को सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी पुलिस अधिकारी,

तहसीलदार एवं सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अनुमति पत्र के मांगे जाने पर दिखाना आवश्यक होगा अन्यथा ऐसे शिविर अनधिकृत माने जावेंगे ।

8. अनधिकृत शिविरों में चिकित्सा एवं शल्य क्रिया को मेडिकोलीगल के समक्ष (grevious hurt) मानते हुए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध माना जावेगा और इसके विरुद्ध कार्यवाही पुलिस द्वारा की जावगी ।

9. अनधिकृत शिविरों के बारे में सूचना चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी ग्राम सरपंच या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा निकटतम पुलिस स्टेशन पर दर्ज करायी जावेगी ।

10. ऐसे आवेदन-पत्र प्राप्त होने की दिनांक से एक सप्ताह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निवटाया जाना होगा ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की सूचना समस्त चिकित्सा अधिकारियों को दे दी जावे एवं राजस्थान में प्रकाशित समाचार-पत्रों को वास्ते सूचनार्थ भेजी जावे ।

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक सी। डी। पी। वी। ने. शि. /82/80-208 दिनांक 27-5-82

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप शासन सचिव, चि. एवं स्वास्थ्य विभाग राज., जयपुर ।

2. समस्त मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपरोक्त, नेत्र शिविर आयोजित किए जाने हेतु मार्गदर्शन आपके जिले में कार्यरत समस्त स्वैच्छिक संस्थान एवं आपके अधीनस्थ समस्त चिकित्सा संस्थान जैसे प्रा. स्वा के. चिकित्सालय इत्यादि को आवश्यक सूचना भेजे तथा आपके जिले के समाचार-पत्रों तथा अन्य साधनों के द्वारा इसका व्यापक प्रचार करने की व्यवस्था की जावे ।

निदेशक

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

(राज.) जयपुर

(२१२)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित शिविर आयोजन करने हेतु अनुमति

प्रार्थना-पत्र

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

विवरण

1. संस्था/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता ....
2. व्यक्ति का नाम जो शिविर चलाने के जिम्मेवार होंगे। ....
3. शिविर का स्थान ....
4. शिविर आयोजन का उद्देश्य एवं पूर्ण विवरण ....
5. चिकित्सकों के नाम, योग्यता, अनुभव एवं कार्य स्थल मय स्थाई पता ....

(चिकित्सक का पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

आयोजक के हस्ताक्षर

शपथ-पत्र

मैं .... पुत्र श्री .... उम्र .... निवासी .... घोषणा करता हूं कि :—

1. यह है कि उपरोक्त सूचना क्रम सं. 1 से 5 तक ही है।
2. यह है कि शिविर चिकित्सा एवं शल्य क्रिया के दौरान या पश्चात् किसी भी प्रकार की दुर्घटना, कॉम्पलीकेशन एवं पोस्ट आपरेटिव केयर की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी एवं चिकित्सकों की होगी।
3. यह है कि शिविर में ठहरने, खाने, पीने, चिकित्सा सुविधा तथा अन्य व्यवस्थाओं की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
4. यह है कि शिविर में शल्य क्रिया (आपरेशन) का स्थान पक्का है, जिसका शल्य क्रिया करने से पूर्व पूर्ण स्टरलाईजेशन किया जावेगा।
5. यह है कि शिविर आयोजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा दिये जाने वाले सुझाव एवं आदेशों का पालन पूर्ण रूप से किया जावेगा।

आयोजक के हस्ताक्षर
(शपथकर्त्ता)

राज्य आवश्यक तार

समस्त सर्जन

हाल ही में अलवर के कुछ ग्रामों में नीम हकीमों द्वारा आंखों की शल्य चिकित्सा कर अन्धा करने के समाचार मिले हैं। आप अपने अधीनस्थ समस्त चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों को लिखित एवं मौखिक आदेश दें कि ऐसे शिविरों का आयोजन जो अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं तो तुरन्त पुलिस व चिकित्सा विभाग के जिलाधिकारियों को सूचना दें, साथ ही विभाग को ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे काम जन-जागरण एवं जन सहयोग से निरुत्साहित करना भी उचित होगा एवं इस समस्या का समाधान बहुत हद तक दूर दराज गांवों में नेत्र शिविर आयोजित कर पूर्ण किया जा सकेगा।

राजमेडिकल

तार योग्य नहीं :—

ह०

(डॉ. ज्ञान प्रकाश)
निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक सी. डी. डी. बी./82/2-28 दिनांक 1-1-83

प्रतिलिपि डाक द्वारा पुष्टि कर समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भेज कर लेख है कि हाल ही में अलवर जिले के कुछ ग्रामों में नीम हकीमों द्वारा आंखों की शल्य चिकित्सा कर अन्धा करने के समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं। अतः इस प्रकार के अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले शिविरों पर नियंत्रण करने हेतु अपने अधीन जिले के समस्त चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करें कि इस तरह के शिविरों के आयोजकों की सूचना पुलिस व चिकित्सा विभाग के जिला धिकारियों को अविलम्ब दें ताकि नीम हकीमों द्वारा आंखों की शल्य चिकित्सा पर नियंत्रण किया जा सके तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी आवश्यक कार्यवाही की जा सके। साथ ही विभाग को ऐसे असामाजिक व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी आवश्यक कार्यवाही की जा सके। साथ ही विभाग को ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे काम में जन-जागरण एवं जन सहयोग से निरुत्साह करना भी उचित होगा एवं इस समस्या का समाधान बहुत हद तक दूर-दराज गांवों में नेत्र शिविर आयोजित कर पूर्ण किया जा सके।

ह. जी. एन. सक्सैना
निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

(214)

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक प. 2 (14) एमई/ ग्रुप-1/ 82, दिनांक 12 जनवरी, 1983 ओर से शासन सचिव, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर वास्ते समस्त जिलाधीश, राजस्थान ।

विषय:—अनधिकृत चिकित्सा एवं नेत्र शिविरों पर रोक लगाने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पिछले वर्ष धौलपुर के कुछ सीमावर्ती गांवों में अन० धिकृत एवं अकुशल व्यक्तियों द्वारा नेत्र शिविर लगाया गया था, जिसके द्वारा कई व्यक्तियों की नेत्र ज्योति जाती रही है। राज्य सरकार ने मामले की महत्वता एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अनधिकृत शिविरों को रोकने हेतु इस विभाग द्वारा दिनांक 12-5-82 को निर्देश जारी किये गये हैं (जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है) जिसके द्वारा ऐसे शिविर लगाने से पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

अभी हाल ही में अलवर जिले के क्षेत्र में अनधिकृत नेत्र शिविर लगाये गये यहाँ पर भी कई व्यक्तियों की नेत्र ज्योति जाने के समाचार मिले हैं। यदि इस प्रकार की एक भी घटना होती है तो जन सामान्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसे चिकित्सा एवं नेत्र शिविर अनधिकृत रूप से नहीं लगाये जावें। इनको ग्रीवीअर्स हार्ट (ग्रिवेस हर्ट) का अपराध मानते हुए हस्व दफा 325, आई. पी. सी. के अन्तर्गत प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जावे। इन पर कड़ी नजर रख कर इनका क्रियान्वयन नहीं होने दिया जावे। इस संबंध में अपने स्तर पर शीघ्र एवं उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा अपने अधीनस्थ जिले के समस्त पुलिस/रेवेन्य/ विकास अधिकारी एवं नगरपालिका के अधिकारियों को एवं समस्त कर्मचारियों को आदेश देवें कि अगर उनकी जानकारी में कोई व्यक्ति जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुमति के बिना शिविर लगा रहा हो तो इसकी सूचना तुरन्त पास के पुलिस स्टेशन/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी को देने का श्रम करें ताकि ऐसे अनधिकृत शिविरों को रोका जा सके व इस संबंध में जो कार्यवाही की जावे उसकी सूचना अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को देते हुए निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर को भी सूचित करने का श्रम करें ।

धन्यवाद ।

———

Page No 215

(215)

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 175 की सूचना

पुरुष व महिला आपरेशनों की पंचायत समितिवार सूचना

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	पुरुष	स्त्री	योग
1.	तलवाड़ा	4	902	906
2.	गढ़ी	2	628	630
3.	बागीदोरा	2	385	387
4.	आनन्दपुरी	–	249	249
5.	सज्जनगढ़	–	309	309
6.	कुशलगढ़	–	517	517
7.	छोटोल	–	276	276
8.	मोपलखूट	–	285	285
	योग	8	3551	3559

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 177 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

आय: मद संख्या	आय: मद का नाम	1980-81	1981-82	व्यय: मद संख्या	व्यय: मद का नाम	1980-81	1981-82
(ब)	आवर्तक आय			(अ)	आवर्तक मद का नाम:		
1.	कर से	1, 59,60,000	2,19,60,000	1.	सामान्य शासन	11,73,400	16,85,000
2.	उपविधियों से	1,00,000	1,42,000	2.	कर विभाग	15,49,200	18,11,200
3.	सम्पत्ति व अधिकारों से	5,80,000	5,70,000	3.	जन स्वास्थ्य	90,65,400	1,15,19,600
4.	नियमों व अधिनियमों से	50,000	50,000	4.	सार्वजनिक रक्षा	3,46,600	4,52,500
5.	समस्तियों से	5,000	8,000	5.	औषधालय	25,000	25,000
6.	विविध	23,54,400	23,64,400	6.	रोशनी	5,94,500	11,10,700
	योग आवर्तक आय	1,90,50,000	2,51,14,400	7.	जल	..	..
				8.	पशुगृह	1,34,900	1,45,300
				9.	शिक्षा	45,000	45,000
				10.	उद्यान	37,600	50,100
				11.	सार्वजनिक मरम्मत	25,11,800	27,26,300
					योग आवर्तक व्यय	1,54,83,400	1,92,10,900

(स) अनावर्तक आय		
10. भूमि विक्रय	50,000	1,50,000
11. सहायता व ऋण	—	—
12. अन्य स्रोत	1,50,000	25,70,000
योग अनावर्तक आय	14,00,000	27,20,000
योग ब + स	2,04,50,000	2,78,34,400
प्रारम्भिक शेष	70,00,000	30,00,000
कुल योग ..	2,74,50,000	3,08,34,400

(ब) अनावर्तक व्यय		
12. विकास कार्य	45,00,000	31,82,600
13. नवीन सम्पत्ति व सामान्य क्रय	25,25,000	14,25,000
14. ऋण	8,50,000	6,00,000
15. विविध	25,05,000	32,75,000
योग अनवर्तक व्यय	1,03,80,000	84,82,600
योग अ + ब	2,33,63,400	2,76,93,500
अन्तरिम शेष	15,86,600	31,40,900
कुल योग ..	2,74,50,000	3,08,34,400

आयुक्त,
नगर परिषद्, जोधपुर।

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 80–81

क्रमांक नाम विधान सभा क्षेत्र	विभिन्न मदों पर विकास कार्यों पर व्यय हुई राशि					
	नवीन कार्य (सड़क, नाली आदि)	बिजली लाइनों	उद्यान निर्माण	शहर सौन्दर्य	कच्ची बस्तियों का विकास	कुल राशि
(1) जोधपुर शहर	5,38,514.95	13,420.00	..	42,996.24	843.87	7,62,845.06
(2) सरदारपुरा	20,14,993.08	2,10,636.80	1,33.270	16,470	..	23,75,369.88
(3) सूरसागर	37,297.91	..	..	..	..	37,297.91

आयुक्त,
नगर परिषद्, जोधपुर।

परिशिष्ट "स"

वर्ष 1981–82

क्रमांक नाम विधान सभा क्षेत्र	विभिन्न मदों में विकास कार्यों पर व्यय हुई राशि				कुल राशि
	उद्यान निर्माण	नवीन कार्य (सड़क नालियां)	विकास योजनाओं हेतु मुआवजा	बिजली लाइनों में वृद्धि	
(1) जोधपुर शहर	..	2,61,841.25	5,9,88,00	10,901.00	2,78,730.25
(2) सरदारपुरा क्षेत्र	559.36	3,54,989.76	..	73,319.20	4,28,868.32
(3) सूरसागर	..	2,52,118.40	..	..	2,52,118.40

आयुक्त,
नगर परिषद्, जोधपुर।

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 179 की प्रति

जांच रिपोर्ट नगरपालिका क्षेत्र गंगाशहर वार्ड 5, 6, 7, 11, 12 व 13

मुताबिक आदेश गंगाशहर नगरपालिका के वार्ड नं 5, 6, 7, 11,12 एवं 13 में सर्वे कच्ची बस्ती गलत होने की रिपोर्ट पेश होने पर जांच की गई जांच का आधार केवल रजिस्टर जो फार्मों से तैयार किये गये थे या फार्म व रजिस्टर जो तैयार किये गये उनमें न तो जाति का संकेत है और न फार्म पर नक्शे या नौहद्दी (आसापासा) दर्ज पाया गया। मौके पर नंबर तो अंकित किये गये है वे भी तरतीब से अंकित नहीं किये गये। दीपावली तैयारी की वजह से अधिकतर मकानों के नंबर समाप्त हो चुके हैं। अतः या तो मकान पर पाये गये नंबरान को आधार माना जाकर आस-पास के कब्जाधारियों के नाम मालूम कर जांच की गई, ऐसी परिस्थिति में शतप्रतिशत जांच नहीं हो सकी। नतीजा जांच निम्न प्रकार है :–

वार्ड नं. 6 (गोपेश्वर बस्ती)

क्रम सं. रजिस्टर जिसमें मकान मौके पर नहीं है परन्तु रजिस्टर में कमरे होना दिखाया गया है (फार्म के अनुसार)।

34-ए, 38-ए-39-ए, 89,90 क्रम सं. रजिस्टर जिसके अनुसार नाम सर्वे रिहायश भी नहीं है और कोई मकान नहीं था परन्तु दिखाया गया।

37, 39-ए, 52, 73, 82,82ए 108, 138,478। 502, 158 163-21 173, 192/7 224। 650, 257। 716, 263। 720, 272। 746 279।780, 305। 812 307 816, 308-?। 3662, 332। 868, 336। 870, 360। 924, 376। 956, 376। 956 387, 978, 398।1000, 404।3681, 410।3524, 427।?550, 450।3604।

योगाश्रम के पास । 5(1)।4952, 5(2)।4954, 23।4236, 37।4137, 38।4137, 39।4151, 40।5191, 41।4155.

वार्ड नं. 7 रजिस्टर की क्रम संख्या सर्वे में मकान होना बताया परन्तु मौके पर कोई मकान नहीं और न रिहायत है :–

11।4147, 19।4168, 37। 4326, 37 (1) 4936, 37 (1) ।4928 37(III) ।4918, 229। 2508, 230।2517, 232।(I) 2516, 233।,) 2518 क्रम सं. रजिस्टर जिसके अनुसार स्वयं सर्वे पार्टी को सर्वे की जांच के समय मकान न होना पाया गया।

5(1)।4952, 5(2)।4953, 7(1)।4706, 8(2)।4905, 85(3)। 4907।

वार्ड नं. 11- रजिस्टर की क्रम संख्या जिसके अनुसार कमरा होना बताया परन्तु मौके पर कमरा नहीं है :–

125।2269, 126।2272.

वार्ड नं. 13

रजिस्टर की क्रम संख्या जिसके अनुसार रिहायश नहीं है :-

6/4417, 8/4419, 9/4497, 29/4539, 30/4041 31/4641, 33/4547, 41/4565, 64/4644, 65/4916, 2/2104, 3/2106, 4/2106, 5/2110, 46/4575, 47/4577, 45/4571, 1/2101, 4/2108, 6/2112, 7/2114, 8/2116, 8(1)/2094, 8(2) 2392, 8(2)/2049, 8(3) /2347, 8(4) /2351, 9(1) /2088, 9(4) 2262, (10(3) 2347, 10 (5) 2340, 10(8) /2704, 12/2158, 29/2158, 31/2162, 39/2164, 38/2176, 41/2182, 42/2184, 43/2186. 44/2188, 44(1)/ 2569, 44(2)/2570, 46/2192, 47/2164, 48/2196, 48(1) 2612, 48(2) / 2613, 48(3) /2617, 49/2198 49(1) /2610, 49 (2) /2616, 50/2200, 53/2006 54/2008, 56/2012, 58/2016, 59/2018, 62/2651,

रजिस्टर की क्रम संख्या जिसके अनुसार रजिस्टर में कमरे दिखाये हैं परन्तु मौके पर कोई कमी नहीं है। रिकार्ड में 3 (तीन), 2 (दो) कमरे फर्जी दिखा रखे हैं :-

वार्ड नं. 13—29/4539, 30/4541, 40/4563, 41/4564, 64/4644, 65/4916, 1/2101, 2/2104, 3/2100, 5/2110, 7/2 8(2) 2392, 8(3) 2347, 8(4) / 2351, 10(8) 2704, 12/2124, 13/2126, 14/2128, 16 2132, 23/2146, 25/2150 27/2154, 28/2158, 29/2158, 31/2162, 37/2174, 42/2184, 44/812569, 46/2192, 47/2194, 48 / 2136, 48(1) /2612, 48(2) /2613, 48(3) /2617. 80/02339 47/(1) 49/2198, 49(1) /2610, 49 (2)/2616, 50/2200

वार्ड नं. 12. 53/2006, 54/2008, 56/2102, 58/2016, 59/ 2018

उपरोक्त अनुसार टेस्ट-चैक में पाया गया कि खर्च मनमाने तौर पर की गई तथा वार्ड नं. 13 में तो करीब 75 प्रतिशत कब्जे फर्जी कमरे बताकर दर्ज किया गये हैं। इसकी सर्वे दुबारा होना आवश्यक है। साथ ही जमाबन्दी नक्शे तथा अलग-अलग वार्ड के एकजाई नक्शे बनना आवश्यक है। य कब्जे सुनियोजित ढंग से कराये गये जान पड़ते हैं।

ह.

उप खण्ड अधिकारी

भूमि रूपान्तरण, बीकानेर

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 181 का विवरण

वर्ष 1981–82 एवं 1982–83 में अलवर नगर विकास न्यास के द्वारा कितने-कितने पेड़ कहां-कहां लगाये गये एवं इस कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई, इसका सम्पूर्ण ब्योरा निम्न प्रकार है :—

क.स.	स्कीम नं.	पौधों की सं. वर्ष 1981-82	व्यय की गई राशि	पौधों की सं. वर्ष 1982-83	व्यय की गई राशि
1.	1 सी. ई. बी. (मधुबन)	50		173	
2.	2 सी.ई.बी. (अलकापुरी)	136		192	
3.	नेहरू पार्क	—	26768.08	425	97048.60
4.	हैप्पी स्कूल	—		100	
5.	एन. ई. बी.	—		730	
6.	लाजपतनगर	365		—	
7.	आर्य नगर	—		575	
8.	स्कीम नं. 10	—		181	
9.	स्कीम नं. 13	90		111	
10.	स्कीम नं. 4	—		76	
11.	स्कीम नं. 9			50	
12.	चमारपाड़ी	—		90	
13.	5 सी. ई. बी.	—		299	
14.	स्कीम नं. 6	—		170	
15.	स्कीम नं. 7	—		187	
16.	स्कीम नं. 8	100		170	
17.	मनु मार्ग	—		30	
18.	मोती डूंगरी	—		120	
	योग	741		3679	

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 183 की सूची
वर्ष 1981

पंचायत समिति जैतारण

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति संख्या व दिनांक	स्वीकृत राशि
1.	नया कुआ निर्माण लिखमणिया	सहा। 1854/2123 दि. 18-2-81	10,000
2.	नया कुआ निर्माण, टुकड़ा	,,	18,160
3.	नया कुआ निर्माण, केसरपुरा	,,	26,500
4.	भेड़ ऊन प्रसार उप केन्द्र, रास	3268-77 दि.	8,000
5.	स्कूल भवन, आसरलाई	16-3-81	34,000
6.	स्कूल भवन, पृथ्वीपुरा	,,	27,500
7.	रा. प्रा. वि. चार दीवारी नि. गरनिया	सहा/5627-5827	19,706
8.	रा. प्रा. वि. चार दीवारी नि. बेडकला	दिनांक 28-4-81	7,020
9.	पुलिया निर्माण बेडकला	,,	14,730
10.	स्कूल निर्माण देवरिया	,,	34,290
11.	हौज व खेली नि. सागावास	,,	15,000
12.	जनासनी स्कूल बरामदा व चारदीवारी नि.	,,	5,040
13.	आगेवा स्कूल बरामदा व चारदीवारी नि.	,,	6,240
14.	सांड व पाडाघर नि., चावंडिया	,,	4,930
15.	तितरिया स्कूल आनन्दपुर, कालू	,,	23,175
16.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, फालका	,,	9,194
17.	स्कूल निर्माण, आकेदिया	,,	10,230
18.	टिबड़ी स्कूल	,,	12,617
19.	वाकास स्कूल	,,	10,050
20.	पालका स्कूल	,,	22,000
21.	आयुर्वेदिक औषधालय कावलिया	,,	6,500
22.	पंचायत समिति चार दीवारी निर्माण	,,	12,500
23.	पंचायतघर निर्माण खिरोल	,,	2,160
24.	खराडी पुलिया निर्माण	,,	14,755
25.	दुगजी की ढाणी स्कूल, सिनला	,,	22,245
26.	धूमालिया पंचायतघर निर्माण	,,	8,828
27.	निम्बोल ,, ,,	,,	5,050
28.	कोटडिया पचिका निर्माण	6042-6213	3,475
29.	स्कूल कमरा निर्माण, निम्बोल	दिनांक 1-5-81	29,096
30.	स्कूल निर्माण, निम्बोल	,,	34,050
31.	,, ,, मेड़ावड़	,,	6,000
32.	,, ,, केकिन्दरा	,,	8,436
33.	,, मरम्मत अमरपुरा	,,	10,000

1	2	3	4
34.	प्र. शा. नि. बिसूपुरा	दिनांक 1-5-81	30,000
35.	उप स्वास्थ्य केन्द्र; मोहराई	"	20,000
36.	हरिजनों की बेरी निर्माण, फूलमाम	6864-6913 दिनांक 23-5-81	23,350
37.	बलाडा ट्यूब वेल के पास कोटा खेली निर्माण	7121-65-238 दि. 23-5-81	10,000
38.	ढाणी प्रतापपुरा पचौका निर्माण	"	18,000
39.	माकरवास प्याऊ के पास कुआ निर्माण	"	23,350
40.	उ. प्रा. वि. गरनिया में 2 कमरे व बरण्डा निर्माण	10585-635 दिनांक 27-7-71	30,000
		कुल योग	6,36,177

225

पंचायत समिति, रायपुर

क्र. संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृति मं, व. दि.	स्वीकृत राशि
1.	कूप निर्माण, बगढी कलालियां	सहा 1854-2123	10.000
2.	कूप मरम्मत, बिराटिया कलां	दि. 18-2-81	6.000
3.	,, ,, खुर्द		6.000
4.	,, ,, कोट किराणा	,,	6.000
5.	,, ,, सुमेल	,,	6.000
6.	नाली निर्माण, पिपलिया	,,	9.000
7.	स्कूल निर्माण, खूंटीवास	,,	10.000
8.	,, ,, सबलपुरा	,,	5.290
9.	,, ,, रेलडा	,,	9.000
10.	झूठा गावाई सड़क पूरी कराना	3268-77116-3-81	10,000
11.	स्कूल निर्माण, गिरी	5627-5827	23,000
12.	सलपडा रपट	दि. 28-4-81	6,800
13.	जैसपुरा एनिकट	,,	6,000
14.	मीराला का नाका रपट	,,	9,800
15.	सलपडा रपट, भैरू का नाका	,,	5,000
16.	गोल कड़िया रपट	,,	25,000
17.	धीलदाता रपट	,,	10,000
18.	केसरपुरा रपट	,,	26,000
19.	पोकरिया तालाव रपट	,,	4,000
20.	कासली घाटी एनिकट		30,000
21.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बर	,,	10,000
22.	विकास अधिकारी क्वाटर	,,	30,000
23.	रायपुर मार्केटिंग सोसाइटी, गोदा की प्राटेक्शनवाल	,,	20,000
24.	पंचायत वन निर्माण, हाजीवास	,,	7,000
25.	पंचायत भवन निर्माण, बिराटिया खुर्द	,,	6,000
26.	औषधालय निर्माण, कोट किराणा	,,	35,000
27.	उ. प्र. वि., बिराटिया खुर्द	6042-6213	50,000
28.	बावरिया बेरी, सिलाम्बा	दि. 1-5-81	5,000
29.	प्रा. वि., अमरपुरा	,,	20,000
30.	स्कूल भवन, बिराटिया कलां	,,	10,000
31.	पंचायत की 4 दुकानों का निर्माण, मामणा	,,	30,000
32.	मिड वे बर के पास पानी पीने के कुए को गहरा कराना	,,	5,000
33.	पंचायत भवन बाउन्ड्री बासिया को पूर्ण कराना	6864-6913 23-5-81	5,000
		कुल योग ..	4,56,400

(225)

पंचायत समिति, सोजत

क्र. सं. 1	कार्य का नाम 2	स्वीकृति संख्या व दिनांक 3	स्वीकृत राशि 4
1.	नया कूप निर्माण, हरियामाली	सहा 1854-2123,	10,000
2.	नया कूप निर्माण, दादी	दि. 18-2-1981	10,000
3.	स्कूल मरम्मत, सिगपुरा	,,	5,000
4.	स्कूल मरम्मत, वासनी	,,	10,000
5.	स्कूल मरम्मत, पाचुन्डा कलां	,,	10,000
6.	स्कूल मरम्मत, गुडा चुतरा	,,	10,000
7.	स्कूल मरम्मत, हापत	,,	6,000
8.	स्कूल मरम्मत, देवली हुल्ला	,,	9,000
9.	स्कूल मरम्मत, रूपावास	,,	10,000
10.	कूप निर्माण राईकों की ढाणी, धीनावास	,, ,,	10,000
11.	भेड़ व ऊन प्रसार उप-केन्द्र, मुरायता	3268-77। 16-3-1981	8,000
12.	नया कुआं, बिजपुरा	5627—5827,	14,000
13.	टांका निर्माण, नायलकुन्डी	दि. 28-4-1981	12,810
14.	पंपघर निर्माण, वासनी जोधराज	,,	17,183
15.	पंप एवं होज निर्माण, खारीया सोडा	,,	7,240
16.	स्विच रूम एवं हौज निर्माण, सागावास	,,	15,215
17.	स्विच एवं हौज निर्माण, गुडा गदावतान	,,	16,852
18.	स्विच एवं हौज निर्माण, केरखेड़ा	,,	13,744
19.	हौज व पंपघर निर्माण, देवली हुल्ला	,,	19 172
20.	हौज व पंपघर निर्माण, धीनावास		7,300
21.	पंचायत भवन, वगड़ी	,,	15,00
22.	पंचायत भवन, गुडा वीजा	,,	4,000
23.	प्राथमिक शाला, गजनाई	,,	15,000
24.	अजीतपुरा शाला कमरा	,,	5,000
25.	पंचायतघर, बिलावास	,,	6,500
26.	पटवारघर, थरासनी	,,	24,473
27.	पटवारघर, खारिया सोडा	,,	19,412
28.	प्राथमिक शाला भवन, गुडा लामोडी	,,	5,000
29.	प्राथमिक शाला, दोरनडी	,,	11,043
30.	प्राथमिक शाला, पांचका	,,	7,065
31.	पटवारघर, चोपड़ा	,,	1,625
32.	शाला भवन, धागडवास	,,	3,802
33.	उप-स्वास्थ्य केन्द्र, चाडवास	,,	17,008
34.	उच्च माध्यमिक शाला, सोजत रोड	,,	26,811
35.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, वगड़ी	,,	20,000
36.	सियाट चिकित्सालय निर्माण	6042-6213,	39,000
37.	उच्च प्रा. शाला, मुरायता	दि. 1-5-81	30,000
38.	उच्च प्राथमिक शाला करमावास	,,	30,000

1	2	3	4
39.	शाला भवन, चावडिया	5042-6213, दि. 1-5-81	12,000
40.	उच्च प्राथमिक शाला, सिसरवादा	,,	5,500
41.	उच्च प्राथमिक शाला, सीखरा	,,	8,230
42.	टंकी एवं सार्वजनिक हौज निर्माण, दुरासनी	,, ,,	15,80
43.	उच्च प्रा. वि. कमरों का नि., धाकड़ी	,,	20,000
44.	शाला भवन नि., रुन्दिया	6864-6913 23-5-81	22,724
45.	उ. प्रा. वि., सन्डिया की चार दिवारी निर्माण	7121-238, कद	15,000
46.	वाचनघर निर्माण, खोखरा	दि. 25-5-81	15,000
47.	बिजलीयावास नया कुआ निर्माण	,,	15,000
48.	बासनी जोधराध नया कूप निर्माण	,,	15,000
49.	बासनी वदावतान में कुआ गहरा कराना व कोटाखेली निर्माण	,, ,,	15,000
50.	खोखरा वेरा कपुकी बाढ़ बचाव कार्य	10585-635 28-7-81	30,000
		कुल योग . .	7,08,994

पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन

क्र. सं. 1	नाम कार्य 2	स्वीकृति संख्या व दिनांक 3	स्वीकृत राशि 4
1.	नया कूप निर्माण, बिठूडा कलां	सहा 1854-2123	10,000
2.	,, ,, जाडन	दि. 18-2-1981	8,000
3.	,, ,, बालीग्राम	,,	10,000
4.	पीचका, गुडा दुर्गा	,,	9,000
5.	,, मेलाप	,,	9,000
6.	,, हमीरवास	,,	15,370
7.	,, मेवाडा	,,	6,000
8.	स्कूल निर्माण, जोडकिया	,,	7,000
9.	,, ,, वोरनडी	,,	4,500
10.	,, ,, भगवानपुरा	,,	5,000
11.	,, ,, बिठूडा खुर्द	,,	3,000
12.	प्रा. वि., बाली ग्राम	3268-77दि.	21,000
13.	,, ,, सोलीवास	16-3-1981	43,000
14.	भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, खारची	,,	17,000
15.	पांचेटिया तालाब	,,	40,000
16.	जैतपुरा पानी पीने का कुआ	,,	18,000
17.	पंचायत भवन गुडा रामसिंह	5627-5827	12,500
18.	,, ,, देवली	दि. 28-4-1981	8,000
19.	प्रा. शा., गुडा अजवा	,,	15,000
20.	पंचायत भवन, कराडी	,,	6,500
21.	औषधालय भवन, निमालिया	,,	15,000
22.	पंचायत भवन, हींगोला खुर्द	,,	15,000
23.	,, ,, सहवाज	,,	10,000
24.	शाला भवन, शिवसागर	,,	9,000
25.	,, ,, गुडा सूरसिंह	,,	15,000
26.	पंचायत भवन, गुडा सूरसिंह	,,	15,000
27.	,, ,, खवराड	,,	15,000
28.	,, ,, नीमली माडा	,,	60,000
29.	पंचायत भवन वोरीमादा	,,	20,000
30.	,, ,, चिरपटिया	,,	5,000
31.	शाला भवन, हेमलियावास कलां	,,	12,200
32.	नया व शाला 2 कमरे नि.	,,	8,000
33.	प्रा. वि., राजीला खुर्द	,,	5,000
34.	शाला भवन, ढाणी चौधरीयान आऊंवा	6042-6213	14,000
35.	,, ,, आसन	दि. 1-5-1981	8,500
36.	,, ,, धनला	,,	20,000
37.	,, ,, दांता	,,	20,000
38.	,, ,, पुलाद	,,	8,000
39.	,, ,, डिगोर	,,	5,000
40.	रा. उ. प्रा. वि., मिमलीमान्डा	,,	25,000

228

1	2	3	4
41.	शाला भवन, बोरीमादा	6042-6211	
42.	प्रा. वि., जोजावर	दि. 1-5-198	20,000
43.	,, ,, बाड़मा		20,000
44.	देवली पीचका हौज नि.	,,	20,000
45.	ठाकुरवास में अपूर्ण प्रा. शा. को पूर्ण करना	,,	10,000
46.	पंचायत भवन, धामली की मरम्मत एवं चारदीवारी नि.	6864-6913 दि. 23-5-8	5,000
47.	अपूर्ण पाठशाला करमाल की मरम्मत	7121-23	8,000
48.	,, ,, जोगलावी	दि. 25-5-81	5,000
49.	प्रा. शा. नि., रिसानिया		5,000
50.	आचार्य भिक्षु मा. व. कटालिया	,,	15,000
		,,	2,12,000
		कुल योग ..	8,33,570

पंचायत समिति, पाली

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति सं. व दिनांक	स्वीकृत राशि
1.	नया कूप निर्माण, भावरी	सधा। 1854-	10,000
2.	,, ,, बुधवाडा	2123	10,000
3.	,, ,, भादरी	दिनांक 18-2-81	10,000
4.	स्कूल मरम्मत, खानीयावास	,,	5,000
5.	,, ,, केरला	,,	10 000
6.	कन्या स्कूल मरम्मत, देवाली	,,	10,000
7.	,, ,, निम्बेडा	,,	8,000
8.	भागेसर तालाव फीडर कार्य	,,	10,000
9.	बुधवाड़ा ओटा मरम्मत	,,	10,000
10.	कूप निर्माण, पडासला कलां	,,	10,000
11.	प्राथ. विद्यालय, गून्दोज	3268-77	17,500
12.	भेड़ ऊन प्रसार उप केन्द्र, रूपावास	दि. 16-3-81	8,000
13.	,, ,, खेरवा	,,	8,000
14.	लाम्बिया तालाव	,,	62,000
15.	बाढ़ बचाव कार्य करना	,,	30,000
16.	प्रा. शा. निर्माण, रामासिहया	5627-5827	18,000
17.	उ. प्रा. वि., मणिहारी	दि. 28-4-81	46,000
18.	औषधालय निर्माण, टेवालीकलां	,,	5,500
19.	गीचरटांका, सोनाइमाजी	,,	12,000
20.	सार्व. कुआं, सोनाइमाजी	,,	6,500
21.	प्रा. वि., पडासला खुर्द	,,	6,800
22.	पंचायत घर नि., खेरवा	,,	28,000
23.	उ. प्रा. वि., सोनाईमाजी	,,	20,000
24.	प्रा. वि., सोडावास	,,	20,000
25.	टांका निर्माण, मानपुरा	,,	12,500
26.	गुडा प्रताप सिंह महादेव मंदिर के पास हौज की मरम्मत व सफाई	,,	10,000
27.	उ. प्रा. वि., भागेसर	6042-5213	15,000
28.	तालाब ओटा डिवी	दि. 1-5-81	12,000
29.	सोवनिया में पीचका निर्माण	,,	20,000
30.	रावलवास में विद्यालय भवन	,,	10,000
31.	शिवपुरा प्रा. वि., खेरवा	,,	20,000
32.	धर्मशाला निर्माण, मंडली खुर्द	,,	22,840
33.	आली खेडा जोड में नाडी खुदाई कार्य, पिंजरा पोल गोशाला पाली के पास	,, ,,	49,380
34.	कानेलाव बाढ़ बचाव कार्य	7121-238	15,000
35.	बुधवालडा नहर का कार्य	दि. 25-5-81	20,000
36.	पुलिस चौकी डेंडा में कमरा नि. अधूरे कार्य को पूर्ण करना	दि. 8-8-81	2,000
		कुल योग ..	5,90,020

Page No 230

(230)

पंचायत समिति, रोहट

क्र. सं.	नाम कार्य	स्वीकृति सं. व दिनांक	स्वीकृत राशि
1.	तालाब निर्माण, देवाण.	सहा/1854-2123	7,500
2.	तालाब निर्माण, ढूंढली	दि. 18-2-81	7,500
3.	कुआ मरम्मत, गेलावास	,,	5,000
4.	कुआ मरम्मत, लक्ष्मणपुरिया	,,	5,000
5.	कुंआ मरम्मत, सोनाईलाखा	,,	5,000
6.	स्कूल मरम्मत, निम्बली पटेलान	,,	10,000
7.	स्कूल मरम्मत, सोनाई लाखा	,,	10,000
8.	स्कूल मरम्मत, खुटापी	,,	10,000
9.	स्कूल मरम्मत, भूरियासपी	,,	10,000
10.	स्कूल मरम्मत, बीजा	,,	10,000
11.	स्कूल मरम्मत, जैतरपुर	,,	10,000
12.	टांका निर्माण, जैतरपुर	,,	7,500
13.	टांका मरम्मत, मुकनपुरा	,,	4,500
14.	टांका मरम्मत, खेडा खुर्द	,,	9,100
15.	यूनानी दवाखाना, रोहट	3268-77, दि. 16-3-81	26,000
16.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, वायद	,,	60,000
17.	काली पीपल की ढाणी, हरिजन बस्ती नया कुआ निर्माण	,,	13,000
18.	पीचका कार्य मय हौज, वायद	,,	23,000
19.	पंचायत भवन निर्माण, दिवान्दी	5627-5628 दि. 28-4-86	21,316
20.	कालिका माता टांका नि., भाकरीवाला	,,	8,304
21.	पंचायत भवन, कुलथान	,,	23,707
22.	ट्यूबवेल व हौज नि., कुलथाना	,,	21,600
23.	पंचायत भवन, गेलावास	,,	23,31
24.	टांका निर्माण कार्य, गेलावास	,,	7,408
25.	पंचायत भवन, वायद	,,	17,268
26.	पशु चिकित्सालय भवन नि., माडावास	,,	35,778
27.	पंचायत भवन, चेंडा	,,	22,616
28.	नया टांका निर्माण, ग्राटण	,,	63,250
29.	नाडी खुदाई व मरम्मत, ग्राटण	,,	11,000
30.	चोटिला दरगाह पर नाडी खुदाई व घाट की मरम्मत	,,	30,000

1	2	3	4
31.	टांका निर्माण, दिवान्दी	6043-6213 दि., 1-5-86	6,650
32.	उन्दरा बाढ़ बचाव कार्य	,,	1,50,000
33.	पंचायत घर, विठू	,,	28,000
34.	प्राथमिक विद्यालय, पाली	,,	15,000
35.	ग्रावास गृह मरम्मत, पं. स., रोहट	,,	12,600
36.	पटवारघर, जैतपुर	,,	25,000
37.	बाउन्ड्री बाल, पचायत स. रोहट	,,	14,800
38.	निरीक्षण भू-अभिलेख, गढ़वासा	,,	25,000
39.	स्कूल निर्माण, इन्द्रकों की ढाणी	,,	14,300
40.	स्कूल निर्माण, कालापीपल की ढाणी	,,	12,500
41.	अपूर्ण स्कूल भवन को पूर्ण कराना नीमली कलां	6864-6913 दि. 23-9-81	5,000
		कुल योग:	8,27,513

232

पंचायत समिति, रानी

क्र. सं.	नाम कार्य	स्वीकृति संख्या व दिनांक	स्वीकृत राशि
1.	कूप निर्माण,चोचोर्डा	सहा। 1854-2123,	10,320
2.	कूप निर्माण,सेदरिया	दिनांक 18-2-81	10,000
3.	कूप निर्माण,कर्री	,,	10,000
4.	पशु चिकित्सालय भवन नि., रानी स्टेशन	,,	10,000
5.	प्राथमिक शाला,वर्री	,,	5,500
6.	प्राथमिक शाला, सेपटावा	,,	4,500
7.	रानी स्टेसूकल भवन निर्माण	8392-413, दि. 11-6-81	1,00,000
8.	सैकण्डरी स्कूल भवन, खीडके ग्रधूरे कार्य को पूर्ण करना	4520-461 दि. 2-4-81	50,000
9.	हौज पम्पघर निर्माण, वणदार	5627-5827, दि. 28-4-81	18,000
10.	हौज पम्पघर निर्माण, खूनी का गुडा	,,	18,000
11.	हौज पम्पघर निर्माण,भगवानपुरा	,,	15,000
12.	पीचका लसानी	,,	10,00
13.	पंचायत भवन,गजनीपुरा	,,	16,534
14.	पंचायत भवन, सीवास	,,	14,000
15.	पंचायत भवन, फरेली	,,	18,000
16.	पंचायत भवन, इन्दरवाडा	,,	28,384
17.	पंचायत भवन,सावेलता	,,	17,900
18.	चाचोडी स्कूल भवन	,,	20,000
19.	माडल स्कूल 2 कमरे का निर्माण	,,	22,240
20.	नाली निर्माण, खोड	,,	30,000
21.	ईटन्दरान स्कूल विस्तार	6042-6213, दि. 1-5-81	20,000
22.	प्रतापगढ़ स्कूल निर्माण	,,	22,796
23.	स्कूल 2 कमरा निर्माण, पुनारिया	,,	20,000
24.	प्राथमिक विद्यालय, कल्यापुरा	,,	20,000
25.	हरिजन वस्ती स्कूल, रानी खुर्द	,,	20,000
26.	प्राथमिक स्कूल निर्माण, सालरिया	,,	25,678
27.	स्कूल ग्रोडवाडिया	,,	23,557
28.	स्कूल गुडामाताजी	,,	20,000
29.	स्कूल भवन, भीमपुरा ढाणी	,,	35,71

1	2	3	4
30.	स्कूल दूदावड	6042-6213 दि. 1 5-81	30,073
31.	किशनपुरा तालाब में पानी लाने की नहर	6864-69, दि. 13-2-81	29,000
32.	हौज व पंपघर निर्माण, जीवनकलां	दि. 23-5-81	23,817
33.	हौज व पंपघर निर्माण, जीवनकलां ढाणी	,,	23,000
34.	अनुसूचित जाति के पीचके पर पंचायत भवन निर्माण, पिलोवनी	,,	41,203
35.	रा. मा. वि., बूसी में नया कुआ नि.	7122-238 दि 20-5-81	15,000
		कुल योग	8,15,121

234

पंचायत समिति, सुमेरपुर

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति संख्या व दिनांक	स्वीकृत राशि
1.	नया कुआ निर्माण, मोरडू	सहा/ 1854/	10,000
2.	स्कूल गलथनी	2123 दिनांक 18-2-81	9,000
3.	स्कूल सोनपुरा	,,	30,000
4.	खिवाड़ा के पास नदी तक बन्धन	,,	10,000
5.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, चाणोद	3268/ 77,	1,00,000
6.	प्रा. वि., ढोला	दि. 16-3-81	21,000
7.	प्रा. वि., हिंगोला	,,	15,000
8.	भेड़ व ऊन प्रसार उप-केन्द्र, कोशेलाव	,,	8,000
9.	मनोपपुरा प्रा. वि.	5627–5827,	8,820
10.	बाली गांव प्रा. वि. भवन.	दि. 2-4-81	2,820
11.	बाकली पक्की नाली नि.	,,	80,000
12.	भारून्दा मा. वि. भवन	,,	21,150
13.	पोयणा प्रा. वि. भवन	,,	11,150
14.	प्रा. वि. भवन, बामनेरा	6042–6213,	30,000
15.	कोरटा में स्कूल भवन	दि. 1-5-81	25,000
16.	पंचायत भवन नि., नेतरा	,,	60,000
17.	पंचायत भवन नि., सिन्दरू	,,	60,000
18.	पीचका नि., खिनदारा गांव	,,	10,000
19.	पंचायत भवन घणा	,,	35,000
20.	धपोद बड़गावडा गोचर सुधार कार्य		40,000
21.	पावा स्कूल नि.	7127-238	40,000
22.	पंचायत भवन नि., पावा	दि. 25-5-81	35,000
		कुल योग ..	6,61,940

पंचायत समिति, बाली

क्र. सं.	नाम कार्य	स्वीकृति सं. व दिनांक	स्वीकृत राशि
1.	नया कूप निर्माण कार्य	सहा। 1854–	10,000
2.	नया कूप निर्माण, डूगली	2123 दिनांक	10,000
3.	नया कूप निर्माण, जीवदा	18-2-81	10,000
4.	स्कूल निर्माण, बेरडी	,,	6,000
5.	स्कूल निर्माण, सुडाला	,,	2,15,000
6.	स्कूल निर्माण, कागदडा	,,	4,500
7.	स्कूल निर्माण, जीवदा	,,	7,500
8.	स्कूल निर्माण, भीमाणा	,,	20,000
9.	स्कूल निर्माण, कुरण	,,	9,000
10.	स्कूल निर्माण, कोयलवाव	,,	10,000
11.	स्कूल निर्माण, पुनाडिया	,,	16,200
12.	स्कूल निर्माण लूणावा	,,	23.300
13.	मुडारा स्कूल में पानी पीने का कुआ	,,	5,000
14.	कुआ मरम्मत, कायेलवाव	,,	2,000
15.	कुआ मरम्मत, काकराडी	,,	8,300
16.	नया कुआ निर्माण	,,	21,800
17.	,, गोरिया	,,	20,000
18.	,, लुन्दाडा	,,	20,000
19.	कुआ गहरा कराना, बोडावरी मालनू	,,	5,000
20.	कुआ मरम्मत कोठार मेघोवका	,,	8,000
21.	नया कुआ-दानवाडी	,,	20,800
22	खेतरली स्कूल के पास कुआ नया	,,	17,800
23.	हैण्ड पम्प लालपुरा स्कूल के पास	,,	7,500
24.	हैण्ड पम्प चिमनपुरा स्कूल के पास	,,	7,500
25.	पिपला नया कुआ	,,	19,200
26.	पशु चिकित्सा केन्द्र, भाणा	3268–77	20,000
27.	आयुर्वेदिक औषधालय भवन, गोरिया	दि. 6-3-81	15,000
28.	पेयजल योजना, झोटवाडा	5627–5628	20,000
29.	पेयजल योजना, मोरीगांव	दि. 28-4-81	20,000
30.	पेयजल योजना पदारला	,,	20,000
31.	प्रा. वि. हत्या निर्माण, चामुन्डेरे	,,	58,000
32.	पशु चिकित्सालय भवन नि., बीजापुर	,,	10,000
33.	नाली निर्माण, मुन्डारा	,,	60,000
34.	गन्दे पानी का निकास, खिमेल	,,	51,500
35.	प्रा. वि., मालनू	,,	2,800
36.	पंचायत भवन निर्माण, भीमाना	,,	17,000
37.	पंचायत भवन निर्माण, कायलवाव	,,	6,000
38.	आयुर्वेदिक औषधालय भवन नि. फालना गांव	,,	8,000

1	2	3	4
39.	उ. प्रा. वि., गुडालास	,,	4,000
40.	प्रा. वि., डूगली	,,	7,300
41.	उ. प्रा. वि. हत्या नि., बोया	,,	5,000
42.	पीचका गहरा करना, पेरवा	6042–6213	5,000
43.	पीचका गहरा करना, निरोलिया	दि. 1-5-81	5,000
44.	माध्यमिक विद्यालय, बारवा	,,	50,000
45	स्कूल रघुनाथपुरा	,,	10,000
46.	स्कूल मिरगेश्वर	,,	10,000
47.	मालारी स्कूल में 1 कमरा नि.	,,	10,000
48.	गांवाई पीचका गहरा करना, सेवतलाव	,,	3,000
49.	डूगली में पानी के हौज का निर्माण	,,	12,000
50.	प्रा. वि. 2 कमरे नि., जालराई	,,	20,000
51.	प्रा. वि. 2 कमरे नि., ठंडी बेरी	,,	10,000
52.	चिमनपुरा स्कूल	,,	15,000
53.	सहकारी समिति गोदाम, ठंडी बेरी	,,	5,000
54.	सहकारी समिति गोदाम, मालनू	,,	10,000
55.	सहकारी समिति गोदाम, मोरी	,,	10,000
56.	नाली निर्माण, फालना स्टेशन	10585–635	68,000
57.	नया कुआ, सावटा (काकराडी)	दि. 28-7-81	10,000
58.	नया कुआ, भील बस्ती, नाणा	,,	10,000
59.	काफराडी में कोकवाड कुआ मरम्मत	,,	5,000
60.	विधावाडी खिमेल में नया कुआ	10585–635/ 28-7-81	27,700
		कुल योग ..	11,21,700

पंचायत समिति, देसूरी

क्र. सं. 1	नाम कार्य 2	स्वीकृति संख्या व दिनांक 3	स्वीकृत राशि 4
1.	नया कुआ निर्माण, नया गुडा	सहा। 1854-2123	10,000
2.	,, ,, गिराली	दि. 18-3-81	10,000
3.	स्कूल मरम्मत सागरिया	,,	6,500
4.	,, ,, गिराली	,,	10,000
5.	,, ,, गुडाजेतावलान	,,	4,500
6.	,, ,, छोडा	,,	10,000
7.	अध्यापक आवास गृह, छोडा	,,	2,500
8.	प्रा. वि., डायलाना	,,	4,400
9.	आयुर्वेदिक अस्पताल भवन, नारलाई	,,	5,000
10.	,, ,, आना	,,	10,000
11.	,, ,, सिदरली	,,	10,000
12.	भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, देसूरी	3268-77 दि. 16-3-81	17,000
13.	उ. प्रा. वि., गुडा पृथ्वीराज अधूरे कार्य को पूर्ण कराना	4520-461/ 2-4-81	70,000
14.	बीरमपुरा पीचका	5627-5827	3,000
15.	हौज व स्विच रूम, कोलर	दि. 26-4-81	2,0000
16.	,, ,, बागोल	,,	22,000
17.	,, ,, मोरला	,,	13,000
18.	,, ,, दादाई	,,	16,000
19.	,, ,, वीरमपुरा	,,	17,000
20.	,, ,, कोटडी	,,	20,000
21.	प्रा. वि. सांगरिया, चारदीवारी नि.	,,	7,000
22.	पंचायत सुमेर	,,	10,00
23.	,, ,, पनोता	,,	25,000
24.	,, ,, कोटडी	,,	10,000
25.	,, ,, बडोद	,,	5,000
26.	प्रा. वि., बाडोल के पास नाला निर्माण	,,	15,000
27.	हौज स्विच रूम आना	,,	10,000
28.	,, ,, मगरतालाब	5042-6213	20,000
29.	,, ,, वाडका	दि. 1-5-81	16,000
30.	,, ,, सेनामा	,,	15,000
31.	,, ,, सरगाव	,,	13,000

1	2	3	4
32.	माला भवन, देसूरी	5042-6213	10,000
33.	स्कूल कमरा नि. गुडा देवडान मेड़तिया	दि. 1-5-81 ,,	10,000
34.	,, ,, लांपी	,,	10,000
35.	पुलिया निर्माण, सारंगवास	,,	6,000
36.	शोभावास अध्यापक क्वाटर	,,	6,000
37.	पंचायत भवन मरम्मत फाटक घर विस्तार, देसूरी	,,	9,000
38.	खरन्जा कार्य पूर्ण कराना देसूरी	7121-238 25-5-81	75,000
			5,51,900

पाली जिले में वर्ष 1982 में राष्ट्रीय ग्रामीण

रोजगार कार्यक्रम के तहत कार्यों पर स्वीकृत राशि की सूची

क्रम सं. 1	कार्य का नाम 2	स्वीकृत सं. व दिनांक 3	स्वीकृत राशि 4
1	पंचायत समिति, सोजत		
1.	अनुसूचित जाति का पीचका, बीजलियावास	क्र. रा. ग्रा. रो. यो। 155 दि. 27-12-82	5700
2.	परिवारघर, खारियासोडा	,,	2100
3.	पंचायत भवन, खोखरा	,,	4200
4.	प्राथमिक शाला, पांचवा खुर्द	,,	2670
5.	हौज, दुरासनी	,,	3570
6.	उच्च प्राथमिक शाला, धाकडी	,,	6000
7.	पटवारघर, थरासनी	,,	6325
8.	प्राथमिक शाला, चावडियाक	,,	5850
9.	प्राथमिक शाला, सुरायता	,,	14200
10.	प्राथमिक शाला माखडी	,,	20150
11.	प्राथमिक शाला, खोडिया	,,	43950
12.	चार दीवारी आवास गृह सोजत	,,	21400
			1,35,115
2.	पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन :		
1.	प्राथमिक शाला, बोरीमादा	,,	900
2.	पंचायतघर, बोरीमादा	,,	260
3.	पंचायतघर, सेहवाज	,,	5500
4.	प्राथमिक शाला, धनला	,,	7340
5.	प्राथमिक शाला बभाण	,,	11090
6.	प्राथमिक शाला, सोलावास	,,	2270
7.	प्राथमिक शाला वाडसा	,,	22620
8.	पंचायतघर, सवराड़	,,	20000
9.	प्राथमिक शाला, रिसानिया	,,	7730
10.	प्राथमिक शाला. झाली	,,	20000
11.	पंचायतघर, नीमली माण्डा	,,	12560
12.	उच्च प्राथमिक शाला, नीमली माण्डा	,,	1313
13.	प्राथमिक शाला, गुडा सूरसिंह	,,	25490
			10000
			1,61,120

Page No 240

240

1	2	3	4
3.	**पंचायत समिति, देसूरी**		
1.	भांवीयों का पीचका, गिराली	क.रा ग्रा रो.यो/ 155 दिनांक 27-12-82	5500
2.	हौज निर्माण, बाड़का	,,	5400
3.	हौज निर्माण, दादाई	,,	7270
4.	हौज निर्माण, बागोल		5040
5.	हौज निर्माण, कोलर		12600
6.	हौज निर्माण, मोरखा		3190
7.	हौज निर्माण, विरमपुरा	,,	6600
8.	भेड़ ऊन प्रसार केन्द्र, देसूरी	,,	20000
9.	हौज निर्माण, कोटड़ी	,,	10470
10.	उच्च प्राथमिक शाला, गुडा पृथ्वीराज	,,	13000
11.	प्राथमिक शाला, छोड़ा	,,	10000
			99,070
4.	**पंचायत समिति, जैतारण**		
1.	नया कुआ, केकिन्दडा	,,	5510
2.	प्राथमिक शाला, केकिन्दडा	,,	7850
3.	सांड-पाडाघर निर्माण, चावडिया	,,	4070
4.	प्राथमिक शाला, चावंडिया	,,	6150
5.	पंचायत समिति कार्यालय की चारदीवारी	,,	9520
6.	पंचायतघर, भूम्भलिया	,,	4950
7.	प्राथमिक शाला, देवरिया	,,	6270
8.	पीचका, भाकरवास	,,	1830
9.	पीचका ढाणी, प्रतापपुरा	,,	11250
10.	प्राथमिक शाला, वल्लुपुरा	,,	14810
11.	प्राथमिक शाला, गामरलाई	,,	36280
12.	उच्च प्राथमिक शाला, भरनिया	,,	57700
			1,66,190
5.	**पंचायत समिति, रायपुर**		
1.	पीचका, बिराटियाकला	,,	3570
2.	पीचका बगड़ीकलालीया	,,	10700

1	2	3	4
3.	पीचका, सुगेल	क.रा.ग्रा.रो.यो./	10020
4.	पीचका, कोटकिराणा	155 दि. 27-12-82	14720
5.	पीचका, विराटियाखुर्द	,,	15800
6.	प्राथमिक शाला, रेलड़ा	,,	11550
7.	प्राथमिक शाला, बूटीवास	,,	11860
8.	प्राथमिक शाला, गिरी	,,	23600
9.	प्राथमिक शाला, बासनी-दधवाडियान	,,	31050
10.	प्राथमिक शाला, विचरडी (नयाकार्य)	,,	12120
		योग··	1,44,990
6.	पंचायत समिति, पाली		
1.	नया कुआ, भावरी	,,	3020
2.	ओटा मरम्मत, भावरी	,,	6400
3.	प्राथमिक शाला, रामासिया	,,	1400
4.	प्राथमिक शाला, निम्बाड़ा	,,	6770
5.	कुआ, सोवनिया	,,	5000
6.	नया कुआ, मादड़ी	,,	5000
7.	प्राथमिक शाला, गुन्दोज	,,	10000
8.	प्राथमिक शाला, शिवपुरा	,,	5000
9.	पचायतघर, खैरवा	,,	5000
10.	प्राथमिक शाला, सोडावास	,,	5000
11.	कुआ, बुधवाड़ा	,,	4040
12.	उच्च प्राथमिक शाला, सोनाईमाजी	,,	5000
13.	हौज व कूप, गुडा नारखा	,,	10000
14.	हौज निर्माण, गुडा प्रतापसिंह	,,	10000
15.	उच्च प्राथमिक शाला, मणिहारी	,,	8370
16.	आयुर्वेदिक अस्पताल, टेवाली	,,	5000
		योग··	95,000
7.	पंचायत समिति, रोहट		
1.	प्राथमिक शाला, नीमली-पटेलान	,,	9340
2.	हौज-निर्माण, कुलथाना	,,	7300
3.	पटवारघर, जैतपुर	,,	12840
4.	आवास-गृहों की मरम्मत, रोहट	,,	7320
5.	प्राथमिक शाला, पाती	,,	20240
6.	पंचायतघर, बिठू	,,	6000
7.	अपूर्ण टांका, जाटन	,,	15000
		योग··	78,040

1	2	3	4
8.	**पंचायत समिति, बाली**		
1.	नया कुआ, पीपला	क्र. ए. ग्रा. यो । 155 दि. 27-12-82	4600
2.	प्राथमिक शाला, ठीलरी		5000
3.	प्राथमिक शाला टालराई		5400
4.	पेयजल हौज निर्माण, भीठवाड़ा	,,	8800
5.	पंचायत भवन, कोयलवाव	,,	4300
6.	प्राथमिक शाला, कोयलवाव	,,	14300
7.	प्राथमिक शाला, भीमाना	,,	1700
8.	प्राथमिक शाला, लुणावा	,,	16100
9.	प्राथमिक शाला भिरगेश्वर	,,	21300
10.	नया कुआ निर्माण, मुण्डारा (नया कार्य)	,,	33800
11.	उच्च प्राथमिक शाला, बाखा	,,	33700
12.	प्राथमिक शाला, पाणदा	,,	10000
		योग .	1,68,000
	पंचायत समिति, रानी		
1.	हौज निर्माण, जीवनकलां	,,	500
2.	हौज निर्माण जीवनकलां ढाणी	,,	1550
3.	पंचायत भवन, पिलावनी	,,	3500
4.	प्राथमिक शाला, गुडामाताजी	,,	20700
5.	कूप निर्माण, चांचौडी	,,	11800
6.	कूप निर्माण माध्यमिक शाला, वेखी	,,	6200
7.	प्राथमिक शाला सेपटावा	,,	12300
8.	प्राथमिक शाला, सालरिया	,,	6600
9.	प्राथमिक शाला, कल्याणपुरा	,,	16700
10.	उच्च प्राथमिक शाला, इटन्दरा मतीयान	,,	18000
11.	पंचायत भवन, सिवास	,,	18700
		योग ..	1,17,500
10.	**पंचायत समिति, सुमेरपुर**		
1.	प्राथमिक शाला, बामनेरा	,,	1300
2.	प्राथमिक शाला, सोनपुरा	,,	10000
3.	प्राथमिक शाला, कौरटा	,,	

1	2	3	
			10000
4.	पंचायत भवन, सिन्दरू	क. रा. ग्रा. रो. यो./	20000
5.	पंचायत भवन, धणा	155 दि. 27 12-82	10000
6.	प्राथमिक शाला, पोयजा	"	34800
7	ग्राम पंचायत भवन, पावा	"	20000
8.	माध्यमिक विद्यालय, पावा	"	5000
9.	कुए निर्माण, मोरडाडू	"	19900
10.	पंचायत भवन, जैतण	"	
		योग ..	1,41,000

———

Page No 244

(२४५)

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न सं. 186 की सूची ।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

IRRIGATION DEPARTMENT

No. F. 15 (i) (54) Irg./75. Jaipur, dated the 24th April, 1975.

In continuation of the Government Order No. F. 15 (266) Irg./64 dated 26th December, 1966, the seniority list of Chief Engineers, Additional Chief Engineers, Superintending Engineers and Executive Engineers appointed to the Rajasthan Service of Engineers (Irrigation Branch) Rules 1954 as it stood on 31-12-1973 is published for information of the officers concerned.

By Order,
Sd/-
(J. S. Mehta)
Commissioner & Secretary to the Government.

Copy forwarded to the following for information and necessary action:—

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur. The above may kindly be published in the next issue of the Rajasthan Raj-patra.
2. Commissioner, Area Development, R. C. P., Bikaner.
3. Commissioner, Chambal Command Area, Kota.
4. Chief Engineer, Irrigation, Rajasthan, Jaipur.
5. Chief Engineer, Rajasthan Canal Project, Bikaner.
6. Chief Engineer-II, R. C. P. Bikaner.
7. Chief Engineer, Mahi Bajajsagar Project, Banswara.
8. Addl. C. E. Irrigation, Rajasthan, Jaipur.
9. Addl. C. E. Irrigation, Command Area, RCP; Bikaner.
10. Addl. C. E. Irrigation, Chambal Command Area, Kota.
11. Secretary, Rajasthan Canal Board, Jaipur.
12. All Superintending Engineers of the Irrigation Department.
13. All concerned officers.
14. Personal files of the officers concerned.
15. Guard file.

Sd/-
Section Officer.

Seniority list of Chief Engineers. Addl. Chief Engineers Superintending Engineers as it stood on 31-12 73.

Chief Engineers :

1. Shri Hari Singh Chowdhary.
2. „ G. S. Shastri.

3. Shri B. V. Shah.
4. „ D. S. Notra.
5. „ B. K. Mehra.

Addl: Chief Engineers:

1. Shri B. V. Shah.
2. „ D. S. Notra.
3. „ B. K. Mehra.
4. „ M. L. Mathur.
5. „ A. S. Kapoor.

Superintending Engineers:

1. Shri B. V. Shah.
2. „ D. S. Notra.
3. „ B. K. Mehra.
4. „ M. L. Mathur.
5. „ A. S. Kapoor.
6. „ C. S. Hukmani.
7. „ Madho Ram.
8. „ V. K. Gupta.
9. „ R. S. Badhwar.
10. „ G. M. Mathur.
11. „ J. I. Gianchandani.
12. „ Kailash Roop Rai.
13. „ Satya Pal Kashyap.
14. „ S. S. Mehta
15. „ B. K. Mukerjee.
16. „ G. S. Guram.
17. „ Megh Raj Kalra.
18. „ Nahar Singh.
19. „ A. P. Singhal.
20. „ G. C. Kanjolia.
21. „ B. P. Bhatnagar.
22. „ S. M. Agarwal.
23. „ N. K. Kaushik.
24. „ S. K. Gupta.
25. „ S. S. Bhuppal.
26. „ B. K. S. Mathur.
27. „ Girraj Singh.
28. „ B. C. Jain.
29. „ D. M. Singhvi.
30. „ N. B. Singh Moriya.
31. „ P. C. Mathur.
32. „ O. P. Mathur.

(246)

Seniority list of Executive Engineers (Civil) of Irrigation Department as it stood on 31-12-73.

1. Shri Girraj Singh.
2. „ V. K. Gupta.
3. „ R. S. Badhwar.
4. „ G. M. Mathur.
5. „ J. I. Gianchandani.
6. „ Kailash Roop Rai.
7. „ Satya Pal Kashyap.
8. „ S. S. Mehta.
9. „ B. K. Mukerjee.
10. „ G. S. Guram.
11. „ Megh Raj Kalra.
12. „ Nahar Singh.
13. „ A. P. Singhal.
14. „ G. C. Kanjolia.
15. „ B. P. Bhatnagar
16. „ S. M. Agarwal.
17. „ N. K. Kaushik.
18. „ S. K. Gupta.
19. „ S. S. Bhupal
20. „ B. K. S, Mathur.
21. „ Jagdish Gehlot.
22. „ B. C. Jain.
23. „ D. M. Singhvi.
24. „ N. B. Singh Moriya.
25. „ P. C. Mathur.
26. „ B. D. Gupta.

26-A. „ S. S. Bhasdari

27. „ A. K. Padliaya.
28. „ B. S. Rajvanshi.
29. „ Shamsher Singh.
30. „ R. K. Sharma.
31. „ R. N. Mathur.
32. „ S. C. Rajvanshi.
33. „ Ravindra Singh.
34. „ M. C. Jain.
35. „ D. N. Dhanda.
36. „ K. S. Kang.
37. „ O. P. Mathur.
38. „ S. D. Gupta.
39. „ Y. P. Bhatia.
40. „ B. N. Mathur.
41. „ K. L. Rawat.

42. Shri Sohan Roop Rai.
43. " H. S. Srivastava.
44. " O. P. Gupta.
45. " Jagdish Puri.
46. " Rawat Singh.
47. " Khet Singh.
48. " S. C. Aawani.
49. " S. L. Khullar.
50. " H. S. Bhati.
51. " K. L. Bhatia.
52. " S. R. D. Mehta.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

IRRIGATION DEPARTMENT

No. F. 15 (1) (163) Irg./72 Jaipur, dated the 11th June, 1974.

The seniority list of the Assistant Engineers (Civil) of the Irrigation Department as corrected in pursuance of this Department Order No. F. 15 (i) (71) Irg./73, dated 10-6-1974 up to 1965 is as per the list attached.

By Order,
Sd/-
(J. S. Mehta)
Commissioner & Secretary to the Government.

Copy forwarded to the following for information and necessary action:—

1. Director, Printing & Stationery, Rajasthan, Jaipur. The above may kindly be got published in the next issue of the Rajasthan Raj-parta positively.
2. Superintendent, Government Central Press, Jaipur. The above may kindly be published in the next issue of the Raj-parta positively.
3. Chief Engineer, Irrigation, Rajasthan, Jaipur.
4. Chief Engineer, Rana Pratap Sagar Dam, Kota.
5. Chief Engineer, Rajasthan Canal Project, Bikaner.
6. Chief Engineer, Mahi Project. Banswara.
7. Chief Engineer (North) Hanumangarh Junction.
8. Addl. Chief Engineer, Rajasthan Canal Project, Bikaner.
9. All Superintending Engineers, Irrigation.
10. All Executive Engineers, Irrigation,
11. All concerned Assistant Engineers of the Irrigation Department through the Chief Engineer Irrigation. Rajasthan. Jaipur.
12. Personal files of the officers concerned.
13. Guard file.

Sd/-
(Harak Raj Bhandari)
Deputy Secretary to Government.

SENIORITY LIST OF ASSISTANT ENGINEERS OF THE IRRIGATION DEPARTMENT CORRECTED UP TO 1965.

1. Shri Balbir Chand Sharma.
2. ,, H. K. Gupta.
3. ,, K. N. Sharma.
4. ,, B. S. Sarupia.
5. ,, Walaiti Ram.
6. ,, Amar Chand.
7. ,, Sri Vallabh.
8. ,, Hans Raj.
9. ,, A. C. Sanghi.
10. ,, S. S. Bhandari.
11. ,, Sohan Roop Rai.
12. ,, P. C. Mathur.
13. ,, Gulab Singh.
14. ,, B. D. Gupta.
15. ,, A. K. Padaliya.
16. ,, B. S. Rajvanshi.
17. ,, H. S. Srivastava.
18. ,, Shamsher Singh.
19. ,, R. K. Sharma.
20. ,, R. N. Mathur.
21. ,, S. C. Rajvanshi.
22. ,, Ravindra Singh.
23. ,, Om Prakash Gupta.
24. ,, Fateh Chand.
25. ,, Bahadur Singh.
26. ,, K. S. Kang.
27. ,, Manak Chand.
28. ,, D. N. Dhanda.
29. ,, O. P. Mathur.
30. ,, Jagdish Puri.
31. ,, S. D. Gupta.
32. ,, Y. P. Bhatia.
33. ,, Jagan Nath Prasad.
34. ,, Johari Mal.
35. ,, Karam Singh.
36. ,, Surendra Singh.
37. ,, Govind Narain Gupta.
38. ,, B. D. Chawla.
39. ,, Phool Chand.
40. ,, Fateh Singh.
41. ,, Babu Lal.
42. ,, M. S. Bai.

Page No 250

250

43. Shri N. P. Joglekar.
44. ,, Poona Ram.
45. ,, Bhagat Singh.
46. ,, B. N. Mathur.
47. ,, Kishan Lal Rawat.
48. ,, Rawat Singh.
49. ,, Khet Singh.
50 ,, Srichand Advani.
51. ,, S. L. Khullar.
52. ,, Hari Singh Bhati.
53. ,, Kapoor Chand Jain.
54. ,, Kundan Lal Bhatia.
55. ,, J. N. Markendey.
56. ,, S. K. D. Mehta.
57. ,, Om Prakash Mehta.
58. ,, Sobhag Singh Kalra.
59. ,, Tirloki Nath Saxena.
60. ,, Gopi Ram Goyal.
61. ,, O. P. Rishi.
62. ,, Vidhya Sagar.
63. ,, D. C. Kothari.
64. ,, J. P. Acharya.
65. ,, Sajjan Raj Kataria.
66. ,, R. P. Chawla.
67. ,, M. K. Gambhir.
68. ,, Kishan Swaroop Sharma.
69. ,, D. C. Chaturvedi.
70. ,, Mohan Lal Jain.
71. ,, Dalip Singh Chowdhary.
72. ,, Bakhtawar Singh Chowdhary.
73. ,, Prabhakar Sharma.
74. ,, Manjit Singh Duggal.
75. ,, Mehtab Chand Saxena.
76. ,, Bhanwar Dhan Bithu.
77. ,, Jagjeet Singh.
78. ,, Narain Ram.
79. ,, Tej Singh Mathur.
80. ,, Jogender Pal Bhatia.
81. ,, Balbir Singh.
82. ,, K. L. Niyati.
83. ,, Jagdish Chander Sharma.
84. ,, Amba Lal Mathur.
85. ,, Bhawani Singh.
86. ,, Lakshmi Narayan Sharma.
87. ,, Chand Behari Lal Mathur.
88. ,, Vijey Kumar Sharma.

89. Shri Som Dutt Vyas.
90. „ Brij Raj Behari Mathur.
91. „ S. S. Lalwani.
92. „ Nathu Singh Handa.
93. „ Gyan Prakash.
94 „ Ved Prakash.
95. „ Prem Prakash Batra.
96. „ B. B. Saxena.
97. „ J. C. Bhatia.
98. „ Sohan Lal.
99. „ Chhotey Lal.
100. „ Shyam Lal Mathur.
101. „ N. C. Mantra.
102. „ M. L. Rathia.
103. „ Daulat Ram Jhinjha.
104. „ Ishwar Chand Arora.
105. „ Satish Chand Sharda.
106. „ P. L. Roongta.
107. „ H. G. Acharya.
108. „ Bhanwar Lal H. Jain.
109. „ Jagdish Prasad.
110. „ Chaturbhuj Sharda.
111. „ Mahesh Kumar.
112. „ Vijey Singh Mathur.
113. „ Harsaran Singh.
114. „ Chandu Lal Sahu.
115. „ K. K. Paliwal;
116. „ S. K. Vyas.
117. „ M. P. Rankawat.
118. „ R. K. Gupta.
119. „ Jagdish Parasad.
120. „ Khem Chand T. Sukhani.
121. „ V. P. S. Malhotra.
122. „ R. M. Jain.
123. „ H. C. Godwani.
124. „ Shyam Sunder Kalla.
125. „ Ramji Lal Gupta.
126. „ K. C. Kataria.
127. „ A. C. Mehta.
128. „ Daya Shanker Yadav.
129. „ Man Singh Inda.
130. „ K. K. Sancheyti.
131. „ O. P. Jat.
132. „ A. D. R. Ankelsaria,
133. „ R. P. Suri.

Page No 252

(252)

134. Shri Suraj Pal Singh.
135. „ Pashupati Nath Rai.
136. „ Tara Chand Gupta.
137. „ Prem Behari Vijay.
138. „ Manu Shankar Jag Chand Soni.
139. „ Jagdish Kishore Sharma.
140. „ Kundan Lal.
141. „ Santokh Singh Saroya.
142. „ M. K. Kalla.
143. „ N. K. B. Taliy.
144. „ Anand Mohan Bhola.
145. „ B. R. Madhok.
146. „ R. K. Hingorani.
147. „ Ram Charan Lal.
148. „ Kishan Lal Chandak.
149. „ Jag Mohan Lal Gupta.
150. „ Giriraj Kishore Chaturvedi.
151. „ P. R. Nagar.
152. „ Hukam Singh.
153. „ Mahesh Chand.
154. „ Shyam Sunder Purohit.
155. „ Ram Sahai Sharma.
156. „ Sukh Veer Singh.
157. „ Ugra Ram.
158. „ O. P. Saxena.
159. „ V. Satya Narain.
160. „ D. D. Bhardwaj.
161. „ Komal Singh Boonlia.
162. „ Madhur Behari Mathur.
163. „ Ramesh Chander Varma.
164. „ B. L. Deedwania.
165. „ Vinay Prakash Saxena.
166. „ Satya Prakash Sharma.
167. „ Ripudaman Singh.
168. „ D. M. Swamy.
169. „ Dinesh Chand Sood.
170. „ Narendra Singh.
171. „ Subhash Chand Sharma.
172. „ Satya Pal.
173. „ Lakshaman Chandra Meghwal.
174. „ Ramesh Chandra Sharma.
175. „ Govind Singh Mehta.
176. „ Sadu Ram.
177. „ M. R. Pilley.

178. Shri V. Venkta Shastry.
179. „ Veer Singh.
180. „ Hradaya Ram Mittal-I
181. „ Magan Raj Purohit.
182. „ Prem Singh Rathore.
183. „ Ram Lal Mathur.
184. „ Suresh Prakash Gupta.
185. „ Satya Narayan Saxena.
186. „ Tulsi Ram Tak.
187. „ Kishan Singh Gehlot.
188. „ Awatar Singh Randhawa.
189. „ Gurdayal Singh Chowdhary.
190. „ Sawai Singh.
191. „ Baldeo Ram.
192. „ Manohar Lal B. Rai.
193. „ Harjab Singh.
194. „ Sarwan Singh Nidhan.
195. „ Pritam Singh.
196. „ Satya Pal Singh.
197. „ Laxmi Chand.
198. „ Shadi Ram.
199. „ Amar Nath.
200. „ G. P. Motiyani.
201. „ Mehar Singh.
202. „ Jeewan Singh.
203. „ Sardul Singh.
204. „ B. M. Goplani.
205. „ Roop Lal.
206. „ A. C. Tehaliani.
207. „ Trilok Chand.
208. „ Ram Chander Mathur.
209. „ Pratap Singh.
210. „ E. Vankta Chalam.
211. „ Mohan Singh Rathore.
212. „ Gurdeo Singh.
213. „ K. C. Modgil.
214. „ Dhan Lal.
215. „ S. C. Saxena.
216. „ C. A. Robinson.
217. „ Giri Raj Gupta.
218. „ Het Ram Dudi.
219. „ Ghisoolal Nahar.
220. „ Lalit Kishore Mathur.
221. „ Balour Singh.
222. „ Nen Singh Gehlot.

223. Shri Radhey Shyam Khandelwal.
224. „ Vinod Kumar Bhardwaj:
225. „ Ravindra Nath Murken.
226. „ Raghunath Singh Chauhan.
227. „ Gyan Prakash Nag.
228. „ Sohan Lal Manju.
229. „ Ravinder Nath Saxena.
230. „ Vijay Kumar Jain.
231. „ Govind Sahai Sharma.
232. „ Om Prakash Yadav.
233. „ Avtar Naryan Saxena.
234. „ Dwarka Nath Mathur.
235. „ Rajendra Prasad Gupta.
236. „ Shashi Kumar Gupta.
237. „ Prashant Chandra Khunteta.
238. „ Ghan Shyam Mathur.
239. „ Bhoopal Chand Jain.
240. „ William Pereira.
241. „ Awtar Krishan Trakroo:
242. „ Santbir Singh.
243. „ Shanker Sukhani.
244. „ Chandan Lal:
245. „ Laxmi Lal Singatwaria.
246. „ Rajendra Prasad Gupta.
247. „ Pratap Singh Kavadia.
248. „ Jagdish Ram Jasuja:
249. „ Nitya Nand Dwivedee.
250. „ Sheettal Prasad Rawat.
251. „ Om Prakash Kanodia.
252. „ Banwari Lal Bishnoi,
253. „ Mohan Lal Wadhwa.
254. „ Shikher Chand Jain.
255. „ Vimal Kumar Bairathi.
256. „ Hari Narain Mathur.
257. „ Darshan Singh.
258. „ Ram Dayal Sharma:
259. „ Jagdish Chander Makkar.
260. „ Mool Chand Agarwal.
261. „ Paras Ram Sindhi.
262. „ Chandra Bhan Lokwani.
263. „ Sadhu Ram Gupta.
264. „ Hari Singh Chowdhary.
265. „ Mahesh Chandra Pandeya
266. „ Deen Dayal Sharma.
267. „ Prem Narain Khullar.

268. Shri Om Prakash Singhal-II.
269. „ Girish Chandra Sharma.
270. „ Kalla Ram.
271. „ Bhagwati Prasad Agarwal.
272. „ Rishi Prasad Gupta.
273. „ Madan Raj Jain.
274. „ Radhey Shyam Gupta.
275. „ Swaroop Chand Vijay.
276. „ Govind Singh Charan.
277. „ Sushil Kumar Bakliwal.
278. „ Karam Kishore Mathur.
279. „ Choga Lal Daya.
280. „ Raghu Nath Sachdev.
281. „ Ram Swarup Verma.
282. „ Jai Singh Niwan.
283. „ Ramesh Chandra Saxena.
284. „ Baboo Lal Chouhan.
285. „ Ram Krishan Bhargava.
286. „ Padam Singh.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
IRRIGATION DEPARTMENT

To,

The Chief Engineer,
Irrigation, Rajasthan.
Jaipur.

No. F. 15 (266) Irg./64 *Jaipur, dated the 14th Oct. 1969.*

Sir,

I am directed to enclose herewith the seniority list of the Executive Engineers and Assistant Engineers (Mechanical) of the Irrigation Department appointed to the Rajasthan Service of Engineers (Irrigation Branch) upto 31-12-68 for information of the officers concerned.

Yours faithfully.
Sd/-
Astt. Secretary to the Government.

256

Copy forwarded to the:—

1. Chief Engineer, Rana Pratap Sagar Dam, Kota.
2. Chief Engineer, Rajasthan Canal Project, Jaipur.
3. All concerned Officers through the Chief Engineer, Irrigation, Rajasthan, Jaipur.
4. Secretary to Rajasthan Canal Board, Jaipur.
5. Guard File.

Seniority list of Executive Engineers and Assistant Engineers, (Mechanical) of the Irrigation Department up to 21-12-1968

(A) Executive Engineers (Mechanical).

1. Shri D. N. Mansaramani.
2. „ H. C. Bhargava.
3. „ A. M. Sharma.

(B) Assistant Engineers (Mechanical)

1. Shri S. L. Tak.
2. „ H. C. Bhargava
3. „ A. M. Sharma
4. „ Ajit Singh
5. „ B. D. Thanvi
6. „ P. C. Gandhi
7. „ Shanti Swroop
8. „ S. P. Saxena
9. „ J. C. Luthera
10. „ Shankar Lal
11. „ Surya Kant M. Lonkar.

TRUE COPY

(257)

राजस्थान सरकार

सिंचाई विभाग

क्रमांक: प. 15 (1) (126) सिंचाई/75 दिनांक 5-3-79

आदेश

इस विभाग के नोटिस संख्या प. 15 (1) (126) सिंचाई/75 दि. 3-9-75 द्वारा सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की पारस्परिक वरिष्ठता अन्तिम रूप से निर्धारित करने के सम्बन्ध में अधिकारियों के आक्षेप, यदि कोई हो, आपेक्षित करने के लिए नोटिस के उत्तर में अधिकारियों से प्राप्त अस्थाई आवेदनों पर विचार करने के पश्चात् सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची निम्न प्रकार अन्तिम रूप में निर्धारित की जाती है :-

1. श्री एच. एम. चौहान
2. श्री आर. डी. व्यास
3. श्री शम्भू राम
4. श्री आर. एस. शेखावत
5. श्री ए. एम. शर्मा
6. श्री अजीत सिंह
7. श्री वी. डी. थानवी
8. श्री पी. सी. गांधी
9. श्री पी. एच. बोहरा
10. श्री शान्ति स्वरूप
11. श्री आर. एल. गोयल
12. श्री एस. पी. सक्सैना
13. श्री जे. सी. लूथरा
14. श्री एस. एल. वर्मा
15. श्री सूर्यकान्त एम. लूंकड़
16. श्री नजे सिंह
17. श्री बलवन्त सिंह
18. श्री वी रसेन जैन
19. श्री सी. टेकचन्दानी
20. श्री जी. एन. भार्गव
21. श्री गुरुमुख सिंह
22. श्री पी. जे. शुक्ला
23. श्री राम विलास गोयल
24. श्री राम पाल शर्मा
25. श्री जागीर सिंह
26. श्री यू.एम.मेहता
27. श्री पी.के. बेदी
28. श्री राम रक्षपाल
29. श्री रामस्वरूप
30. श्री एच. सी. दास छाबरा
31. श्री वी. के. मित्तल
32. श्री जे. पी. माथुर
33. श्री बी. वैंकटारमण
34. श्री एस. राजगोपालन
35. श्री एस. एल. ओसवाल
36. श्री आर. पी. रांकावत
37. श्री एस. के. मित्तल

ह/-

सहायक शासन सचिव

(258)

परिशिष्ट 21

अतारांकित प्रश्न संख्या 187 की सूची

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	जल संबंध देने की दिनांक	स्वीकृत करने वाला अधिकारी
1	2	3	4
1.	श्री बृजभान 520/ 2	15-6-74 से पूर्व	नगरपालिका, अजमेर
2.	श्री जमनादास बृजभान 525/ 2	15-6-74 से पूर्व	नगरपालिका, अजमेर
3	श्री विजय बहादुर सिंह	15-6-74 से पूर्व	नगरपालिका, अजमेर
4.	श्रीमती कृष्णा कंवर पत्नी श्री किशन सिंह	15-6-74 से पूर्व	नगरपालिका, अजमेर
5.	श्री धनराज शोभागमल डब्ल्यू/ 2	15-6-74 से पूर्व	नगरपालिका, अजमेर
6.	श्री नाशमल खां डब्ल्यू/ 2	15-6-74 से पूर्व	नगरपालिका, अजमेर
7.	श्री महादेव पोल्ट्रीफार्म	15-6-74 से पूर्व	नगरपालिका, अजमेर
8.	श्री पूनम चन्द	15-6-74 से पूर्व	नगरपालिका, अजमेर
9.	श्री मूलचन्द चौधरी 29 /2	15-6-74 से पूर्व	नगरपालिका, अजमेर
10.	श्री किशनसिंह 303/ 2	35-6-74 से पूर्व	नगरपालिका, अजमेर
11.	मैसर्स मोती कन्स्ट्रेक्शन कं. 292/ 2	30-8-76	श्री जी. डी. सिंह, सहायक अभियन्ता
12.	मैसस मोती कन्स्ट्रेक्शन कं. 291/ 2	30-8-79	श्री के. सी. पाटनी सहायक अभियन्ता
13.	श्री मोटूमल गुरनोमल	30-8-79	,, ,,
14.	श्रीमती लीलावती पत्नी श्री जस्सुमल नागदा स्टोन फैक्ट्री	20-12-79	,, ,,

Page No 259

(259)

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 193 की सूची

विभागीय एवं अकाल राहत कार्य की सूची

वित्तीय वर्ष	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्यों के नाम	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
विभागीय कार्य (डी. पी. ए. पी.):				
1980-81	मारवाड़ जंक्शन	—	—	—
	रानी	—	—	—
	देसूरी	छोडावाला	छोडावाला बांध	प्रगति पर है
		वजरवाला	वजरवाला बांध	पूर्ण
		हेडवान	हेडवान बांध	
1981-82	मारवाड़ जंक्शन	—	—	—
	रानी	—	—	—
	देसूरी	—	—	—
अकाल राहत के कार्य:—				
1980-81	मारवाड जंक्शन	फुटिया	फुटिया एनीकट	पूर्ण
		सिचाणा	सिचाणा एनीकट	पूर्ण
		रेणियाँ	रेजिंग ग्राफ रेणियाबांध	पूर्ण
	रानी	—	—	—
	देसूरी	सेली	सेली की नाल	प्रगति पर
		बागोल	बागोल बांध	पूर्ण
		घोडाधाडा	घोडाधाडा बांध	पूर्ण
		मुथाना	मुथाना बांध	पूर्ण
		काना	काना बांध	पूर्ण
1981—82	मारवाड जंक्शन	करमाल	करमाल एनीकट	पूर्ण
		जोगडावास	जोगडावास बांध	पूर्ण
		सिरीयारी	सिरीयारी बांध	प्रगति पर
		आंगदोष	आंगदोष एनीकट	पूर्ण
		चिरपटिया	चिरपटिया बांध	प्रगति पर
		कटालिया	कटालिया बांध	प्रगति पर
		सारण	सारण बांध	पूर्ण
		बोरीनाडा	बोरीनाडा बांध	पूर्ण
	रानी	धेनडी	धेनडी बाढ बचाव कार्य	पूर्ण
		नादान भाटान	नादान भाटान बांध	पूर्ण

Page No 260

(260)

1	2	3	4	5
1981–1982 रानी (क्रमश)		धारीया	धारिया बांध	प्रगति पर
		चाचौंडी	चाचौंडी बांध	पूर्ण
	देसूरी	परसराम महादेव	परसराम महादेव एनीकट	प्रगति पर
		बिरमपुर	बिरमपुर एनीकट	पूर्ण
		मोरला लापी	मोरला लापी बांध	प्रगति पर
		सियावा	सियावा एनीकट	पूर्ण
		मांडीगढ़	मांडीगढ़ बांध	पूर्ण
		सुन्दरी नाडी	सुन्दरी नाडी	पूर्ण
		राजपुरा	राजपुरा बांध	पूर्ण
		मगर तालाब	मगर तालाब बांध	पूर्ण
		कोलर	कोलर बांध	पूर्ण
		गुडागोपीनाथ	गुडागोपीनाथ	पूर्ण
		कामोठी	कामोठी बांध	पूर्ण
		खेतलाजी	खेतलाजी बांध	पूर्ण
		केसूली	केसूली बांध	पूर्ण
		सादड़ी	सादडी बांध	पूर्ण
		बजरवाला	बजरवाला बांध	पूर्ण
		मादरा की नाल	मादरा की नाल	पूर्ण
		डेडवान	डेडवान बांध	प्रगति पर

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 202 की सूचि

परिशिष्ट 'क'

राष्ट्रीय-ग्रामीण-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का सूची

(1) गत वर्षों के अधूरे कार्यों को पूरा करवाना।

(2) सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण—

सड़कों के किनारे, रेल्वे लाइन के पास वन पौधों एवं कृषि पौधों में वृक्षारोपण, ईंधन व चरागाह का विकास, स्कूलों एवं संस्थाओं के माध्यम से पौध उगाने का कार्य व जन-साधारण को वन विकास में सम्मिलित करना।

(3) अनुसूचित-जाति व जन-जाति के लोगों के लिए प्रत्यक्ष लाभ की योजना से पेयजल के लिए कुएं निर्माण, सामूहिक गृह योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजना बनवाना।

(4) गांवाई तालाबों एवं कुओं का निर्माण, मरम्मत व गहरे करवाना, जिससे सामान्य लोगों व पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था की जा सके तथा सिंचाई व मत्स्य पालन का भी विकास हो सके।

(5) लघु सिंचाई कार्य—

लिफ्ट सिंचाई योजना, नाडी, नालों, एनिकट्स, फार्म पोण्ड्स (टांके), बाढ़ संरक्षण, कार्य एवं नहरों का निर्माण करवाना।

(6) भू-संरक्षण, भूमि सुधार एवं विकास योजना के कार्य करवाना।

(7) ग्रामीण विकास केन्द्रों पर सड़क का निर्माण कार्य।

(8) स्कूल वालवाड़ी, पंचायतघर, सामुदायिक स्नानघर व शौचालय, बायोगैस प्लांट, गौशालाओं व अन्य जीवों के लिए पेयजल की व्यवस्था करवाना।

उपरोक्त कार्यों की सूची उदाहरणार्थ। रोजगार के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसे वे सभी कार्य इस कार्यक्रम के तहत लिए जा सकते हैं जिनसे अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, सामुदायिक सम्पत्ति का विकास व पुनरोद्धार क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 202 की सूचि

वर्ष 81-82 मे पूर्व के सरपंचों के विचाराधीन मामले तहसील प्रतापगढ़ जिला चितौड़गढ़

क्र.सं.	सरपंच का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	पं. स. का नाम	गबन एवं अनियमितताओं का विवरण
1.	श्री शादात खां	कोटडी	अरनोद	काम के बदले अनाज योजना सम्बन्धित घोटाले के कारण
2.	श्री हेमचन्द्र मीणा	केडमा	अरनोद	आबादी भूमि विक्रय में पक्षपात
3.	श्री श्रीराम डांगी	चुपखा	अरनोद	काम के बदले अनाज योजना में गड़बड़ी एंव मनमानी करना।
4.	श्री रतनलाल मीणा	लालगढ़	अरनोद	काम के बदले अनाज योजना में गड़बड़ी करना।
5.	श्री नागजी सोलंकी	अचलावदा	अरनोद	,, ,, ,,
6.	श्री शंकरसिंह	वरड़िया	प्रतापगढ़	,, ,, ,,
7.	श्री अम्बालाल	सिद्धपुरा	,,	भूमि विक्रय एवं अन्तकाल में घोटाला।
8.	श्री प्रद्युम्न कुमार	धमोतर	,,	पंचायत कार्य में अनियमितता।
9.	श्री बालूदास	साखथलीखुर्द	अरनोद	गबन वर्ष 75-76 राशि 544/-
10.	श्री हीरालाल	अमलावद	प्रतापगढ़	गबन वर्ष 56-57 राशि 431-75
11.	श्री मोडसिंह	कुणी	,,	गबन वर्ष 72-74 राशि 347-00
12.	श्री हुरजी	सुहागपुरा	,,	गबन वर्ष 68 से 75 राशि 2376-311